त्रयोदश माला, खंड 36, अंक 15

शुक्रवार, 8 अगस्त, 2003
17 श्रावण, 1925 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 36 में अंक 11 से 21 तक हैं)

No. 56
Date 8/4/04

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्यासागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 36, तेरहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]

अंक 15, शुक्रवार, 8 अगस्त, 2003/17 श्रावण, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
स्वतंत्रता आन्दोलन के शहीदों तथा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि	1–2
प्रश्न काल के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव	3–5
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
सभा का कार्य	6–7
सदस्यों द्वारा निवेदन	
उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों के नोएडा और दिल्ली स्थित निवास स्थानों पर आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा कथित छापों के बारे में	7–12
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 281 से 300	13–77
अतारांकित प्रश्न संख्या 2586 से 2759	77–301
सरकारी विधेयक—*पारित*	
(एक) संविधान (चौरानवेवां संशोधन) विधेयक	
(अनुच्छेद 338 का संशोधन और नए अनुच्छेद 338क का अन्तःस्थापन)	301–320, 331–392
विचार करने के लिए प्रस्ताव	301
श्री जुएल उराम	301, 320
श्री के.ए. सांगतम	301, 304–305
श्री थावरचन्द गेहलोत	305–306
श्री बाजू बन रियान	306–307
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति	307–308
श्री रामजीलाल सुमन	309–310
श्री अनंत गुढे	311
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	311–313

श्री राम विलास पासवान 313–314
श्री अरुण कुमार 314–315
डा. वी. सरोजा 317–318
श्री हरीभाऊ शंकर महाले 318
श्री माणिकराव होडल्या गावित 318–319
श्री दलित इजिलमलाई 319
श्री रामदास आठवले 319
श्री नवल किशोर राय 320
खंड 2, 3 और 1 356–379
पारित करने के लिए प्रस्ताव 380–392

(दो) संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 332 का संशोधन) 320–330, 392–430
विचार करने के लिए प्रस्ताव 393
श्री चिन्मयानन्द स्वामी 321
श्री जी.एम. बनातवाला 321–322
श्री संतोष मोहन देव 323
श्री प्रियरंजन दासमुंशी 324–325
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 325
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति 325–326
श्री राम विलास पासवान 326–327
श्री लालकृष्ण आडवाणी 327–330
खंड 2 और 1 405–417
पारित करने के लिए प्रस्ताव 418–430

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

सभा की बैठक रद्द करना 330

सभा पटल पर रखे गए पत्र 431–435

लोक लेखा समिति

इक्यावनवां प्रतिवेदन 435

सभा का कार्य 435–439

लोक सभा

शुक्रवार, 8 अगस्त, 2003/17 श्रावण, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मायावती के माता-पिता और संबंधियों के घरों पर आयकर विभाग द्वारा छापे मारे गए हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं, मुझे एक उल्लेख करना है। कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

स्वतंत्रता आन्दोलन के शहीदों तथा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि 61 वर्ष पहले, 9 अगस्त, 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को 'भारत छोड़ो' की चेतावनी दी। उन्होंने भारत के लोगों से अपनी मातृभूमि को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने हेतु 'करो अथवा मरो' का आह्वान किया।

इस आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और इसकी परिणति प्रत्येक भारतीय के चिरपोषित स्वप्न अर्थात् एक स्वतंत्र भारत की परिकल्पना को साकार रूप देने में हुई। इस अवसर पर हम महात्मा गांधी और उन सभी देशभक्तों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने हमारी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया।

माननीय सदस्यों को यह भी स्मरण होगा कि जापान के दो नगरों, हिरोशिमा और नागासाकी पर क्रमश: 6 तथा 9 अगस्त, 1945 को परमाणु बम गिराकर उन्हें ध्वस्त किया गया। इसमें हजारों व्यक्ति मारे गये, लाखों घायल हुए और जो व्यक्ति बच गये वे परमाणु विकिरण की विभीषिका के उत्तरगामी प्रभावों से आज भी पीड़ित हैं।

हिरोशिमा और नगासाकी हमें राष्ट्रों के बीच स्थायी शान्ति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार के परमाणु हथियारों को समाप्त करने के महत्व का स्मरण कराते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गंभीर, व्यापक और पक्षपातरहित प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। विश्व शान्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी देशों को संयम बरतना होगा और अहिंसा का मार्ग अपनाना होगा।

अब सदस्यगण स्वतंत्रता आन्दोलन के शहीदों तथा परमाणु बम की तबाही के शिकार हुए लोगों के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, आज के अखबारों में आया है कि मायावती के माता-पिता और संबंधियों के घरों पर आयकर विभाग के छापे पड़े हैं। उनके घरों से बहुमूल्य सामान बरामद हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। हम सदन में सरकार का सहयोग करना चाहते हैं लेकिन यह बहुत गंभीर मामला है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मामला तो गंभीर है।

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में मायावती के माता-पिता और संबंधियों के घरों पर छापे में बहुमूल्य कीमती सामान बरामद हुए हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे अलग-अलग विषयों पर सूचना प्राप्त हुई हैं। प्रश्न काल को निलम्बित करने के संबंध में भी मुझे सूचना प्राप्त हुई हैं। सरकार भी प्रश्न काल के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव लाना चाहती है।

अब श्रीमती सुषमा स्वराज।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नकाल के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करती हूं कि 7 अगस्त, 2003 को संपन्न हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिये गए निर्णय के अनुसार आज प्रश्नकाल स्थगित करके संविधान के 94वें और 99वें संशोधन पर चर्चा कराई जाए।

[अनुवाद]

महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:-

''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 32, जहां तक इसमें यह उपबंध है कि बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने के लिए उपलब्ध होगा, का निलंबन करती है ताकि संविधान (चौरानवेवां संशोधन) विधेयक, 2002 और संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 को विचार तथा पारित करने के लिए लिया जा सके।''

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, हम सरकार का सहयोग करना चाहते हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं, जिसने इन दो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयकों को पारित करने के लिए प्रश्नकाल का निलम्बन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): इन संविधान संशोधन विधेयकों को पारित होने दीजिए। हमारे पास अन्य मुद्दे भी हैं *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं एक मिनट के लिए और कहना चाहता हूं। आज सुबह गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पुलिस घुस गयी जबकि कांग्रेस ने राज्य में बंद का आह्वान किया था। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अभूतपूर्व है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं।

महोदय, इन विधेयकों के पारित होने में हम आज सरकार को सहयोग देंगे। इन विधेयकों को अगर बिना वाद-विवाद के भी पारित किया जाये तो हमें कोई आपत्ति नहीं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मैं सभा की स्वीकृति के लिए रखूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: एक बार में एक ही सदस्य बोलें, तो सुनाई भी पड़ेगा। एक ही समय में यदि सभी सदस्य बोलेंगे, तो कैसे चलेगा, यह नहीं हो सकता। कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दी जाये *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: राष्ट्रपाल जी, कृपया बैठ जाएं, आपके विषय पर हम किसी अन्य दिन चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत संगीन मामला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के माता-पिता एवं उनके अन्य संबंधियों पर आयकर के छापे मारे गए जिनमें उनके माता-पिता और संबंधियों के घरों से तीन बोरी सरकारी फाइलें जब्त की गई हैं। मैं सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह बहुत गंभीर मामला है। उनके यहां से करोड़ों रुपयों की संपत्ति मिली है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मैं सभा की स्वीकृति के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 32, जहां तक इसमें यह उपबंध है कि बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने के लिए उपलब्ध होगा, का निलंबन करती है ताकि संविधान (चौरानवेवां संशोधन) विधेयक, 2002 और संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 को विचार तथा पारित करने के लिए लिया जा सके।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मुझे एक टिप्पणी करनी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं एक टिप्पणी कर रहा हूं, कृपया अध्यक्षपीठ को सहयोग दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, हम संविधान संशोधन विधेयक पर सरकार का सहयोग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों संविधान संशोधन विधेयक पारित हों, लेकिन महोदय यह बहुत गम्भीर मामला है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको इसीलिए सुना कि यह गम्भीर मामला है। आप जानते हैं कि मैंने सरकार की ओर से प्रस्तुत स्थगन-प्रस्ताव ले लिया और प्रश्न-काल स्थगित कर दिया है। श्री जसवन्त सिंह, वित्त मंत्री जी खड़े हैं, वे बोलना चाहते हैं, उन्हें सुनने दीजिए। मंत्री जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गम्भीर है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मामला गम्भीर है, इसीलिए मैंने आपको सुना।

श्री रामजीलाल सुमन: तीन बोरे फाइलें मिलीं, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के बहनोई के यहां अपार सम्पत्ति मिली, मायावती के रिश्तेदारों *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: राष्ट्रपाल जी, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि आपके विषय पर हम किसी अन्य दिन चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में जो निर्णय लिया गया है, उसको आनर करना आपका भी काम है।

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट के लिए सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप अपने आसन पर जाकर बोलिए।

कुंवर अखिलेश सिंह: मान्यवर, यह बहुत गम्भीर विषय है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सरकार *...(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.08 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

सभा का कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों प्रश्नकाल निलम्बित किया गया है और जैसा कि आप जानते हैं, आज की कार्यसूची में एक अल्प सूचना प्रश्न भी है। इस अल्प सूचना प्रश्न को संबंधित मंत्री से विचार-विमर्श करके किसी अगली तारीख के लिए स्थगित किया जाए।

अब हम आज की कार्य-सूची में क्रम संख्या 10 और 11 पर सूचीबद्ध संविधान (94वां संशोधन) विधेयक और संविधान (99वां संशोधन) विधेयक को विचार तथा पारित किए जाने के लिए ले सकते हैं। अगर सभा सहमत हो, तो हम इन दोनों पर

अपराह्न 12.30 बजे तक चर्चा पूरी कर सकते हैं। चूंकि प्रत्येक विधेयक पर चर्चा के लिए हमारे पास केवल 45 मिनट का समय उपलब्ध होगा, अतः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने भाषण अत्यधिक संक्षेप में करें।

कल हुई कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, इन दोनों विधेयकों पर एक-एक करके अपराह्न 12.30 बजे मत विभाजन कराया जा सकता है।

मुझे आशा है कि सभा इस बात से सहमत है।

अनेक माननीय सदस्यः जी, हां।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मुझे बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, कुंवर अखिलेश सिंह जी को दो मिनट सुना जाना चाहिए। मेरा यह आपसे अनुरोध है *...(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.10 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों के नोएडा और दिल्ली स्थित निवास स्थानों पर आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा कथित छापों के बारे में

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर विषय है। प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी और वित्त मंत्री जी आयकर अधिकारियों के मनोबल को गिरा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः प्लीज बैठिये। अखिलेश सिंह जी, मैंने आपको इजाजत दी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बड़ा लम्बा भाषण कर सकते हैं। मैंने अपना निर्णय पढ़ा है और हाउस ने उससे एग्री किया है। अब केवल एक मिनट में अपना विषय आप रख सकते हैं। एक मिनट से ज्यादा बोलने की इजाजत मैं नहीं दे रहा हूं। यदि आपको मंजूर है तो बोल दें, नहीं तो छोड़ दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): महोदय, कृपया मुझे भी बोलने की अनुमति दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः आपको इजाजत दी है और केवल एक मिनट की दी है, ज्यादा नहीं। अखिलेश जी, मैंने आपको इजाजत दी है, बोलिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैं प्रत्येक सूचना को विचारार्थ नहीं ले सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया बैठिये। तभी यह शुरू हो पायेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अब मुझे सभा का कार्य करने दीजिए। श्री रामदास आठवले जी, कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती जी के परिजनों के आवास पर दिल्ली में, मेरठ में और नोएडा में आयकर विभाग के लोगों ने छापे डाले। उन छापों में नकदी बरामद हुई है, कीमती जेवरात बरामद हुए हैं और नोएडा की आपत्तिजनक फाइलें बरामद हुई हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के परिजनों को आयकर के अधिकारियों पर अनुचित दबाव डालकर, बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यह गम्भीर विषय है। इसमें हम आपका संरक्षण चाहते हैं और चाहते हैं कि इसकी जांच करा ली जाये। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब आप बैठिये।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): वहां तीन बोरी फाइलें बरामद हुई हैं, ऐसा अखबार वाले कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आप दोनों को नहीं सुना। आपको भी नहीं सुना और उनको भी नहीं सुना।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, माननीय विधि और न्याय मंत्री के विरुद्ध मेरी विशेषाधिकार संबंधी सूचना लम्बित है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: सरकार इसके बारे में क्या कर रही है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बाद में सुनूंगा।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): महोदय, गुजरात के किसान कांग्रेस शासन के दौरान के 500 रु. प्रति हार्सपावर विद्युत शुल्क को बढ़ाकर अब 1260 रु. प्रति हार्सपावर किये जाने के कारण आंदोलन पर उतारू हैं *...(व्यवधान)* गुजरात की फासिस्ट सरकार ने इसे बढ़ाकर 1,260 रु. कर दिया है। स्कूलों और कालेजों के शुल्क में असामान्य वृद्धि के विरुद्ध छात्र और अभिभावकगण भी लड़ रहे हैं *...(व्यवधान)* लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है *...(व्यवधान)* समाज के सभी वर्गों ने आज वहां बंद घोषित कर रखा है। यह बताते हुए मुझे खेद होता है कि गुजरात में पुलिस कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में प्रवेश कर गयी है *...(व्यवधान)* माननीय उप-प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हुई घटनाओं के लिए उन्हें उत्तर देना चाहिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: सरकार का इस बारे में क्या कहना है, यह सब जान-बूझकर करवाया जा रहा है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: स्थगन प्रस्ताव और प्रश्नकाल के निलम्बन की सूचनाएं मैंने अस्वीकार कर दी हैं और इसलिए मैं अब संविधान (संशोधन) विधेयक पर आता हूं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, आपने मुझे समय देने के लिए कहा था। कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए *...(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, पुलिस कांग्रेस पार्टी के कार्यालय परिसर में घुस गई और कार्यकर्त्ताओं को निरुद्ध कर दिया। *...(व्यवधान)* उन्होंने विधायकों को भी गिरफ्तार कर लिया और जिले के अधिकारियों को आंदोलन को दबाने का निर्देश दिया गया है। पुलिस बल सब कुछ कर रहा है *...(व्यवधान)* राज्य प्रशासन का दुरूपयोग किया जा रहा है *...(व्यवधान)* हम माननीय उप प्रधानमंत्री से उत्तर चाहते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठिए। विशेष मामले के नाते मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है। आपको किसी स्थिति से तो संतुष्ट होना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, विधि और न्याय मंत्री के विरुद्ध मेरी विशेषाधिकार संबंधी सूचना लम्बित है।

अध्यक्ष महोदय: आपकी विशेषाधिकार संबंधी सूचना मेरे पास विचाराधीन है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभी विशेषाधिकार संबंधी सूचनाएं मेरे पास विचाराधीन हैं। अब माननीय वित्त मंत्री श्री जसवन्त सिंह जी बोलेंगे। जसवन्त सिंह जी, आप शुरू करिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम सब कल इस पर सहमत थे। रामदास जी, बैठिये।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, हम सहमत थे कि यह दोनों विधेयक पारित किये जाएं। तब, हम अन्य मुद्दे उठायेंगे *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन सूचनाओं को अस्वीकृत कर दिया है। मैं उन पर सही समय पर विचार कर सकता हूं।

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, आपने मात्र इनके बारे में बताया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह मेरे पास विचाराधीन है। आज शाम से पहले आपको, आपकी सूचना का उत्तर दे दिया जायेगा।

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, कृपया यह बताएं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप इस पर बोलना चाहते हैं तो मैं इसे जब सभा बुधवार को पुन: समवेत होगी, तब विचारार्थ ले सकता हूं।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, डा. विजय कुमार मल्होत्रा के विरुद्ध, मेरी विशेषाधिकार संबंधी सूचना लम्बित है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे एक-दूसरे के विरुद्ध कई सूचनायें मिली है। सभी सूचनाएं मेरे पास विचाराधीन हैं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, कृपया उन्हें अनुमति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय: उन पर मैं विचार करूंगा और उन पर अभी अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): स्पीकर साहब, कुछ माननीय सदस्यों की कई उत्तेजनाएं एक साथ हाउस में आ रही हैं, इसलिए कठिन हो जाता है कि सभी उत्तेजनाओं का उत्तर एक साथ दिया जाये, किन्तु कुछ माननीय सदस्यों की उत्तेजना का उत्तर मैं देता हूं। सुबह जब सुषमा जी ने हमसे पूछा कि यह क्या माजरा है तो हमने कहा कि मनगढ़न्त और कपोलकल्पित में अन्तर क्या है। उन्होंने कहा कि मनगढ़न्त और कोपलकल्पित में कोई अंतर नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बारे में यहां ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह विषय अभी सामने नहीं है। वह विषय खत्म हो गया है।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इसका उत्तर देना चाहते हैं तो उन्हें देने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के किसी परिवारजन के किसी निवास स्थान पर न कानपुर में लखनऊ में न कहीं और ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: नोएडा और दिल्ली में है। ...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: मुझे जो काम सुपुर्द किया गया है, उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूं। कुंवर साहब आप वाकई में ही नाराज हो रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मैं पढ़कर ही नहीं बल्कि जानकारी लेकर भी कह रहा हूं कि उनके किसी परिवारजन पर कहीं कानपुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, नोएडा भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, वहां पर कोई रेड नहीं हुई है, कोई ऐसी सामग्री नहीं पाई गयी है। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: आप दिल्ली का भी बता दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: मैं दिल्ली के बारे में भी बता देता हूं। वैसे साधारणत: आप मानेंगे कि इस प्रकार की जब छान-बीन होती है, उसकी सूचना इस किस्म से या इस रूप से हम सार्वजनिक करें, यह उचित नहीं है क्योंकि इसमें कई नागरिकों के कई पहलू होते हैं। दिल्ली में नारकोटिक्स विभाग ने कुछ नारकोटिक्स स्मगलिंग के लिए ट्रैवल एजेंट्स पर जरूर कार्रवाई शुरू की थी। उन ट्रैवल एजेंट्स पर जब उन्होंने कार्रवाई शुरू की तो इनकम टैक्स वालों को भी निवेदन किया गया कि वे हमारे साथ आयें। दिल्ली की कार्रवाई का एक प्रकार से ऐसा रूप बनाया गया है, वह बिल्कुल निराधार है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन होगा कि माननीय सदस्य अगर इस बारे में मेरे से जानकारी मांग लेते तो शायद उनका इतना ब्लड प्रैशर न बढ़ता। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, आप इनसे कहिये कि ये हाउस से माफी मांगें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम संविधान (संशोधन) विधेयक पर आते हैं। श्री जुएल उराम जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर चर्चा नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, यह खबर समाचार-पत्र में प्रकाशित हुई है। यह हमारी खबर नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: समाचार-पत्र के खिलाफ आप नोटिस दे सकते हैं कि यह गलत खबर है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जुएल उराम जी, आप बोलिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप सब बैठिये। यह अच्छी बात नहीं है। मंत्री जी के बोलने के बाद इसमें बाकी कुछ रहा नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप दोनों मेरे चैम्बर में आइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अखिलेश जी, मेरे चैम्बर में आकर झगड़ा करिये। आप यहां क्यों करते हो?

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

राज्य व्यापार निगम द्वारा गेहूं का निर्यात

***281. श्री जी. गंगा रेड्डी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) ने घटिया गेहूं का निर्यात किया था जिसके परिणामस्वरूप भारी घाटा हुआ;

(ख) यदि हां, तो निगम को कुल कितनी राशि का घाटा हुआ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या रहा; और

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

चमड़े की वस्तुओं के निर्यात का लक्ष्य

***282. श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2002-2003 के दौरान चमड़े की वस्तुओं के निर्यात का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें महाराष्ट्र का हिस्सा कितना है;

(घ) चमड़े की वस्तुओं के निर्यातकों को सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं; और

(ङ) चमड़े की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 2002-2003 के लिए चमड़े एवं चमड़े के उत्पादों के निर्यात के लिए 2030 मिलियन अमरीकी डालर का संकेतात्मक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। राज्य-वार कोई निर्यात लक्ष्य नहीं निर्धारित किया जाता है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है:-

(1) अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लेने के लिए व्यक्तिगत निर्यातकों को।

(2) निर्यात बढ़ाने के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों हेतु चर्म निर्यात परिषद को।

(3) लक्षित देशों जैसे अमरीका और यूरोपीय देशों में भण्डागार एवं शो रूम की सुविधाओं की स्थापना करके अपने बाजार नेटवर्क को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय कम्पनियों को।

(4) निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यातकों के डिजाइन विकास क्षमताओं को बढ़ाने हेतु डिजाइन स्टुडियो की स्थापना करने हेतु निर्यातकों को।

(5) बुनियादी सुविधाओं की कमियों को पूरा करने हेतु राज्य सरकारों को।

(6) कार्यकुशलता का उन्नयन करने के लिए, और

(7) बाजार आसूचना के लिए।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत निर्यातकों के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के बांडों में जमा करने की सीमा

*283. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2003-2004 के बजट में भारतीय रिजर्व बैंक के बांडों में धन लगाने की जमा सीमा समाप्त कर दी है;

(ख) क्या राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत डाकघर की मासिक आय योजना (एमआईएस) में तीन लाख रुपए तक की राशि जमा की जा सकती है;

(ग) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार वरिष्ठ नागरिकों के लाभार्थ डाकघर की मासिक आय योजना में तीन लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपए तक करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) जी, हां। बचत बांड, 2003 (आर.बी.आई. बांड) में निवेश के लिए कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गयी है। तथापि, डाक घर मासिक आय खाता (पी.ओ.एम.आई.ए.) के अंतर्गत जमा की जाने वाली धनराशियों के लिए एकल खाता के मामले में 3 लाख रुपए तथा संयुक्त खाता के मामले में 6 लाख रुपए की अधिकतम सीमा निर्धारित है।

(ग) से (ङ) बचत बांड, 2003 तथा डाक घर मासिक आय खाता दो पृथक बचत विकल्प हैं, जिनकी विशेषताएं एवं प्रयोजन अलग-अलग हैं। डाक घर मासिक आय खाता में लघु निवेशकों को जमाराशि की परिपक्वता पर 10 प्रतिशत की दर पर बोनस तथा परिपक्वता से पहले आहरण की सुविधा प्राप्त है, जबकि 8 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बांड में ऐसे लाभ नहीं मिलते हैं। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नौ प्रतिशत वार्षिक दर पर आश्वासित आय वाली "वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना" नामक स्कीम की भी शुरूआत की है।

क्लीन करेंसी नोट पालिसी

*284. **श्री मोहन रावले:**
श्री अमर राय प्रधान:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक की "क्लीन करेंसी नोट पालिसी" का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये आकस्मिक निरीक्षणों से पता चला है कि कुछ बैंक इस नीति का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इन बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार का उक्त नीति के क्रियान्वयन के पश्चात् अतिरिक्त घोषित किये गये कर्मचारियों की सेवाओं का किस तरह उपयोग करने का विचार है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनवरी, 1999 में घोषित "क्लीन नोट (साफ-सुथरे नोट) की नीति" में नागरिकों को नए और साफ-सुथरे नोट उपलब्ध कराना निहित है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को नोटों को स्टेपल न करने, नोटों पर लिखना बंद करने और नागरिकों को केवल साफ-सुथरे नोट जारी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इन अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं और अनुपालन न किए जाने पर उनके द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(घ) आज की तारीख तक किसी भी कर्मचारी को अतिरिक्त घोषित नहीं किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत यथा आवश्यक कुछ पुन: तैनाती की गई हैं।

[हिन्दी]

न्यायालयों में लंबित मामले

*285. **श्री सुबोध राय:***
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों और अन्य निचली अदालतों में लंबित सिविल तथा आपराधिक मामलों की संख्या कितनी है तथा ये कब से लंबित हैं;

(ख) क्या विभिन्न न्यायालयों में मामलों के लंबित रहने के मुख्य कारण न्यायाधीशों की रिक्तियों का न भरा जाना, न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या, वकीलों द्वारा हड़ताल और मुकदमों की सुनवाई का बार-बार स्थगित होना है;

(ग) यदि हां, तो वर्तमान में उक्त न्यायालयों में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं;

(घ) न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार ग्रीष्मावकाश के दौरान न्यायालयों को खुला रखने का निर्देश जारी करने का है जैसाकि 2003 के गीष्मावकाश के दौरान गुजरात में न्यायालय खुले रखे गए थे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) इस समय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित सिविल और दांडिक मामलों की संख्या दर्शित करने वाला ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है। उच्च न्यायालय में अवधिवार लंबित मामले संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के जिला न्यायालयों और निचले न्यायालयों में अवधिवार लंबित सिविल और दांडिक मामलों की संख्या संलग्न विवरण-III में दी गयी है।

(ख) न्यायाधीशों की रिक्तियों का न भरा जाना, न्यायाधीशों की अपर्याप्त पदसंख्या, वकीलों की हड़ताल और मामलों का बार-बार स्थगित किया जाना विभिन्न न्यायालयों में मामले लंबित रहने के प्रमुख कारण हैं।

(ग) तारीख 1.8.2003 को, उच्चतम न्यायालय में दो रिक्तियां हैं और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों की 158 रिक्तियां हैं। न्यायिक अधिकारियों के पदों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार रिक्तियों की स्थिति संलग्न विवरण-IV में दी गयी है।

(घ) उच्चतत न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों को भरे जाने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक उपाय किए गए हैं।

(ङ) और (च) केंद्रीय सरकार ने सभी उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों से उच्च न्यायालयों में वार्षिक अवकाशों और कार्य-दिवसों की संख्या के बारे में पुन:विचार करने का अनुरोध किया है।

जहां तक अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का संबंध है, प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने यह संप्रेक्षण किया है कि न्यायालयों के कार्य घंटों तथा कार्य-दिवसों की संख्या में वृद्धि करने और साथ ही अवकाशों की संख्या घटाने से बकाया/लंबित मामलों की संख्या कुछ सीमा तक कम की जा सकती है। भारत सरकार ने सभी उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों से इस संबंध में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

विवरण I

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

क्र.सं.		लंबित मामले			निम्नलिखित तारीख को
		दांडिक	सिविल	योग	
1	2	3	4	5	6
उच्चतम न्यायालय		4747	19634	24381	1/11/2002
उच्च न्यायालय					
1.	इलाहाबाद	149587	760054	909641	31/3/2002

1	2	3	4	5	6
2.	आंध्र प्रदेश	10863	152649	163512	31/3/2002
3.	बम्बई	27936	265344	293280	30/9/2001
4.	कलकत्ता	36433	190697	227130	31/3/2002
5.	दिल्ली	17718	160283	178001	31/12/2000
6.	गुवाहाटी	5629	39413	45042	31/12/2000
7.	गुजरात	19526	120041	139569	31/12/2000
8.	हिमाचल प्रदेश	4037	13910	17947	31/3/2002
9.	जम्मू-कश्मीर	1740	31625	33365	31/3/2002
10.	कर्नाटक	7417	87819	95236	31/3/2002
11.	केरल	17107	393972	411079	31/3/2002
12.	मध्य प्रदेश	47420	88319	135739	31/6.2002
13.	मद्रास	33258	314562	347820	31/12/2001
14.	उड़ीसा	10598	137168	147766	31/3/2002
15.	पटना	17297	63942	81239	31/3/2002
16.	पंजाब और हरियाणा	44487	188288	232775	31/3/2002
17.	राजस्थान	27713	110406	138119	31/12/2001
18.	सिक्किम	20	102	122	31/3/2002
19.	उत्तरांचल	5365	25479	30844	31/8/2002
20.	झारखंड	5437	9028	14465	31/12/2001
21.	छत्तीसगढ़	16948	22690	39638	31/10/2002
	योग	506536	3175791	3682329	—

विवरण II

उच्च न्यायालयों में अवधिवार लंबित मामले

क्र. सं.	उच्च न्यायालय का नाम	निम्नलिखित तारीख को यथा विद्यमान	मामले का प्रकार	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 से 4 वर्ष	4 से 5 वर्ष	5 से 6 वर्ष	6 से 7 वर्ष	7 से 8 वर्ष	8 से 9 वर्ष	9 से 10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	इलाहाबाद	31.3.2002	मुख्य	20935	72526	64180	60528	47185	34968	33436	28033	27824	34109	240960	664684
			प्रकीर्ण	21470	26189	24384	16014	16583	13238	9688	11351	11302	12714	82024	244957
			योग	42405	98715	88564	76542	63768	48206	43124	39384	39126	46823	322984	909641
2.	आंध्र प्रदेश	31.3.2002	मुख्य	29124	25708	21736	17406	13489	10464	8267	9633	4985	2637	4012	144761
			प्रकीर्ण	12818	5265	621	15	13	12	7	0	0	0	0	18751
			योग	41942	30973	22357	17421	13502	10476	8274	6933	4985	2637	4012	163512
	बम्बई	30.9.2001	मुख्य	57027	23115	21068	17454	14519	12942	11223	9850	9092	6657	31544	214491
			प्रकीर्ण	32359	12656	9840	7889	5561	2470	1900	1626	1425	1301	1762	78789
			योग	89386	35771	30908	25343	20080	15412	13123	11476	10517	7958	33306	293280
4.	कलकत्ता	31.3.2002	मुख्य	20180	14637	13572	15639	13977	8707	10402	7360	12684	7701	100666	225475
			प्रकीर्ण	944	360	245	165	215	331	633	449	396	269	1405	5412
			योग	21124	14997	13817	15804	14192	9038	11035	7809	13080	7970	102071	230887
5.	दिल्ली	31.12.2000	मुख्य	17246	9554	9614	6559	5485	4825	4511	4822	4834	3661	29817	100928
			प्रकीर्ण	22301	15270	9728	7210	4917	2441	2230	2415	2197	2316	6048	77073
			योग	39547	24824	19342	13769	10402	7266	6741	7237	7031	5977	35865	178001
6.	गुवाहाटी	31.12.2000	मुख्य	13905	8232	5095	3404	1864	764	290	86	40	2	0	33682
			प्रकीर्ण	4618	2824	2097	1093	492	235	0	1	0	0	0	11360
			योग	18523	11056	7192	4497	2356	999	290	87	40	2	0	45042
7.	गुजरात	30.6.2001	मुख्य	33551	11475	7751	6611	7675	5878	9770	4336	2973	3005	12060	105085
			प्रकीर्ण	12247	5670	3922	2284	3487	1781	1394	723	1785	203	986	34482
			योग	45798	17145	11673	8895	11162	7659	11164	5059	4758	3208	13046	139567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.	हिमाचल प्रदेश	31.3.2002	मुख्य	7587	1811	1192	1216	989	593	746	444	79	19	20	14696
			प्रकीर्ण	2587	320	129	78	44	33	34	14	9	3	0	3251
			योग	10174	2131	1321	1294	1033	626	780	458	88	22	20	17947
9.	जम्मू-कश्मीर	31.3.2002	मुख्य	5098	5070	2923	1755	1157	607	218	159	76	34	106	17203
			प्रकीर्ण	5215	5267	2700	1455	808	299	151	67	75	31	94	16162
			योग	10313	10337	5623	3210	1965	906	369	226	151	65	200	33365
10.	कर्नाटक	31.3.2002	मुख्य	21882	36017	15821	8039	3699	3232	1809	1846	871	1116	902	95234
			प्रकीर्ण	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
			योग	21882	36017	15821	8039	3699	3234	1809	1846	871	1116	902	95236
11.	केरल	31.3.2002	मुख्य	27855	24514	18006	13776	10540	8763	6367	4804	3480	2453	2013	122571
			प्रकीर्ण	48551	48079	41944	34502	27854	22775	18345	17018	13290	11878	4272	288508
			योग	76406	72593	59950	48278	38394	31538	24712	21822	16770	14331	6285	411079
12.	मध्य प्रदेश	31.6.2002	मुख्य	22407	30033	21545	14684	11219	8416	6464	4980	3767	2622	7955	134092
			प्रकीर्ण	754	523	330	40	0	0	0	0	0	0	0	1647
			योग	23161	30556	21875	14724	11219	8416	6464	4980	3767	2622	7955	135739
13.	मद्रास	31.12.2001	मुख्य	50156	22172	14082	10131	8388	6956	5762	4579	3073	2940	5703	133942
			प्रकीर्ण	105782	46799	25845	15598	8360	5343	2738	1977	744	421	271	213878
			योग	155938	68971	39927	25729	16748	12299	8500	6556	3817	3361	5974	347820
14.	उड़ीसा	30.9.2001	मुख्य	5700	16506	11985	9859	10346	7829	5700	3185	2580	1759	5927	81376
			प्रकीर्ण	4021	27347	21359	11428	664	436	437	361	128	97	46	66437
			योग	9721	43853	33344	21287	11010	8265	6137	3546	2708	1856	5973	147813
15.	पटना	31.3.2002	मुख्य	43460	6260	4789	3751	2895	1659	1509	1874	1674	1844	5812	74707
			प्रकीर्ण	4972	745	440	227	150	0	0	0	0	0	0	6534
			योग	48432	7005	5229	3978	3045	1659	1509	1874	1674	1844	5812	81241
16.	पंजाब	31.3.2002	मुख्य	13796	33651	21845	19720	16442	15308	12904	12463	9856	9796	56698	222479
	और हरियाणा		प्रकीर्ण	9665	425	125	46	26	7	1	1	0	0	0	10296
			योग	23461	34076	21970	19766	16468	15315	12905	12464	9856	9796	56698	232775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17.	राजस्थान	31.12.2001	मुख्य	21417	14038	13300	11903	4484	6316	4717	4273	3845	2714	7933	97940
			प्रकीर्ण	13198	8745	8127	6334	2051	721	458	280	315	104	46	40179
			योग	34615	22783	21427	18237	6535	7037	5175	4553	4160	2818	7979	138119
18.	सिक्किम	31.3.2002	मुख्य	61	9	3	6	2	0	0	0	0	0	2	83
			प्रकीर्ण	26	5	2	2	4	0	0	0	0	0	0	39
			योग	87	14	5	8	6	0	0	0	0	0	2	122

विवरण III

जिला और अन्य निचले न्यायालयों में सिविल और दांडिक मामलों की संख्या और अवधिवार लंबित मामले

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	निम्न तारीख को	लंबित मामले सिविल दांडिक	अवधिवार लंबित मामले				
				6 मास से कम	6 से 12 मास पुराने	1 से 3 वर्ष पुराने	3 से 10 वर्ष पुराने	10 वर्ष से अधिक पुराने
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	12/2002	469025	85130	107272	215539	58086	2998
			415446	75317	97135	207461	33862	1671
2.	अरुणाचल प्रदेश	6/2002	311	50	130	100	31	0
			1469	815	310	214	130	0
3.	असम	12/2001	37029	9378	9994	12627	4285	745
			103208	31164	31560	30219	9164	1101
4.	बिहार	6/2002	216045	19085	33962	73272	65130	24596
			843792	96688	192084	304947	202865	47208
5.	छत्तीसगढ़	6/2002	47776	9612	10906	14367	10779	2112
			159965	41572	41323	48176	25088	3806
6.	गोवा	12/2002	23767	2838	2924	8372	7595	2038
			11388	2992	2240	4061	1887	208
7.	गुजरात	12/2002	717102	89504	81091	212343	277639	56525
			2603176	333253	524426	895055	750870	99572

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	हरियाणा	12/2002	196214	37612	40805	77272	39652	873
			380499	96246	95696	111912	76015	630
9.	हिमाचल प्रदेश	12/2002	68252	15034	15533	24895	12591	199
			81002	23091	17608	26293	13897	113
10.	जम्मू-कश्मीर	12/1999	43418	19495	13439	6609	2615	1260
			82596	33094	24498	15731	7050	2223
11.	झारखंड	12/2000	52762	5154	7526	19479	17738	2865
			250881	30034	54250	85996	72760	7841
12.	कर्नाटक	12/2002	599468	94693	108722	220604	162069	13380
			479428	120540	155310	140081	59856	3641
13.	केरल	12/2002	229220	57962	48681	87678	32455	2444
			484204	178988	97530	173416	33808	462
14.	मध्य प्रदेश	6/2002	278223	55671	64413	78335	62826	16978
			757494	154797	171838	228366	174673	27820
15.	महाराष्ट्र	12/2002	911765	136189	136085	295915	257784	85792
			2256294	340509	329512	815770	598990	171513
16.	मणिपुर	12/2002	4278	898	875	1302	1182	21
			3487	658	676	1044	768	341
17.	मेघालय	12/1999	2826	675	661	774	641	75
			9151	3115	1323	2912	1402	399
18.	मिजोरम	6/2001	47	41	0	6	0	0
			153	71	59	9	12	2
19.	नागालैंड	उपलब्ध नहीं	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
20.	उड़ीसा	12/2002	144942	19544	19939	50446	49517	5496
			563877	56666	140948	239588	110388	16287

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	पंजाब	12/2002	225373	50928	54708	84107	34532	1098
			304735	127804	80625	74927	20901	478
22.	राजस्थान	12/2001	268018	39310	37380	85801	87981	17546
			572334	104093	91394	186882	168008	21957
23.	सिक्किम	12/1999	268	143	21	42	62	0
			524	413	60	41	10	0
24.	तमिलनाडु	6/2002	572427	291634	182805	79989	16037	1962
			362254	152963	76015	79331	46109	7836
25.	त्रिपुरा	12/2002	6558	2040	1946	2018	416	138
			14282	5682	4054	3241	1198	107
26.	उत्तर प्रदेश	12/2002	1141808	158221	192545	326109	358192	106741
			2706146	437599	576926	857104	691645	142872
27.	उत्तरांचल	उपलब्ध नहीं	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
28.	पश्चिम बंगाल	6/2002	484867	70064	68466	137756	135727	72854
			1090918	208818	217061	385484	212765	66790
29.	अंदमान और निकोबार	6/2002	876	231	156	272	205	12
			52459	12627	13570	22822	3432	8
30.	चंडीगढ़	12/2002	13239	3599	3242	3751	2573	74
			38248	13936	12410	8390	3341	171
31.	दादरा और नागर हवेली	12/2002	399	76	40	213	68	2
			2188	230	425	1049	460	24
32.	दमन और दीव	12/2002	739	96	139	245	239	20
			800	179	160	270	182	9
33.	दिल्ली	12/2002	142491	23171	18878	51652	39435	9355
			653538	338605	107008	133741	67696	6488
34.	लक्षद्वीप	12/2002	71	17	13	28	9	4
			42	18	3	19	2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	पांडिचेरी	12/2002	6524	1688	1344	2373	835	284
			6236	3071	1608	1357	185	15
	योग		22198324	4325431	4424286	7260200	5128345	1060082

विवरण IV

न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की प्रास्थिति

(30.07.2003 तक अद्यतन)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	निम्नलिखित तारीख की सूचना
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	682	601	81	मई, 03
2.	असम*	259	205	54	जून, 01
3.	अरुणाचल प्रदेश*	293	293	0	दिसंबर, 98
4.	बिहार	1137	929	208	जनवरी, 02
5.	झारखंड	551	537	14	जनवरी, 03
6.	गुजरात	655	586	69	अप्रैल, 03
7.	गोवा	44	36	8	अप्रैल, 03
8.	हरियाणा	283	236	47	जून, 02
9.	हिमाचल प्रदेश	98	92	6	जनवरी, 03
10.	जम्मू-कश्मीर	197	194	3	जून, 02
11.	कर्नाटक	677	589	58	जुलाई, 03
12.	केरल	380	370	10	जून, 02
13.	मध्य प्रदेश	792	660	132	दिसंबर, 02
14.	छत्तीसगढ़	189	163	26	जून, 02
15.	महाराष्ट्र	1095	994	101	जून, 02
16.	मणिपुर	32	28	4	जून, 01
17.	मेघालय	8	7	1	जून, 02

1	2	3	4	5	6
18.	मिजोरम	34	18	16	जून, 02
19.	नागालैंड	21	18	3	जून, 02
20.	उड़ीसा	483	385	98	जून, 02
21.	पंजाब	303	273	83	जून, 03
22.	राजस्थान	792	686	106	जून, 02
23.	सिक्किम	10	10	0	मार्च, 03
24.	तमिलनाडु	767	702	65	जनवरी, 03
25.	त्रिपुरा	75	60	15	मई, 03
26.	उत्तर प्रदेश	2136	1592	544	मई, 02
27.	उत्तरांचल	186	59	127	जून, 03
28.	पश्चिम बंगाल	588	470	118	अप्रैल, 03
29.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	8	8	0	जुलाई, 03
30.	चंडीगढ़	19	19	0	नवंबर, 02
31.	दिल्ली	385	313	72	अप्रैल, 03
32.	दादरा और नागर हवेली	2	2	0	जून, 02
33.	दमन और दीव	1	1	0	जून, 02
34.	लक्षद्वीप	3	3	0	अप्रैल, 03
35.	पांडिचेरी	19	13	6	जनवरी, 03
	योग	13,204	11,129	2075	

*न्यायपालिका, कार्यपालिका से पूर्णतया पृथक नहीं है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क की बकाया राशि

***286. श्री शीशराम सिंह रवि:** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क की कितनी राशि बकाया है;

(ख) क्या सरकार ने इतनी अधिक बकाया राशि के कारणों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वकीलों द्वारा मामलों की सही ढंग से पैरवी न करने के कारण लगभग 70 प्रतिशत मामलों में न्यायालयों में हार हो जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बकाया राशि में कमी लाने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) 30.6.2003 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा

शुल्क की बकाया राशियां क्रमश: 11245 करोड़ रुपये तथा 2978 करोड़ रुपये लगभग हैं।

(ख) और (ग) बकाया राशियों की वसूली नहीं हो पाने के कारणों में, अदालतों और अन्य सक्षम प्राधिकरणों द्वारा दिए गए स्थगन आदेश; अपील दायर करने के लिए तीन महीने की अनुमति अवधि का समाप्त न होना; सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों से संबंधित विवाद विषयक समिति के पास मामलों का लंबित होना; बी.आई.एफ.आर. में रुग्ण इकाइयों का पंजीकृत होना; कंपनी का परिसमापन के अधीन होना और उसकी परिसंपत्तियों का शासकीय परिसमापक/कोर्ट रिसीवर के नियंत्रण में होना; बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा परिसंपत्तियों पर कब्जा कर लिया जाना जैसे कारण शामिल हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उठाए गए अन्य कदमों में, वसूल किए जा सकने वाले बकाया शुल्क की वसूली हेतु तेजी से कार्रवाई करना, विभिन्न अदालतों/न्यायाधिकरणों के समक्ष मामलों को मानीटर करना, अदालतों और अन्य अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष लंबित मामलों पर जल्द सुनवाई और उनके निपटान के लिए याचिका प्रस्तुत करना तथा आयुक्त (अपील) के पास लंबित मामलों को शीघ्र निपटाना शामिल हैं।

परम्परागत भारतीय औषधियों को बचाना

*287. **श्री गुनीपाटी रामैया: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि नकली औषधियों के प्रयोग से होने वाले जनस्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी भारी खतरों को देखते हुए विश्व उपभोक्ता बाजार में परम्परागत भारतीय औषधियों को बचाने के लिए "ट्रिप्स" (व्यापार संबंधी बौद्धिक सम्पदा) में पहले से ही शुरू किए जा चुके कार्य को सुदृढ़ करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): ट्रिप्स करार में बौद्धिक संपदा अधिकारों में संरक्षण के ऐसे न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए हैं जिनका कार्यान्वयन डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों द्वारा अपने-अपने कानून में किया जाना अनिवार्य है। ट्रिप्स करार सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम के परिप्रेक्ष्य में जब्त औषधियों के मुद्दे से संबंधित नहीं है।

जैव चोरी और सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में विद्यमान भारतीय जैव संसाधनों और उससे जुड़े परम्परागत ज्ञान के बारे में अन्य देशों में पेटेंट प्राप्त करने की अनेक घटनाएं रही हैं। इस समस्या का निवारण करने के लिए भारत ने अनेक जैव-विविधता संपन्न विकासशील देशों के साथ जैव चोरी को रोकने तथा ट्रिप्स करार तथा जैव विविधता अभिसमय के बीच पारस्परिक रूप से समर्थनकारी संबंध सुनिश्चित करने के लिए डब्ल्यूटीओ में एक प्रस्ताव किया है। भारत ने यह प्रस्ताव किया है कि "ट्रिप्स करार में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि सदस्यों के लिए इस आशय की अपेक्षा का प्रावधान किया जा सके कि जैव सामग्री अथवा पारंपरिक ज्ञान से संबंधित पेटेंट हेतु कोई आवेदक पेटेंट अधिकार प्राप्त करने की एक शर्त के रूप में निम्नलिखित सूचना प्रदान करेगा:-

(1) जैव संसाधन तथा खोज में प्रयुक्त पारंपरिक ज्ञान के स्रोत और उद्गम के देश का प्रकटन;

(2) संगत राष्ट्रीय प्रणालियों के तहत प्राधिकारियों के अनुमोदन के जरिए पूर्व सूचित स्वीकृति का साक्ष्य; और

(3) उद्गम वाले देश की राष्ट्रीय प्रणाली के तहत लाभ की उचित और समान हिस्सेदारी का साक्ष्य।"

तम्बाकू सेवन पर प्रतिबंध लगाने हेतु कानून

*288. **श्री के. येरननायडू:**
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तम्बाकू उत्पादन का 48 प्रतिशत और 38 प्रतिशत भाग क्रमश: बीड़ी और चबाने वाले तम्बाकू में उपयोग होता है;

(ख) क्या उनके पैकेटों में "टार" और "निकोटीन" की मात्रा की जांच करने हेतु कोई सरकारी अवसंरचना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा किसी भी रूप में तम्बाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक प्रभावी कानून बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) उपलब्ध आंकड़ों से मालूम होता है कि औसतन आधार पर वर्ष 1997-98 से 2001-2002 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान तम्बाकू के कुल उत्पादन का लगभग 24.11% और 20.43% क्रमश: बीड़ियों और चबाने वाले तम्बाकू के लिए प्रयोग किया गया था।

(ख) और (ग) तम्बाकू उत्पादों में टार और निकोटीन की मात्रा की जांच करने के लिए इस समय कोई सरकारी बुनियादी संरचना नहीं है। तथापि, हाल ही में अधिनियमित "सिगरेट और तम्बाकू में अन्य उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003" में सिगरेटों और तम्बाकू के अन्य उत्पादों में निकोटीन और टार की जांच के लिए जांच प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था है। इस दिशा में कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(घ) "सिगरेट और तम्बाकू के अन्य उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003" में तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध, सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान का निषेध और 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबन्ध तथा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के अर्द्धव्यास के भीतर बिक्री पर प्रतिबन्ध जैसे उपायों की व्यवस्था है। इस अधिनियम में तम्बाकू के सभी उत्पाद शामिल हैं और यह पूरे देश में लागू है।

अन्य देशों को सेवाएं प्रदान करना

*289. **श्री के.पी. सिंह देव:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में भारतीय अभियांत्रिकी परामर्शदात्री कंपनियां अन्य देशों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य की सेवाएं प्रदान की गईं तथा इसके फलस्वरूप इस अवधि के दौरान कितने रोजगार के अवसर सृजित हुए;

(ग) वैश्विक बाजार में इन कंपनियों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता की स्थिति क्या है;

(घ) राजसहायता और सेवा कर में छूट प्रदान करके प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या बाजार के अनुकूल विदेशों में ऐसी सेवाएं प्रदान करने हेतु किसी दीर्घकालिक रणनीति पर विचार किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) अनेक भारतीय इंजीनियरी परामर्शदात्री फर्में, बिजली, परिवहन, जल आपूर्ति, सफाई, बुनियादी संरचना, आवास निर्माण आदि जैसे क्षेत्रों में अपनी सेवाओं को निर्यात कर रही हैं। वर्ष 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 के दौरान किए गए परामर्शी निर्यातों के कुल मूल्य के ब्यौरों के साथ-साथ देशों के नाम और सृजित संभावित रोजगार इस प्रकार हैं:-

देशों का नाम	प्राप्त किए गए ठेकों का मूल्य (करोड़ रुपए में)	तैनात किए गए व्यक्तियों की सेवा
सऊदी अरब	200.62	914
नाइजीरिया	197.09	1718
मलेशिया	137.40	95
कतर	62.30	87
अलजीरिया	39.81	38
कुवैत	37.70	510
कोलम्बिया	29.16	9
इरान	16.80	26
मंगोलिया	12.72	34
तुर्की	10.74	24
इथोपिया	7.06	7
बंग्लादेश	6.51	7
यूएई	4.56	91
युगांडा	1.19	6
जोड़	763.66	3566

(ग) इंजीनियरी परामर्शदात्री कंपनियों की प्रतिस्पर्धा शक्ति का निर्णय उनके पास समकालीन प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के साथ-साथ उसे लाभकारी कीमतों पर सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने से होता है। भारतीय कंपनियों के पास हमेशा न्यूनतम उपलब्ध प्रौद्योगिकियों और बड़े आकार की परियोजनाओं को संभालने के लिए वित्तीय ताकत भी नहीं होती है। इसलिए उन्हें प्रौद्योगिकीय रूप से विकसित देशों के साथ कड़ी स्पर्धा करनी पड़ती है। हालांकि भारतीय परामर्शदात्री फर्मों ने चुनौतीपूर्ण विश्व बाजारों में विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक परामर्शी कार्य किए हैं परन्तु वे वांछित सीमा तक अपनी पैठ नहीं बना सकते।

(घ) सेवाओं को प्रोन्नत करने के लिए सेवा प्रदाताओं के लिए शुल्क मुक्त हकदारी प्रमाण-पत्र स्कीम नामक एक नई स्कीम 31.3.2003 को एग्जिम नीति में घोषित की गई है जिसमें पिछले तीन वर्षों में सेवा प्रदाता द्वारा अर्जित औसत विदेशी मुद्रा के आधार पर शुल्क मुक्त आयातों की अनुमति है। शुल्क मुक्त आयात को हिस्से पुर्जों, कार्यालय उपकरणों, फर्नीचर, व्यावसायिक उपकरणों और कृषि तथा डेयरी उत्पादों को छोड़कर अन्य उपयोज्य वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

सरकार बाजार विकास सहायता और बाजार पहुंच पहल की स्कीमों के अंतर्गत कुछ अभिज्ञात निर्यात संवर्धन कार्यकलापों के लिए परामर्शदाता निर्यातकों को वित्तीय सहायता भी देती है। भारत का एक्जिम बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) वाशिंगटन डी.सी. और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत'' विकासशील देशों में निजी क्षेत्र, लघु एवं मझौले उद्यमों को परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय सलाहकारों को प्रायोजित करने और उनके आंशिक वित्तपोषण के कार्यक्रम चला रहा है।

सेवाओं के निर्यात संबंधी सेवाकर को वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 25.4.2003 के एसटी परिपत्र संख्या 56/5/2003 के द्वारा हाल ही में हटाया गया है।

(ङ) और (च) सेवाओं के निर्यातों को विशेषकर उन क्षेत्रों में बढ़ाने की जरूरत महसूस करते हुए जहां भारत को प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त हैं, परियोजना निर्यात संबंधी कार्यबल ने परियोजना परामर्शी सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्य नीतियों का पता लगाया है:-

1. निर्यात बढ़ाने के लिए समन्वित सहायता सुनिश्चित करने हेतु उच्चस्तरीय स्थाई समिति का गठन। यह समिति परामर्शी सेवाओं समेत परियोजना निर्यातों को सुकर बनाने के लिए कराधान एवं संबंधित मुद्दों पर भी विचार करेगी।

2. विदेशों में भारतीय मिशनों की सुपुर्दगी तंत्र एवं सहायता प्रणाली में सुधार करने और परामर्शी निर्यातों समेत भारतीय परियोजना निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए परियोजना सुविधा प्रदायक केन्द्रों की स्थापना करने के लिए इनको सुचारू बनाना एवं क्षमता सृजन।

3. अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी शर्तों पर आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एग्जिम इंडिया और निर्यात ऋण गारंटी निगम को सुदृढ़ करना।

कृषि व्यापार हेतु विश्व व्यापार संगठन की वार्ता

*290. **श्री जे.एस. बराड़:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन विभिन्न मांचों पर जारी वार्ता में कृषि-व्यापार के उदारीकरण के मुद्दे पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मुद्दे पर भारत का रुख क्या है और भारत के इस रुख का कौन से देश समर्थन कर रहे हैं और कौन से देश इसका विरोध कर रहे हैं; और

(घ) विरोध करने वाले देशों का समर्थन प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और अब तक इस मुद्दे पर कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) कृषि क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया को जारी रखने के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के कृषि संबंधी करार में सहायता एवं संरक्षण पर कमी संबंधी वचनबद्धताओं के कार्यान्वयन, गैर-व्यापारिक चिंताओं तथा विकासशील देशों के लिए विशेष एवं अलग प्रकार के व्यवहार से सदस्यों को प्राप्त हुए अनुभव को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी, 2000 को वार्तायें शुरू करने का अंतर्निहित अधिदेश है। इस अधिदेश के आधार पर डब्ल्यूटीओ की कृषि संबंधी समिति के विशेष सत्रों में वार्ताओं का चरण 1 और 2 कुल मिलाकर विश्लेषणात्मक रहा था और सदस्यों द्वारा अनेक वार्ताकारी प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। 14 नवम्बर, 2001 के दोहा घोषणा-पत्र में मंत्रियों ने बाजार पहुंच में पर्याप्त सुधार; सभी प्रकार की निर्यात सब्सिडी को समाप्त करने की दृष्टि से उसमें कमी करने; और व्यापार विकृतिकारी घरेलू सहायता में पर्याप्त कमी करने के उद्देश्य से वार्ताओं पर सहमति व्यक्ति की है।

इन वार्ताओं में सरकार की प्राथमिकता अन्य बातों के साथ-साथ आयातों पर टैरिफ संरक्षण का उचित स्तर उपलब्ध कराकर और हमारी खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए तथा हमारे निर्यात हित की कृषि उत्पादों के लिए संवर्धित बाजार पहुंच द्वारा भारतीय किसानों के हितों की रक्षा करना है।

उक्त वार्ताओं में अब तक डब्ल्यूटीओ के सदस्यों के बीच वार्ताओं के तीनों स्तंभों अर्थात बाजार पहुंच, घरेलू सहायता और निर्यात प्रतिस्पर्धा में आगे वचनबद्धताओं के बारे में आकांक्षा के

स्तर सहित प्रमुख मुद्दों पर विचारों की भिन्नता स्पष्ट होती है। यद्यपि कैरन्स समूह (जिसमें आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, मलेशिया तथा दक्षिण अफ्रीका सहित प्रमुख कृषि उत्पाद निर्यातक विकसित एवं विकासशील देश शामिल हैं) और अमरीका ने आयातों पर टैरिफ में भारी कमी, घरेलू सहायता में पर्याप्त कमी तथा प्रत्यक्ष निर्यात सब्सिडी की समाप्ति का समर्थन किया है। तथापि, यूरोपीय समुदाय (ईसी) तथा उसके प्रत्याशी राज्यों, जापान, स्विटजरलैंड, नार्वे और कोरिया ने उरूग्वे दौर की पद्धति के आधार पर टैरिफ में संतुलित कमी का पक्ष लिया है। इन सदस्यों ने कृषि क्षेत्र में सहायता एवं संरक्षण संबंधी अपनी लोचशीलता को वार्ताओं में पशु कल्याण जैसी गैर-व्यापारिक चिंताओं के समावेशन से जोड़ा है। चीन, क्रोशिया, जोर्डन और ओमान जैसे देशों, जो हाल ही में डब्ल्यूटीओ में शामिल हुए हैं ने शामिल होने की अपनी प्रक्रिया के दौरान समस्त डब्ल्यूटीओ करारों में पहले ही पर्याप्त वचनबद्धतायें करके आगे और वचनबद्धतायें करने से छूट का समर्थन किया है। जो विकासशील देश खाद्य के अपेक्षानुसार आयातक हैं, उन्होंने आसान कीतमों पर खाद्य की संवर्धित उपलब्धता को महत्ता प्रदान की है और इसलिए वे निर्यात सब्सिडी की समाप्ति पर जोर नहीं देते हैं। आर्थिक विकास एवं समृद्धि के ईसी और अमरीका जैसे सदस्यों के साथ अधिमानी व्यापार व्यवस्थाओं पर भारी भरोसा रखने वाले लघु अर्थ-व्यवस्थाओं वाले देश इन बाजारों में अधिमानी पहुंच को जारी रखने का समर्थन करते हैं। अल्पविकसित देशों द्वारा कृषि संबंधी सहायता अथवा संरक्षण में आगे और वचनबद्धता करने से पूर्ण छूट की मांग की जा रही है। जैसा कि देखा जा सकता है, जहां भारत और डब्ल्यूटीओ के कुछ अन्य सदस्यों के बीच सामान्य हित और चिंताएं विद्यमान हैं वहीं कुछ अन्य मुद्दों पर दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न हैं।

भारत समान हितों और चिन्ताओं वाले विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त संघ बनाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है। भारत ने क्यूबा, डोमेनिकन रिपब्लिक, हांडूरास, इण्डोनेशनया, कोरिया, नाईजीरिया, तुर्की, पेरू, फिलीपिन्स, श्रीलंका और वैनेजुएला के साथ मिलकर विकासशील देशों के लिए विशेष और अलग-अलग विभेदकारी व्यवहार के विभिन्न पहलुओं के संबंध में डब्ल्यू टी ओ की कृषि संबंधी समिति को निवेदन प्रस्तुत किया है। भारत ने डब्ल्यू टी ओ के 75 से अधिक सदस्यों के साथ जिनमें ई सी और जापान शामिल हैं, ने टैरिफों में और कमी करने के लिए उरूग्वे दौर की नीति का प्रयोग करने का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त व्यापार और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) के साथ भारत ने सामान्य हित के मुद्दों अर्थात् विशेष उत्पादों के दस्तावेजों (एस पी उत्पाद) और नया विशेष रक्षोपाय तंत्र (एस एस एम) जिसका विकासशील देशों के लिए प्रस्ताव किया गया है ताकि वे खाद्य सुरक्षा और आजीविका संबंधी चिन्ताओं तथा ग्रामीण विकास का निराकरण कर सकें, पर विचार-विमर्श करने के लिए समान विचारों वाले देशों के साथ एक बैठक का सहप्रयोजन किया था। इस बैठक में वैश्विक कृषि बाजारों में विकृतियों और विकासशील देशों के निर्यात हित के उत्पादों में बाजार पहुंच से मनाही करने के लिए स्वच्छता और खाद्य स्वच्छता उपायों का बेहतर समाधान करने के लिए विकसित देशों के लिए घरेलू सहायता की रूपरेखाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया था। इन वार्ताओं को 1 जनवरी, 2005 तक अन्तिम रूप दिया जाना है।

चीनी का वायदा व्यापार

*291. **श्री ए. वेंकटेश नायक:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीनी के वायदा व्यापार की अनुमति देने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीनी के वायदा व्यापार से इसके मूल्य में स्थिरता आने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 2002-2003 और चालू वित्त वर्ष के दौरान चीनी के वायदा व्यापार हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) ऐसे कारोबार से किसानों और उपभोक्ताओं को क्या लाभ होगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने चीनी में भावी सौदा व्यापार का अनुमोदन 26.4.2001 को किया और 14.5.2001 को अधिसूचना जारी की गई।

(ग), (घ) और (च) चीनी में भावी सौदा व्यापार से मूल्य खोज अर्थात् भविष्य में चीनी का संभावित मूल्य जानने, भावी मूल्य जोखिम या हैजिंग से बचाव करने और मूल्य स्थिरीकरण में सहायता मिलने की उम्मीद है क्योंकि इसे उतार-चढ़ाव संतुलित हो जाता है। भावी सौदा व्यापार से व्यापार में जोखिम प्रबंधन की व्यवस्था होती है तथा किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को मूल्य खोज और स्थिरीकरण के जरिए लाभ पहुंचने की संभावना होती है।

(ङ) वर्ष 2002-2003 के दौरान एक आवेदन प्राप्त हुआ।

[हिन्दी]

सुपर बाजार का पुनरुद्धार

*292. **श्री अधीर चौधरी:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सुपर बाजार का पुनरुद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संगठन का पुनरुद्धार करने हेतु निजी और सहकारी क्षेत्रों का सहयोग लेने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। सुपर बाजार को सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक द्वारा बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के उपबंधों के तहत 5.7.2002 को बन्द कर दिया गया है।

(ग) और (घ) बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के उपबंधों में बहु-राज्य सहकारी समिति के प्रबंधन को निजी क्षेत्र के किसी इच्छुक निवेशक को हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं है। कृषि और सहकारिता विभाग ने पूर्व में यह सूचना दी थी कि उपभोक्ता क्षेत्र में बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत पंजीकृत दिल्ली की कोई अन्य सरकारी समिति सुपर बाजार, दिल्ली का हस्तांतरण स्वीकार करने की इच्छुक नहीं है।

कृषि उत्पादों का आयात

*293. **श्री हरिभाई चौधरी:**
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कृषि उत्पादों का भी आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आयातित कृषि उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कृषि उत्पादों का आयात करने के क्या कारण हैं;

(घ) भारतीय कृषकों पर ऐसे आयात का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे उत्पादों के आयात को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(च) इस संबंध में उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप सरकार को कितनी सफलता मिली है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (च) कृषि उत्पादों सहित विभिन्न मदों के आयात मात्रात्मक प्रतिबन्धों को आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के एक हिस्से और हमारी अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धता और दायित्वों के रूप में समाप्त किया गया है। विभिन्न अन्य आर्थिक कारकों के अलावा कृषि उत्पादों का आयात मुख्यत: मांग और आपूर्ति और उचित कीमतों पर कृषि आधारित उत्पादों के प्रसंस्करणकर्त्ताओं/विनिर्माताओं को निविष्टियां उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर निर्भर करता है। कृषि उत्पादों सहित विभिन्न मदों के आयात से संबंधित वर्ष-वार और मद-वार आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा "भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े, खंड-1" में प्रकाशित किए गए हैं और इसकी प्रतियां संसद लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं।

कृषि मदों का आयात पूर्ववर्ती वर्ष में तदनुरूपी अवधि में हुए 7267.36 करोड़ रुपए की तुलना में अप्रैल, 2002-फरवरी, 2003 के दौरान 9841.72 करोड़ रुपए का हुआ था। कुल कृषि आयातों में खाद्य तेल का हिस्सा लगभग 60-65% है जबकि कच्ची काजू गिरी और दालें अन्य प्रमुख कृषि आयातों में से हैं। कच्ची काजू गिरी का आयात मुख्यत: प्रसंस्करण और काजू गिरी का पुन: निर्यात करने के लिए किया जाता है।

जैसा कि 2002-2003 के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है, मात्रात्मक प्रतिबन्धों की समाप्ति से किसानों और कृषि आधारित उद्योगों को विश्व बाजारों में व्यापार का विस्तार करने के अवसर प्राप्त हुए हैं। नए आर्थिक वातावरण से कृषि और विनिर्माण क्षेत्र के लिए व्यापार के प्रबन्धन में सुधार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। कृषि उत्पादों का मूल्य सूचकांक हाल ही के वर्षों में विनिर्मित उत्पादों की तुलना में तेजी से बढ़ा है। व्यापार उदारीकरण और मात्रात्मक प्रतिबन्धों की समाप्ति से कृषि मदों में निर्यात वृद्धि को बढ़ाने में मदद मिली है।

यह सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से कि कृषि उत्पादों सहित किसी मद के आयात में किसी महत्वपूर्ण वृद्धि से भारतीय किसानों को कोई अनुचित कठिनाई उत्पन्न न हो, सरकार ने संवेदनशील मदों के आयात पर निगरानी के लिए एक उपयुक्त तंत्र की स्थापना की है और वह डब्ल्यूटीओ के अनुकूल विभिन्न उपायों का सहारा लेकर घरेलू उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण उपलब्ध कराने को वचनबद्ध है। कृषि संबंधी डब्ल्यूटीओ करार में वचनबद्ध स्तरों के भीतर लागू टैरिफों के उचित अंशांकन और कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में पाटनरोधी, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क और रक्षोपाय कार्रवाइयां करने सहित व्यापार निवारक उपाय आरम्भ करने का प्रावधान पहले ही है।

हाल ही में कुछेक कृषि मदों जैसे खाद्य तेल, नारियल, चाय, काफी, काली मिर्च, लौंग, इलायची, खसखस, प्राकृतिक रबड़, लेटैक्स, कुक्कुट उत्पाद, लहसुन इत्यादि पर सीमाशुल्क में बढ़ोत्तरी की गई है। इसके अतिरिक्त, गेहूं, चावल, मक्का, कोपरा, नारियल तेल इत्यादि का आयात स्टेट ट्रेडिंग व्यवस्था के अंतर्गत है। कृषि आयातों को खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, मांस खाद्य उत्पाद आदेश, चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) आदेश और आयातित कृषि उत्पाद के आयात जोखिम विश्लेषण के आधार पर स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता परमिट जैसे घरेलू विनियमों के अनुरूप बनाते हुए आयातों की तुलना में घरेलू उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा का समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सावधानी भी बरती गई है।

[अनुवाद]

राज्यों द्वारा विदेशी वित्तीय संस्थाओं से सहायता का अनुरोध

***294. श्री चन्द्र भूषण सिंह:**
श्री राजो सिंह:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान और 30 जून, 2003 तक अपनी परियोजनाओं के लिए विदेशी वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता लेने के लिए अनुरोध भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का राज्यवार, विदेशी वित्तीय संस्थावार, परियोजनावार और धनराशिवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिनांक 1.4.2000 से अब तक अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है। दिनांक 1.4.2000 से अब तक प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

विवरण I

1.4.2000 के पश्चात् अनुमोदित की गई परियोजनाएं

ऋण संबंधी आंकड़े मिलियन में

क्र. सं.	राज्य	संस्था	परियोजना का नाम	करार की तारीख	ऋण की मुद्रा	ऋण राशि	संचयी वितरण
1	2	3	4	5	6	7	8
ऋण							
1.	आंध्र प्रदेश	आईडीए	एपी जिला निर्धनता उन्मूलन उपाय परियोजना	12.5.2000	एसडीआर	82.90	25.18
2.	कर्नाटक	आईडीए	कर्नाटक जलसंभर विकास	25.7.2001	एसडीआर	79.00	2.67
3.	कर्नाटक	आईडीए	कर्नाटक समुदाय आधारित तालाब प्रबंधन परियोजना	4.6.2002	एसडीआर	80.00	2.93

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	केरल	आईडीए	केरल ग्रामीण जल आपूर्ति तथा पर्यावरणीय स्वच्छता	4.1.2001	एसडीआर	50.10	5.43
5.	राजस्थान	आईडीए	राजस्थान जिला निर्धनता उन्मूलन उपाय परियोजना	12.5.2000	एसडीआर	75.00	6.77
6.	आंध्र प्रदेश	आईडीए	एपी सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजना	8.10.2002	एसडीआर	85.50	1.85
7.	उत्तर प्रदेश	आईडीए	यूपी राजकोषीय सुधार तथा सरकारी क्षेत्र पुनर्संरचना कार्यक्रम	16.5.2000	एसडीआर	93.30	93.30
8.	गुजरात	आईडीए	गुजरात आपात भूकंप पुनर्निर्माण परियोजना	4.6.2002	एसडीआर	356.00	77.89
9.	आंध्र प्रदेश	आईडीए	एपी ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन परियोजना	3.4.2003	एसडीआर	114.00	3.58
10.	मध्य प्रदेश	आईडीए	एमपी जिला निर्धनता उन्मूलन उपाय परियोजना	5.12.2000	एसडीआर	84.20	8.47
11.	यूपी. उत्तरांचल	आईडीए	यूपी स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	19.5.2000	एसडीआर	82.10	11.10
12.	बहु-राज्यीय	आईडीए	तृतीय तकनीकी शिक्षा परियोजना	18.10.2000	एसडीआर	48.90	9.67
13	बहु-राज्यीय	आईडीए	तकनीकी इंजीनियरी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना	4.2.2003	एसडीआर	189.00	4.40
14.	राजस्थान	आईडीए	राजस्थान द्वितीय जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना	27.7.2001	एसडीआर	58.50	14.58
15.	आंध्र प्रदेश	आईडीए	आंध्र प्रदेश आर्थिक कार्यक्रम	15.3.2002	एसडीआर	101.00	101.00
16.	कर्नाटक	आईडीए	कर्नाटक आर्थिक पुन:संरचना कार्यक्रम	26.7.2001	एसडीआर	58.90	58.90
17.	कर्नाटक	आईडीए	कर्नाटक आर्थिक पुन:संरचना कार्यक्रम-II	15.3.2002	एसडीआर	40.50	40.50
18.	महाराष्ट्र	आईडीए	मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना	5.8.2002	एसडीआर	62.50	13.21
19.	मिजोरम	आईडीए	मिजोरम ग्राम्य सड़क परियोजना	6.5.2002	एसडीआर	47.50	4.29
20.	कर्नाटक	आईडीए	द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	8.3.2002	एसडीआर	119.00	3.50
21.	उड़ीसा	आईडीए	उड़ीसा वनसंसाधन समेकन भाग-ब	18.12.2000	एसडीआर	37.80	20.64

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	राजस्थान	आईडीए	राजस्थान जल क्षेत्र पुन:संरचना	15.3.2002	एसडीआर	110.00	4.48
23.	उत्तर प्रदेश	आईडीए	यूपी जल क्षेत्र पुन:संरचना	8.3.2002	एसडीआर	117.00	4.37
24.	राजस्थान	आईबीआरडी	राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुन:संरचना	27.2.2001	अमरीकी डालर	180.00	59.22
25.	उत्तर प्रदेश	आईबीआरडी	यूपी विद्युत क्षेत्र पुन:संरचना	19.5.2000	अमरीकी डालर	150.00	104.40
26.	गुजरात	आईबीआरडी	गुजरात राज्य राजमार्ग परियोजना	18.10.2000	अमरीकी डालर	381.00	83.64
27.	कर्नाटक	आईबीआरडी	कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना	26.7.2001	अमरीकी डालर	360.00	40.56
28.	केरल	आईबीआरडी	केरल राज्य परिवहन परियोजना	6.5.2002	अमरीकी डालर	255.00	18.88
29.	उत्तर प्रदेश	आईबीआरडी	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परियोजना	19.2.2003	अमरीकी डालर	488.00	10.00
30.	आंध्र प्रदेश	आईबीआरडी	आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार कार्यक्रम	15.3.2002	अमरीकी डालर	125.00	125.00
31.	कर्नाटक	आईबीआरडी	कर्नाटक आर्थिक पुन:संरचना कार्यक्रम	26.7.2001	अमरीकी डालर	75.00	75.00
32.	कर्नाटक	आईबीआरडी	कर्नाटक आर्थिक पुन:संरचना कार्यक्रम-II	15.3.2002	अमरीकी डालर	50.00	50.00
33.	उत्तर प्रदेश	आईबीआरडी	यूपी राजकोषीय सुधार तथा सरकारी क्षेत्र पुन:संरचना कार्यक्रम	16.5.2000	अमरीकी डालर	126.27	126.27
34.	महाराष्ट्र	आईबीआरडी	मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना	5.8.2002	अमरीकी डालर	463.00	22.90
35.	गुजरात	एडीबी	1803-आईएनडी गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना	14.12.2000	अमरीकी डालर	150.00	51.50
36.	गुजरात	एडीबी	1804-आईएनडी गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना	14.12.2000	अमरीकी डालर	200.00	14.39
37.	मध्य प्रदेश	एडीबी	एमपी विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना	21.3.2002	अमरीकी डालर	200.00	9.28

1	2	3	4	5	6	7	8
38.	मध्य प्रदेश	एडीबी	एमपी राज्य सड़क क्षेत्र विकास कार्यक्रम	5.12.2002	अमरीकी डालर	30.00	12.00
39.	पश्चिम बंगाल	एडीबी	पश्चिम बंगाल गलियारा विकास परियोजना	10.12.2002	अमरीकी डालर	210.00	2.10
40.	केरल	एडीबी	केरल में सरकारी आधुनिकीकरण तथा राजकोषीय सुधार परियोजना	16.12.2002	अमरीकी डालर	200.00	100.00
41.	गुजरात	एडीबी	गुजरात भूकंप पुनर्वास तथा तटीय पर्यावरण प्रबंधन	26.4.2001	अमरीकी डालर	350.00	112.37
42.	कर्नाटक	एडीबी	कर्नाटक शहरी विकास तथा तटीय पर्यावरण प्रबंधन	19.5.2000	अमरीकी डालर	145.00	4.31
43.	पश्चिम बंगाल	एडीबी	कलकत्ता पर्यावरणीय सुधार परियोजना	18.12.2001	अमरीकी डालर	220.00	4.52
44.	गुजरात	आईएफएडी	भूकंप की स्थिति में जीविका सुरक्षा परियोजना	18.12.2002	एसडीआर	116.50	0.74
अनुदान							
1.	कर्नाटक	आईडीए	कर्नाटक जलसंभर विकास	14.2.2001	अमरीकी डालर	0.18	0.18
2.	बहु-राज्यीय	आईडीए	ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता, केरल/कर्नाटक	12.7.2000	अमरीकी डालर	0.41	0.29
3.	कर्नाटक	आईडीए	कर्नाटक एकीकृत स्वास्थ्य, पोषाहार तथा परिवार कल्याण	3.1.2002	अमरीकी डालर	0.68	0.07
4.	कर्नाटक	आईडीए	कर्नाटक समुदाय-आधारित तालाब प्रबंधन परियोजना	14.2.2001	अमरीकी डालर	0.40	0.30
5.	आंध्र प्रदेश	आईडीए	एपी ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन परियोजना	28.12.2001	अमरीकी डालर	0.50	0.34
6.	गुजरात	आईडीए	गुजरात जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना	10.8.2001	अमरीकी डालर	26.47	5.24
7.	महाराष्ट्र	आईडीए	द्वितीय महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति तथा पर्यावरण	7.2.2002	अमरीकी डालर	0.72	0.40
8.	केरल	एडीबी	केरल में सरकारी आधुनिकीकरण तथा राजकोषीय सुधार (अनुदान)	17.12.2002	अमरीकी डालर	50.00	25.00

विवरण II

दि. 1.4.2000 से आज तक प्राप्त और लंबित पड़े प्रस्ताव

क्र. सं.	राज्य	स्रोत संगठन	प्रस्ताव का नाम	मुद्रा	प्रस्तावित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड	विश्व बैंक	बांध सुरक्षा आश्वासन, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन परियोजना	करोड़ रु.	718.99	प्रस्तुत किया गया है। उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।
2.	महाराष्ट्र	विश्व बैंक	महाराष्ट्र जल सेवा सुधार परियोजना	करोड़ रु.	2041.50	प्रस्तुत किया गया है। विश्व बैंक सक्रिय तौर पर विचार कर रहा है।
3.	तमिलनाडु	विश्व बैंक	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना-II	करोड़ रु.	3902.00	प्रस्तुत किया गया है। विश्व बैंक सक्रिय तौर पर विचार कर रहा है।
4.	हरियाणा	विश्व बैंक	हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना-II	करोड़ रु.	880.00	प्रस्तुत किया गया है। उधार हेतु विश्व बैंक की प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है।
5.	आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पांडिचेरी और पंजाब	विश्व बैंक	हाइड्रोलाजी परियोजना-II	करोड़ रु.	709.00	प्रस्तुत किया गया है। विश्व बैंक के विचाराधीन है।

1	2	3	4	5	6	7
6.	तमिलनाडु	विश्व बैंक	तमिलनाडु संरचनात्मक समायोजन ऋण	मिलियन अमरीकी डालर	600.00	प्रस्तुत किया गया है। अभी तक अनुमोदित नहीं।
7.	कर्नाटक	विश्व बैंक	कर्नाटक संरचनात्मक समायोजन ऋण	मिलियन अमरीकी डालर	250.00	प्रस्तुत किया गया है। अभी तक अनुमोदित नहीं।
8.	आंध्र प्रदेश	विश्व बैंक	आंध्र प्रदेश संरचनात्मक समायोजन ऋण	मिलियन अमरीकी डालर	250.00	प्रस्तुत किया गया है। अभी तक अनुमोदित नहीं।
9.	उड़ीसा	विश्व बैंक	उड़ीसा राजकोषीय सुधार	मिलियन अमरीकी डालर	750.00	प्रस्तुत किया गया है। अभी तक अनुमोदित नहीं।
10.	राजस्थान	विश्व बैंक	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	करोड़ रु.	419.00	प्रस्तुत किया गया है।
11.	तमिलनाडु	विश्व बैंक	तमिलनाडु राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	करोड़ रु.	650.00	प्रस्तुत किया गया है।
12.	असम	विश्व बैंक	असम राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	करोड़ रु.	382.00	प्रस्तुत किया गया है।
13.	केरल	विश्व बैंक	केरल राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	करोड़ रु.	810.00	प्रस्तुत किया गया है।
14.	केरल	विश्व बैंक	केरल में मेडिकल कालेजों का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन	करोड़ रु.	130.00	प्रस्तुत नहीं किया गया है।
15.	पश्चिम बंगाल	विश्व बैंक	पश्चिम बंगाल राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	करोड़ रु.	777.00	प्रस्तुत किया गया है।
16.	कर्नाटक	विश्व बैंक	कर्नाटक स्वास्थ्य, पोषण एवं जनसंख्या परियोजना	करोड़ रु.	790.00	प्रस्तुत किया गया है।
17.	महाराष्ट्र	विश्व बैंक	महाराष्ट्र में मेडिकल कालेजों का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन	करोड़ रु.	550.00	प्रस्तुत नहीं किया गया है।
18.	मध्य प्रदेश	विश्व बैंक	मध्य प्रदेश राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	करोड़ रु.	630.00	प्रस्तुत नहीं किया गया है।
19.	कर्नाटक	विश्व बैंक	कर्नाटक नगरपालिका सुधार परियोजना	मिलियन अमरीकी डालर	200.00	प्रस्तुत किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7
20.	गुजरात	विश्व बैंक	गुजरात शहरी सुधार परियोजना	मिलियन अमरीकी डालर	200.00	प्रस्तुत किया गया है। बैंक ने इस परियोजना के लिए परियोजना निर्माण सुविधा का सुझाव दिया है।
21.	महाराष्ट्र	विश्व बैंक	नागपुर जलापूर्ति वर्धन एवं मल-निपटान योजना	–	अभी निर्णय लिया जाना है	प्रस्ताव को संशोधित किया जा रहा है।
22.	आंध्र प्रदेश	विश्व बैंक	आंध्र प्रदेश शहरी सुधार एवं नगरपालिका सेवा परियोजना	मिलियन अमरीकी डालर	100.00	प्रस्तुत किया गया है।
23.	जम्मू और कश्मीर	विश्व बैंक	बृहत् श्रीनगर के लिए मल-निपटान प्रणाली	–	अभी निर्णय लिया जाना है	प्रशासनिक मंत्रालय की टिप्पणी की प्रतीक्षा की जा रही है।
24.	जम्मू और कश्मीर	विश्व बैंक	बृहत् जम्मू के लिए मल-निपटान प्रणाली	–	अभी निर्णय लिया जाना है	प्रशासनिक मंत्रालय की टिप्पणी की प्रतीक्षा की जा रही है।
25.	बिहार	विश्व बैंक	बिहार के गंडक कमान क्षेत्र में लवण प्रभावित भूमि	करोड़ रु.	1340.00	प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रशासनिक मंत्रालय इत्यादि की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।
26.	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु	विश्व बैंक	रेशम कीट पालन	करोड़ रु.	1200.00	प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रशासनिक मंत्रालय इत्यादि की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।
27.	महाराष्ट्र	विश्व बैंक	महाराष्ट्र ग्रामीण ऋण परियोजना चरण-III	करोड़ रु.	700.00	प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रशासनिक मंत्रालय इत्यादि की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।
28.	बहु-राज्य	विश्व बैंक	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन क्षमता निर्माण	–	अभी निर्णय लिया जाना है	प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रशासनिक मंत्रालय इत्यादि की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।
29.	उत्तर प्रदेश	विश्व बैंक	अम्बेडकर गांवों की सामाजिक-आर्थिक अधिकारिता	करोड़ रु.	2000.00	प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रशासनिक मंत्रालय इत्यादि की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7
30.	गुजरात	विश्व बैंक	व्यापक कृषि विकास परियोजना (एनएईपी-III)	करोड़ रु.	460.69	प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रशासनिक मंत्रालय इत्यादि की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।
31.	गुजरात	विश्व बैंक	वैश्विक बुनियादी उद्यमी ट्रेडिंग नेटवर्क	मिलियन अमरीकी डालर	20.00	प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रशासनिक मंत्रालय इत्यादि की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।
32.	केरल	विश्व बैंक	केरल में नारियल के उत्पादों का प्रयोग	करोड़ रु.	10.50	प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रशासनिक मंत्रालय इत्यादि की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।
33.	केरल	विश्व बैंक	केरल में कृषि महिलाओं के लिए कृषि आधारित लघु उद्यमी कार्यक्रम	करोड़ रु.	25.00	प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रशासनिक मंत्रालय इत्यादि की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।
34.	महाराष्ट्र	विश्व बैंक	महाराष्ट्र के पांच जिलों में जनजातीय जनसंख्या का समेकित विकास	करोड़ रु.	222.00	प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रशासनिक मंत्रालय इत्यादि की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।
35.	राजस्थान	विश्व बैंक	राजस्थान के बरन जिले के किशनगंज-शहबाद ब्लाक के सहारीय के आदिवासी जनजातीय समूहों के लिए ग्रामीण आवास परियोजना	करोड़ रु.	21.12	प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रशासनिक मंत्रालय इत्यादि की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।
36.	महाराष्ट्र	विश्व बैंक	महाराष्ट्र बागवानी उत्पादन विपणन आधारभूत ढांचा परियोजना	करोड़ रु.	1400.00	प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रशासनिक मंत्रालय इत्यादि की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।
37.	महाराष्ट्र	विश्व बैंक	कृषि सघनीकरण एवं विविधीकरण परियोजना	करोड़ रु.	1792.50	प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रशासनिक मंत्रालय इत्यादि की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।
38.	बहु-राज्य	विश्व बैंक	प्राकृतिक आपदा उपशमन-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जरिए भूकम्प आपदा उपशमन	करोड़ रु.	200.00	प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रशासनिक मंत्रालय इत्यादि की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7
39.	देश में सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	विश्व बैंक	आपातिक एवं अग्नि सेवाओं का सुदृढ़ीकरण	करोड़ रु.	1959.44	प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रशासनिक मंत्रालय इत्यादि की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।
40.	बहु-राज्य	विश्व बैंक	राष्ट्रीय भूकंप तैयारी एवं उपशमन कार्यक्रम	करोड़ रु.	1039.00	प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रशासनिक मंत्रालय इत्यादि की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।
41.	आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु	विश्व बैंक	कृषि उच्च शिक्षा सुधार परियोजना	मिलियन अमरीकी डालर	200.00	प्रस्तुत किया गया है। संशोधित संकल्पा-पत्र तैयार किया जा रहा है।
42.	गुजरात	विश्व बैंक	गुजरात में समेकित ग्रामीण विकास सहायता कार्यक्रम	करोड़ रु.	489.65	प्रस्तुत किया गया है।
43.	तमिलनाडु	विश्व बैंक	तमिलनाडु अधिकारिता एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना	मिलियन अमरीकी डालर	214.44	प्रस्तुत किया गया है।
44.	त्रिपुरा	विश्व बैंक	त्रिपुरा कृषि विकास परियोजना	मिलियन अमरीकी डालर	403.00	प्रस्तुत किया गया है।
45.	छत्तीसगढ़	विश्व बैंक	छत्तीसगढ़ जिला ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन परियोजना	मिलियन अमरीकी डालर	132.00	अनुमोदित। करारों पर शीघ्र ही हस्ताक्षर होने की संभावना
46.	असम	विश्व बैंक	असम ग्रामीण अवसंरचना एवं कृषि सेवा परि. चरण-II	मिलियन अमरीकी डालर	250.00	प्रस्तुत किया गया है।
47.	कर्नाटक	विश्व बैंक	"चेतना" (समुदाय चालित अधिकारिता, परिवर्तन एवं नवजागरण)	मिलियन अमरीकी डालर	240.00	प्रस्तुत किया गया है।
48.	झारखंड, उत्तरांचल	विश्व बैंक	निर्धनता उन्मूलन हेतु समेकित नई एवं स्थायी प्रौद्योगिकियां	मिलियन अमरीकी डालर	5.00 (अनुदान)	प्रस्तुत किया गया है।
49.	तमिलनाडु	विश्व बैंक	कांची क्षेत्र विकास एवं सहभागिता परियोजना	मिलियन अमरीकी डालर	2.34	प्रस्तुत किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7
50.	उत्तरांचल, मेघालय	आईएफएडी	हिमालय हेतु आजीविका सुधार परियोजना	करोड़ रु.	150.00	प्रस्तुत किया गया है।
51.	गुजरात	विश्व बैंक	गुजरात वानिकी	करोड़ रु.	2673.00	प्रस्तुत किया गया है। भारत में वानिकी क्षेत्र के संबंध में विश्व बैंक की कार्य-नीति को अंतिम रूप दिए जाने तक इस परियोजना को रोक दिया गया है।
52.	मणिपुर	विश्व बैंक	मणिपुर वानिकी	करोड़ रु.	1053.90	-तदैव-
53.	झारखंड	विश्व बैंक	झारखंड वानिकी	करोड़ रु.	1146.77	-तदैव-
54.	त्रिपुरा	विश्व बैंक	त्रिपुरा वानिकी	करोड़ रु.	256.23	-तदैव-
55.	महाराष्ट्र	विश्व बैंक	द्वितीय महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता	करोड़ रु.	1300.00	प्रस्तुत किया गया है। बैंक द्वारा अभी अनुमोदन किया जाना है।
56.	तमिलनाडु	विश्व बैंक	तमिलनाडु ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	करोड़ रु.	230.00	प्रस्तुत किया गया है। बैंक द्वारा अभी अनुमोदन किया जाना है।
57.	असम	एडीबी	असम विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	मिलियन अमरीकी डालर	200.00	यह परियोजना कैलण्डर वर्ष 2003 के लिए निर्धारित है।
58.	मध्य प्रदेश	एडीबी	मध्य प्रदेश में शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय सुधार	मिलियन अमरीकी डालर	250.00	यह परियोजना कैलण्डर वर्ष 2003 के लिए निर्धारित है।
59.	छत्तीसगढ़	एडीबी	छत्तीसगढ़ राज्य सड़कें	मिलियन अमरीकी डालर	200.00	यह परियोजना कैलण्डर वर्ष 2003 के लिए निर्धारित है।

निजी क्षेत्र के बैंकों से प्रतिस्पर्धा

***295. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र के बैंकों, विशेषकर विदेशी बैंकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लाभ में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

हस्तशिल्प क्षेत्र का विकास

*296. **श्री शिवाजी माने:**
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विपणन और समर्थन सेवा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय/राज्य हस्तशिल्प निगमों को कितनी धनराशि जारी की गयी है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित शिल्पियों और संगठनों के संदर्भ में इसकी उपलब्धियां क्या रहीं; और

(घ) इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) विपणन सहायता और सेवा योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखितनुसार हैं:-

(1) लोगों के बीच भारतीय हस्तशिल्प को प्रोजेक्ट करने एवं उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए बड़े एवं छोटे शहरों में विभिन्न विपणन कार्यकलापों का आयोजन किया जाना।

(2) दूरवर्ती, सुदूर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले शिल्पियों को प्रत्यक्ष विपणन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए उन्हें विभिन्न शहरों में आयोजित किये जाने वाले विभिन्न विपणन कार्यकलापों/ऐतिहासिक मेलों में आमंत्रित करना ताकि वे अपने उत्पादों की बिक्री में वृद्धि कर सकें और बिचौलियों से भी बच सकें।

(3) उपयुक्त स्थानों पर नये एम्पोरियमों को खोलने के लिए राज्य हस्तशिल्प निगमों, ऐपेक्स सरकारी समितियों और प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता मुहैया कराना ताकि शिल्प कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए स्थाई बिक्री केन्द्र उपलब्ध हो सकें।

(4) क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करके शिल्प कारीगरों को निर्यातकों और विपणन संगठनों के साथ सीधे सम्पर्क की व्यवस्था करना ताकि उन्हें बिना बिचौलियों के आर्डर नियमित रूप से मिलते रहें।

(5) हस्तशिल्प क्षेत्र के संस्थानों, सोसाइटियों, संगठनों, निगमों और गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता मुहैया कराना ताकि वे विपणन संबंधी कार्यकलाप करके हस्तशिल्पों को प्रोजेक्ट कर सकें, लोकप्रिय बना सकें और उनका संवर्धन कर सकें जिससे रोजगार के अवसर बढ़ाने एवं शिल्प कारीगरों की आय में वृद्धि करने का एकमात्र लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

(6) देश के प्रमुख स्थानों पर विभिन्न प्रकार के हाटों की स्थापना करना ताकि शिल्प कारीगरों को बारी-बारी से यथोचित प्रत्यक्ष विपणन सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें जिससे उनको सम्पूर्ण रोजगार मिल सके और उनका आर्थिक विकास हो सके।

(7) कार्यशालाओं, प्रशिक्षण और सेमिनारों इत्यादि के आयोजनों से शिल्प कारीगरों के मध्य उद्यमिता विकसित करना।

(8) देश में हस्तशिल्पों को प्रोजेक्ट करने के लिए प्रिंट मीडिया के साथ-साथ इलैक्ट्रानिक मीडिया के मार्फत प्रचार-प्रसार द्वारा शिल्पों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना।

(ख) इस योजना के अधीन गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र/राज्य हस्तशिल्प निगमों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नलिखितनुसार है:-

क्रमांक	वर्ष	रिलीज की गई निधियां (लाख रुपये में)
1.	2000-2001	688.69
2.	2001-2002	683.56
3.	2002-2003	524.43
	कुल	1896.69

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने वाले अनुमानित कारीगरों एवं संगठनों की संख्या निम्नलिखितनुसार है:-

क्रमांक	वर्ष	लाभान्वित कारीगर (अनुमानित)	लाभान्वित संगठन
1.	2000-2001	65760	243
2.	2001-2002	106520	277
3.	2002-2003	74360	285
	कुल	246640	805

(घ) इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उठाये गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों में शामिल हैं:-बोनाफाइड कारीगरों को पहचान पत्र जारी करना; रोटेशनल आधार पर विभिन्न शहरी हाटों में कारीगरों का नामांकन करना; संबंधित राज्य सरकारों और राज्य हस्तशिल्प विकास निगमों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए क्षेत्रीय स्तर की स्क्रीनिंग समिति का गठन करना; संबंधित राज्य सरकार के सचिव (उद्योग) की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन करना; क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों द्वारा विपणन कार्यकलापों का निरीक्षण करना; घरेलू बिक्री बढ़ाने के लिए आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार; निगमों/ऐपेक्स सोसाइटियों को सहायता मुहैया कराना ताकि मैन पावर की पुनर्संरचना/यौक्तिकीकरण और प्रबंधकीय कुशलता में सुधार करके उन्हें वाणिज्यिक रूप से अधिक व्यवहार्य बनाया जा सके; विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), विकास आयुक्त (हथकरघा) एवं दिल्ली पर्यटन के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए शहरी हाटों के लिए शासी निकाय और दिल्ली हाट के लिए संयुक्त निरीक्षण समिति का गठन करना।

[अनुवाद]

धान की खरीद

*297. **श्री वी. वेत्रिसेलवन:***
श्री प्रदीप यादव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी एजेंसियों द्वारा किसानों से गत दो वर्षों के दौरान राज्य-वार तथा वर्ष-वार कुल कितना और कितने मूल्य का धान खरीदा गया;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों और किसानों के प्रतिनिधियों ने सरकार से संबंधित राज्यों से अधिक धान खरीदने का आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन निवेदनों पर क्या कार्रवाई की गयी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): (क) खरीफ विपणन मौसम 2000-01 और 2001-02 के दौरान भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा वसूल की गयी धान की कुल मात्रा और इन प्रत्येक दोनों वर्षों के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर उक्त धान की कीमत की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) से (घ) असम, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सरकारों और किसानों के प्रतिनिधियों ने इन राज्यों में धान की वसूली करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2002-03 के दौरान इन राज्यों में धान की वसूली के बारे में स्थिति निम्नानुसार है:-

असम: भारतीय खाद्य निगम, जिसे राज्य के चुनिंदा जिलों में बोड़ो धान की वसूली करने के लिए कहा गया था, ने 22 वसूली केंद्र खोले हैं। तथापि, इन केंद्रों पर अपेक्षित विनिर्दिष्टियों की बहुत कम धान की पेशकश की गयी है।

बिहार: भारतीय खाद्य निगम ने राज्य में धान वसूली के 100 केंद्र खोले हैं। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम के दौरान 2.27 लाख टन धान की वसूली की है जबकि पिछले वर्ष के दौरान 1.32 लाख टन धान की वसूली की गयी थी।

झारखण्ड: राज्य सरकार ने मार्च, 2003 में भारतीय खाद्य निगम से राज्य में विपणनीय अधिशेष धान की वसूली करने के लिए कहा था। तथापि, विगत में हुई धान की बहुत कम वसूली को ध्यान में रखते हुए धान की वसूली करने के लिए यहां कोई वसूली केंद्र अथवा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और भारतीय खाद्य निगम फिलहाल राज्य सरकार के साथ परामर्श करते हुए उन क्षेत्रों में वसूली केंद्र स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगा रहा है जहां अधिशेष मात्रा में धान उपलब्ध है।

मध्य प्रदेश: भारतीय खाद्य निगम ने चम्बल, ग्वालियर और जबलपुर प्रभागों में 43 वसूली केन्द्रों पर किसानों से सीधे धान की वसूली शुरू की है। इसके अलावा, राज्य एजेंसियों द्वारा धान की वसूली की जा रही है; राज्य में 0.97 लाख टन धान की वसूली कर ली गयी है।

उड़ीसा: राज्य सरकार से परामर्श करते हुए भारतीय खाद्य निगम ने उन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए धान वसूली के 20 केंद्र खोले हैं, जहां से मजबूरन बिक्री की रिपोर्टें प्राप्त होती हैं और जहां वसूली के लिए संभावनाएं मौजूद हैं; अब तक 505 टन धान की वसूली हुई है।

तमिलनाडु: राज्य सरकार ने वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2002-03 से विकेंद्रीकृत वसूली योजना के अधीन धान की वसूली शुरू की है; अब तक 1.59 लाख टन धान की वसूली हुई है।

त्रिपुरा: राज्य सरकार ने विकेंद्रीकृत वसूली योजना क्रियान्वित करने में रुचि दिखाई है और इसके दिशा-निर्देश राज्य सरकार को भेज दिए गए हैं, उनसे उत्तर प्राप्त होने की प्रतीक्षा है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने विकेंद्रीकृत वसूली योजना के अधीन किसानों से धान/चावल की वसूली करने का प्रस्ताव भेजा है, इसके संबंध में तौर-तरीके तय किये जा रहे हैं।

विवरण

खरीफ विपणन मौसम 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान वसूल किए गए धान की राज्य-वार मात्रा और इसका मूल्य

(हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-01		2001-02	
	वसूल की गई मात्रा	मूल्य (करोड़ में)	वसूल की गई मात्रा	मूल्य (करोड़ में)
आंध्र प्रदेश	430	232.20	303	169.68
बिहार	29	15.66	133	74.48
चंडीगढ़	24	12.96	—	—
छत्तीसगढ़	524	282.96	1886	1056.16
हरियाणा	1363	736.02	1575	882.00
हिमाचल प्रदेश	1	0.54	नगण्य	—
कर्नाटक	1	0.54	नगण्य	—
मध्य प्रदेश	119	64.26	266	148.96
महाराष्ट्र	32	17.28	148	82.88
पंजाब	8629	4659.66	9434	5283.04
राजस्थान	31	16.74	17	9.52
तमिलनाडु	2530	1366.20	1272	712.32
उत्तर प्रदेश	540	291.60	895	501.20
उत्तरांचल	63	34.02	39	21.84
जोड़	14316	7730.64	15968	8942.08

नगण्य - 500 टन से नीचे।

[हिन्दी]

रबड़ का उत्पादन

***298. श्री शिवराजसिंह चौहान:**
श्री खगेन दास:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में रबड़ का उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रबड़ की खेती और उत्पादन में राज्यों द्वारा वर्ष-वार और राज्य-वार तथा उपलब्धियां प्राप्त की गयीं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इन राज्यों को रबड़ की खेती के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(घ) क्या प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन देश की मांग से बहुत कम है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) रबड़ की खेती को प्रोत्साहन देने और रबड़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(छ) रबड़ के उत्पादन में अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा करने और रबड़ उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) वर्तमान में प्राकृतिक रबड़ (एनआर) का उत्पादन 16 राज्यों में किया जाता है। राज्यों के नाम और 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रबड़ की खेती एवं उत्पादन में इन राज्यों द्वारा वर्ष-वार की गयी उपलब्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) चूंकि रबड़ की खेती केन्द्र का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष रूप से कोई निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राकृतिक रबड़ की खेती/बागान विकास के लिए भारत संघ द्वारा 139.70 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गयी है।

(घ) और (ङ) देश प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में स्वावलम्बी बन गया है। 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्राकृतिक रबड़ का कुल उत्पादन 30,72,945 टन था जबकि खपत 30,61,160 टन की हुई थी।

(च) और (छ) भारत सरकार, रबड़ बोर्ड के जरिए रबड़ क्षेत्र के विकास के लिए अनेक स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है। इन स्कीमों में निम्नलिखित के लिए उत्पादकों, प्रसंस्करणकर्त्ताओं एवं निर्यातकों को वित्तीय/तकनीकी सहायता देना शामिल हैं:-

* क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता की वृद्धि के जरिए प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में वृद्धि;
* वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा की योग्यता प्राप्त करने के लिए उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना;
* उद्योग के हित में कृषि एवं प्रौद्योगिकीय अनुसंधान का उन्नयन करना और
* प्राकृतिक रबड़ का निर्यात बढ़ाना।

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बोर्ड सात स्कीमों अर्थात् रबड़ बागान विकास स्कीम, प्राकृतिक रबड़ पर अनुसंधान, प्रसंस्करण, गुणवत्ता उन्नयन एवं उत्पाद विविधीकरण स्कीम; प्राकृतिक रबड़ का निर्यात संवर्धन, बाजार विकास, मानव संसाधन विकास और पूर्वोत्तर क्षेत्र में रबड़ विकास का कार्यान्वयन कर रहा है।

कार्यान्वित की जा रही 10वीं योजना स्कीमों का लक्ष्य प्राकृतिक रबड़ का समग्र विकास करना और भारतीय रबड़ को गुणवत्ता एवं लागत दोनों रूपों में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नवीनतम कृषि प्रबंधन के तौर-तरीके अपनाने हेतु लघु जोतधारकों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। लघु रबड़ उत्पादकों में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु विशेष शैक्षिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

विवरण

रबड़ बागान के अंतर्गत राज्य-वार क्षेत्र (हेक्टेयर में)

राज्य	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5	6
केरल	465282	469924	472900	474365	475039
तमिलनाडु	18470	18631	18659	18710	18704
कर्नाटक	18475	19323	19565	19735	20017
त्रिपुरा	22582	24120	25380	26495	27947
असम	10060	10805	11644	12117	12806

1	2	3	4	5	6
मेघालय	3757	3958	3683	4029	4354
नागालैंड	1287	1416	1615	1791	2024
मिजोरम	628	671	543	585	619
मणिपुर	1308	1401	1610	1588	1698
अंडमान एवं निकोबार	989	931	931	931	960
गोवा	924	939	839	872	843
उड़ीसा	149	358	408	493	517
महाराष्ट्र	305	163	180	189	165
अरुणाचल प्रदेश	128	161	244	280	323
पश्चिम बंगाल	115	158	285	388	430
आंध्र प्रदेश	75	82	98	102	109
कुल	544534	553041	558584	562670	566555

प्राकृतिक रबड़ का राज्य-वार उत्पादन (टनों में)

राज्य	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5	6
केरल	541935	559099	572820	579866	580350
तमिलनाडु	19175	20263	21134	21611	21631
कर्नाटक	12150	12549	13115	13368	13465
त्रिपुरा	7631	8588	9312	9740	10304
अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह	603	680	700	700	397
असम	1623	1785	2867	2456	1755
मेघालय	287	1424	1690	1717	2378
नागालैंड	120	167	159	285	393
मिजोरम	7	59	3	64	63
मणिपुर	69	136	115	198	198
गोवा	146	210	215	309	314
महाराष्ट्र	29	45	74	34	47

1	2	3	4	5	6
उड़ीसा	10	13	6	12	26
अरुणाचल प्रदेश	43	24	24	16	42
पश्चिम बंगाल	—	2	30	28	36
आंध्र प्रदेश	2	1	1	1	1
समग्र योग	583830	605045	622265	630405	631400

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पटसन विनिर्माता निगम

***299. डा. वी. सरोजा:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पटसन विनिर्माता निगम बंद होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार इस निगम में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं; और

(घ) सरकार ने इस रुग्ण निगम का पुनरुद्धार करने और इसके कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम (एन.जे.एम.सी.) लि. को वर्ष 1980 में उसकी स्थापना से ही निरंतर नकदी घाटा हो रहा है। एनजेएमसी को निरंतर नकदी घाटा होने और उसकी निबल पूंजी पूरी रह कम हो जाने की बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1992 में उसका मामला औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को भेज दिया गया था। बी.आई.एफ.आर. को एन.जे.एम.सी. लि. के बारे में अभी अंतिम निर्णय देना है।

(ग) निगम में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 15,410 (30.6.2003 की स्थिति के अनुसार) है।

(घ) सरकार एन.जे.एम.सी. लि. के कर्मचारियों की मजदूरी, वेतन और अन्य सांविधिक बकाया राशि का भुगतान करने के लिए निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस संबंध में 112 करोड़ रु. का प्रावधान है। निगम ने इच्छुक कर्मचारियों के लिए आकर्षक वी.आर.एस. पैकेज की पेशकश की है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की कमी

***300. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**
श्री लक्ष्मण गिलुवा:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं कितनी हैं;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं की संख्या में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) संख्या में उक्त कमी के क्या कारण हैं और इस कमी का प्रतिशत कितना है; और

(ङ) इस कमी पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार ऐसी शाखाओं की संख्या 19195 है।

(ख) से (घ) जी, हां। ब्यौरा निम्नलिखित है--

	31.3.2001	31.3.2002	31.3.2003
शाखाओं की संख्या	19418	19284	19195
गिरावट का प्रतिशत	-	0.69 प्रतिशत	0.46 प्रतिशत

गिरावट के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:-

(1) बैंकों को डीसीसी/राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना आपसी विचार-विमर्श से उन केन्द्रों पर हानि उठाने वाले ग्रामीण शाखाओं को बन्द करने की अनुमति दी गई है जहां वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) की दो अथवा इससे अधिक शाखाएं कार्यरत हैं।

(2) हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बैंक की एकल शाखा को बन्द करने की अनुमति नहीं दी जाती है, उन्हें शाखा को अनुषंगी कार्यालय में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाती है जो ग्राहकों को सेवा देने के लिए सप्ताह में 2/3 दिन के लिए कार्य करता है।

(3) सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित, कमजोर बैंकों की पुनर्गठन योजना के तहत तीन बैंकों तथा इंडियन बैंक, यूको बैंक एवं युनाइटेड बैंक आफ इंडिया को अपनी हानि उठाने वाली ग्रामीण शाखाओं को बन्द करके/विलय द्वारा शाखा नेटवर्क को युक्तियुक्त बनाने की अनुमति दी गई थी।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करने पर बल देता है कि जहां तक संभव हो, ऐसा युक्तिकरण ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा को प्रभावित किए बिना किया जाए।

[अनुवाद]

कारों का निर्यात

2586. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारों के निर्यात में वृद्धि करने और ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु किसी नए बाजार की खोज की गई है; और

(ख) यदि हां, तो अगले दो वर्षों के लिए विभिन्न कार निर्माता कंपनियों द्वारा निर्धारित निर्यात लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) भारतीय कार विनिर्माताओं के लिए निर्यात बाजार मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप रहा है। तथापि, एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका के कुछ देश अब नए बाजारों के रूप में उभर रहे हैं।

(ख) व्यापार की प्रतिस्पर्धी प्रकृति के कारण कार विनिर्माता कंपनियां आमतौर पर अपने निर्यात लक्ष्यों से संबंधित सूचना का आदान-प्रदान नहीं करती हैं। तथापि, इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) ने वर्ष 2003-2004 के लिए जीपों तथा कारों आदि के निर्यात हेतु 450 मिलियन अमरीकी डालर के लक्ष्य का अनुमान लगाया है।

सस्ता विदेशी ऋण

2587. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कंपनियां डालर ऋण के लिए कतारबद्ध हो रही हैं क्योंकि संयुक्त राज्य अमरीका में आसान ब्याज दरों और गुप्त विदेशी मुद्रा के अच्छादन की लागत में गिरावट ने स्थानीय रुपए ऋण की तुलना में विदेशी ऋणों को सस्ता बना दिया है, जैसाकि दिनांक 3 जून, 2003 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अपने कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) सरकार द्वारा विदेशी वाणिज्यिक उधारों (ई.सी.बी.) की अनुमति कार्पोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को विद्यमान क्षमता के विस्तार के साथ ही नए निवेशों के लिए घरेलू रूप में उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि करने हेतु वित्त के अतिरिक्त स्रोत के रूप में दी जाती है। सभी स्रोतों के अंतर्गत 50 मिलियन अमरीकी डालर तक के विदेशी वाणिज्यिक उधार स्वचालित मार्ग के अंतर्गत आते हैं। 50 मिलियन अमरीकी डालर से ऊपर तथा 100 मिलियन अमरीकी डालर तक के विदेशी वाणिज्यिक उधारों का अनुमोदन करने की शक्ति भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई है। 100 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के विदेशी वाणिज्यिक उधारों को सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है। विदेशी वाणिज्यिक उधार के माध्यम से संसाधन जुटाना कंपनी का वाणिज्यिक निर्णय है।

(ग) और (घ) ई.सी.बी. नीति एवं प्रक्रियाएं "www.min.nic.in" पर उपलब्ध हैं।

नोटरी पब्लिक

2588. श्री टी. गोविन्दन: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में नोटरी पब्लिक की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नोटरी अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने का है ताकि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा यथा प्रस्तावित नोटरियों की संख्या में वृद्धि की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) और (ख) सरकार को किसी राज्य में नोटरी पब्लिक की कमी का पता नहीं चला है।

(ग) और (घ) देश भर में एकसमानता के प्रयोजन के लिए अभी हाल ही में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नोटरियों की संख्या का कोटा नियत किया गया है, अत: उसे पुनरीक्षित करना उचित नहीं पाया गया है।

कंपनी सेक्रेटरी

2589. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 10 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए के बीच प्रदत्त शेयर पूंजी वाली ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिन्होंने प्रैक्टिस करने वाले कंपनी सेक्रेटरियों से प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं;

(ख) प्रैक्टिस करने वाले कंपनी सेक्रेटरियों की संख्या कितनी है और इंस्टीच्यूट आफ कंपनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया इनके कार्य निष्पादन पर किस प्रकार निगरानी रखती है;

(ग) क्या ऐसी कोई कंपनी है जिसने अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो ये कंपनियां कौन सी हैं और इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 04.08.2003 की स्थिति के अनुसार 2818 कंपनी सचिव कार्यरत हैं। आईसीएसआई ने अनुपालन प्रमाण-पत्र के 33 पैरों में से प्रत्येक के अनुपालन को प्रमाणित करने के लिए चेक लिस्ट प्रदान करके अनुपालन प्रमाणपत्र पर एक विस्तृत मार्गदर्शन नोट निकाला है। आईसीएसआई की परिषद ने दुराचरण के मामलों से संबंधित मामलों की निर्धारित ढंग से जांच करने के लिए एक अनुशासनात्मक समिति का गठन किया है। परिषद/अनुशासनात्मक समिति शिकायतों की जांच कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 और कंपनी सचिव विनियम, 1982 के उपबंधों के अनुसार करती है तथा सदस्यों के खिलाफ जैसा उचित समझा जाता है, कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

व्यापार की मात्रा

2590. डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किन देशों के साथ भारत के व्यापार में वृद्धि हुई है और इसका प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या सरकार ने इस वर्ष के दौरान अन्य देशों के साथ व्यापार में और वृद्धि करने के साथ-साथ इसमें वृद्धि करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान किन देशों के साथ हमारे व्यापार प्रतिशत में कमी आई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) पिछले वर्ष की तुलना में 2002-2003 में अपने प्रमुख व्यापारिक भागीदारों को भारत के निर्यातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष में जिन देशों के साथ भारत के निर्यातों में वृद्धि हुई है और उनकी सूची और उनके हिस्से का प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी हां। नये क्षेत्रों के साथ भारत के व्यापार को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने की दृष्टि से "फोकस एलएसी" कार्यक्रम एवं "फोकस अफ्रीका" कार्यक्रम को क्रमश: 1997 तथा 2002 में शुरू किया गया था। "फोकस सी आई एस" कार्यक्रम को इस क्षेत्र के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए इसी वर्ष शुरू किया

गया था। भिन्न-भिन्न व्यापारिक भागीदारों के साथ हमारे व्यापार में वृद्धि करने के लिए नियमित रूप से कदम उठाए जा रहे हैं और व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को संयुक्त व्यवसाय परिषद की बैठकों के दौरान निपटाया जाता है।

(घ) मिश्र, नाइजीरिया, रूस, स्विटजरलैंड, अर्जेंटिना और मलेशिया ऐसे कुछ देश हैं जिनको पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2002-2003 में भारत के कुल निर्यातों के हिस्से में कमी के साथ-साथ हमारे निर्यातों में गिरावट आई है।

विवरण

प्रमुख देशों को भारत के निर्यात

(मिलियन अमरीकी डालर)

देश	अप्रैल-मार्च 2001-2002	प्रतिशत मात्रा	अप्रैल-मार्च 2002-203	प्रतिशत वृद्धि	मात्रा
1	2	3	4	5	6
ब्राजील	219.01	0.50	479.02	118.72	0.92
चीन जन. गण.	951.95	2.17	1961.11	106.01	3.75
लग्जमबर्ग	4..47	0.01	9.14	104.46	0.02
टर्की एवं कालकोस	29.10	0.07	50.56	73.79	0.10
तुर्की	219.05	0.50	367.89	67.95	0.70
इंडोनेशिया	533.71	1.22	825.92	54.75	1.58
इजराइल	428.02	0.98	634.47	48.23	1.21
सिंगापुर	972.31	2.22	1422.61	46.31	2.72
श्रीलंका	630.89	1.44	920.88	45.96	1.76
पाकिस्तान	144.01	0.33	205.81	42.92	0.39
नेपाल	214.46	0.49	297.22	38.59	0.57
कोरिया गणराज्य	471.37	1.08	644.66	36.76	1.23
दक्षिण अफ्रीका	352.94	0.81	475.67	34.77	0.91
संयुक्त अरब अमीरात	2491.79	5.69	3313.69	32.98	6.34
यूनान	106.53	0.24	139.62	31.06	0.27
आयरलैंड	102.38	0.23	132.10	29.03	0.25
यूएसए	8513.34	19.43	10855.58	27.51	20.78
जापान	1510.44	3.45	1857.60	22.98	3.56
आस्ट्रेलिया	418.02	0.95	502.76	20.27	0.96

1	2	3	4	5	6
स्पेन	677.21	1.55	805.06	18.88	1.54
नीदरलैंड	863.88	1.97	1024.83	18.63	1.96
बेल्जियम	1390.62	3.17	1648.12	18.52	3.16
कनाडा	584.82	1.33	690.69	18.10	1.32
डेनमार्क	151.86	0.35	178.76	17.72	0.34
यूक्रेन	81.05	0.18	93.59	15.48	0.18
एफआरजी	1788.36	4.08	2060.73	15.23	3.95
यूनाइटेड किंगडम	2160.87	4.93	2472.93	14.44	4.73
सऊदी अरब	826.43	1.89	940.56	13.81	1.80
थाइलैण्ड	633.13	1.44	710.76	12.26	1.36
स्वीडन	154.27	0.35	173.06	12.18	0.33
फ्रांस	945.00	2.16	1055.23	11.66	2.02
इटली	1206.43	2.75	1339.68	11.04	2.56
नार्वे	54.30	0.12	59.96	10.43	0.11
मैक्सिको	237.45	0.54	261.70	10.21	0.50
बंगलादेश	1002.18	2.29	1094.57	9.22	2.10
पुर्तगाल	147.84	0.34	161.38	9.15	0.31
आस्ट्रेलिया	76.33	0.17	81.31	6.52	0.16
हांगकांग	2366.36	5.40	2444.22	3.29	4.68
कजाकिस्तान	45.70	0.10	46.78	2.35	0.09
फिनलैंड	69.75	0.16	70.83	1.56	0.14

डीजीसीआई एण्ड एस के अनंतिम आंकड़ों के आधार पर आर्थिक प्रभाग, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा संकलित

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम कारोबार में कमी

2591. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी: क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोले जाने के बाद जीवन बीमा निगम के पालिसी धारकों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार और बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोले जाने के पहले जीवन बीमा निगम के पालिसी धारकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जीवन बीमा निगम ने अपने पालिसी धारकों की संख्या में वृद्धि करने हेतु कई उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके कारोबार में वृद्धि करने में ये उपाय कितने सहायक रहे हैं; और

(ङ) इस संबंध में जीवन बीमा निगम द्वारा और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की पालिसियों की संख्या क्रमशः 917.26 लाख, 1131.11 लाख तथा 1258.76 लाख थी।

(ग) और (घ) एलआईसी ने सूचित किया है कि पालिसियों की संख्या बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अतिरिक्त प्रचार अभियान, नए उत्पादों की शुरूआत करना, कारपोरेट एजेंटों सहित नए एजेंटों की भर्ती करना, एजेंटों को प्रशिक्षण देना, सूचना प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन करना आदि शामिल है। इन सभी उपायों से पालिसियों की संख्या को बढ़ाने में सहायता मिली है।

(ङ) एलआईसी ने सूचित किया है कि ग्राहकों को और अधिक संतुष्टि प्रदान करने तथा कारोबार की संभावनाओं को और बेहतर बनाने की दृष्टि से, उन्होंने ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) संबंधी बहुत सी पहल की हैं। उठाए गए इन कुछ कदमों में अच्छी हैसियत वाले ग्राहकों को आकर्षित करना, मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से विकास अधिकारियों तथा एजेंटों के उत्पादकता स्तर में बढ़ोत्तरी करना, वितरण के वैकल्पिक माध्यमों को मजबूत बनाना, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को और सुदृढ़ करना आदि शामिल हैं।

सिलेसिलाए वस्त्रों का निर्यात

2592. श्री रामदास रूपला गावीत:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत से विभिन्न देशों को विशेषत: जर्मनी को सिलेसिलाए वस्त्रों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निर्यात किए गए सिलेसिलाए वस्त्रों की देश-वार विशेषतौर से जर्मनी को किए गए निर्यात की कीमत कितनी है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) जी, हां। भारत के सिले-सिलाए परिधान सौ से अधिक देशों को निर्यात किए जाते हैं। फिर भी, संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मनी सहित यूरोपीय संघ के सदस्य देशों, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, साऊदी अरब, कनाडा, हांगकांग, मलेशिया, आस्ट्रेलिया, आदि हमारे सिले-सिलाए परिधानों के प्रमुख आयातक देश हैं।

(ग) डी जी सी आई एण्ड एस के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान जर्मनी सहित विभिन्न देशों को किए गए सिले-सिलाए परिधानों का निर्यात नीचे दिए गए अनुसार रहा है:-

(अमरीकी डालर, मिलियन में)

	2000-01 (अप्रैल-मार्च)	2001-02 (अप्रैल-मार्च)	2002-03 (अप्रैल-मार्च)
सभी देशों को सिले-सिलाए परिधानों का निर्यात	5087.0	4618.7	5031.5
जिसमें से, जर्मनी को किए गए, सिले-सिलाए परिधानों का निर्यात	258.1	346.5	400.5

पश्चिमी बंगाल में कुटुंब न्यायालय

2593. श्री प्रबोध पण्डा: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में कुछ कुटुंब न्यायालयों में सदस्यों के पदों का सृजन लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ग) पश्चिमी बंगाल के सभी जिलों में कुटुंब न्यायालयों के कब तक सुचारू रूप से कार्य आरंभ करने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कोलकाता में दो कुटुंब न्यायालय कार्य कर रहे हैं। पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार हावड़ा, बर्दवान, 24-परगना (दक्षिण), 24-परगना (उत्तर) और दार्जिलिंग जिलों में भी कुटुंब न्यायालयों का गठन कर रही है।

भारतीय चाय की उत्पादन लागत

2594. **श्री एम.के. सुब्बा:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु भारत में चाय की उत्पादन लागत को कम करने के लिए भारत में चाय उत्पादन की लागत संरचना का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्पादन लागत में कमी लाने हेतु उत्पादन प्रक्रिया के किसी क्षेत्र की पहचान की गई है;

(ग) यदि हां, तो असम चाय एवं दार्जिलिंग चाय के विशिष्ट संदर्भों के साथ इस से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(घ) चीन, श्रीलंका, वियतनाम और इंडोनेशिया की तुलना में भारतीय चाय की उत्पादन लागत कितनी है; और

(ङ) भारतीय चाय को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने में समर्थ बनाने हेतु आयात शुल्क के अलावा भारतीय चाय उत्पादकों को क्या समर्थन अथवा संरक्षण दिया जाना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) चाय बोर्ड ने मध्यावधि निर्यात कार्यनीति के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में, चाय की उत्पादन लागत को कम करने के क्षेत्रों जिनमें देश में उत्पादित सभी प्रकार की चाय शामिल होगी, की जांच करने के लिए एक कार्य बल का गठन किया है। इस संबंध में कार्य बल ने भारतीय बागान प्रबंधन संस्थान, बंगलौर को अध्ययन का कार्य सौंपा है।

(घ) चीन, श्रीलंका, वियतनाम तथा इंडोनेशिया की तुलना में भारतीय चाय की उत्पादन लागत निम्नानुसार है:-

देश	उत्पादन लागत अमरीकी डालर/किग्रा. में
भारत	1.62
चीन	उपलब्ध नहीं है
श्रीलंका	1.43
वियतनाम	0.96
इंडोनेशिया	0.64

(ङ) सरकार/चाय बोर्ड ने भारतीय चाय उत्पादकों को सहायता प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं, ताकि भारतीय चाय वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके। इन उपायों में शामिल हैं: चाय संबंधी मध्यावधि निर्यात नीति का कार्यान्वयन, लाभ अर्जित करने वाले एककों को उनके बागानों के पुनर्नवीकरण तथा पुनर्रोपण तथा मशीनरी के आधुनिकीकरण हेतु प्रोत्साहित करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 33 क, ख के अंतर्गत छूट को 20% से बढ़ाकर 40% करना, देश में उत्तम गुणवत्ता वाली परंपरागत तथा पुन: संसाधित न की गई सी-टी-सी (कट-टियर-कर्ल) चाय के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कारखाना उन्नयन स्कीम का कार्यान्वयन, हैंडलिंग, पैकेजिंग लागत, परिवहन/भाड़ा प्रभार तथा मूल्य वर्धित लागत के एक भाग की पूर्ति करने के लिए चाय निर्यातकों को वित्तीय प्रोत्साहन, लघु उत्पादकों द्वारा विनिर्मित चाय की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम का कार्यान्वयन तथा 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में उत्पादित चाय की उत्पादकता, गुणवत्ता तथा विपणनीयता में संवृद्धि के लिए कई विकास योजनाओं का कार्यान्वयन।

वस्त्र उत्पादन संबंधी कार्यनिष्पादन

2595. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में सिलेसिलाये वस्त्रों एवं वस्त्र उत्पादन से संबंधित कार्य निष्पादन की समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी और निजी क्षेत्र के अंतर्गत इकाईयों एवं उपक्रमों के संबंध में मानक/मानदण्डों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु बजट में अतिरिक्त वित्तीय प्रावधानों की आवश्यकताओं पर जोर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्तमान में देश में सिलेसिलाये वस्त्रों एवं वस्त्र उद्योगों की स्थिति क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (घ) राष्ट्रीय वस्त्र नीति-2000 बनाते समय परिधान और वस्त्र क्षेत्र के कार्यनिष्पादन की गहन समीक्षा की गई थी और उसके बाद इसकी निरंतर समीक्षा की जा रही है। इस समीक्षा के परिणामस्वरूप निट क्षेत्र में निवेश की सीमा बढ़ा कर

1 करोड़ रुपये कर दी गई; परिधान क्षेत्र की सीमाएं समाप्त कर दी गईं तथा इस क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया गया। नीति में परिवर्तनों के समर्थन में, विकास की नई योजनाओं, जैसे अपैरल पार्क योजना और वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास केंद्र योजना बनाई गईं और मंत्रालय का योजना बजट जो नौवीं योजना में 1414.50 करोड़ रु. था, दसवीं योजना में बढ़ाकर 3580 करोड़ रु. कर दिया गया।

(ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वस्त्र उद्योग की स्थिति

मदें	इकाई	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03 (अ)
1	2	3	4	5	6	7
सूती/मानव निर्मित - वस्त्र मिलें	संख्या	1824	1850	1846	1860	1875
कताई मिलें (गैर-लघु उद्योग क्षेत्र)	संख्या	1543	1565	1565	1579	1599
मिश्रित मिलें (गैर-लघु उद्योग क्षेत्र)	संख्या	281	285	281	281	276
कताई मिलें (लघु उद्योग क्षेत्र)	संख्या	901	921	996	1046	1146
विशिष्ट बुनाई मिलें (गैर-लघु उद्योग क्षेत्र)	संख्या	199	202	203	207	209
विद्युतकरघा एकक	लाख संख्या	3.58	3.67	3.74	3.75	3.80
संस्थापित क्षमता						
तकुए (लघु उद्योग क्षेत्र + गैर-लघु उद्योग क्षेत्र)	मिलियन संख्या	36.67	37.08	37.91	38.33	39.02
रोटर्स (लघु उद्योग क्षेत्र + गैर-लघु उद्योग क्षेत्र)	लाख संख्या	4.34	4.44	4.54	4.80	4.69
करघे (संगठित क्षेत्र)	लाख संख्या	1.40	1.40	1.40	1.41	1.37
विद्युतकरघा	लाख संख्या	15.99	16.30	16.62	16.66	16.92
हथकरघा	लाख संख्या	38.91	38.91	38.91	38.91	38.91
मानव निर्मित फाईबर	मिलियन कि.ग्रा.	1064	1066	1081	1090	1096
मानव निर्मित फिलेमेंट	मिलियन कि.ग्रा.	1033	1078	1128	1135	1190
वर्स्टेड तकुए (ऊनी)	हजार संख्या	575	585	598	598	598
गैर + वर्स्टेड तकुए (ऊनी)	हजार संख्या	412	419	426	426	426
फाईबर का उत्पादन						
अपरिष्कृत कपास*	लाख गांठ	165.00	156.00	140.00	158.00	136.00
मानव निर्मित फाईबर	मिलियन कि.ग्रा.	782	835	904	834	914
अपरिष्कृत ऊन	मिलियन कि.ग्रा.	48.33	46.50	47.00	47.00	47.00

1	2	3	4	5	6	7
अपरिष्कृत रेशम	मिलियन कि.ग्रा.	15.54	15.21	15.86	17.35	16.21
यार्न का उत्पादन						
सूती यार्न	मिलियन कि.ग्रा.	2022	2204	2267	2212	2177
अन्य स्पन यार्न	मिलियन कि.ग्रा.	786	842	893	889	904
मानव निर्मित फिलेमेंट यार्न	मिलियन कि.ग्रा.	850	894	920	962	1100
फैब्रिक का उत्पादन						
सूती	मिलियन वर्ग मीटर	17948	18989	19718	19769	19296
ब्लेंडेड	मिलियन वर्ग मीटर	5700	5913	6351	6287	5876
100% गैर-सूती (खादी, ऊन और रेशम सहित)	मिलियन वर्ग मीटर	12479	14306	14164	15978	16934
कुल	मिलियन वर्ग मीटर	36127	39208	40233	42034	42106
कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता	वर्ग मीटर	28.19	30.55	30.68	31.97	31.37
वस्त्र मशीनों का उत्पादन	मिलियन अमरीकी डालर	270.32	256.70	286.90	225.84	उपलब्ध नहीं
वस्त्र निर्यात						
सिलेसिलाए परिधान	मिलियन अमरीकी डालर	4365.07	4771.26	5586.47	5024.59	5099.22@
सिलेसिलाए परिधान सहित कुल निर्यात (अध्याय 50-63)	मिलियन अमरीकी डालर	9009.89	9934.38	11593.04	10388.59	10644.63@
वस्त्र आयात						
सिलेसिलाए परिधान	मिलियन अमरीकी डालर	9.18	16.16	21.69	36.30	20.53@
सिलेसिलाए परिधान सहित कुल आयात (अध्याय 50-63)	मिलियन अमरीकी डालर	851.14	1128.51	1172.40	1537.10	1499.52@

(अ) = अनंतिम

* = कपास वर्ष

@ = यह तारीख 2002-03 से संबंधित है (अप्रैल-फरवरी)।

टिप्पणी: निर्यात/आयात के आंकड़े = स्रोत डी.जी.सी.आई. एंड एस., कोलकाता।

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा अर्थदंड

2596. श्री किरीट सोमैया: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जुलाई के द्वितीय सप्ताह में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने 12 फर्मों पर 1 करोड़ रुपए का दंड लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सेबी, डीसीए, भारतीय रिजर्व बैंक निवेशकों की शिकायतों के समाधान हेतु इन कंपनियों के विरुद्ध कोई संयुक्त कार्रवाई करने की योजना बनाएंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निवेशकों को उनकी बकाया धनराशि किस प्रकार मिलेगी?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अभिजीत सेन समिति रिपोर्ट

2597. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अभिजीत सेनगुप्ता समिति की रिपोर्ट का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) विभाग ने प्रो. अभिजीत सेन की अध्यक्षता में गठित दीर्घकालिक अनाज नीति संबंधी उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गयी प्रमुख सिफारिशों की जांच की है।

(ख) उच्च स्तरीय समिति की मुख्य सिफारिशों के बारे में की गई कार्रवाई निम्नानुसार है:-

(1) उच्च स्तरीय समिति ने खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के बारे में कई सिफारिशें की हैं। तथापि, सरकार ने निर्णय लिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की वर्तमान पद्धति जारी रखी जाए।

(2) एक-समान केंद्रीय निर्गम मूल्यों के साथ "सर्वसुलभ सार्वजनिक वितरण प्रणाली" लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के बारे में सरकार द्वारा यह महसूस किया गया है कि चूंकि पूर्व की सर्वसुलभ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भुखमरी पर पर्याप्त ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया था और शहरों की ओर इसका झुकाव था, इसलिए समाज के कमजोर वर्गों को लक्षित करने की दृष्टि से जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गयी थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान की गयी है और 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह के हिसाब से आर्थिक लागत की 50 प्रतिशत से कम अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दरों पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती है। सर्वसुलभ सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने के परिणामस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ध्यान गरीबों की जरूरत पूरी करने पर नहीं रह पाएगा।

(3) उच्च स्तरीय समिति ने यह सिफारिश की है कि प्रभावी खाद्यान्न प्रबंधन प्रणाली के लिए अधिशेष स्टाक का संचयन समाप्त किया जाना आवश्यक है। इसे हासिल करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, जिनके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों का स्टाक, जो पहली जुलाई, 2002 को 630 लाख टन था, गिरकर पहली जुलाई, 2003 को 352 लाख टन रह गया है।

(4) उच्च स्तरीय समिति ने पुराने स्टाक और ढील दी गयी गुणवत्ता के स्टाक के अधीन वसूल किए गए स्टाक का निपटान करने की सिफारिश भी की है। ऐसे स्टाक का निपटान करने के लिए किए गए उपायों के परिणामस्वरूप वर्तमान स्टाक का 80 प्रतिशत से अधिक 2 वर्ष से कम पुराना है।

(5) उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार कवर किए गए परिवारों की संख्या बढ़ा दी गयी है, जिसमें अंत्योदय अन्न योजना के अधीन अकिंचन आबादी पर ध्यान केन्द्रित करके 50 लाख अतिरिक्त व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया है।

(6) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अधीन आवंटन को उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया गया है।

(7) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने के लिए पहले ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश को कड़ाई से क्रियान्वित करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के विपथन में कमी सुनिश्चित हो सके। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में पंचायतीराज संस्थाओं को शामिल करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

कपास का आयात

2598. श्री सईदुज्जमा: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न देशों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका से कपास के आयात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है और भारतीय किसानों को समान गुणवत्ता वाली प्रति इकाई के लिए भुगतान किए गए मूल्य की तुलना में कितने मूल्य का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या गत कुछ वर्षों से कपास की खेती वाले क्षेत्र में कमी आई और उत्पादन स्थिर रहा है;

(घ) क्या किसान भारी आयात के परिणामस्वरूप कम मूल्य मिलने के कारण कपास की खेती छोड़ रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो किसानों के हित के संरक्षण हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) हाल ही में वस्त्र मिलों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वांछित कोटि के प्राचलों की कपास का आयात किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कपास का आयात और उसमें लगी विदेशी मुद्रा के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

(मात्रा : टन में। मूल्य: करोड़ रु. में)

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	2000-01		2001-02		2002-03	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कुल आयात	2,12,361	1,185	3,87,039	2,054	2,01,315	1,041
संयुक्त राज्य अमरीका से	14,080	91	1,41,613	646	66,798	331

(स्रोत : मंथली स्टेटिस्टिक्स आफ फारन ट्रेड आफ इंडिया : डी.जी.सी.आई. एण्ड एस., कोलकाता)।

कपास की कीमतें किस्म के अनुसार भिन्न होती है और साथ ही ये कोटि के विभिन्न प्राचलों पर निर्भर करती हैं। आयातित कपास की लैंडिड कीमत (भारित औसत) घरेलू कपास की भारित औसत कीमत की तुलना में अधिक थी।

(ग) पिछले कुछ वर्षों के दौरान कपास का कृषि क्षेत्र और उत्पादन निम्नलिखित है:-

क्षेत्र : लाख हेक्टेयर में उत्पादन : लाख गांठ में - प्रत्येक गांठ : 170 कि.ग्रा.

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03 (अनंतिम)
क्षेत्र	87.31	85.76	87.30	75.72
उत्पादन	156	140	158	136

स्रोत : कपास सलाहकार बोर्ड

(घ) कपास की कृषि से किसी अन्य फसल की ओर दीर्घकालिक अंतरण दृष्टिगत नहीं हुआ है। इस संबंध में मौसमी और अल्पावधि सूचकों का लंबी अवधि में निरपेक्ष प्रवृत्ति के आधार पर विश्लेषण करने की आवश्यकता है। तथापि, यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जब कभी भी कपास की बाजार की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य को छूने लगती हैं तो उस स्थिति में मूल्य समर्थन प्रचालनों (एम.एस.पी.) के माध्यम से कपास उपजकर्त्ताओं को न्यूनतम कीमतें सुनिश्चित की जाती हैं।

(ङ) सरकार ने कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) शुरू किया है। बी.टी. कपास की वाणिज्यिक कृषि की अनुमति दी गई है ताकि उसमें कीटनाशी गुणवत्ता होने के कारण कृषि की लागत को कम किया जा सके। कपास उपजकर्त्ताओं की आय की अनिश्चितता को कम करने तथा उपजकर्त्ताओं और उद्योग के बीच आर्गेनिक संपर्क स्थापित करने के लिए सरकार एकीकृत कपास कृषि को लोकप्रिय बनाने के लिए सुविधा प्रदान कर रही है।

[हिन्दी]

रत्न परीक्षण केन्द्र

2599. श्री पी.आर. खुंटे: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषत: छत्तीसगढ़ में स्थित रत्न परीक्षण केन्द्रों का स्थवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे और केन्द्र खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जेजेईपीसी), मुम्बई जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित व्यापार का एक प्रतिनिधि स्वायत्त निकाय है, द्वारा प्रदान की गई उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में रत्न जांच केन्द्रों का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:-

महाराष्ट्र	1.	जेमोलाजिकल इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, 29, गुरुकुल चेम्बर्स 187/189 मुंबादेवी रोड, मुम्बई-400002
	2.	सैंट जेवियर्स कालेज, जेयोलाजी प्रभाग, जियोलाजी विभाग, महानगर पालिका मार्ग, मुम्बई-400001
	3.	इन्टरनेशनल जेमोलाजिकल इंस्टीट्यूट, मित्तल कोर्ट, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021
	4.	पान जेमटेस्टिंग लेबोरेटरी, पान जेम एन्टरप्राइजेज, 10 संगीता, पंचरत्न के पीछे, ताड़ीवाला रोड, पुणे-411011
राजस्थान	5.	जेम टेस्टिंग लेबोरेटरी राजस्थान चेम्बर भवन, मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर-302003
पश्चिम बंगाल	6.	जेम टेस्टिंग लेबोरेटरी सीपीएल, जीएसआई, 27 जे.एन. रोड कोलकाता-700116
तमिलनाडु	7.	जेम टेस्टिंग लेबोरेटरी, 66 कैथड्रल रोड, चेन्नई-600086
	8.	श्री रामकृष्ण जेम टेस्टिंग लेबोरेटरी 70 पेरान नगर मेन रोड, सलेम-636007
	9.	त्रिची जेम टेस्टिंग लेबोरेटरी, एपूर काम्पलेक्स 86, डायमण्ड बाजार, त्रिची-620002
आंध्र प्रदेश	10.	जेम टेस्टिंग लेबोरेटरी, 4-4-346 राजा भगवान दास मार्ग, बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद-500195
केरल	11.	जेम टेस्टिंग लेबोरेटरी, केरल मिनरल ई एण्ड डी प्रोजेक्ट, (केरल सरकार) केशवदास पुरम, पोट्टस पैलेस, पीओ त्रिवेन्द्रम-695004
दिल्ली	12.	इंडियन जेमोलाजिकल इंस्टीट्यूट, ''एफ'' ब्लाक, झण्डेवालान फ्लेटेड फैक्ट्रीज काम्पलेक्स, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055
गुजरात	13.	इंडियन डायमण्ड इंस्टीट्यूट, कटारगम जीआईडीसी, सुमुल डेरी रोड, सूरत-395008

छत्तीसगढ़ सरकार और रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में कोई रत्न जांच केन्द्र कार्य नहीं कर रहा है।

(ख) सरकार का देश में इस प्रकार के किसी रत्न जांच केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, किसी रत्न जांच प्रयोगशाला अथवा केन्द्र की स्थापना हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के किसी विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राजस्व टिकटों का मुद्रण

2600. श्री कोलूर बसवनागौड: क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक को पर्याप्त मात्रा में राजस्व टिकटों की आपूर्ति नहीं की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य में राजस्व टिकटों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) कर्नाटक सरकार के विशिष्ट अनुरोध के आधार पर, कर्नाटक सरकार को 1.4.2003 से किसी भी स्टाम्प की आपूर्ति नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अंगूर उत्पादकों को विशेष ऋण

2601. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि यद्यपि महाराष्ट्र के कमी वाले क्षेत्रों में अंगूर उत्पादकों को विशेष ऋण देने का निर्णय किया गया था परन्तु बैंकों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का औपचारिक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है;

(ख) क्या अंगूर उत्पादकों को किसानों की तर्ज पर ही सस्ती बाजार दर पर ऋण दिया जाना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) खरीफ 2002 के दौरान सूखे की वजह से अंगूर उत्पादकों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने, एकबारगी उपाय के रूप में, सिंचाई की अतिरिक्त लागत को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र के सूखे से प्रभावित सांगली, सोलापुर, नासिक, पुणे, बीड़, लातूर-उस्मानाबाद और सतारा जिलों में 2002-03 के दौरान अंगूर उत्पादकों के लिए एक विशेष पुनर्वित्त पैकेज अनुमोदित/स्वीकृत किया है। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को नाबार्ड द्वारा यह परामर्श दिया गया है कि वे अंगूर उत्पादकों को किसानों की वास्तविक ऋण आवश्यकताओं के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करें और इस योजना के अंतर्गत संवितरण के बदले नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त करें। यह ऋण पांच वर्षों की अवधि या अंगूर बागान की शेष अवधि के अंदर, जो भी पहले हो, प्रतिसंदेय है। पुनर्वित्त पर नाबार्ड द्वारा प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर 6.75 प्रतिशत वार्षिक है।

विधि आयोग का पुनर्गठन

2602. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विधि आयोग को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) नए आयोग के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(घ) वर्तमान विधि आयोग द्वारा कौन-कौन सी प्रमुख सिफारिशें की गई हैं;

(ङ) उनमें से कितनी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है; और

(च) सभी सिफारिशों को स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) जी, हां।

(ख) 1.9.2003 से 31.8.2006 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए 17वें विधि आयोग का गठन करने का विनिश्चय किया गया है। विधि आयोग देश की विधियों के प्रगतिशील विकास और संहिताकरण के संबंध में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

(ग) विधि आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:

1. अप्रचलित विधियों का पुनर्विलोकन/निरसन:

(1) ऐसी विधियों की पहचान करना जो अब आवश्यक या सुसंगत नहीं रह गई हैं और जिन्हें तत्काल निरसित किया जा सकता है।

(2) ऐसी विधियों की पहचान करना जो आर्थिक उदारीकरण के विद्यमान परिवेश के अनुकूल हैं और जिनमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

(3) ऐसी विधियों की पहचान करना, जिनमें परिवर्तन या संशोधन अपेक्षित हैं और उनके संशोधन के लिए सुझाव देना।

(4) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विशेषज्ञ समूहों द्वारा दिए गए पुनरीक्षण/संशोधन के लिए सुझावों पर, उनके समन्वयन और सामंजस्यकरण की दृष्टि से, व्यापक परिप्रेक्ष्य में, विचार करना।

(5) मंत्रालयों/विभागों द्वारा, एक से अधिक मंत्रालय/विभाग के कार्यकरण पर प्रभाव डालने वाले विधान की बाबत उसे किए गए निर्देशों पर विचार करना।

(6) विधि के क्षेत्र में नागरिकों की शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देना।

2. विधि और निर्धनता:

(1) ऐसी विधियों की जांच करना जो निर्धनों पर प्रभाव डालती हैं और सामाजिक-आर्थिक विधान के लिए पश्च संपरीक्षा करना।

(2) ऐसे सभी उपाय करना, जो निर्धनों की सेवा में विधि और विधिक प्रक्रिया को उपयोग में लाने के लिए आवश्यक हों।

3. यह सुनिश्चित करने के लिए न्याय प्रशासन की पद्धति का पुनर्विलोकन करते रहना कि वह समय की उचित मांगों के लिए प्रभावी बना रहे और विशेष रूप से, निम्नलिखित को सुनिश्चित करना:-

(1) विलंब का समापन, बकाया मामलों का शीघ्र निपटान और खर्च में कमी, ताकि इस आधारभूत सिद्धांत पर कि विनिश्चय न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होने चाहिएं, प्रभाव डाले बिना, मामलों का शीघ्र और मितव्ययी निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

(2) तकनीकियों और विलंब की युक्तियों को कम करने और दूर करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण, जिससे वह स्वयं में एक अंत के रूप में प्रचालित न हो बल्कि न्याय की प्राप्ति में एक साधन के रूप में प्रयुक्त हो।

(3) न्याय प्रशासन से संबद्ध सभी व्यक्तियों की बाबत मानदंडों का सुधार।

4. विद्यमान विधियों की, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा करना और उनमें सुधार करने तथा उन्हें उत्कृष्ट बनाने के तरीकों का सुझाव देना और ऐसे विधान का सुझाव भी देना जो निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए और संविधान की उद्देशिका में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों।

5. सामान्य महत्व के केंद्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना, जिससे उन्हें सरल बनाया जा सके और विसंगतियों, संदेहों तथा असमानताओं को दूर किया जा सके।

6. अप्रचलित विधियों और ऐसी अधिनियमितियों या उनके भाग को, जिनकी उपयोगिता नहीं रह गई है, निरसित करके कानूनी पुस्तकों को अद्यतन करने के उपायों के लिए सरकार को सिफारिश करना।

7. विधि और न्याय प्रशासन से संबंधित ऐसे किसी अन्य विषय पर, जो विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से सरकार द्वारा इसे निर्दिष्ट किए जाएं, विचार करना और अपने अभिमत से सरकार को अवगत कराना।

(घ) वर्तमान विधि आयोग ने अभी तक ग्यारह रिपोर्टें भेजी हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

1. विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक, 2000 पर 175वीं रिपोर्ट
2. माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2001 पर 176वीं रिपोर्ट
3. गिरफ्तारी संबंधी विधि पर 177वीं रिपोर्ट
4. सिविल और दांडिक दोनों प्रकार की विभिन्न अधिनियमितियों का संशोधन करने के लिए सिफारिशों पर 178वीं रिपोर्ट
5. सार्वजनिक हित प्रकटन और सूचनादाता के संरक्षण पर 179वीं रिपोर्ट
6. भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) और मौनाधिकार पर 180वीं रिपोर्ट
7. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 106 के संशोधन पर 181वीं रिपोर्ट
8. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के संशोधन पर 182वीं रिपोर्ट
9. कानूनों के निर्वचनों में बाह्य सहायता की ग्राह्यता और उनके संहिताकरण के प्रति विशेष निर्देश से साधारण खंड अधिनियम, 1897 संबंधी सांतत्यक पर 183वीं रिपोर्ट
10. विधिक शिक्षा और वृत्तिक प्रशिक्षण तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के संशोधनों के लिए प्रस्तावों पर 184वीं रिपोर्ट

11. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के पुनर्विलोकन की 185वीं रिपोर्ट।

(ङ) और (च) इन रिपोर्टों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को समीक्षा/कार्यान्वयन के लिए भेज दिया गया है। विधि आयोग की रिपोर्टों की समीक्षा/कार्यान्वयन एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विधि आयोग की किसी रिपोर्ट पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अंतिम विनिश्चय करता है।

नाबार्ड द्वारा जिला सहकारी बैंकों को उधार देना

2603. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिला सहकारी बैंकों को सीधे पुनर्वित्त उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो नाबार्ड द्वारा किसानों को पुनर्वित्त ऋण प्रदान करने में अपनाई जाने वाली वर्तमान पद्धति क्या है;

(ग) नाबार्ड द्वारा जिला सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त उपलब्ध कराने से किसानों को कितना लाभ होने की संभावना है; और

(घ) नाबार्ड द्वारा उस पर कितना सेवा प्रभार और अन्य व्यय लेने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को सीधे ही पुनर्वित्त प्रदान करने में नाबार्ड को समर्थ बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) अधिनियम, 1981 में संशोधन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) विद्यमान प्रणाली के अंतर्गत नाबार्ड राज्य सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करता है जिसे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से किसानों को प्रदान किया जाता है।

(ग) विद्यमान व्यवस्था में नाबार्ड की पुनर्वित्त निधियों को सहकारी प्रणाली के विभिन्न चरणों (टियर) से गुजरना पड़ता है और इन चरणों में से प्रत्येक चरण में लेन-देन की लागत जुड़ जाती है जिसका बोझ अंततः किसानों को ही उठाना पड़ता है। अतः उम्मीद है कि नाबार्ड द्वारा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा फसल ऋणों पर प्रभारित ब्याज दर में कमी आएगी।

(घ) नाबार्ड अधिनियम में संशोधन के पश्चात् प्रभारित किए जाने वाले ब्याज के ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जाएगा।

विदेशी संस्थागत पूंजी निवेश

2604. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा ऋणों में पूंजी निवेश के लिए 1.5 बिलियन अमरीकी डालर की उच्च सीमा नियत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी संस्थागत निवेशकों ने इस सीमा में बढ़ोत्तरी की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सेबी ने यह सूचित किया है कि उसे विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई.) से ऋण में निवेश के लिए समग्र उच्चतम सीमा में वृद्धि किए जाने की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

रुग्ण चाय कम्पनियां

2605. श्री परसुराम माझी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन चाय कम्पनियों की पहचान की है जो रुग्ण हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी रुग्ण कम्पनियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उनकी रुग्णता के क्या कारण हैं;

(घ) इससे लगभग कितने कामगारों के प्रभावित होने की संभावना है; और

(ङ) उन्हें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी, हां।

(ख) रुग्ण बागानों के रूप में अभिज्ञात किए गए चाय बागानों के राज्य-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं:

राज्य	बागानों की संख्या
पश्चिम बंगाल	19
केरल	11
असम	3
त्रिपुरा	3
कुल	36

(ग) इन चाय बागानों की रुग्णता के कुछेक मूल कारण हैं— स्वामित्व संबंधी विवाद, प्रबंधकीय अक्षमता, वित्तीय कुप्रबंधन और लंबी मुकदमेंबाजी। यह स्थिति पिछले कुछ वर्षों में चाय की नीलामी कीमतों में आई गिरावट की वजह से और अधिक खराब हो गई है।

(घ) चाय बागानों के बंद होने के कारण प्रभावित हुए कामगारों के राज्य-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

राज्य	प्रभावित कामगारों की संख्या
पश्चिम बंगाल	19619
केरल	6648
असम	1661
त्रिपुरा	550
कुल	28478

(ङ) पश्चिम बंगाल, केरल, असम और त्रिपुरा राज्यों में बंद हुए चाय बागानों का गहन अध्ययन करने तथा उनकी व्यवहार्यता एवं पुनरुद्धार हेतु उपायों के एक पैकेज का सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियों के निष्कर्ष के आधार पर सरकार द्वारा पुनरुद्धार पैकेज, जिसमें प्रभावित कामगारों के रोजगार संबंधी पहलुओं का भी ध्यान रखा जायेगा, तैयार करने के लिए बंद हुए ऐसे चाय बागानों, जिन्हें संभावित रूप से व्यवहार्य पाया गया है, के प्रबंधन के विचार-विमर्श उनके बैंकरों के साथ करवाने के कार्य को सुकर बनाया जा रहा है।

रुपए का मूल्य

2606. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा बाजार में बार-बार हस्तक्षेप करना पड़ रहा है ताकि अन्य मुद्रा की तुलना में रुपए का मूल्य कम रहे;

(ख) यदि हां, तो रिजर्व बैंक ने पिछले वित्तीय वर्ष में डालर खरीदने के लिए कितनी बार हस्तक्षेप किया है;

(ग) क्या कोई ऐसा मूल्यांकन किया गया है कि रुपए के स्वाभाविक मूल्य निर्धारण का क्या प्रभाव होगा;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ङ) रुपए के इसके वर्तमान स्तर की अपेक्षा उच्च स्तर पर मूल्य निर्धारण के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक बाजार की स्थिति को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए, समय-समय पर जब भी आवश्यक हो, विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने और उसका प्रयोग करने तथा अस्थिरता पैदा करने वाली और सट्टे की स्वार्थपूर्ण गतिविधियों को उभरने से रोककर विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करना है। भारतीय रिजर्व बैंक बढ़ती हुई मांग अथवा आपूर्ति को बराबर करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा (करेंसी) की बिक्री एवं खरीद करता है। यह तत्काल, वायदा और स्वैप बाजारों की गतिविधियों को भी संचालित करता है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक हस्तक्षेप की नीति के कारगर कार्यतंत्र के रूप में मौद्रिक और अन्य प्रशासनिक उपायों को प्रयोग में लाता है। अमरीकी डालर की बिक्री/खरीद को दर्शाने वाले हस्तक्षेप संबंधी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा माह-वार आधार पर जारी किए जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार, बाजार की संभावित प्रतिक्रियाओं के कारण विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक के हर दिन के संचालनों का खुलासा नहीं किया जाता है।

(ग) से (ङ) रुपए की विनिमय दर मांग एवं आपूर्ति की महत्वपूर्ण स्थितियों द्वारा निर्धारित की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की विनिमय दर नीति एक नियत दर के लक्ष्य रहित घट-बढ़ के प्रबंधन पर संकेन्द्रित रही है। यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि रुपए की विनिमय दर आर्थिक मूल तत्वों के अनुरूप है।

[हिन्दी]

स्वचालित गणक मशीन

2607. प्रो. रीता वर्मा: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ए.टी.एम. नेटवर्क का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी ए.टी.एम. समुचित रूप से कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे ए.टी.एम. केन्द्रों का ब्यौरा क्या है, जहां ए.टी.एम. मशीनें प्रतिष्ठापन के समय से एक वर्ष अथवा अधिक अवधि से काम नहीं कर रही हैं; और

(घ) ए.टी.एम. मशीनें कुछ स्थानों पर जिन कारणों से कार्य नहीं कर रही हैं, उनका विस्तृत ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्थापित किए गए ए.टी.एम. की संख्या निम्न प्रकार है:

बैंक का नाम	एटीएम की संख्या
1	2
भारतीय स्टेट बैंक	1836
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	47
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	58
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	15
स्टेट बैंक आफ मैसूर	15
स्टेट बैंक आफ पटियाला	69
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	16
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	71
इलाहाबाद बैंक	51
आंध्रा बैंक	232
बैंक आफ बड़ौदा	100
बैंक आफ इंडिया	155
बैंक आफ महाराष्ट्र	44
केनरा बैंक	236
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	28
कार्पोरेशन बैंक	525
देना बैंक	88
इंडियन बैंक	76
इंडियन ओवरसीज बैंक	126
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	60
पंजाब नेशनल बैंक	290
पंजाब एंड सिंध बैंक	6
सिंडिकेट बैंक	69
यूको बैंक	15
यूनियन बैंक आफ इंडिया	105
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	12
विजया बैंक	18
कुल	4363

(ख) से (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सूचित किया है कि विभिन्न स्थानों पर लगाए गए सभी एटीएम सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। तथापि, एटीएम के कुछ केन्द्रों के मामलों में यदा-कदा समस्याएं आती रहती हैं जिनका निपटान शीघ्रता से कर दिया जाता है।

[अनुवाद]

चीनी उद्योग के लिए कार्यबल

2608. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:
श्री प्रकाश वी. पाटील:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी उद्योग की समस्याओं का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्य बल का गठन किया गया है;

(ख) क्या चीनी उद्योग ने पांच वर्ष के करावकाश की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चीनी उद्योग के पुनरुत्थान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) बजट भाषण 2003-2004 में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि खाद्य और वित्त मंत्रालय संयुक्त रूप से चीनी उद्योग की समस्याओं का हल निकालेंगे। तदनुसार, इस प्रयोजनार्थ अंतर-मंत्रालयीय समूह का गठन किया गया है।

(ख) और (ग) चीनी उद्योग की एसोसिएशन ने शीरे पर उत्पाद शुल्क कम करने और विद्युत सह-उत्पादन के लिए उपकरणों पर ग्यायती आयात शुल्क लगाने आदि जैसी कुछ कर रियायतों के लिए अनुरोध किया था।

(घ) हाल के महीनों में केंद्र सरकार ने चीनी उद्योग की सहायता करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 20 लाख टन चीनी का बफर स्टाक (दिसम्बर, 2002 में) सृजित करने, चीनी के निर्यात पर आंतरिक ढुलाई प्रभारों की प्रतिपूर्ति करने और समुद्री भाड़ा खर्च को निष्प्रभावी करने सहित अनेक उपाय शुरू किए हैं।

कर्नाटक में विशेष आर्थिक क्षेत्र

2609. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार द्वारा एस.ई.जैड. नीति की अपेक्षानुसार प्रस्तुत विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र पर राज्य की व्यापक नीति प्राप्त हुई है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने हासन विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को पूर्णरूपेण अनुमोदन देने का अनुरोध किया है, जिसे केन्द्र सरकार ने ''सिद्धांतत:'' अनुमोदित कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार के अनुरोध पर क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या राज्य ने निजी क्षेत्र की पहल से तीन स्थानों अर्थात् मंगलौर, बहुविडरी और अगसुर में तटीय एस.ई.जैड. स्थापित करने के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन देने का केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हसन विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस ई जैड) के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के अनुरोध पर एस ई जैड संबंधी अन्तर्मंत्रालयी समिति द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2003 को हुई बैठक में विचार किया गया था और समिति ने हसन एस ई जैड को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया था।

(घ) और (ङ) जी, हां। राज्य सरकार के अनुरोध पर एस ई जैड से संबंधित अन्तर्मंत्रालयी समिति द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2003 को हुई बैठक में विचार किया गया था। विचार-विमर्श के पश्चात् राज्य सरकार और विकासकर्त्ता द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार समिति ने मंगलौर में एस ई जैड स्थापित करने के लिए ''सिद्धांत रूप से'' अनुमोदन प्रदान करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया था।

[हिन्दी]

नकली बीमा पालिसियां

2610. श्री माणिकराव होडल्या गावित:
श्री हन्नान मोल्लाह:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह पता चला है कि एलआईसी एजेंट अपने प्रबंधकों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नकली बीमा पालिसियां जारी करने में लगे हैं;

(ख) क्या ऐसा उच्च अधिकारियों की मूक सहमति से किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने मामले की जांच करने और दोषी अधिकारियों को दंडित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारतीय कंपनियों के साथ तकनीकी करार

2611. **श्री अवतार सिंह भड़ाना:** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ तकनीकी और अन्य करार करने के लिए बाध्य किया जा सकता है;

(ख) क्या मंत्रालय से संबंधित स्थायी संसदीय समिति द्वारा तैयार प्रस्तावों के आधार पर सरकार ने इसे कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बेरोजगारी में वृद्धि

2612. **श्री सुनील खां:** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में भुखमरी से ग्रस्त लोगों की सर्वाधिक संख्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त रिपोर्ट में भारत में आय असमानता, बढ़ती बेरोजगारी और कम जीवन प्रत्याशा के संबंध में बहुत चिन्ता व्यक्त की गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा प्रकाशित अद्यतन मानव विकास रिपोर्ट 2003 में कहा गया है कि "भारत में भुखमरी से ग्रस्त लोगों की संख्या सबसे अधिक 233 मिलियन है।"

(ख) रिपोर्ट में यह भी इंगित किया गया है कि चीन और भारत जिनमें कुल-मिलाकर विश्व की एक तिहाई जनसंख्या निवास करती है, में पिछले दशक के दौरान जबरदस्त आर्थिक सुधार हुआ है। यद्यपि दोनों देशों में तेज गति से सतत आर्थिक विकास हुआ है लेकिन दोनों की प्रगति की दर में काफी भिन्नता रही है। भारत में क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक भिन्नताएं मौजूद हैं। वर्ष 1992-97 में बिहार में प्रति व्यक्ति आर्थिक वृद्धि -0.2 प्रतिशत थी, जबकि गुजरात में यह 7.8 प्रतिशत थी। इसी प्रकार की भिन्नताएं शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे अन्य मानव विकास सूचक क्षेत्रों में भी परिलक्षित हुई हैं।

(ग) योजना आयोग द्वारा प्रकाशित गरीबी संबंधी सरकारी अनुमानों के अनुसार, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या वर्ष 1993-94 में 320.3 मिलियन से कम होकर वर्ष 1999-2000 में 263.3 मिलियन हो गई है। गत वर्षों में भारत सरकार ने रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस समय चल रहे आर्थिक सुधारों में भी मानवीय दृष्टिकोण और मानव संसाधन एवं गरीबी उन्मूलन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता निहित है।

अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए शिक्षा कार्यक्रम

2613. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अतिन्यून साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित बालिकाओं के लिए विशेष शिक्षा विकास कार्यक्रम हेतु पैकेज तैयार करने के लिए वर्ष 1996-97 में एक योजना प्रयोगात्मक आधार पर तैयार की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त कार्यक्रम की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना का विलय प्राथमिक शिक्षा विभाग की चालू परियोजनाओं में करने का निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस योजना के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता विकसित करने के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर योजना, वर्ष 1993-94 के दौरान, अनुसूचित जनजातीय लड़कियों को शिक्षा देने के लिए शुरू की गई थी।

(ख) योजान के अंतर्गत 17 राज्यों के 136 जिले पहचाने गए, जिनमें से 15 राज्यों के 74 जिलों में 169 परिसरों की स्थापना की गई है जो पूरे वर्ष में 20,000 अनुसूचित जनजातीय लड़कियों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर योजना को प्राथमिक शिक्षा विभाग की योजनाओं के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। वर्ष 2003-2004 के लिए, योजना के अंतर्गत राज्य-वार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता विकसित करने के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर योजना के अंतर्गत वर्ष 2003-2004 का राज्य-वार आबंटन

वर्ष 2003-04 के लिए बजट आबंटन 800.00 लाख रुपए

क्र.सं.	राज्य का नाम	आबंटन*
1.	आंध्र प्रदेश	230.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.00
3.	बिहार	5.00
4.	छत्तीसगढ़	20.00
5.	गुजरात	30.00
6.	हिमाचल प्रदेश	5.00
7.	झारखंड	5.00
8.	कर्नाटक	50.00
9.	मध्य प्रदेश	100.00
10.	महाराष्ट्र	20.00
11.	उड़ीसा	200.00
12.	राजस्थान	50.00
13.	तमिलनाडु	5.00
14.	त्रिपुरा	10.00
15.	उत्तर प्रदेश	10.00
16.	उत्तरांचल	10.00
17.	पश्चिम बंगाल	40.00
	कुल	800.00

*चालू परियोजनाओं की प्रतिबद्ध देयताओं को ध्यान में रखते हुए ही आबंटन किया गया है।

गया हवाई अड्डे पर तस्करी

2614. श्री रघुनाथ झा: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 16 जुलाई, 2003 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "लेक्स कस्टमस, सो गया गेट मोर स्मगलर्स देन पिलग्रिम्ज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भ्रष्ट सीमा शुल्क अधिकारी बैंकाक से आने वाली इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों में साप्ताहिक आधार पर तस्करी के माल को बाहर जाने दे रहे हैं और तस्कर जिनमें अधिकांशत: दिल्ली के तस्कर होते हैं बाहर चले जाते हैं और अपने गंतव्य स्थानों के लिए घरेलू उड़ान अथवा परिवहन के अन्य साधन पकड़ लेते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या गया के सीमा शुल्क अधिकारियों के दल को स्थानांतरित कर दिया गया है और केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) को रिपोर्ट भेज दी गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सी.बी.ई.सी. ने अब तक रिपोर्ट पर विचार कर लिया है और इस मामले में कोई कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) गया हवाई अड्डे पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों और कैरियर के बीच यदि कोई मिलीभगत है, तो उसकी जांच की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) जी, हां। सीमा शुल्क आयुक्त, पटना से मामले की छानबीन करने और सीमा शुल्क अधिकारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिलाने के लिए कहा गया है, ताकि देश में निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी को रोकने और उनका पता लगाने में उन्हें सक्षम बनाया जा सके।

केरल के लिए नाबार्ड की सहायता

2615. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आर.आई.डी.एफ. योजना के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा केरल राज्य में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और इस धनराशि से कुल कितनी विकासात्मक परियोजनाएं आरम्भ की गईं; और

(ख) वर्ष 2003-2004 के दौरान कितनी परियोजनाओं के लिए सहायता की मांग की गई है और कितनी धनराशि की सहायता मांगी गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान केरल में ग्रामीण आधारित विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत 811 परियोजनाओं के लिए कुल 574.64 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की है।

शृंखला	परियोजनाओं की संख्या	राशि (करोड़ रुपए)
आरआईडीएफ-VI (2000-01)	256	186.33
आरआईडीएफ-VII (2001-02)	296	191.76
आरआईडीएफ-VIII (2002-03)	259	196.55
कुल	811	574.64

(ख) नाबार्ड ने आगे सूचित किया है कि उसने केरल सरकार को लघु सिंचाई एवं निकास सुविधाओं की 6 परियोजनाओं को शुरू करने के लिए आरआईडीएफ-IX (2003-04) के तहत अब तक 3.05 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है।

लम्बित परियोजनाएं

2616. श्री अनंत गुडे: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितनी लम्बित परियोजनाएं हैं जिनके लिए विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता मांगी गयी है;

(ख) क्या सरकार को इन विदेशी वित्त संस्थाओं से धनराशि जारी करने का कोई आश्वासन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) विश्व बैंक के पास इस समय निधिकरण के लिए 43 प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से परियोजना-आधारित कोई सहायता उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) अप्रैल, 2001 के पश्चात् विश्व बैंक, निर्धनता उन्मूलन, अवसंरचना, सामाजिक, जल संसाधन, ग्रामीण विकास आदि से संबंधित 24 परियोजनाओं/स्कीमों के लिए 5435.92 मिलियन अमरीकी डालर राशि का ऋण अनुमोदित कर चुका है।

(घ) प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण, परियोजना की पहचान, तैयारी, मूल्यांकन, बातचीत तथा अनुमोदन की प्रक्रियाओं के पश्चात् परियोजना को मंजूरी प्रदान की जाती है। भारत सरकार इस प्रक्रिया के दौरान विश्व बैंक के साथ निकटता से संपर्क बनाए रखती है।

महाराष्ट्र के लिए वित्तीय सहायता

2617. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष के दौरान अभी तक विकास परियोजनाओं के लिए नाबार्ड और वित्तीय संस्थाओं द्वारा महाराष्ट्र को कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में यह सहायता बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) पिछले दो वर्ष (2001-02 तथा 2002-03) और चालू वर्ष (2003-04) के दौरान अब तक महाराष्ट्र में विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थाओं (आईडीबीआई, आईएफसीआई लि., आईआईबीआई, सिडबी, एक्जिम बैंक तथा नाबार्ड) द्वारा दी गई (संवितरित) वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

संस्थान का नाम	2001-02		2002-03		2003-04 (अप्रैल-जून/जुलाई)	
	संवितरण	कुल सहायता की तुलना में % #	संवितरण	कुल सहायता की तुलना में % #	संवितरण	कुल सहायता की तुलना में % #
आईडीबीआई	4277.1	40.33	1433.5	38.19	269.6	63.06
आईएफसीआई लि.	123.2	15.58	527.7	43.22	2.4	4.79
एक्जिम बैंक	790.6	—	1262.6	—	259.2	—
आईआईबीआई	250.05	23.37	195.25*	17.89	30.24@	10.53
सिडबी	1215.1	20.53	1534.1	22.60	136.24*	15.90
नाबार्ड						
बैंकों को पुनर्वित्त	741.35	—	589.60	—	4.99	—
आरआईडीएफ पुनर्वित्त $	325.71	—	220.10	—	2.75	—

कुल सहायता

* अनन्तिम

@ अनुमानित

$ आरआईडीएफ - ग्रामीण आधारिक विकास निधि

(ख) वित्तीय संस्थाओं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अखिल भारतीय मंजूरियों में महाराष्ट्र की सहायता का सापेक्ष हिस्सा अन्य राज्यों की तुलना में कम नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

कागज का निर्यात

2618. श्री तूफानी सरोज: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत से किन देशों को कागज का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत से कितने कागज का निर्यात किया गया और इसका मूल्य क्या था;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किस देश को सर्वाधिक कागज का निर्यात किया गया; और

(घ) कागज का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) कागज और गत्ते का निर्यात मुख्यत: श्रीलंका, बंगलादेश, मलेशिया, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, चीनी तेपई, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, थाइलैंड, अमेरीका, म्यांमार, मिश्र, नाइजीरिया, ईरान, हांगकांग, नेपाल आदि को किया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत से निर्यात किए गए कागज की मात्रा और मूल्य इस प्रकार हैं--

	मात्रा (मी. टन में)	मूल्य (करोड़ रु. में)
2000-2001	153890	544.09
2001-2002	181979	598.76
2002-2003 (दिसम्बर, 2002 तक)	171059	596.94

(ग) जिस देश को सर्वाधिक निर्यात किया गया वह 2000-2001 में श्रीलंका, 2001-2002 में बंगलादेश था और वर्ष 2002-2003 के दौरान (दिसंबर, 2002 तक) श्रीलंका को सर्वाधिक निर्यात किया गया है।

(घ) कागज का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों में लुगदी और कागज के बारे में व्यावहारिक अनुसंधान के लिए समर्पित शीर्ष संगठन (केन्द्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर) और कागज के उत्पादन को ज्यादा लागत प्रभावी तथा गुणात्मक बनाने के उद्देश्य से अनुसंधान और विकास की सतत् निगरानी करने हेतु लुगदी और कागज उद्योग विकास परिषद् की स्थापना करना शामिल है। सरकार ने संबंधित क्षेत्र के एक अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और परामर्शदाता से "भारतीय कागज उद्योग की वैश्वीय प्रतिस्पर्धात्मकता" पर एक अध्ययन भी करवाया है। विभिन्न किस्म के कागज के उत्पादन की बेहतर गुणवत्ता और अनुकूलित लागत के जरिए निर्यात बढ़ाने हेतु भारतीय कागज उद्योग को सुविधा के लिए भावी निर्यात बाजार तथा निर्णायकों की पहचान करना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था।

[अनुवाद]

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए धनराशि

2619. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा वित्त पोषित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रक्रिया में इस परिवर्तन से विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशि के आबंटन में विलम्ब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं। यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत निधियां कार्यान्वयन एजेंसी को सीधे दी जाएं, जबकि पहले इन्हें राज्य सरकार के मार्फत पहुंचाया जाता था।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कपास की खरीद

2620. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में कपास प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत कपास की खरीद, कपास से बिनौले निकालने, बिल बनाने और इसके भंडारण के लिए बुनियादी सुविधाएं तैयार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) 'कौटफेड' द्वारा के.बी.के. जिलों के किसानों से कपास की खरीद के लिए उठाये गये कदमों अथवा उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) उड़ीसा के पांच मार्केट यार्डों तथा उत्केला, गुणुपुर, करलापदा, जोगी मुंडा और रायागदा को कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी एम सी) की लघु मिशन-3 के अंतर्गत विकास हेतु चुना गया है। इन मार्केट यार्डों में विकसित की जा रही आधारभूत संरचना में पक्की सड़क, पक्का प्लेटफार्म, वजन पुल, अग्निशमन व्यवस्थाएं, ग्रेडिंग प्रयोगशालाएं, गोदाम, शेड, किसानों का सूचना केन्द्र आदि शामिल हैं। टी एम सी के लघु मिशन-4 के अंतर्गत, उड़ीसा की दो गिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियों को आधुनिकीकरण के लिए शामिल किया गया है।

(ख) भारतीय कपास निगम (सी सी आई) ने वर्तमान कपास मौसम 2002-03 (अक्तूबर-सितंबर) के दौरान उड़ीसा में 5,595 गांठ (प्रत्येक गांठ 170 कि.ग्रा. की) के लिंट कपास के बराबर कपास (बीज कपास) खरीदा है। जब कभी कपास का बाजार मूल्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) तक पहुंच जाता है, तो भारतीय कपास निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीददारी शुरू करता है और इसे दी गई कपास को बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के खरीदता है। चालू कपास मौसम 2002-03 के दौरान कपास के मूल्य उड़ीसा सहित देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक चल रहे हैं।

[हिन्दी]

रेशमकीट पालन का विकास

2621. श्री लक्ष्मण गिलुवा:
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड राज्य में रेशमकीट पालन और उससे संबद्ध उद्योगों के विकास की बहुत संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान इस दिशा में क्या प्रयास किये हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त की है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) जी, हां। झारखण्ड राज्य में रेशम उत्पादन और उससे संबद्ध उद्योगों के विकास की अत्यधिक गुंजाइश है। रेशम उत्पादन, रांची, लोहारडेगा, पालामू, गढ़वा, गुमला साहिबगंज, गिरिडिह, दुमका, पाकुर, गोड्डा, देवगढ़, शिमडेगा और सिंघभूम जिलों में किया जा रहा है।

(ग) और (घ) झारखण्ड में रेशम उत्पादन का विकास करने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रम के ब्यौरे और पिछले तीन वर्षों के दौरान उपलब्धियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(1) कंटरी कोआपरेशन फ्रेमवर्क-1 (सीसीएफ-1) के फाईबर और हस्तशिल्प कार्यक्रम (एफएचएपी) के तहत गैर-शहतूती रेशम के विकास के लिए यूएनडीपी सहायित उप कार्यक्रम।

केंद्रीय रेशम बोर्ड ने वर्ष 1999-2000 से 2002-2003 तक के 4 वर्ष के लिए यूएनडीपी की परियोजना क्रियान्वित की। परियोजना की वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां नीचे दी गई हैं: -

वास्तविक प्रगति

* लगभग 1890 लाभार्थियों, जिनमें समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्ति, सहकारी समितियां, महिला समूह, स्व-सहायता समूह आदि शामिल हैं, को प्रशिक्षित किया गया।
* 0.184 लाख मानव-वर्ष का अनुमानित रोजगार सृजित किया गया।
* लगभग 18.4 मी. टन तसर रेशम और 6.41 मी. टन तसर स्पन यार्न का उत्पादन किया गया।
* कीटपालकों, रीलरों, कताईकर्त्ताओं और बुनकरों को प्रौद्योगिकी और इनपुट की सहायता दी गई।

व्यय लाख रु. में

वर्ष	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	कुल
व्यय	20.48	55.26	43.70	42.94	162.38

(2) उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम

केंद्रीय रूप से प्रायोजित उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य को रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग का विकास करने के लिए सहायता दी गई है। वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(3) विशेष स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) परियोजनाएं

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अनुदान सहायता से झारखण्ड में तसर और एरी कृषि का विकास करने के लिए विशेष एस.जी.एस.वाई. परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वर्ष 2003-04 से 2004-05 तक के दो वर्ष के लिए 13.69 करोड़ रु. के परिव्यय से परियोजना के पहले चरण का अनुमोदन कर दिया गया है।

(4) अनुसंधान व विकास कार्यक्रम

केंद्रीय रेशम बोर्ड ने झारखण्ड में निम्नलिखित आधारभूत सुविधा एकक स्थापित किए हैं ताकि रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग का विकास करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा किया जा सके।

(1) अनुसंधान एकक

1. केंद्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, रांची
2. शहतूती रेशम के लिए क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र
3. क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केंद्र, दुमका
4. अनुसंधान विस्तार केन्द्र, हतगामरिया
5. अनुसंधान विस्तार केन्द्र, महेश पुरराज
6. अनुसंधान विस्तार केन्द्र, गुमला
7. अनुसंधान विस्तार केन्द्र, उप एकक, भंडरा
8. अनुसंधान विस्तार केन्द्र, उप एकक, राजमहल

(2) विकास संबंधी क्रिया-कलापों के लिए एकक

1. मूल बीज बहुगुणन व प्रशिक्षण केंद्र, (बीएसएमटीसी), कथीकुण्ड
2. मूल बीज बहुगुणन व प्रशिक्षण केंद्र, खरसवान
3. मूल बीज बहुगुणन व प्रशिक्षण केंद्र, मधुपुर
4. कच्चा माल बैंक, चाईबासा

विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	वास्तविक प्रगति		के.रे.बो. द्वारा जारी की गई राशि (लाख रु. में)
		इकाई	मात्रा	
1	2	3	4	5
	उत्प्रेरक विकास योजनाओं के अंतर्गत बिहार/झारखण्ड में प्राप्त प्रगति (2000-01):			
1.	हथकरघा रेशम प्रसंस्करण के लिए साझा सुविधा केन्द्र की स्थापना	इकाईयों की संख्या	1	12.98
2.	उद्यम विकास कार्यक्रम	प्रशिक्षण कार्यक्रम	1	0.82
3.	उन्नत रीलिंग/स्पिनिंग यंत्रों का उन्नयन करने और इसे लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों को सहायता	यंत्रों की संख्या	1.58	4.16
4.	तसर के लिए फसल बीमा सहायता	रोग मुक्त अंडे लाख में	11.23	3.92
5.	डाटा बेस के विकास के लिए सहायता	मात्रा किए जाने योग्य नहीं		1.50
	कुल			23.36
	उत्प्रेरक विकास योजनाओं के अंतर्गत बिहार/झारखंड में प्राप्त प्रगति (2001-02):			
1.	उन्नत शहतूती किस्म वाली बैंक का सृजन	छोटे पौधे लाख में	4.00	0.22
2.	नए शहतूत उत्पादनकर्त्ताओं को आन फार्म प्रशिक्षण और प्रारम्भिक उपकरण	टूल किट्स	190	0.59
3.	बीज गुणन आधारभूत संरचना के उन्नयन हेतु राज्यों को सहायता	हेक्टेयर इकाई	312	6.94
4.	उन्नत रीलिंग/स्पिनिंग यंत्रों का उन्नयन करने और इसे लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों को सहायता	यंत्रों की संख्या	77	1.32
5.	तसर के लिए फसल बीमा सहायता	रोग मुक्त अंडे लाख में	1.60	1.15
6.	डाटा बेस के विकास के लिए सहायता	मात्रा किए जाने योग्य नहीं		1.87
7.	गुणवत्ता सम्बद्ध कोया खरीददारी प्रणाली की स्थापना हेतु सहायता	इकाई	1	3.00
	कुल			15.09
	उत्प्रेरक विकास योजनाओं के अंतर्गत झारखंड में प्राप्त प्रगति (2002-03):			
1.	प्रणालीगत तसर होस्ट पौधरोपण के रख-रखाव के लिए बीज पालकों को सहायता	हेक्टेयर	721	12.12
2.	चाकी गार्डन के विकास के लिए तसर वाणिज्यिक पालकों को सहायता	संख्या	550	17.55

1	2	3	4	5
3.	निजी तसर भण्डारों को सहायता	संख्या	63	8.51
4.	पालन करने वाली उपकरणों को खरीदने के लिए तसर वाणिज्यिक पालकों को सहायता	संख्या	3000	60.72
5.	तसर के लिए फसल बीमा	रोग मुक्त अंडे लाख में	2.78	2.32
6.	प्रशिक्षण और आरंभिक उपकरणों के साथ एरी खाद्य पादप की वृद्धि	संख्या	126	1.11
7.	उन्नत तसर रीलिंग यंत्रों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों को सहायता	संख्या	20	1.02
		कुल		103.35

[हिन्दी]

हस्तशिल्प का निर्यात

2622. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:**
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यात की गयी हस्तशिल्प वस्तुओं का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) निर्यात की गई हस्तशिल्प मदों का राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है तथापि गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्षवार देश से निर्यात की गयी हस्तशिल्प मदों के आंकड़े निम्न प्रकार से हैं:-

(करोड़ रुपये में)

मदें		2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
क.	**कालीन एवं अन्य फर्श बिछावन**			
1.	ऊनी	2045.96	2152.69	2293.79
2.	रेशमी	167.03	198.27	209.42
3.	सिंथेटिक	102.16	85.17	87.05
	कुल (क)	2315.15	2436.13	2590.26
ख.	**अन्य हस्तशिल्प**			
1.	कलात्मक धातु पात्र	1778.10	1758.90	2165.21
2.	काष्ठ पात्र	434.44	431.88	511.35
3.	एम.पी. टैक्सटाइल स्कार्फ	1276.75	1221.59	1466.52

1	2	3	4	5
4.	काशीदाकारीकृत एवं कोशिए की वस्तुएं	1964.78	1931.97	2477.15
5.	कलात्मक शालें	27.20	27.01	32.70
6.	जरी एवं जरी की वस्तुएं	142.32	134.04	159.47
7.	नकली आभूषण	121.68	117.53	138.79
8.	विविध हस्तशिल्प	1210.08	1146.58	1391.62
	कुल (ख)	6955.35	6769.50	8343.41
	कुल योग (क+ख)	9270.50	9205.63	10933.67

(ख) जी. नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेशों में ठेके पर कार्य कराने के विरुद्ध अमरीकी अधिनियम

2623. **श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:**
श्री ब्रह्मानन्द मंडल:
श्री किरीट सोमैया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमरीकी कंपनियों का कुल कितने प्रतिशत कार्य ठेके पर भारत में कराया जाता है;

(ख) क्या अमरीकी प्रशासन ठेके पर कार्य कराने में कई अड़चनें डाल रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या कुछ अमरीकी राज्यों ने सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय को विदेशों में ठेके पर देने के विरुद्ध अधिनियम पारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस अधिनियम का भारत के सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय पर क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा;

(च) क्या सरकार ने इस मामले पर अमरीकी सरकार के साथ बातचीत की है;

(छ) यदि हां, तो अमरीकी सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ज) क्या सरकार अमरीकी सरकार की इस प्रतिक्रिया से संतुष्ट है; और

(झ) यदि नहीं, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अन्य संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से क्या कार्य योजना तैयार की गयी है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, अनुमानों के अनुसार, भारत के कुल सूचना प्रौद्योगिकी निर्यातों में से 67.7% निर्यात संयुक्त राज्य अमरीका को किए जाते हैं।

(ख) से (ङ) अमरीका के न्यू जर्सी, वाशिंगटन, मिसौरी, कनेक्टिकट राज्यों ने सरकारी ठेकों को यू एस ए के बाहर दिए जाने से रोकने के लिए विधेयक प्रस्तुत किए हैं। यू एस ए के किसी भी राज्य में अब तक कोई भी विधेयक पारित नहीं हुआ है। पारित हो जाने पर इन विधेयकों का यू एस ए को होने वाले हमारे निर्यातों पर मामूली प्रभाव पड़ेगा।

(च) और (छ) जी, हां। इस मुद्दे को संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (यू एस टी आर) के साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्री की हाल की बैठक सहित कई मंचों पर उठाया गया है। यू एस टी आर ने इस विधेयक का उल्लेख "खराब नीति" के रूप में किया है।

(ज) और (झ) सरकार यू एस ए के कुछ राज्यों में पेश किए गए विभिन्न विधेयकों की प्रगति पर कड़ी निगरानी रख रही है। इस मामले में भारत के हितों की रक्षा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक कार्यबल का गठन किया जा रहा है जिसकी अध्यक्षता सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की जाएगी और जिसमें वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सरकार ने इस प्रयास में भारतीय उद्योग को भी सम्मिलित किया है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विपणन के लिए अनुमति

2624. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले:**
श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उद्योग स्थापित किए बिना दो वर्षों से अधिक व्यापार करने के लिए विपणन की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस निर्णय का घरेलू व्यापार पर संभावित प्रभाव क्या होगा?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) वर्तमान नीति के अनुसार, विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों जैसे निर्यातों; पत्तन बाह्य/अनुबद्ध माल्गोदाम बिक्रियों सहित थोक आयातों; नकद-थोक व्यापार क्रियाकलाप; परियोजना आयातों; बिक्री पश्च सेवाओं के प्रावधान; उच्च तकनीकी चिकित्सीय और नैदानिक वस्तुओं का व्यापार, निर्यातों के लिए उत्पादों का घरेलू स्रोत बनाने, इत्यादि के लिए 100% तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। चूंकि खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की स्वीकृति नहीं है, अत: इससे घरेलू खुदरा व्यापार के प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

कर्नाटक में बुनकरों के लिए निवास-सह-कार्यशाला का निर्माण

2625. **श्री आर.एल. जालप्पा:**
श्री कोलूर बसवनागौड:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक ने राज्य में बुनकरों के लिए निवास-सह-कार्यशाला के निर्माण हेतु केन्द्रीय अनुदान की स्वीकृति हेतु एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मांगी गयी है और कितने निवास-सह-कार्यशाला के निर्माण का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी राशि यदि कोई है, जारी की गयी है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्नाटक सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 289 कार्यशाला-सह-आवासों के निर्माण हेतु एक प्रस्ताव अग्रेषित है। कार्यशाला-सह-आवास योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार यह प्रस्ताव अधूरा है। राज्य सरकार से जैसे ही शेष ब्यौरे प्राप्त होंगे, उन पर स्वीकृति हेतु विचार किया जाएगा।

जड़ी-बूटियों के निर्यात की संभावना

2626. **श्री पी. कुमारासामी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जड़ी-बूटियों के निर्यात की संभावना का कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई सुरक्षोपाय किए हैं कि जड़ी-बूटी उत्पादों के नाम पर जड़ी-बूटी के बीजों/पौधों का निर्यात न किया जाए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने अमरीका में हर्बल उत्पादों के लिए एक बाजार सर्वेक्षण का वित्तपोषण किया था। बाजार सर्वेक्षण करने के लिए उद्योग को सहायता प्रदान करने हेतु एक स्कीम भी कार्यान्वित की गई है। इसके अलावा, वाणिज्य विभाग द्वारा गठित एक स्वायत्तशासी निर्यात संवर्धन परिषद् कैमेक्सिल के जरिए हर्बल निर्यातों समेत उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए बाजार अध्ययन एवं अनुवर्ती कार्यकलापों का वित्त पोषण किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) बीज एवं पौध तथा पौधों एवं जड़ी-बूटियों के भागों आदि के निर्यात के संबंध में आवश्यक रक्षोपाय एग्जिम नीति 2002-2007 के भाग के रूप में निर्यात एवं आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण 2002-2007 की अनुसूची-2 के कोड संख्या 1201 से 1214 में दिए गए हैं। उक्त प्रकाशन विधिवत रूप से अधिसूचित हैं और इसे संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध करा दिया गया है।

मतदाता पहचान-पत्र

2627. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रेश पटेल:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान-पत्र प्रदान करने में अभी तक कितनी प्रगति की गयी है;

(ख) अभी तक राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने प्रतिशत मतदाताओं को पहचान-पत्र प्रदान कर दिये गये हैं;

(ग) मतदाता पहचान-पत्र खो जाने के मामले में नये मतदाता पत्र जारी करने के लिए क्या मानदंड अपनाया गया है;

(घ) क्या कुछ राज्यों की मतदाता सूचियों में बंग्लादेशी, पाकिस्तानी और नेपाली जैसे कुछ विदेशी नागरिकों को शामिल किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे मतदाताओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) और (ख) भारत निर्वाचन आयोग ने यह सूचित किया है कि देश में अभी तक 65.90 प्रतिशत निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी किए गए हैं। निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी किए जाने की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) आयोग ने यह सूचित किया है कि निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र गुम हो जाने के मामले में संबद्ध व्यक्ति से पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की अपेक्षा की जाती है। तत्पश्चात् निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र की दूसरी प्रति जारी किए जाने के लिए संबंधित विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष एक आवेदन किया जाना होता है। इसके लिए, आयोग द्वारा एक मानक आवेदन प्ररूप संख्यांक ईसीआई-ईपीआईसी-2002 विहित किया गया है। आयोग ने पहचान-पत्रों की दूसरी प्रति जारी किए जाने के लिए 25 रुपए प्रति पहचान-पत्र की फीस भी विहित की है। पहचान-पत्र की दूसरी प्रति पर भी वही निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र संख्यांक होगा जो विद्यमान पहचान-पत्र पर है। पहचान-पत्र के सामने की ओर "दूसरी प्रति" शब्द स्टांपित होंगे।

(घ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उपबंधों के अधीन राज्य क्षेत्रीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेश और नियंत्रण के अधीन तैयार की जाती हैं। इन उपबंधों के अनुसार, केवल भारतीय नागरिक की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पात्र हैं। तथापि, विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा मिथ्या सूचना प्रस्तुत करके निर्वाचक नामावलियों में नाम दर्ज कराने की कुछ घटनाएं हुई हैं। आयोग ने यह सूचना दी है कि मतदाता सूचियों में बांग्लादेशियों, पाकिस्तानियों और नेपालियों जैसे विदेशी राष्ट्रिकों को सम्मिलित किए जाने के विनिर्दिष्ट ब्यौरे उसके पास उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश राज्यों और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रों में ऐसे कुछ मामले हुए थे, जिनमें बांग्लादेशी राष्ट्रिकों ने मिथ्या सूचना प्रस्तुत करके निर्वाचक नामावलियों में अपना नाम दर्ज करा लिया था।

(ङ) निर्वाचक नामावलियों में बांग्लादेशी राष्ट्रिकों को सम्मिलित किए जाने के मामलों के ब्यौरे विवरण-II के रूप में संलग्न हैं।

(च) जब कभी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों को इस प्रकार गलत तरीके से नाम सम्मिलित कराए जाने के मामलों की सूचना मिलती है तो वे निर्वाचक नामावलियों से नामों को हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई करते हैं।

विवरण I

भारत निर्वाचन आयोग

मतदाता फोटो पहचान-पत्रों की प्रगति पर प्रास्थिति रिपोर्ट

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल निर्वाचक	निर्वाचक, जिन्हें त्रुटिविहीन पहचान-पत्र जारी किए गए	प्रतिशत (4, 3 का कितना प्रतिशत है)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	54,936,102	32,549,914	59.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	663,066	288,040	43.44
3.	असम	14,426,221	67,479	0.47
4.	बिहार	45,453,577	17,092,234	37.60
5.	छत्तीसगढ़	13,333,596	9,620,499	72.15
6.	गोवा	936,085	559,634	59.78
7.	गुजरात	33,238,195	22,213,432	66.83
8.	हरियाणा	12,247,273	10,713,212	87.47
9.	हिमाचल प्रदेश	4,069,878	2731903	67.12
10.	जम्मू-कश्मीर	6,163,274	2,251,824	36.54
11.	झारखंड	16,233,841	7,385,389	45.49
12.	कर्नाटक	37,231,412	33,388,007	89.68
13.	केरल	21,548,000	20,519,000	95.22
14.	मध्य प्रदेश	35,347,783	21,855,970	61.83
15.	महाराष्ट्र	61,468,890	44,455,999	72.32
16.	मणिपुर	1,503,402	1033733	68.76
17.	मेघालय	1,280,766	1,033,575	80.70
18.	मिजोरम	505,587	378,768	74.92
19.	नागालैंड	1,012,541	697,609	68.90
20.	उड़ीसा	25,567,097	19,987,030	78.17
21.	पंजाब	16,394,079	8,366,305	51.03
22.	राजस्थान	33,788,459	26,311,914	77.87
23.	सिक्किम	266,168	132,242	49.68

1	2	3	4	5
24.	तमिलनाडु	49,327,491	31,662,414	64.19
25.	त्रिपुरा	1,930,718	1,495,315	77.45
26.	उत्तरांचल	5,568,898	3,203,225	57.52
27.	उत्तर प्रदेश	99,685,000	62,830,538	63.03
28.	पश्चिमी बंगाल	46.462,519	38,946,215	83.82
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	230,555	126,216	54.74
30.	चंडीगढ़	503,930	278,499	55.27
31.	दादरा और नागर हवेली	118,964	58,618	49.27
32.	दमन और दीव	77,146	45,645	59.17
33.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र	8,256,176	5,699,482	69.03
34	लक्षद्वीप	37,888	23,588	62.26
35.	पांडिचेरी	614,823	611,479	99.46
	संपूर्ण भारत का योग	650,429,400	428,614,946	65.90

विवरण II

(क) असम

राज्य के 126 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में संदेहास्पद राष्ट्रिकता के 2,00,930 मामलों की पहचान की गई थी और उन्हें सक्षम प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया गया था। अब तक, इनमें से 2749 मामलों में नागरिकता प्रास्थिति की सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई है और इसे स्वीकार किया गया है, 502 मामलों को अवैध प्रवासियों के रूप में घोषित किया गया है और 1,97,679 मामले सक्षम प्राधिकारी के पास लंबित हैं।

(ख) महाराष्ट्र

मुंबई पुलिस की सी.आई.डी. शाखा ने मुंबई उपनगर के जिला निर्वाचन अधिकारी को यह रिपोर्ट दी थी कि मुंबई उपनगर जिले के 39-अंबोली और 49-कुर्ला विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में (क्रमश: पांच और एक) छ: बांग्लादेशी राष्ट्रिक सम्मिलित किए गए हैं। उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर उनकी नागरिकता की प्रास्थिति के संबंध में जांच-पड़ताल करने के लिए निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 21 के अधीन कार्रवाई आरंभ की है। यदि जांच के पश्चात् वे बांग्लादेशी राष्ट्रिक साबित होते हैं तो उनके नाम नामावलियों से हटा दिए जाएंगे।

रायगढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह रिपोर्ट दी है कि श्री पटवारे गुलाब मुस्तफा फजमुद्दीन नाम के एक निर्वाचक को 1995 से 13-श्रीवर्धन विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किया गया है। पुलिस ने जून, 2001 में 9 बांग्लादेशी राष्ट्रिकों के विरुद्ध भारत में अप्राधिकृत रूप से रहने के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीवर्धन के न्यायालय में मामला दर्ज किया है। इनमें से केवल एक बांग्लादेशी राष्ट्रिक, अर्थात् उपरिवर्णित श्री पटवारे गुलाब मुस्तफा फजमुद्दीन का नाम ही 13-श्रीवर्धन विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की नामावली में प्रविष्ट हुआ पाया गया है। माननीय न्यायालय ने पटवारे गुलाब मुस्तफा फजमुद्दीन के सिवाय आठ बांग्लादेशियों को सीमा सुरक्षा बल, कलकत्ता को सौंपने का आदेश दिया है। तद्नुसार, पुलिस ने 17 दिसंबर, 2001 को आठ बांग्लादेशियों को उन्हें सौंप दिया था। माननीय न्यायालय ने पटवारे गुलाब मुस्तफा फजमुद्दीन को जमानत पर छोड़ दिया है और मामला विचारण के लिए लंबित है।

(ग) उड़ीसा

जांच के पश्चात्, 370 बांग्लादेशियों के नाम वर्ष 2002 की निर्वाचक नामावली में पाए गए थे और उन्हें हटा दिया गया है।

इसी प्रकार, 2003 की निर्वाचक नामावलियों में 197 बांग्लादेशियों के नाम पाए गए थे, जिनके नामों को हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त, 135-सुंदरगढ़ विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की 2003 की निर्वाचक नामावलियों में दो बांग्लादेशियों के नामों की पहचान की गई है, जिन्हें माननीय उड़ीसा न्यायालय में मामला निर्णयाधीन होने के कारण हटाया नहीं गया है।

(घ) उत्तर प्रदेश

फैजाबाद, रायबरेली और झांसी के जिला निर्वाचन अधिकारियों ने यह रिपोर्ट दी है कि 2002 की उनकी निर्वाचक नामावलियों में एक-एक बांग्लादेशी राष्ट्रिक नामांकित थे। 2002 की नामावलियों से इन नामों को हटा दिया गया है।

(ङ) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र

निर्वाचक नामावलियों में बांग्लादेशियों के कुछ नाम विद्यमान पाए गए हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की सरकार के निर्वाचक विभाग को, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से बांग्लादेशियों के नामों को (यदि विद्यमान हों) हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु इसके गृह विभाग से बांग्लादेशी प्रवासियों की सूची प्राप्त हुई है। बांग्लादेशी प्रवासियों की सूचियां निर्वाचक नामावलियों से उनके नामों को हटाने हेतु आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को भेज दी गई थी। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उन्होंने अब तक नामावलियों में पाए जाने वाले 75 ऐसे नामों को हटा दिया है। यह, अर्थात् बांग्लादेशी प्रवासियों की सूचियों की प्राप्ति और उनके विरुद्ध जांच करना/उनके नामों को हटाया जाना, अब तक नियमित प्रक्रिया बन गई है।

बीएसई-500 सूची से हटायी गई कंपनियां

2628. **श्री रामजीवन सिंह:** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 94 फर्मों के शेयरों में निवेश करने वाले हजारों निवेशक बीएसई-500 शेयरों पर उपलब्ध पूंजीगत लाभ कर लाभ से वंचित होने वाले हैं क्योंकि इन कंपनियों को बीएसई-500 सूची से हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कंपनियों को बीएसई-500 सूची से हटाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार इन निवेशकों के हितों की रक्षा कैसे करती है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क), (ख) और (घ) उन कंपनियों के शेयरों को दीर्घावधि पूंजी लाभ कर से छूट उपलब्ध है जो दिनांक 1 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार बीएसई-500 सूची की घटक थीं। पहली मार्च, 2003 के बाद बीएसई-500 सूची में कोई परिवर्तन आयकर अधिनियम के अंतर्गत ऐसे शेयरों को प्रदत्त छूट को प्रभावित नहीं करेगा।

(ग) दिनांक 13 अप्रैल, 2003 को बीएसई-500 सूची से 93 कंपनियों को हटाना मुंबई स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) की विभिन्न सूचियों के आवधिक पुनरीक्षण का हिस्सा था। ये परिवर्तन सूची समिति द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं। दिनांक 26 मई, 2003 को इन परिवर्तनों के प्रभावी होने से पहले बाजार को 'छः सप्ताह' का नोटिस देते हुए 14 अप्रैल, 2003 को इन परिवर्तनों की घोषणा की गई थी। मुम्बई स्टाक एक्सचेंज द्वारा उक्त घोषणा वित्त अधिनियम, 2003 के अधिनियमन से पूर्व की गई थी।

आवश्यक वस्तुओं का तुलनात्मक मूल्य

2629. **श्री राम मोहन गाड्डे:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्य के बीच अधिकतम अनुमेय अंतर के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों विशेषकर खुदरा मूल्यों की निगरानी करने का कोई तंत्र है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (घ) जी,

नहीं। थोक और खुदरा मूल्य मुख्य रूप से बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। सरकार द्वारा थोक और खुदरा मूल्य के बीच अधिकतम अनुमेय अंतर के लिए कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, जो आवश्यक वस्तुएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित की जाती हैं उनके मामले में निर्गम मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

(ङ) से (छ) जन-साधारण के उपयोग की 12 आवश्यक वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्यों की केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न उच्चाधिकार प्राप्त समितियों के माध्यम से नियमित रूप से निगरानी की जाती है। 12 चयनित आवश्यक वस्तुओं (चावल, गेहूं, चने की दाल, तूर/अरहर, चीनी, चायपत्ती, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति, आलू, प्याज तथा नमक) के दैनिक खुदरा मूल्य तथा साप्ताहिक थोक मूल्यों की निगरानी उपभोक्ता मामले विभाग के मूल्य निगरानी कक्ष द्वारा की जा रही है। दो नई मदों अर्थात् आटा तथा दूध को भी 1.7.2003 से मूल्य निगरानी के लिए शामिल कर लिया गया है। राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों के जरिए 18 राज्यों की राजधानियों तथा कुछ प्रमुख उत्पादन केंद्रों से एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर, देश के विभिन्न भागों में आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों पर बारीकी से नजर रखी जाती है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए उनके द्वारा समय-समय पर समुचित कार्रवाई की जाती है।

तम्बाकू क्षेत्र में नीलामी प्रस्तावों को समाप्त करना

2630. **श्री बी. वेंकटेस्वरलु:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तम्बाकू उत्पादक नीलामी प्रणाली को समाप्त करने और व्यापारियों को किसानों से सीधे तम्बाकू खरीदने की अनुमति दिए जाने की मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कंपनियों पर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की बकाया राशि

2631. **श्रीमती प्रभाव राव:**
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने कुछ कंपनियों के प्रबंधन का अधिग्रहण कर अपनी बकाया राशि की वसूली करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कंपनी पर कितनी बकाया धनराशि है;

(ग) भारतीय औद्योगिकी वित्त निगम ने किन-किन कंपनियों का अधिग्रहण किया है;

(घ) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने किसी कंपनी की आस्तियों की बिक्री की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितनी धनराशि वसूल की गई है; और

(च) भारतीय औद्योगिकी वित्त निगम द्वारा शेष कंपनियों से बकाया राशि की वसूली किस तरह से किए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) आईएफसीआई लि. ने सूचित किया है कि बंधक आस्तियों के अधिग्रहण से इतर उसने किसी समर्थित कंपनी के प्रबंधन को अपने हाथ में नहीं लिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) आईएफसीआई ने सूचित किया है कि अन्य कंपनियों से देय राशियों की वसूली सामान्य अनुवर्ती कार्रवाई, समझौता निपटानों, ऋण के पुनर्गठन या पुनर्निर्धारण के माध्यम से डीआरटी/न्यायालयों आदि के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर की जाती है। वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अंतर्गत आईएफसीआई पुरानी आस्तियों के मामलों से अपनी देयराशियों की वसूली के लिए भी कार्रवाई करती है।

गेहूं का निर्यात

2632. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गेहूं निर्यातकों को फ्रांस और चीन से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) घरेलू उत्पादकों और निर्यातकों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) निर्यात प्रतिस्पर्धा मांग, मूल्य निर्धारण, गुणवत्ता आदि कई घटकों पर निर्भर करती है, जो समय-समय पर भिन्न-भिन्न होते हैं।

सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए विनिर्दिष्टियों के अनुरूप गेहूं की भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा वसूली करने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है।

केंद्रीय पूल में अधिशेष स्टाक को ध्यान में रखते हुए निर्यात के लिए गेहूं की पेशकश की जाती है। सरकार द्वारा किए गए कुछ संवर्द्धनात्मक उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) प्रक्रिया संबंधी प्रतिबंधों को उदार बनाया गया है।

(2) निर्यात संबंधी शक्ति प्राप्त स्थाई समिति शीघ्र निर्णय लेती है।

(3) स्थिर मूल्य व्यवस्था की पेशकश करने के लिए सरकार 3 माह की अवधि के लिए केंद्रीय पूल से गेहूं के निर्यात के पेशकश मूल्य निर्धारित करती है और स्टाक का उठान करने के लिए एक अतिरिक्त माह प्रदान करती है और संबंधित तिमाही की शुरूआत से 45 दिन पहले मूल्यों की घोषणा करती है।

(4) निर्यातकों को विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के अनुरूप सुपुर्दगी उपरांत और संबंधित खर्चों की अनुमति दी जाती है।

सी.सी.आई. द्वारा कपास की खरीद

2633. श्री विक्रम केशरी देव: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में विशेषकर कालाहांडी और नौपाड़ा जिलों में कपास उत्पादकों की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को इन जिलों में कपास के विशाल भण्डार की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने भारतीय कपास निगम द्वारा इन जिलों से कपास की खरीद हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) सरकार को उड़ीसा सहित देश में कपास उपजकर्त्ताओं की सामान्य समस्याओं की जानकारी है। कपास उपजकर्त्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) की घोषणा करती है तथा जब कभी कपास (कपास बीज) का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य तक पहुंच जाता है तो भारतीय कपास निगम लि. (सी सी आई) समर्थन मूल्य अभियान चलाता है। चालू कपास मौसम 2002-03 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान उड़ीसा तथा देश के अन्य भागों में कपास के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक चल रहे हैं।

(ख) प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, उड़ीसा के कालाहांडी व नौपाड़ा जिलों में कपास का बिना बिका हुआ कोई स्टाक नहीं है।

(ग) सी सी आई ने उड़ीसा में वर्तमान कपास मौसम 2002-03 के दौरान लिंट कपास की 5,595 गांठों के बराबर (170 किग्रा प्रत्येक का) कपास की खरीद की है। सी सी आई के अतिरिक्त, निजी गिनर्स/व्यापारियों ने भी उड़ीसा में कपास उपजकर्त्ताओं से कपास की खरीद की है।

मुकर जाने वाले गवाह

2634. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत मामलों के ढेर लगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन छोटे अपराधों, जिनके लिए हल्की सजा का प्रावधान है उनके संबंध में मुकदमा शुरू होने से पहले आरोपी द्वारा दोष स्वीकार करने पर 'प्ली बारगेन' सुविधा शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो मुख्य गवाहों के मुकर जाने की बढ़ती घटनाओं, जिनके कारण बड़े लोगों से जुड़े मामलों में दोषियों को दोषमुक्त किया गया, उनसे निपटने के लिए किन उपायों पर विचार किया गया है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) जी, हां। यह सत्य है कि विद्यमान दांडिक न्याय प्रणाली के अधीन भारी संख्या में मामले लंबित हैं।

(ख) और (ग) भारत के विधि आयोग ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 पर अपनी 154वीं रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्ली बारगेनिंग की संकल्पना को आरंभ करने की सिफारिश की है। विधि आयोग ने अपनी 178वीं रिपोर्ट में, अन्य बातों के

साथ-साथ, अभिसाक्षियों के पक्षद्रोही हो जाने की बुराई को रोकने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में एक नई धारा 164अ के अंत:स्थापन की सिफारिश की है।

दांडिक न्यायिक प्रणाली सुधार समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में प्ली बारगेनिंग की संकल्पना को आरंभ करने की विधि आयोग की सिफारिश का समर्थन किया है।

चूंकि, दंड विधि और दंड प्रक्रिया भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के समवर्ती सूची में हैं। अत:, विधि आयोग की रिपोर्ट को राज्य सरकारों को, उनके विचारों/टीका-टिप्पणियों के लिए निर्दिष्ट कर दिया गया है। सिफारिशों को लागू किया जाना, राज्य सरकारों से उनकी टीका-टिप्पणियों की प्राप्ति और एक संशोधन विधेयक पुर:स्थापित और पारित किए जाने के अध्यधीन हैं, जिसके लिए कोई समय सीमा नियत नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

बी.आई.एफ.आर. के अंतर्गत जूट मिलें

2635. **श्री रामदास आठवले:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार उन जूट मिलों की संख्या और ब्यौरा क्या है जिन्हें पुनर्वास और पुनरुद्धार हेतु औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को सौंपा गया है; और

(ख) ऐसी मिलों की संख्या और ब्यौरा क्या है और जो बंद कर दी गई हैं और पुनरुद्धार हेतु सौंपी गई हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) के प्रारम्भ से ही, 53 पटसन मिलों के मामले 30.6.2003 तक उनके पुनरुद्धार और पुनर्वासन के लिए उनके पास भेजे गए हैं। 9 मामलों के संबंध में पुनरुद्धार योजनाएं बी आई एफ आर/औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर) द्वारा स्वीकृत की गई थीं जबकि 6 कंपनियों को पुनरुद्धार/पुनर्वासन योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के पश्चात् अब रुग्ण घोषित नहीं किया गया था। बी आई एफ आर ने 12 रुग्ण पटसन कंपनियों को बन्द किये जाने के लिए उनके मामलों की सिफारिश की। बी आई एफ आर को भेजी गई पटसन मिलों का ब्यौरा और उसकी स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

बी आई एफ आर को भेजे गए पटसन मिलों के मामलों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	मामला सं.	कंपनी	पीठ	कामगार	निबल पूंजी	संचित घाटा	परिचालन एजेंसी	आदेश की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
धारा 18(4) के अंतर्गत मंजूर पुनरुद्धार योजना								
1.	36/1987	बज बज	II	3524	226.24	655.22	आईएफसीआई	10/02/1997
2.	80/1987	न्यू सैंट्रल जूट मिल्स	II	10611	316.62	2281.71	आईआरबीआई	31/10/1995
	117/1987	एंग्लो इण्डिया जूट मिल्स	I	5969	251.69	525.89	आईएफसीआई	04/02/1994
4.	190/1987	हावड़ा मिल्स	II	4438	107.43	1424.35	आईएफसीआई	31/07/1987
5.	106/1994	कनहट्टी कंपनी लि.	III	4707	81.20	761.22	आईआरबीआई	03/03/1999
6.	13/1995	कलेढोनियन जूट एंड इण्डस्ट्रीज लि.	III	3304	53.00	333.00	आईआरबीआई	07/04/2003
7.	38/1995	विजयश्री लि.	III	4201	5.00	317.00	एसबीआई	30/06/2000
8.	86/1996	भिवानीवाला जूट फाईबर्स प्रा.लि.	III	210	59.00	230.00	आईडीबीआई	30/07/1998

1	2	3	4	5	6	7	8	9
न चलाये जाने योग्य के रूप में खारिज								
1.	96/1987	डलहौजी जूट	I	—	.00	.00	लागू नहीं	22/03/1988
2.	148/1988	विक्टोरिया जूट कं. लि.	III	—	.00	.00	लागू नहीं	09/02/1989
3.	150/1988	सामनुग्गर जूट कं. लि.	III	—	.00	.00	लागू नहीं	08/02/1989
4.	154/1988	टीटागढ़ जूट फै. लि.	I	—	.00	.00	लागू नहीं	10/02/1989
5.	35/1989	जुग्गीलाल कमलापत जूट मिल्स	IV	—	.00	.00	लागू नहीं	10/01/1990
6.	53/1989	विनसम इंटरनेशनल लि.	IV	—	.00	.00	लागू नहीं	18/09/1989
7.	616/1992	त्रिपुरा जूट मिल्स लि.	I	1327	326.00	810.00	लागू नहीं	08/06/1993
8.	97/1995	भिवानीवाला जूट फाईबर प्रा.लि.	IV	220	59.00	174.00	लागू नहीं	12/03/1996
9.	62/2000	द इम्पायर जूट कं. लि.	II	1979	69.00	969.00	लागू नहीं	09/08/2000
10.	89/2000	हिरियुर टैक्सटाइल लि.	II	127	210.00	326.81	लागू नहीं	21/11/2001
11.	96/2000	टावल्स इण्डिया एक्सपोर्ट लि.	III	237	929.16	1289.24	लागू नहीं	20/07/2000
12.	137/2000	सुन्दरम स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि.	III	698	118.37	451.74	लागू नहीं	30/12/2000
13.	143/2000	वाइगई थ्रैड प्रौसेसर्स लि.	II	272	10.10	322.08	लागू नहीं	20/09/2002
परिचालित प्रारूप योजनाएं								
1.	42/1991	आंध्र प्रदेश फाईबर लि.	II	357	81.21	85.32	आईआरबीआई	19/08/2002
धारा 22(1) के तहत बंद करने के लिए की गई सिफारिश								
1.	107/1987	फोर्ट विलियम कं.	II	4870	74.34	1208.49	आईसीआईसीआई	01/09/2002
2.	151/1987	शालीमार रोप	IV	130	41.41	401.89	लागू नहीं	15/12/1989
3.	154/1987	अगस कं. लि.	I	4643	182.54	1637.03	आईएफसीआई	28/05/1990
4.	220/1987	केल्विन जूट कं. लि.	III	3060	176.93	1157.32	आईआरबीआई	09/11/1995
5.	30/1988	कनकारा कं. लि.	I	3703	76.49	1129.48	आईएफसीआई	13/11/2002
6.	189/1988	गोरपुर कं.	IIIKK	4937	122.50	1815.25	आईएफसीआई	12/09/1991
7.	293/1988	कोणार्क जूट लि.	I	2303	273.90	784.90	आईसीआईसीआई	07/09/2001
8.	297/1988	नूदिया मिल्स	II	4315	570.48	1305.13	आईसीआईसीआई	05/02/1990
9.	41/1989	श्री गौरी शंकर जूट मिल्स	III	2040	55.00	710.00	एसबीआई	24/04/2003
10.	40/1992	गोपाल जूट इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.	III	89	43.20	155.44	बीओबी	10/06/1994

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	5/1995	अगरपारा जूट मिल्स लि.	III	3665	1.00	690.00	आईआरबीआई	01/01/2000
12.	393/1999	द इण्डिया जूट एंड इण्डस्ट्रीज लि.	II	1577	296.97	463.85	आईएफसीआई	01/11/2002
जारी किए गए बंद करने संबंधी नोटिस								
1	11/1987	कनोरिया जूट	III	3831	131.00	472.00	आईएफसीआई	26/06/2001
2	258/1988	नेलीनरला जूट	III	4174	77.64	293.16	आईएफसीआई	13/06/2002
	506/1993	नैशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स एसो.	II	27364	5200.00	54355.00	आईआरबीआई	23/02/2001
4.	77/2000	सुमंगल स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि.	I	213	144.96	257.96	आईडीबीआई	01/04/2003
5.	88/2000	भारत कामर्स एंड इण्डस्ट्रीज लि.	III	6320	1136.56	1823.61	आईडीबीआई	10/03/2003
जांच के अधीन								
1	124/2000	नोरिट इण्डस्ट्री लि.	III	64	65.00	162.10	बीओबी	—
बन्द हुए और फिर खोले गए								
1	149/1994	जुगी लाल कमलापत जूट मिल्स कं. लि.	I	2438	104.00	968.00	आईएफसीआई	01/11/2000
ए ए आई एफ आर द्वारा रिमांड की गई								
	91/2000	देवी स्पिनिंग मिल्स लि.	III	199	51.00	336.29	आईडीबीआई	24/10/2000
न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश								
	276/1987	श्री हनुमान जूट	III	—	23.98	338.23	आईएफसीआई	13/04/1993
2.	189/1988	मेघना मिल्स	III	—	.00	759.00	लागू नहीं	14/07/1990
	39/1990	गणेश मै. कं.	II	5725	90.32	1795.89	आईआरबीआई	09/05/1998
ए ए आई एफ आर द्वारा स्वीकृत योजना								
1	135/1988	डेल्टा जूट	I	—	121.82	1335.85	आईसीआईसीआई	31/05/1992
अब ऋण घोषित नहीं								
1	75/1987	नैहाटी जूट	I	3885	47.49	718.20	आईआरबीआई	20/06/2002
2.	112/1987	इण्डिया जूट एंड इंडस्ट्रीज	III	6985	143.72	366.00	आईएफसीआई	30/11/1996
	240/1988	प्रवर्तक जूट मिल्स	III	2084	41.79	128.91	आईआरबीआई	28/07/1999
4	42/1989	श्री बजरंग जूट मिल्स	III	1929	29.00	237.27	आईडीबीआई	18/04/2002
5	109/1989	डलहौजी जूट	I	3805	138.42	465.39	आईआरबीआई	26/03/1996
6	142/1989	नफर चन्द्र जूट मिल्स	III	2479	50.00	241.12	आईएफसीआई	13/03/1996
ए ए आई एफ आर द्वारा रोक दिया गया								
1	127/1987	कलकत्ता जूट मै.	II	916	39.60	354.37	आईआरबीआई	30/01/2001

[अनुवाद]

प्लास्टिक के थैलों में गेहूं के सुरक्षित रहने की अवधि

2636. डा. मन्दा जगन्नाथः क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्लास्टिक के थैलों में गेहूं, चावल और चीनी के भंडारण की संभाव्यता का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्लास्टिक के थैलों में पैक किए गए गेहूं, चावल और चीनी की सुरक्षित रहने की अवधि क्या है; और

(घ) यह भंडारण संबंधी क्षतियों को किस सीमा तक बचाती है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान, हापुड़ ने खाद्यान्नों के भंडारण के लिए पी.पी./एच.डी.पी.ई. की बोरियों की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए एक अल्पकालिक अध्ययन किया है। यह पाया गया है कि पी.पी./एच.डी.पी.ई. की एंटी स्लिप बोरियां खाद्यान्नों के भंडारण के लिए उपयुक्त हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने स्वास्थ्य और सुरक्षा पहलुओं को हिसाब में लेने के बाद चीनी की पैकिंग के लिए पी.पी./एच.डी.पी.ई. की बोरियों के मानक विहित किए हैं।

(ग) और (घ) अब तक ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, यह निर्णय लिया गया है कि इस पहलू पर दीर्घकालिक अध्ययन करने का कार्य भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान को सौंपा जाए।

नकदी प्रबंधन प्रणाली

2637. डा. एन. वेंकटस्वामी:
श्री वाई.वी. रावः

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अत्यधिक व्यय करने वाले कुछ मंत्रालयों में प्रायोगिक आधार पर नकदी प्रबंधन प्रणाली आरम्भ करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नकदी प्रबंधन प्रणाली को आरम्भ करने के लिए किन मंत्रालयों की पहचान की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) सरकार ने अप्रैल, 2003 से प्रायोगिक आधार पर नौ विभागों, अर्थात्, (i) कृषि एवं सहकारिता, (ii) उर्वरक, (iii) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, (iv) स्वास्थ्य, (v) परिवार कल्याण, (vi) प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता, (vii) माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, (viii) महिला एवं बाल विकास, तथा (ix) ग्रामीण विकास विभाग में नकदी प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, जिसके अंतर्गत विभागों की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर व्यय की उच्चतम सीमाएं त्रैमासिक आधार पर निर्धारित की जाती हैं। इससे प्राप्तियों एवं व्यय के बीच अंतर में कमी आएगी तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में हड़बड़ी से किए जाने वाले तथा संसाधनों के संबद्ध संभावित अपव्यय से बचा जा सकेगा।

एन.टी.सी. को ऋण

2638. श्री बसुदेव आचार्यः क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.टी.सी. और इसकी सहायक कंपनियों के कामगारों को देय बकाया धनराशि के मद्देनजर वस्त्र मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से 200 करोड़ रुपए का ब्रिज ऋण देने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) महोदय, अपनी सांविधिक देयताओं को निपटाने में एन.टी.सी. को सक्षम बनाने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 200/- करोड़ रुपए की बजटीय सहायता की मांग की थी।

(ग) एन.टी.सी. को श्रेणी (ग) के तहत वर्गीकृत किया गया है अर्थात् एन.टी.सी. वह सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम है, जो अपनी अ-प्रयुक्त (नान-परफार्मिंग) परिसम्पत्तियों के निपटान से अपनी सांविधिक देनदारियों को चुका पाने में सक्षम होगा। वस्त्र मंत्रालय को सलाह दी गई है कि वह तदनुसार इस मामले पर कार्रवाई करे।

अ.जा./अ.ज.जा./किसानों/महिलाओं को बैंक ऋण

2639. श्री रतन लाल कटारिया: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न बैंकों को किसानों को 18 प्रतिशत, अ.जा./अ.ज.जा. को 8 प्रतिशत और महिलाओं को 5 प्रतिशत ऋण प्रदान करने हेतु कोई दिशानिर्देश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इन क्षेत्रों को कितना ऋण प्रदान किया गया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान अनुदेशों और मार्गनिर्देशों के अनुसार घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कृषि को अपने निवल बैंक ऋण का 18 प्रतिशत उधार दें। अ.जा./अ.ज.जा. उधारकर्त्ताओं को उधार देने के लिए अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, कमजोर वर्गों को उधार देने के लिए निवल बैंक ऋण के 10 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को भी शामिल किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा है कि वे 31 मार्च, 2004 तक महिलाओं को उधार देने के लिए निवल बैंक ऋण के 5 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करें।

(ख) पिछले तीन वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि, कमजोर वर्ग तथा महिलाओं को प्रदान किए गए ऋणों की राशि निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

क्षेत्र		मार्च 2001	मार्च 2002	मार्च 2003
कृषि को अग्रिम	बकाया राशि	53685	63083	73507
	निवल बैंक ऋण की तुलना में %	15.7	15.8	15.3
कमजोर वर्गों को अग्रिम	बकाया राशि	24805	28975	32304
	निवल बैंक ऋण की तुलना में %	7.28	7.3	6.76
महिलाओं को अग्रिम	बकाया राशि	–	13309	18428
	निवल बैंक ऋण की तुलना में %	–	3.25	3.9

व्यापार समझौते

2640. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न देशों के साथ वर्ष 2002-03 के दौरान और चालू वर्ष में आज तक विभिन्न मदों विशेषकर खाद्य मदों, मसालों और नकदी फसलों के द्विपक्षीय व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से हस्ताक्षरित व्यापार समझौता/समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप इन मदों का निर्यात बढ़ा है;

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) वर्ष 2002-03 के दौरान और चालू वर्ष आज तक खाद्य मदों, मसालों एवं नकद फसलों समेत विभिन्न मदों के निर्यात एवं द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की दृष्टि से विभिन्न देशों के साथ केन्द्र सरकार द्वारा हस्ताक्षरित व्यापार करारों/समझौता ज्ञापनों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) से (घ) ये करार/समझौता ज्ञापन इतनी अल्पावधि के लिए प्रचालन में हैं कि विभिन्न मदों के निर्यातों पर इनके प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तथापि, यह उल्लेख किया जाता है कि विगत में विभिन्न देशों के साथ जो करार किए गए हैं उनसे संविदाकारी पक्षकारों के बीच होने वाले व्यापार में आने वाली बाधाएं कम होंगी और इससे व्यापार को गति मिलेगी।

विवरण

विभिन्न मदों के निर्यात एवं द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की दृष्टि से वर्ष 2002-03 के दौरान तथा चालू वर्ष में आज तक विभिन्न देशों के साथ केन्द्र सरकार द्वारा हस्ताक्षरित व्यापार करार/समझौता ज्ञापनों की सूची

(1) 18 अप्रैल, 2002 को स्वाजीलैंड के साथ हस्ताक्षरित द्विपक्षीय व्यापार करार।

(2) 23 अप्रैल, 2002 को बोसनिया एवं हर्जेगोविना के साथ हस्ताक्षरित व्यापार करार।

(3) 6 नवम्बर, 2002 को कम्बोडिया की शाही सरकार के साथ हस्ताक्षरित व्यापार करार।

(4) 6 मार्च, 2003 को अफगानिस्तान की सरकार के साथ हस्ताक्षरित भारत-अफगानिस्तान अधिमानी व्यापार करार।

(5) 21 अप्रैल, 2003 को जाम्बिया के साथ हस्ताक्षरित द्विपक्षीय व्यापार करार।

(6) 16 जून, 2003 को मरकोसुर (ब्राजील, अर्जन्टीना, पराग्वे और उरूग्वे का एक व्यापार समूह) के साथ हस्ताक्षरित एक ढांचागत करार।

(7) 22-27 जून, 2003 के दौरान प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान चीन जनवादी गणराज्य के साथ हस्ताक्षरित व्यापार संबंधी करार।

- सीमा व्यापार का विस्तार करने संबंधी एक ज्ञापन।
- चीन को भारत से किए जाने वाले आमों के निर्यात के लिए अपेक्षित फाइटोसैनिटरी अपेक्षाओं का एक प्रोटोकाल।
- व्यापार संबंधी निम्नलिखित तत्वों के साथ-साथ संबंधों एवं व्यापक सहयोग के सिद्धांतों संबंधी एक घोषणा:-
  - संयुक्त आर्थिक दल की मंत्रिस्तरीय बैठक का महत्व।
  - व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने में दो देशों के बीच संपूरकर्त्ताओं की संभावना की जांच करने के लिए आधिकारियों एवं अर्थशास्त्रियों के एक विशिष्ट संयुक्त अध्ययन दल की स्थापना करना।

(8) 14 जुलाई, 2002 को म्यांमार की केन्द्र सरकार के साथ हस्ताक्षरित संयुक्त व्यापार समिति के गठन संबंधी एक समझौता ज्ञापन।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में शेयरधारिता

2641. श्री वाई.वी. राव: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी को कम करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपने सार्वजनिक स्वरूप को प्रभावित किए बिना बाजार से पूंजी जुटाने में समर्थ बनाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में न्यूनतम निर्धारित सरकारी शेयरधारिता के निर्धारण को संशोधित कर 51 प्रतिशत से 33 प्रतिशत करने के उद्देश्य से बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं 1980 को संशोधित करने का प्रस्ताव है। तदनुसार, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) और वित्तीय संस्थान संशोधन विधेयक, 2000 दिसम्बर, 2000 में लोक सभा में पेश किया गया था जिसे स्थायी वित्त समिति को भेजा गया है।

कर्नाटक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2642. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों की प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण देने की उपलब्धि क्या रही है; और

(ग) कितने किसानों को ऋण दिए गए हैं और वसूली की प्रवृत्ति क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) कर्नाटक में तेरह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर आर बी) कार्यरत हैं।

(ख) वर्ष 2000-01, 2001-02 एवं 2002-03 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कर्नाटक को संवितरित ऋण क्रमश: 894.15 करोड़ रुपए, 963.86 करोड़ रुपए एवं 1095.65 करोड़ रुपए थे।

(ग) वर्ष 2000-01, 2001-02 एवं 2002-03 के दौरान जिन किसानों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ऋण दिए गए थे

उनकी संख्या क्रमशः 341029, 357196 और 370786 थी तथा वर्ष 1999-2000, 2000-01 एवं 2001-02 के लिए इस राज्य में वसूली की प्रतिशतता क्रमशः 77.29, 77.12 एवं 75.99 थी।

यूएस गैप (जी.ए.ए.पी.) लेखा पद्धति

2643. श्री विनय कुमार सोराकेः क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूएस शेयर बाजारों में सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के इम्प्लाई स्टाक आपशन प्लांस के संबंध में यूएस 'गैप लेखा पद्धति' के अंतर्गत प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है;

(ख) 'गैप' वर्तमान भारतीय कारपोरेट लेखा मानदंडों से किस प्रकार भिन्न है;

(ग) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका तथा आईसीआईसीआई बैंक की वित्तीय टैली हाल में गैप पद्धति के द्वारा पूरी तरह से प्रभावित पाई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) अमरीका में सूचीबद्ध कंपनियां, ईएसओपी के लिए यूएस, जीएएपी लेखाकरण के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दो घोषणाओं अर्थात् अंतर्निहित मूल्य प्रणाली या उचित मूल्य प्रणाली में से एक को अपना सकती हैं। वर्तमान में ईएसओपी के लिए लेखाकरण की स्वाभाविक मूल्य प्रणाली का अनुकरण कर रही भारतीय कंपनियों को यदि अमरीका में उचित मूल्य प्रणाली अपनानी पड़े, तो उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सेबी ईएसओपी मार्गनिर्देश, 1999 के अनुसार भारतीय कंपनियों के लिए अंतर्निहित मूल्य प्रणाली अथवा उचित मूल्य प्रणाली अपनाने का विकल्प खुला है।

(ख) भारतीय जीएएपी आर यूएस जीएएपी लेखाकरण सिद्धांतों के बीच अंतर वित्तीय विवरणियों की विषयवस्तु, निवेशों पर न जुटाए लगाए लाभ/हानियां, प्रीमियम का परिशोधन/निवेशों के क्रय पर छूट, संवानिवृत्ति लाभ, क्रेडिट हानियों हेतु संपत्ति भत्ते के पुनर्मूल्यांकन, इत्यादि से संबंधित हैं।

(ग) और (घ) यूएस जीएएपी और भारत जीएएपी के बीच लेखाकरण के आधार में तकनीकी अंतर हैं। अतएव, आईसीआईसीआई बैंक के लिए यूएस जीएएपी और भारतीय जीएएपी के अधीन वित्तीय विवरणियां तुलनीय नहीं हैं।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

2644. श्री ब्रह्मानन्द मंडलः क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत द्वारा वर्ष 1981-1984 और 1991-1993 की अवधि के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कितना ऋण लिया गया है;

(ख) क्या ऋणों का भुगतान कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो कब;

(घ) क्या भारत अब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ऋण दे रहा है; और

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस तरीके से इन ऋणों का उपयोग कर रहा है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से वर्ष 1981-84 के दौरान 3900 मिलियन एसडीआर और वर्ष 1990-94 के दौरान 3559.91 मिलियन एसडीआर की खरीद की थी। ये खरीदें भारत द्वारा ऋण लिए जाने के समतुल्य थीं।

(ख) जी, हां।

(ग) अंतिम वापसी अदायगी जून, 2000 में की गई थी।

(घ) भारत वर्ष 2002 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्तीय आदान-प्रदान कार्यक्रम में शामिल हुआ, जिसका अर्थ यह है कि कोष में भारत द्वारा किए जाने वाले कोटा अंशदान को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अन्य सदस्य देशों को ऋण देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार भारत अब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ऋण दाता सदस्य देश है।

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की ऋण देने की विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत आईएमएफ से ऋण लेने वाले अन्य सदस्य देशों को ऋण देने के लिए भारत के कोटे का प्रयोग कर रहा है।

[अनुवाद]

मारीशस रूट प्रयुक्त करने वाली कंपनियां

2645. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मारीशस रूट प्रयुक्त करने वाली ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं जिनका हाल ही में सेबी द्वारा पता लगाया गया है और जो दोहरे कर से बचने के लिए की गई संधि का फायदा उठाने हेतु सभी मानदंडों का उल्लंघन कर रही थीं; और

(ख) ऐसी कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) सरकार को भारत-मारीशस दोहरा कराधान अपवंचन अभिसमय का लाभ उठाने के लिए मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए मारीशस रूट की कंपनियों के नामों के बारे में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से कोई ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, दिनांक 10.2.2003 को सरकार द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कंपनी का प्रभावी प्रबंधन भारत में स्थित है तो इसके मारीशस में निगमित होने के बावजूद भी इस पर भारत में भारत-मारीशस दोहरा कराधान अपवंचन अभिसमय के अंतर्गत कर लगेगा।

नागालैंड को राजस्व

2646. श्री के.ए. सांगतम: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार को भारत की संचित निधि में से नागालैंड राज्य को विकासात्मक गतिविधियों और प्रशासनिक खर्चों पर व्यय राशि समेत और राजस्व प्रदान करना था जैसाकि केन्द्र सरकार और नागालैंड के लोगों के बीच सहमति हुई थी और जिसका भारत के संविधान के अनुच्छेद 371क के खण्ड (ग) में उल्लेख भी हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) नागालैंड सरकार द्वारा किए गए व्यय को ऋण न मानकर पूरे व्यय को अनुदान के रूप में न देने के क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार वित्त आयोग के अधिनिर्णय के तहत् धनराशि जारी करके, राज्य योजना हेतु केन्द्रीय सहायता जारी करके अपने विकास की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में राज्य को अनुपूरक सहायता प्रदान करती है। राज्य योजना के अधीन केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित गाडगिल फार्मूले के अनुसार 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में जारी की जाती है, जबकि वित्त आयोग के अधीन सहायता गैर-योजना अनुदान के रूप में जारी की जाती है। राज्य सरकार को दी गई सहायता उस राज्य की समेकित निधि में जमा कर दी जाती है। राज्य की वित्तीय स्थिति का प्रबंधन बुनियादी तौर पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकारें, संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा तैयार राज्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए निधियों के समुचित उपयोग हेतु अपनी-अपनी विधायिकाओं के प्रति जवाबदेह होती हैं।

स्वायत्तशासी निकायों को बोनस

2647. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सांविधिक/स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर तदर्थ बोनस देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार और सांविधिक/स्वायत्तशासी संगठनों के कर्मचारियों को गैर-उत्पादकता से जुड़ा (तदर्थ) बोनस प्रदान किए जाने का निर्णय यथोचित समय पर लिया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा बाक्स

2648. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन कर प्राधिकारी भारत की खाद्य सुरक्षा और आजीविका संबंधी चिंताओं का ध्यान रखने के लिए खाद्य सुरक्षा बाक्स बनाए जाने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन प्रणाली में खाद्य सुरक्षा बाक्स की स्थापना के मुद्दे को उठाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) में कृषि के संबंध में चल रही वार्ताओं में कृषि क्षेत्र पर आश्रित अपनी विस्तृत जनसंख्या के भोजन और आजीविका की सुरक्षा का बचाव करने के लिए निरन्तर मांग कर रहा है। जनवरी 2001 में कृषि समिति को प्रस्तुत प्रारंभिक वार्ता प्रस्तावों में भारत ने अन्य बातों के साथ-साथ विकासशील देशों के लिए एक फूड सिक्योरिटी बाक्स के सृजन का प्रस्ताव किया था जिसमें डब्ल्यू टी ओ के कृषि संबंधी करार के तीनों स्तम्भ अर्थात् बाजार पहुंच, घरेलू सहायता और निर्यात प्रतिस्पर्धा शामिल थे। यद्यपि सभी वार्ताकारी प्रस्ताव मेज पर हैं परन्तु डब्ल्यू टी ओ की कृषि संबंधी समिति, विशेष सत्र के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य वचनबद्धताओं के लिए रूपरेखाओं के पहले संशोधित मसौदे में सभी तीनों स्तम्भों से आगे विकासशील देशों के लिए विशेष और विभेदकारी व्यवहार का प्रस्ताव किया गया है, परन्तु सदस्यों द्वारा आगे विचार करने के लिए कुछ तत्वों को छोड़ दिया गया है। इनमें विशेष उत्पादों के रूप में नामित उत्पादों पर मामूली टैरिफ की कमी के जरिए विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास और/अथवा आजीविका सुरक्षा का निराकरण करने तथा आयातों में संभावित अत्यधिक वृद्धियों और अन्तर्राष्ट्रीय उतार-चढ़ाव के विरुद्ध एक नए विशेष रक्षोपाय तंत्र के प्रस्ताव शामिल हैं। घरेलू सहायता के स्तम्भ में भी मसौदा रूपरेखाओं में खाद्य और आजीविका सुरक्षा की चिंताओं का निराकरण करने के लिए घरेलू कृषि को सहकारी सहायता के संबंध में वचनबद्धताओं को कम करने की छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। डब्ल्यू टी ओ के सभी सदस्यों द्वारा सभी तीनों स्तम्भों से आगे कमी करने की वचनबद्धताओं में आकांक्षा के स्तर से कृषि संबंधी वार्ताओं के लिए रूपरेखाओं के विभिन्न प्रस्तावों के मुख्य पहलुओं के साथ-साथ विकासशील देशों के लिए विशेष विभेदकारी व्यवहार की मात्रा और स्वरूप के संबंध में सदस्यों के बीच मतभेद बने हुए हैं।

कृषि संबंधी वार्ताओं के लिए यथाशीघ्र रूपरेखाएं तैयार करने के लिए वार्ताएं चल रही हैं। 14 नवम्बर, 2001 की दोहा मंत्रिस्तरीय घोषणा के अंतर्गत वार्ताएं 1 जनवरी, 2005 तक सम्पन्न की जानी हैं।

भंडारण निगमों की समस्यायें

2649. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय भंडारण निगम के बहुत से गोदाम खाली पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं और इन गोदामों का उपयोग न किए जाने के कारण कितना घाटा हुआ; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) 1.7.2003 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भंडारण निगम के भांडागारों की राज्य-वार भंडारण क्षमता और प्रतिशत उपयोग संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय भंडारण निगम के भांडागारों के आक्यूपेन्सि स्तर में गिरावट होने के प्रमुख कारण सूखे की स्थिति के कारण खाद्यान्नों का कम उत्पादन और वसूली होना, खाद्यान्नों का निर्यात होना और सरकार की विभिन्न योजनाओं के अधीन अधिक उठान होना है।

(घ) केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा अपने भांडागारों में आक्यूपेन्सि स्तर में सुधार करने के लिए उपाय किए गए हैं, जिनमें व्यापार के लिए विपणन और विविधीकरण करना शामिल है। चूंकि पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक होने की आशा है, इसलिए केन्द्रीय भंडारण निगम के भांडागारों के आक्यूपेन्सि स्तर में सुधार होने की आशा है।

विवरण

पहली जुलाई, 2003 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भंडारण निगम की राज्य-वार कुल क्षमता और उपयोग का प्रतिशत

(आंकड़े टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भांडागारों की संख्या	कुल क्षमता	उपयोग का प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	49	1336435	44
असम	5	46307	52
बिहार	12	92179	93
चंडीगढ़	1	14187	83
छत्तीसगढ़	10	259939	89
दिल्ली	11	136343	98
गोवा	2	30400	49
गुजरात	29	493058	55
हरियाणा	27	472708	76
हिमाचल प्रदेश	2	5370	69
झारखण्ड	3	33950	85
कर्नाटक	37	475632	72
केरल	8	103939	58
मध्य प्रदेश	31	690050	85
महाराष्ट्र	48	1230204	68
नागालैण्ड	1	13000	92
उड़ीसा	12	181406	38
पांडिचेरी	1	9915	94
पंजाब	31	850034	67
राजस्थान	28	331162	61
तमिलनाडु	25	658891	46
त्रिपुरा	2	24000	70
उत्तरांचल	7	75490	57
उत्तर प्रदेश	52	1067996	69
पश्चिम बंगाल	40	601765	68

[हिन्दी]

सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध

2650. **श्री चन्द्रकांत खैरे:**
श्री प्रकाश वी. पाटील:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001 में घोषित ऋण नीति में सहकारी बैंकों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र समेत कुछ राज्य सरकारों ने इन प्रतिबंधों को समाप्त कराने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ताकि सहकारी बैंक समुचित तरीके से कार्य कर सकें; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2001-02 के लिए घोषित ऋण एवं मौद्रिक नीति के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों (यू सी बी) पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। तदनुसार, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए अक्तूबर, 2002 के प्रभावी रूप से केवल सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों में 24 प्रतिशत सांविधिक चलनिधि अनुपात (एस एल आर) धारित राशि के निर्धारित स्तर को बनाए रखना आवश्यक था। पुन:, शहरी बैंकों को व्यक्तियों को कुछ पैरामीटरों के अध्यधीन शेयरों की प्रतिभूति के बदले ऋण मंजूर करने की भी अनुमति दी गई थी। इसके अतिरिक्त, शहरी सहकारी बैंकों को व्यक्तियों अथवा अन्य किसी सत्ता को शेयरों की प्रतिभूति के बदले प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्ष रूप में ऋण के नए प्रस्तावों की अनुमति न देने की सलाह दी गई थी। प्रतिदिन के आधार पर मांग/सूचना मुद्रा बाजार में शहरी सहकारी बैंक द्वारा उधार राशियां विगत वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत के अनुसार उनकी कुल जमाराशियों के 2 प्रतिशत से अधिक न हो।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक एवं शहरी सहकारी बैंकों ने राष्ट्रीय संघ से इन प्रतिबंधों के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इन अभ्यावेदनों के आलोक में, भारतीय रिजर्व बैंक ने अलग-अलग व्यक्तियों को मूर्त रूप में रखी गई प्रतिभूतियों पर प्रति ऋणकर्त्ता 5 लाख रुपए तक और अमूर्त रूप (डिमेंट) में रखी गई प्रतिभूतियों पर 10 लाख रुपए तक ऋण एवं अग्रिम राशि देने हेतु छूट देने, सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश हेतु समय बढ़ाने और अलग-अलग मामले के आधार पर अन्य शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशि का परिसमापन की अनुमति दी थी।

[अनुवाद]

स्टेट बैंक आफ इंदौर

2651. **श्री पवन कुमार बंसल:**
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टेट बैंक आफ इंदौर के ग्वालियर राजस्व डिवीजन में कितनी शाखाएं हैं;

(ख) ऐसी कितनी शाखाएं किराये के भवन में चल रही हैं;

(ग) इन भवनों के मालिकाना हक के संबंध में बैंक के प्रधान कार्यालय में कितनी शिकायतें दर्ज हुई हैं; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ इंदौर ने सूचित किया है कि ग्वालियर और दतिया जनपदों में उसकी 17 शाखाएं हैं जिनमें से 15 शाखाएं किराए के भवनों से परिचालित हो रही हैं।

(ग) और (घ) बैंक को केवल एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच बैंक द्वारा की गई है। शिकायतकर्त्ता का दावा निराधार पाया गया।

[हिन्दी]

एशिया में भारतीय बैंक

2652. **श्री राम प्रसाद सिंह: क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एशिया में शीर्ष बैंकों की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भारतीय बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) एशिया में किन देशों में इन बैंकों की पूंजी जमा है और यह जमा राशि कितनी है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें कितना लाभ हुआ है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) एपेक्स बैंक आफ एशिया की कोई श्रेणी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. के उत्पादों का निर्यात

2653. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों के स्वसहायता समूहों की महिलाओं और बच्चों द्वारा बनाए गए विकास संबंधी उत्पादों को एक ही ब्रांड नाम से निर्यात करने हेतु कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा स्वसहायता समूह आंदोलन को और मजबूत बनाने तथा आंध्र प्रदेश जहां, डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. सफल है, के प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. के उत्पादों का विपणन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने स्वसहायता समूहों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं-

(1) उत्पादक और विक्रेता दोनों की भूमिका निभाने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) के अंतर्गत महिला स्वसहायता समूहों को प्रोत्साहन देना।

(2) क्रेता-विक्रेता बैठकों का संवर्धन करना और डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. बाजारों की स्थापना करना।

(3) गृहमित्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के जरिए उत्पादों की बिक्री करने की एक नई अवधारणा।

(4) डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों की खुदरा बिक्री के लिए अपना बाजार (उपभोक्ता जागरूकता का संवर्धन करने वाला लाभ न कमाने वाला संगठन) जैसी विपणन श्रृंखलाओं को शामिल करना।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक विद्यालयों को पोषाहार

2654. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्राथमिक विद्यालयों के लिए पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितने खाद्यान्नों की आपूर्ति की गई;

(ख) इस योजना से राज्य-वार कुल कितने विद्यार्थी लाभान्वित हुए;

(ग) क्या सरकार की जानकारी में योजना के दुरुपयोग के कुछ मामले आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन और लाभान्वित हुए विद्यार्थियों की संख्या संलग्न विवरण I और II में दी गयी है।

(ग) और (घ) इस योजना के अधीन आवंटित खाद्यान्नों के दुरुपयोग को रोकने की दृष्टि से इस योजना की मानीटरिंग ग्राम, जिला और राज्य स्तर पर क्रमश: ग्राम शिक्षा समिति, जिला कलक्टर की अध्यक्षता के अधीन समिति और राज्य स्तर पर

संबंधित विभाग द्वारा की जाती है। इसके अलावा, राज्य के मुख्य सचिव और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों को निदेश दिए गए हैं कि वे योजना के क्रियान्वयन की देख-रेख करने के लिए मुख्य सचिव/अपर सचिव/विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करें। इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अवर सचिव और उससे ऊपर के पद के अधिकारियों द्वारा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य में अपने दौरे के दौरान औचक जांच की जाती है।

विवरण I

2001-2002 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अधीन खाद्यान्नों के आबंटन और लाभान्वित छात्रों की संख्या

(आंकड़े टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभान्वित छात्र	गेहूं	चावल	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7758454	0.00	232753.62	232753.62
2.	अरुणाचल प्रदेश	143500	0.00	4305.00	4305.00
3.	असम	3057221	0.00	91716.63	91716.63
4.	बिहार	7252547	170653.32	46923.09	217576.41
5.	छत्तीसगढ़	2717758	0.00	81532.74	81532.74
6.	गोवा	80284	0.00	2408.52	2408.52
7.	गुजरात	4856615	43709.54	43709.53	87419.07
8.	हरियाणा	1617412	24248.20	24248.19	48496.39
9.	हिमाचल प्रदेश	668604	0.00	20058.12	20058.12
10.	जम्मू व कश्मीर	716592	0.00	21497.76	21497.76
11.	झारखंड	2085571	5431.47	57135.66	62567.13
12.	कर्नाटक	5585159	35669.85	120447.52	156147.37
13.	केरल	2334680	0.00	46693.60	46693.60
14.	मध्य प्रदेश	7482769	146257.12	44354.45	190611.57
15.	महाराष्ट्र	10125032	0.00	293757.03	293757.03
16.	मणिपुर	279648	0.00	8389.44	8389.44
17.	मेघालय	419112	0.00	12573.36	12573.36
18.	मिजोरम	98239	0.00	2947.17	2947.17
19.	नागालैंड	159664	0.00	4789.92	4789.92
20.	उड़ीसा	4423250	0.00	99221.92	99221.92

1	2	3	4	5	6
21.	पंजाब	1659750	49792.50	0.00	49792.50
22.	राजस्थान	6221663	186649.89	0.00	186649.89
23.	सिक्किम	80670	0.00	2420.10	2420.10
24.	तमिलनाडु	5800543	0.00	116010.86	116010.86
25.	त्रिपुरा	474655	0.00	14239.65	14239.65
26.	उत्तर प्रदेश	15837747	313870.44	161261.97	475132.41
27.	उत्तरांचल	763093	1724.10	19212.80	20936.90
28.	पश्चिम बंगाल	9581419	0.00	287442.57	287442.57
29.	अं. व नि. द्वीप समूह	38461	0.00	1153.83	1153.83
30.	चंडीगढ़	18662	559.86	0.00	559.86
31.	दादर व नगर हवेली	25807	0.00	763.91	763.91
32.	दमन और दीव	15124	0.00	452.46	452.46
33.	दिल्ली	1010533	20210.66	0.00	20210.66
34.	लक्षद्वीप	—	—	—	0.00
35.	पांडिचेरी	62349	0.00	1246.98	1246.98
	जोड़	103452587	998806.95	1863668.40	2862475.35

विवरण II

2002-2003 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अधीन खाद्यान्नों के आबंटन और लाभान्वित छात्रों की संख्या

(आंकड़े टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभान्वित छात्र	गेहूं	चावल	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7,456,254	—	223,687.62	223,687.62
2.	अरुणाचल प्रदेश	166,637	—	4999.11	4,999.11
3.	असम	3,057,221	—	91716.63	91,716.63
4.	बिहार	8,095,780	185287.50	57582.90	242,873.40
5.	छत्तीसगढ़	2,889,116	—	74545.37	74,545.37

1	2	3	4	5	6
6.	गोवा	68,878	—	2066.34	2,066.34
7.	गुजरात	3,259,341	32593.41	32593.41	65,186.92
8.	हरियाणा	1,538,006	23070.09	23070.09	46,140.18
9.	हिमाचल प्रदेश	639,974	—	19199.22	19,199.22
10.	जम्मू व कश्मीर	821,890	—	24656.70	24,656.70
11.	झारखंड	2,254,066	4360.73	47435.48	51,796.21
12.	कर्नाटक	5,621,960	10649.39	142915.24	153,564.63
13.	केरल	2,355,686	—	47113.72	47,113.72
14.	मध्य प्रदेश	7,579,750	162837.32	49312.27	212,149.59
15.	महाराष्ट्र	9,930,938	—	297928.14	297,928.14
16.	मणिपुर	287,506	—	8,625.18	8,625.18
17.	मेघालय	434,702	—	13041.06	13,041.06
18.	मिजोरम	93,608	—	2808.24	2,808.24
19.	नागालैंड	159,664	—	4789.92	4,789.92
20.	उड़ीसा	4,621,934	—	123762.01	123,762.01
21.	पंजाब	1,620,811	48624.33	—	48,624.33
22.	राजस्थान	7,177,718	157909.79	—	157,909.79
23.	सिक्किम	77,033	—	2310.99	2,310.99
24.	तमिलनाडु	5,401,644	—	108032.88	108,032.88
25.	त्रिपुरा	459,981	—	13799.43	13,799.43
26.	उत्तरांचल	821,507	3860.16	20785.05	24,645.21
27.	उत्तर प्रदेश	14,855,697	294566.07	151104.84	445,670.91
28.	पश्चिम बंगाल	9,764,181	—	292925.43	292,925.43
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	35,886	—	1076.58	1,076.58
30.	चंडीगढ़	41,720	1251.60	—	1,251.60
31.	दादर व नगर हवेली	26,004	—	780.12	780.12
32.	दमन और दीव	15,214	—	304.28	304.28

1	2	3	4	5	6
33.	दिल्ली	1,010,919	20218.38	—	20,218.38
34.	लक्षद्वीप	—	—	—	0
35.	पांडिचेरी	62,349	—	1246.98	1,247
	जोड़	102,703,575	945,228.77	1,884,218.23	2,829,447.00

थर्ड पार्टी मोटर दावे

2655. श्री भेरूलाल मीणा: क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश विशेषकर आगरा, अलीगढ़, मेरठ और गाजियाबाद में कुछ कार्यालयों में थर्ड पार्टी मोटर दावों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो कंपनी द्वारा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा उक्त केन्द्रों में किए गए थर्ड पार्टी भुगतान का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईएसीएल) ने सूचित किया है कि उन्हें थर्ड पार्टी मोटर दावों के कुछ मामलों में भ्रष्टाचार की जानकारी मिली है।

(ख) एनआईएसीएल ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. जिस मामले में कंपनी के कर्मचारियों के लिप्त होने का संदेह होता है, उस मामले की आवश्यक छानबीन तथा उस पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए उस मामले को सतर्कता विभाग को भेज दिया जाता है।
2. अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए अधिकारियों द्वारा थर्ड पार्टी दावों से संबंधित फाइलों का अंतर-क्षेत्रीय कार्यालय निरीक्षण तथा लेखा-परीक्षा (इंटर आरओ इंस्पेक्शन-कम-आडिट) की जाती है।
3. थर्ड पार्टी दावों से संबंधित मामलों का कार्य करने वाले वकीलों के कार्य निष्पादन की भी समीक्षा की जाती है।

(ग) बीमा कंपनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान थर्ड पार्टी दावों से संबंधित भुगतान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कार्यालय	वर्ष					
	2000-2001		2001-2002		2002-2003	
	अदा किए गए थर्ड पार्टी दावों की संख्या	राशि (लाख रु.)	अदा किए गए थर्ड पार्टी दावों की संख्या	राशि (लाख रु.)	अदा किए गए थर्ड पार्टी दावों की संख्या	राशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6	7
आगरा मंडल कार्यालय I	80	269.00	75	305.00	433	507.00
आगरा मंडल कार्यालय II	164	364.00	152	83.8	286	518.00

1	2	3	4	5	6	7
अलीगढ़ मंडल कार्यालय	64	275.00	136	284.00	206	405.00
मेरठ मंडल कार्यालय I	171	192.00	113	125.00	37	166.00
मेरठ मंडल कार्यालय II	92	348.00	180	343.00	236	495.00
गाजियाबाद मंडल कार्यालय I	62	79.00	93	152.00	63	168.00
गाजियाबाद मंडल कार्यालय II	—	—	25	2.00	15	19.00

[हिन्दी]

करेंसी नोट मुद्रणालय और टकसाल

2656. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन करेंसी नोट मुद्रणालयों और टकसालों का ब्यौरा क्या है जहां गत तीन वर्षों के दौरान चोरी की घटनाएं घटी और वहां किस तरह की चोरियां हुई;

(ख) ऐसी चोरियों में कुल कितने मूल्य के करेंसी नोटों और सिक्कों की चोरी हुई; और

(ग) सरकार ने ऐसी चोरियों को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान करेंसी नोट मुद्रणालयों और टकसालों में चोरियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

10 जुलाई, 2000 को करेंसी नोट मुद्रणालय (सीएनपी), नासिक से 100 रुपए मूल्यवर्ग के 3000 नोट चुराए गए। चुराए गए नोटों का कुल मूल्य 30,000 रुपए था जिसमें से 29,300 रुपए पुलिस द्वारा मुद्रणालय के एक पूर्व कर्मचारी से बरामद किए गए।

चोरी की दूसरी घटना में, मई-जून, 2003 के दौरान बैंक नोट मुद्रणालय (बीएनपी), देवास में 10 बंडलों में 100 रुपए मूल्यवर्ग के 316 नोट कम पाए गए। चोरी हुए नोटों का मूल्य 31,600 रुपए था।

(ग) इन मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने और संदिग्ध कर्मचारियों को निलंबित करने के अलावा टकसालों और मुद्रणालयों के सुरक्षा प्रबंधों के पूरे तंत्र की पुन: समीक्षा की गई है तथा इन्हें खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों के परामर्श से और कड़ा किया गया है।

[अनुवाद]

बैंक नोटों की मियाद

2657. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कटे-फटे और कम मियाद वाले बैंक नोटों की समस्या पर रोक लगाने हेतु "भारतीय बैंक नोटों की मियाद बढ़ाने" का हल ढूंढ़ने हेतु किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञ समिति ने भारतीय बैंक नोटों की मियाद बढ़ाने के संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस पर क्या कदम उठाये हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) जी, हां। भारतीय बैंक नोटों की जीवनावधि में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने भारतीय बैंक नोटों का पालिमर सबस्ट्रेट पर मुद्रण करने के पहलुओं की जांच की। मुद्रण परीक्षणों और प्रयोगशाला में जांच करने के बाद यह निर्धारित किया गया कि पालिमर सबस्ट्रेट भारतीय बैंक नोटों के लिए उपयुक्त नहीं था। भारतीय बैंक नोटों की जीवनावधि बढ़ाने के लिए एक सतत् प्रक्रिया के रूप में अन्य विकल्पों की खोज का आश्रय लिया जाता है।

कृषि से जुड़े मुद्दों पर विकासशील देशों की बैठक

2658. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत समेत कई विकासशील देश कृषि में विशेष महत्व के तीन क्षेत्रों पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिनेवा के समीप न्यान में हाल में हुई विकासशील देशों की बैठक में इन मुद्दों को उठाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इन मुद्दों पर वहां हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) भारत घरेलू कृषकों और भूमिहीन कृषि मजदूरों के संरक्षण और निर्यात हित के उत्पादों में बाजार पहुंच में सुधार करने के बारे में भारत जैसे समान हितों और चिन्ताओं वाले विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त संघ बनाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है। भारत ने क्यूबा, डोमेनिकन रिपब्लिक, हांडूरास, इण्डोनेशिया, कोरिया, नाइजीरिया, तुर्की, पेरू, फिलीपिन्स, श्रीलंका और वैन्जुएला के साथ मिलकर वार्ता के सभी तीनों स्तम्भों अर्थात् बाजार पहुंच, घरेलू सहायता और निर्यात प्रतिस्पर्धा के संबंध में विकासशील देशों के लिए विशेष और विभेदकारी व्यवहार के विभिन्न पहलुओं के संबंध में डब्ल्यू टी ओ की कृषि संबंधी समिति को निवेदन प्रस्तुत किया है।

भारत ने डब्ल्यू.टी.ओ. के 75 से अधिक सदस्यों के साथ जिनमें ई सी और जापान शामिल हैं, ने टैरिफों में और कमी करने के लिए उरूग्वे दौर की नीति का प्रयोग करने का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त व्यापार और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) के साथ भारत ने सामान्य हित के मुद्दों अर्थात् विशेष उत्पादों के दस्तावेजों (एस पी उत्पाद) और नया विशेष रक्षोपाय और ग्रामीण विकास और/अथवा आजीविका संबंधी चिन्ताओं का निराकरण कर सकें, पर विचार विमर्श करने के लिए समान विचारों वाले देशों के 25 जून, 2003 को जेनेवा के निकट नयोन में बैठक का सहप्रयोजन किया था। इस बैठक में वैश्विक कृषि बाजारों में विकृतियों और विकासशील देशों के निर्यात हित के उत्पादों में बाजार पहुंच से मनाही करने के लिए कुछ बड़े व्यापारिक भागीदारों द्वारा प्रयोग किए जा रहे स्वच्छ और खाद्य स्वच्छता उपायों का बेहतर समाधान करने के लिए विकसित देशों के लिए घरेलू सहायता की रूपरेखाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया था। इन वार्ताओं को 1 जनवरी, 2005 तक अन्तिम रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

हथकरघा क्षेत्र के लिए योजनाएं

2659. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में हथकरघा क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार बिहार में नए वस्त्र उद्योग की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नए उद्योग किन स्थानों पर लगाए जाएंगे?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) भारत सरकार बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में हथकरघा क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम/योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:-

1. डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।
2. दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।
3. विपणन प्रोत्साहन कार्यक्रम।
4. मिल गेट कीमत योजना।
5. कार्यशाला-सह-आवास योजना।
6. बुनकर कल्याण योजना।
7. हथकरघा निर्यात योजना।
8. हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

केबल आपरेटरों का आयकर सर्वेक्षण

2660. डा. बलिराम: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग ने दिल्ली/नई दिल्ली में केबल आपरेटरों की आय के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली/नई दिल्ली में केबल सर्विस प्रदाताओं की संख्या कितनी है;

(घ) दिल्ली/नई दिल्ली में केबल आपरेटरों द्वारा जमा कराये गये सर्विस कर और आयकर का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उपभोक्ताओं से वसूल किए गए कर को जमा न करने के लिए केबल आपरेटरों के विरुद्ध संज्ञेय अपराध का कोई मामला दर्ज किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आय कर विभाग केबल आपरेटरों के आंकड़ें नहीं रखता है। तथापि, दिल्ली/नई दिल्ली में 927 केबल आपरेटरों को सेवा कर के लिए पंजीकृत किया गया है।

(घ) दिल्ली/नई दिल्ली में केबल आपरेटरों द्वारा सेवा कर के अंतर्गत 86.15 लाख रुपये की राशि जमा कराई गई है। वैसे, आयकर विभाग, केबल आपरेटरों द्वारा जमा कराए गए आयकर के संबंध में अलग से कोई आंकड़ें नहीं रखता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

समेकित जनजातीय विकास परियोजनाएं

2661. श्री सोहन पोटाई: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार समेकित जनजातीय विकास परियोजना स्कीम के तहत जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत चंडीगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों के गैर-जनजातीय गांवों में आधारभूत सुविधाओं हेतु निधियां मुहैया कराती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन गैर-जनजातीय गांवों और कार्यों के नाम क्या हैं जिनके लिए निधियां खर्च की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे क्षेत्रों से संबंधित नियमों का पालन न करने हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कब तक कार्रवाई की जाएगी?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) केन्द्रीय सरकार आधारभूत सुविधाओं के विकास और आय जनित कार्यालयों के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) और जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत निधियां उपलब्ध कराती है।

जहां आय जनित कार्यकलाप जनजातीय लाभार्थियों तक सीमित हैं वहीं कुछ आधारभूत सुविधाओं की परियोजनाएं जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में स्थित गैर-जनजातीय गांवों को भी लाभ पहुंचाएगी। इन परियोजनाओं के बारे में निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आयकर विभाग का जांच स्कंध

2662. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयकर विभाग के जांच स्कंध में कर्मचारियों की संख्या घटाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) सरकार आयकर विभाग के तलाशी एवं जब्ती कार्यालयों में इस समय विभिन्न स्तरों पर तैनात जनशक्ति को कम करने पर विचार कर रही है। इस प्रकार, कर्मचारियों की संख्या में की जाने वाली कमी का हिसाब लगाया जा रहा है। इस प्रकार कार्यमुक्त की गई जनशक्ति का उपयोग अन्य उत्पादक कार्यकलापों हेतु किया जाएगा। सरकार स्वैच्छिक कर अनुपालन पर अधिकतम बल देती है ताकि अप्रिय कार्रवाई करने की आवश्यकता को बिल्कुल न्यूनतम स्तर तक लाया जा सके।

कारों का आयात करने की प्रक्रिया

2663. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कारों का आयात करने के लिए वर्तमान में क्या मानदंड निर्धारित किए जा रहे हैं;

(ख) क्या कंपनियों द्वारा कारों के आयात करने की वर्तमान प्रक्रिया बोझिल, विलम्ब करने वाली है जिससे लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने कंपनियों द्वारा कारों का आयात करने संबंधी पाबंदियों को कम करने हेतु विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो कम्पनियों द्वारा कारों के आयात हेतु नए मानदंडों को कब तक अधिसूचित करने व लागू किए जाने की संभावना है/

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) मोटर वाहनों का आयात, निर्यात मदों के आई.टी.सी. (एच एस) वर्गीकरण के अध्याय 87 के अंतर्गत आयात लाइसेंसिंग नोट में सूचीबद्ध शर्तों के अध्यधीन हैं। यह शर्तें केन्द्रीय मोटर यान नियमावली (सी.एस.वी.आर.) 1989 के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण, सड़क सुरक्षा और उत्सर्जन मानकों से संबंधित हैं। इन शर्तों के अनुपालन में कठिनाई के बारे में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। व्यक्तियों द्वारा कारों के आयात पर कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं है।

हथकरघा क्षेत्र का विकास

2664. श्री पी.आर. किन्डियाः क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में हथकरघा और बुनाई को बढ़ावा देने व उनका विकास करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) इस क्षेत्र हेतु इस क्षेत्र के तहत सवर्द्धक और विकासात्मक योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य और सिक्किम हेतु आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) भारत सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में हथकरघा क्षेत्र के संवर्धन और विकास हेतु निम्नलिखित योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है:-

1. डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम
2. दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना
3. विपणन प्रोत्साहन कार्यक्रम
4. मिल गेट कीमत योजना
5. कार्यशाला-सह-आवास योजना
6. बुनकर कल्याण योजना
7. हथकरघा निर्यात योजना
8. हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन।

राज्य-वार किसी तरह की निधियों का आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम को प्रदान की गई वित्तीय सहायता निम्न प्रकार है:-

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष		
		2000-01	2001-02	2002-03
1.	अरुणाचल प्रदेश	237.44	498.67	66.92
2.	असम	1170.15	950.85	1133.42
3.	मणिपुर	610.37	25.04	608.57
4.	मेघालय	30.18	12.74	19.71
5.	मिजोरम	1125	2.00	51.52
6.	नागालैंड	470.84	377.20	163.88
7.	सिक्किम	7.47	3.99	2.97
8.	त्रिपुरा	92.70	25.97	27.35

आदिवासियों की भूख से मौत

2665. श्री एस. अजय कुमारः क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** जनजातीय लोगों की भूख से मौत के बारे में दिनांक 25.4.2003

के अतारांकित प्रश्न संख्या 5176 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) तत्संबंधी सूचना के कब तक सभा पटल पर रखे जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) दिनांक 25 अप्रैल, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5176 में जनजातियों की भुखमरी से मौत के संबंध में मांगी गई सूचना कई राज्य/संघ राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुई है। इन राज्यों/संघ राज्य सरकारों को शीघ्र सूचना भेजने के लिए अनुस्मारक भेजा गया है।

(घ) चूंकि सूचना, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से एकत्रित की जानी है इसलिए सभा पटल पर सूचना रखने की निश्चित समय-सीमा नहीं दर्शाई जा सकती।

मेजरिंग टेपों का निर्यात

2666. श्रीमती निवेदिता माने: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा शुल्क संख्या 9017.90 के तहत आने वाला उत्पाद मेजरिंग टेपों का भारी मात्रा में भारत से निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निर्यात की गयी मात्रा तथा एफ.ओ.बी./सी.आई.एफ. मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) मेजरिंग टेपों का निर्माण और निर्यात करने हेतु सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इन निर्यातकों को भी निर्यात लाभ दिया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष किस प्रकार के लाभ दिए गए और वे कितने मूल्य के थे?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) सीमा शुल्क टैरिफ सं. 9017.90 के अंतर्गत शामिल उत्पाद मेजरिंग टेपों का भारत से निर्यात किया जाता है।

(ख) पिछले छह वर्षों में से प्रत्येक के दौरान निर्यातित मात्रा और मूल्य के ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित भारतीय विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े, खंड I (निर्यात) - वार्षिक अंक" नामक प्रकाशन में दिए गए हैं, जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) सरकार द्वारा किसी मद के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए मान्यता प्रदान करने की कोई प्रणाली नहीं है।

(घ) और (ङ) विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों जैसे अग्रिम लाइसेंस डी एफ आर सी शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत डी ई पी बी तथा निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम (ई पी सी जी) के अंतर्गत मिलने वाले सामान्य निर्यात लाभ इस मद सहित निर्यात संबंधी एग्जिम नीति के अंतर्गत उपलब्ध हैं। इन निर्यातकों को दिए गए लाभों संबंधी आंकड़ों का पता लगाना तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि पार्टियों के ब्यौरे न दिए जाएं।

विद्युतकरघा निदेशालय

2667. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए एक योजना की घोषणा करने तथा अधिक संख्या में विद्युतकरघा वाले राज्यों में विशेष निदेशालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (ग) भारत सरकार विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है-

1. विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों (पीएससी) का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण: इस योजना में विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों की सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आधुनिक करघों के साथ विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों को सुसज्जित

करने, बुनाई से संबंधित प्रीपेटरी मशीन और उपस्कर; और बढ़े हुए स्टाफ के लिए निधि की व्यवस्था है।

2. कंप्यूटर साहाय्यित डिजाइन (सीएडी) केन्द्रों को सहायता: इस योजना के अंतर्गत सीएडी केन्द्रों को विद्युतकरघा उत्पादन में डिजाइन संबंधी निवेश के माध्यम से मूल्यवर्द्धन प्रदान करने के लिए विद्युतकरघा समूहों में स्थापित किया गया है।

3. कामगारों का कल्याण: इस स्कीम के निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण संघटक हैं-

(क) समूह बीमा योजना: इसमें मृत्यु, दुर्घटना और अपंगता के लिए कवर की व्यवस्था है।

(ख) सामूहिक कार्यशाला योजना: कार्य का बेहतर वातावरण तैयार करने और उच्चतर उत्पादकता प्राप्त करने के लिए इस योजना में सामूहिक कार्यशालाओं की स्थापना के लिए सब्सिडी की व्यवस्था है।

2. भारत सरकार की उन राज्यों में किसी विशिष्ट निदेशालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है जहां विद्युतकरघा समूह हैं।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

2668. डा. वी. सरोजा: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत निधियां जारी करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) नौवीं योजनावधि के दौरान विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के तहत विभिन्न राज्यों को जारी की गयी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) तमिलनाडु राज्य को कम धनराशि जारी करने के क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्यों को निधियां प्रतिपूर्ति आधार पर जारी की जाती हैं। परियोजना निष्पादक अभिकरणों को पहले व्यय करना होता है और बाद में प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करना होता है।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में राज्यों को जारी की गई निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु को एसीए के रूप में 2580 करोड़ रु. की पर्याप्त धनराशि जारी की गई थी। राज्यों को विदेशी सहायता अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी की जाती है। किसी राज्य विशेष को जारी की जाने वाली ऐसी निधियों की मात्रा उस राज्य में विदेशी सहायता से चल रही परियोजनाओं की संख्या, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की रफ्तार, भारत सरकार को प्रतिपूर्ति दावे प्रस्तुत करने तथा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के बजट प्रावधानों पर निर्भर करती है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी की गई अतिरिक्त केन्द्र सहायता (करोड़ रु.)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	8381.35
2.	अरुणचाल प्रदेश	0.32
3.	असम	267.95
4.	बिहार	455.95
5.	छत्तीसगढ़	7.17
6.	गोवा	17.00
7.	गुजरात	3495.45
8.	हरियाणा	1115.70
9.	हिमाचल प्रदेश	110.12
10.	जम्मू और कश्मीर	97.53
11.	झारखंड	0.00
12.	कर्नाटक	3308.91
13.	केरल	295.28
14.	मध्य प्रदेश	1871.53
15.	महाराष्ट्र	2524.10
16.	मणिपुर	63.23
17.	मेघालय	51.89

1	2	3
18.	मिजोरम	9.06
19.	नागालैंड	1.06
20.	उड़ीसा	2169.77
21.	पंजाब	824.10
22.	राजस्थान	990.91
23.	सिक्किम	16.20
24.	तमिलनाडु	2580.42
25.	त्रिपुरा	3.70
26.	उत्तर प्रदेश	3921.93
27.	उत्तरांचल	27.14
28.	पश्चिम बंगाल	9772.73

चाय बागान हेतु ऋण सीमा

2669. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने चाय बागान हेतु स्वीकृत किए जाने वाले ऋण की ब्याज दर कम करने और तत्संबंधी ऋण सीमा बढ़ाने हेतु बैंकों को कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने चाय की खेती करने वालों को संस्वीकृत ऋण के पुनर्गठन के लिए बैंकों को एक बारगी उपाय के रूप में इस मामले में आरबीआई के विद्यमान मार्गनिर्देशों के अनुसार अनुमति दी है। यह उस शर्त के अध्यधीन था कि ब्याज के पुनर्निर्धारण के संदर्भ में, घाटे की राशि, यदि कोई हो, तो उसे या तो बट्टे खाते डाल दी जाए अथवा जहां तक घाटा हो उसके लिए प्रावधान किया जाए। 10 हेक्टेयर से अनधिक वाले लघु चाय उत्पादकों को दिए गए विद्यमान सावधि ऋण, जो 30 जून, 2002 के अनुसार बकाया था तथा जिसे मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है उसे "विशेष चाय सावधि ऋण, 2002" के रूप में एकल सावधि ऋण में समेकित किया जा सकता है। ब्याज दर में कमी एवं ऋण सीमा में बढ़ोत्तरी के संदर्भ में बैंकों/वाणिज्यिक विवेक एवं ऋण नीति के आधार पर निर्णय के लिए इसे उन्हीं पर छोड़ दिया जाता है।

इराक से ऋण की वसूली

2670. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इराक को एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया को ब्याज सहित भारी ऋण का भुगतान करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार अमरीका के नेतृत्व वाली सेनाओं द्वारा इराक पर किए गए आक्रमण से पहले इराक से वसूल किए जाने वाले मूलधन और ब्याज का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) इराक से विशेषकर वर्तमान परिस्थितियों में धनराशि की वसूली हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ई सी जी सी) लि. की कोई राशि प्रत्यक्ष रूप से ईरान की सत्ताओं पर बकाया नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार इराक को 831.59 मिलियन अमरीकी डालर की कुल राशि भारत को अदा करनी है जिसमें ब्याज के रूप में 142.12 मिलियन अमरीकी डालर तथा मूलधन के रूप में 689.47 मिलियन अमरीकी डालर की राशि शामिल है।

(घ) भारत सरकार प्रत्येक संभव मंच, जैसे भारत इराक संयुक्त आयोग की बैठक, में और बैंकर अर्थात् एग्जिम बैंक तथा सेन्ट्रल बैंक आफ इराक के स्तर पर बातचीत शुरू करके अवरुद्ध धनराशि के मुद्दे को उठा रही है। इराकी पक्ष ने भारत सरकार का ऋण बकाया होने से कभी इनकार नहीं किया है।

एच.डी.एफ.सी. के पास बिना दावे वाला धन

2671. **श्री किरीट सोमैया:** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनांस कारपोरेशन के पास पड़े 75.68 करोड़ रुपए के बिना दावे के धन पर ध्यान दिया है;

(ख) क्या हाल ही की वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार कम्पनी ने उल्लेख किया है कि 18,669 जमाकर्त्ताओं ने इस धनराशि का दावा नहीं किया है;

(ग) विभिन्न निजी और सरकारी कंपनियों के पास पड़े बिना दावे की जमाराशि और ब्याज के संबंध में क्या दिशानिर्देश हैं;

(घ) क्या इस धन को निवेशक सुरक्षा और शिक्षा निधि में स्थानांतरित किया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस धन का किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, आवास वित्त विकास निगम (एचडीएफसी) के पास 31 मार्च, 2003 को 75.86 करोड़ रुपए की अदावी जमाराशि थी जिसमें से 52.46 करोड़ रुपए की राशि 10616 जमाकर्त्ताओं को वापस कर दी गई है/नवीकरण कर दिया गया है और 8053 जमाकर्त्ताओं के 23.40 करोड़ रुपए की राशि अभी तक बिना दावे के पड़ी हैं।

(ग) और (घ) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग में यह प्रावधान किया गया है कि यदि जमाकर्त्ता परिपक्वता की तारीख से 7 वर्ष के भीतर ब्याज सहित अपनी जमाराशि के लिए दावा नहीं करते तो ऐसी जमाराशि केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आई ई पी एफ) में जमा कर दी जाएगी।

(ङ) एचडीएफसी द्वारा आई ई पी एफ में जमा की गई अदावी राशि के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

वर्ष	जमाराशि की संख्याएं	जमाराशि रुपए में
2001-02	2138	22,10,247.89
2002-03	91	4,96,746.09
कुल	2229	27,06,993.98

(च) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी प्रौद्योगिकी मिशन

2672. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीनी प्रौद्योगिकी मिशन (एस.टी.एम.) अपने उद्देश्य से भटक रहा है तथा वर्तमान में यह एस.डी.एफ. से कम ब्याज दर पर ऋण लेकर भारी परियोजना लागत वाले एक उपकरण को स्थापित करने हेतु एक विशेष परियोजना की सिफारिश करके अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य करने में लगा हुआ है;

(ख) क्या इससे उन चीनी मिलों के साथ अन्याय हुआ है जो एस.टी.एम. द्वारा अनुशंसित परियोजनाओं को स्वीकार नहीं करती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद का चीनी प्रौद्योगिकी मिशन अपने उद्देश्य से नहीं हटा है। इसे व्यापक रूप से निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:-

(1) चीनी उद्योग में प्लांट की कुशलता, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने और सह-उत्पादकों के वैल्यू एडीशन सहित ऊर्जा की लागत घटाने के उद्देश्य से परीक्षण और मूल्यांकन के बाद नई स्वच्छ, सस्ती प्रौद्योगिकी लागू करना।

(2) मौजूदा पुराने उपकरणों और प्रणालियों को बदलने के लिए आधुनिक आजमाई हुई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके चीनी मिलों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए विस्तृत योजना तैयार करना।

चीनी प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा तैयार की गयी प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीमें क्रियान्वित करने की लागत की परम्परागत स्कीमों की लागत के साथ तुलना की जा सकती है।

(ख) और (ग) देश में जो भी चीन मिल चीनी विकास निधि से ऋण लेने के लिए पात्र है, वह चाहे तो प्रौद्योगिकी उन्नयन की उपयुक्त स्कीम तैयार करने के लिए चीनी प्रौद्योगिकी मिशन से सम्पर्क कर सकता है।

लघु उद्योगों को ऋण

2673. श्री परसुराम माझी: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्टेट बैंक आफ हैदराबाद द्वारा विभिन्न राज्यों में लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना हेतु कुल कितना ऋण स्वीकृत किया गया; और

(ख) लघु उद्योग इकाइयों को ऋण देने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टेट बैंक आफ हैदराबाद द्वारा विभिन्न राज्यों में लघु स्केल यूनिटों को स्थापित करने हेतु संस्वीकृत ऋणों की कुल राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	ऋण की राशि
2001	852.98
2002	951.54
2003	982.70

(ख) लघु स्केल यूनिटों को उधार देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) द्वारा निर्धारित मानदण्ड निम्नानुसार है:-

1. बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लघु उद्योग क्षेत्र को दी गई उनकी कुल निधियों में से, संयंत्र एवं मशीनरी एवं 5 लाख रुपए तक निवेश करने वाली इकाइयों को कम से कम 40 प्रतिशत उपलब्ध कराया जाना चाहिए और संयंत्र एवं मशीनरी में 5 लाख रुपए और 25 लाख रुपए के बीच निवेश करने वाली इकाइयों को 20 प्रतिशत उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस प्रकार, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए निर्धारित निधियों का 60 प्रतिशत अति लघु क्षेत्र में लघु इकाइयों को मिलना चाहिए।

2. अति लघु क्षेत्र का संपार्श्विक प्रतिभूति रहित ऋण के लिए उधार सीमा में वृद्धि करके 1 लाख से 5 लाख रुपए करना। लघु उद्योगों को ऋण के प्रवाह में और सुधार करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि बैंक इकाइयों के पिछले अच्छे कार्यनिष्पादन रिकार्ड और वित्तीय स्थिति के आधार पर ऋणों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता को समाप्त करने की सीमा विद्यमान 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर सकते हैं।

3. न्यूनतम 20 प्रतिशत अनुमानित वार्षिक कारबार के आधार पर कार्यशील पूंजी के परिकलन के लिए उधार सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करना।

4. राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए परियोजना की सीमा बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक करना।

5. अति लघु क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना के अंतर्गत 30 प्रतिशत निवेश निर्धारित करना।

6. संघीय बजट 2003-04 में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार आईबीए ने बैंकों को प्रतिभूत अग्रिमों के लिए अपने प्राथमिक उधार दर से 2 प्रतिशत और नीचे का ब्याज दर बैंड अपनाने की सलाह दी है।

7. बैंकों से कहा गया है कि वे अच्छे कार्यनिष्पादन रिकार्ड वाले लघु उद्योग एककों को पीएलआर पर निम्नतर विस्तार का लाभ दें।

8. बैंकों को खाद्य ऋण रहित निवल बैंक ऋण में वृद्धि की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए लघु उद्योग क्षेत्र के लिए अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष के लिए स्व-निर्धारित लक्ष्य तय करना चाहिए और साथ ही लघु क्षेत्र के लिए अग्रिमों में वृद्धि के लिए बजट की तैयारी पर विचार करना चाहिए।

ए.एस.आई.डी.ई. योजना के अंतर्गत सहायता

2674. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार केवल सामानों के निर्यात के आधार पर राज्य सरकारों को ए.एस.आई.डी.ई. योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान कर रही है और इस सहायता की प्राप्ति के लिए सेवाओं के निर्यात को शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने सेवाओं के निर्यात को शामिल करने पर विचार करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ताकि राज्य सरकार को इस योजना के अंतर्गत भी सहायता प्राप्त हो सके;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए औचित्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) निर्यात संबंधी सुनियादी सुविधाओं के विकास तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिए राज्यों को सहायता (ए एस आई डी ई) योजना के दिशा-निर्देश में यह प्रावधान है कि ए एस आई डी ई के तहत अलग-अलग राज्यों के लिए आवंटन केवल वस्तुओं के निर्यात संबंधी आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा।

(ग) और (घ) सेवाओं के निर्यातों को शामिल करने के बारे में इस आधार पर विचार करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि सेवाएं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

(ङ) साफ्ट वेयर सेवाओं सहित विभिन्न सेवाओं के स्रोत का पता लगाने में आने वाली कठिनाई के कारण केन्द्र सरकार द्वारा ए एस आई डी ई योजना के तहत निधियों को आवंटन करने हेतु निर्यात आंकड़ों में सेवाओं को शामिल करना व्यावहारिक नहीं पाया गया था।

[हिन्दी]

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का आयात

2675. श्री मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री वीर सिंह महतो:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का आयात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने मूल्य का आयात किया गया और आयातित प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के देश-वार नाम क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य मदों के देश-वार और मूल्यवार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित "भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े खंड II (आयात) वार्षिक अंक" प्रकाशन में दिए गए हैं जो संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

हथियारों का अवैध व्यापार

2676. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी सीमा पर बंदूक/हथियारों का अवैध व्यापार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आसूचना अभिकरणों ने सूचित किया है कि चीन अवैध हथियारों के व्यापार का मुख्य मार्ग बन गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय चीन की सीमाओं से होने वाली तस्करी को रोकने के लिए सावधान और सतर्क हैं।

आयात पंजीकरण शुल्क की छूट

2677. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयात पंजीकरण शुल्क के भुगतान से देश के "नान क्रिटीकल डायग्नोस्टिक किट्स" के आयातकों को मुक्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की आशा है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) इस संबंध में भारत के औषधि महानियंत्रक ने एच आई वी 1/2, एच बी एस जी, एच सी वी के अतिरिक्त इनविट्रो डाइगनास्टिक किट्स और रिएजेन्ट्स तथा ब्लड ग्रुपिंग सेरा को आयात पंजीकरण शुल्क से छूट प्रदान करने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। फिर भी ऊपर उल्लिखित उत्पादों के अलावा नान-क्रिटीकल इनविट्रो डाइग्नास्टिक किट्स/रिएजेन्ट्स के आयात के लिए फार्म 10 में लाइसेंस आवश्यक है। ऐसे उत्पादों के लिए फार्म 10 में लाइसेंस हेतु आवेदन के साथ एक मद के लिए 1000/- रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त मद के लिए 100/- रुपए का ट्रेजरी चालान संलग्न किया जाना चाहिए। आयात लाइसेंस की वैधता इसके जारी होने की तारीख से तीन वर्ष तक है।

उपभोक्ता संरक्षण

2678. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री भास्करराव पाटील:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े विभिन्न मुद्दों के अध्ययन के लिए और इससे प्रभावी रूप से निपटने हेतु सुझाव देने के लिए छह कार्यकारी समूह गठित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) 16 जुलाई, 2003 को नई दिल्ली में हुई केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की 23वीं बैठक में उपभोक्ता हितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने हेतु उपभोक्ता संबंधी मामलों के विस्तारपूर्वक अध्ययन एवं सुझाव/सिफारिशें देने के लिए निम्नलिखित छः कार्यदल गठित करने का निर्णय लिया गया है-

(1) खाद्य सुरक्षा संबंधी कार्यदल।

(2) औषधि, फर्मासियुटिकल्स तथा मेडिकल डिवाइसेस/इक्विपमेंट संबंधी कार्यदल।

(3) खोटे, नकली, जाली एवं निषिद्ध उत्पाद संबंधी कार्यदल।

(4) तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों से जुड़ी उपभोक्ता स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी कार्यदल।

(5) गुमराह करने वाले विज्ञापनों संबंधी कार्यदल।

(6) उपभोक्ता संरक्षण संबंधी मौजूदा विधानों में संशोधन हेतु प्रस्ताव सुझाने तथा नए विधान बनाने हेतु सुझाव देने से संबंधित कार्यदल।

मक्के की खरीद और निर्यात

2679. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान कर्नाटक में भारतीय खाद्य निगम द्वारा मक्के की कितनी मात्रा की खरीद की गई;

(ख) कम खरीद के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का मक्के के निर्यात की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा मक्का निर्यात के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करने और भविष्य में इसे और बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) भारतीय खाद्य निगम ने 2002-03 के दौरान कर्नाटक में मक्का की वसूली नहीं की है। तथापि, राज्य सरकार की एजेंसी, नामतः कर्नाटक खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम ने मूल्य समर्थन प्रचालनों के अधीन 2002-2003 के दौरान 990 टन मक्का की वसूली की है।

(ख) राज्य में सूखे की स्थिति होने और खुले बाजार में मक्का के बाजार मूल्य अधिक होने के कारण कम वसूली हुई होगी।

(ग) से (ङ) भारत सरकार की मौजूदा निर्यात-आयात नीति में मक्का के निर्यात पर कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं है।

[हिन्दी]

बैंकिंग क्षेत्र में 'इफ्फको'

2680. श्री अधीर चौधरी: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी उर्वरक कंपनी भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (आई.एफ. एफ.सी.ओ.) को बैंकिंग क्षेत्र में उतरने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'इफ्फको' (आई.एफ.एफ.सी.ओ.) का विचार प्रस्तावित बैंक में पूरे देश में चल रहे चयनित सहकारी बैंकों का विलय कर सभी आधुनिक सुविधाओं से सज्जित एक प्रमुख बैंक की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इफ्फको (आई.एफ.एफ.सी.ओ.) ने अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में रेशम मिलें

2681. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय तमिलनाडु में सरकारी/निजी क्षेत्र में चल रही रेशम मिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन मिलों में क्षेत्र-वार कितने श्रमिक काम कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में ऐसी और मिलों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (ङ) रेशम क्षेत्र मुख्यतया परिवार आधारित हथकरघा उद्योग है और यह असंगठित क्षेत्र में है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, एक स्पन रेशम मिल नामत: दत्तात्रेय टेक्सटाइल्स प्रा.लि. तमिलनाडु राज्य के मदुरै जिले में चल रही है और इस मिल में लगभग 750 कामगार काम कर रहे हैं।

केंद्रीय सरकार का कोई रेशम मिल स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

उदारीकरण का प्रभाव

2682. श्री शिवाजी माने:
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उदारीकरण की प्रक्रिया औद्योगिक क्षेत्र में वांछित परिणाम नहीं दे रही है;

(ख) क्या सरकार ने केन्द्र और राज्य सरकारों की औद्योगिक नीतियों के क्रियान्वयन में आने वाली अड़चनों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा देश में अधिकाधिक उद्योगों की स्थापना की सुविधा देने के क्रम में इन अड़चनों को दूर करने के लिए कार्रवाई करने का विचार किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस दिशा में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) 1991 से आरंभ की गई औद्योगिक उदारीकरण की प्रक्रिया को नपे तुले ढंग से आरंभ किया गया है ताकि भारतीय उद्योग में ऐसे प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण को बढ़ावा दिया जा सके, जिसमें उद्यमी बाजार की दशाओं के अनुसार निवेश करने, विस्तार करने और आधुनिकीकरण के लिए स्वतंत्र हों। उदारीकरण की प्रक्रिया का अनुकूल प्रभाव हुआ है और इसके परिणाम को, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) में भारी वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है, जिनका स्रोत

औद्योगिक क्षेत्र है और विशेष रूप से निर्यात। स्थिर मूल्यों (1993-94 मूल्यों) पर प्रतिव्यक्ति आय 1991-92 के 7212 रुपये से बढ़कर 2002-03 में 11010 रुपये हो गई; इसी अवधि के दौरान स्थिर मूल्यों (1993-94 मूल्यों) पर औद्योगिक क्षेत्र से आने वाला सकल घरेलू उत्पाद 187560 करोड़ रुपये से बढ़कर 357783 करोड़ रुपये हो गया। हमारी अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को भारत के निर्यातों में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है, जो 1991-92 के लगभग 17865 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2002-03 में 52234.40 मिलियन अमरीकी डालर हो गए, जो करीब-करीब तीन गुणा वृद्धि दिखाता है।

(ख) से (ङ) विगत समय में जिन कारकों से औद्योगिक कार्य-निष्पादन में बाधा पहुंची है, उनमें से कुछ हैं - बुनियादी सुविधाओं से संबंधित अड़चनें, अप्रत्यक्ष करों की ऊंची दरें तथा अधिक संख्या, लघु क्षेत्र के लिए उत्पादों को आरक्षित, ब्याज की ऊंची दरें, आदि। औद्योगिक क्षेत्र के कार्य-निष्पादन की निरंतर समीक्षा की जाती है और उभर रही प्रवृत्तियों तथा समग्र व्यापक नीतिगत उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं। विगत वर्षों के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने और औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने अनेक पहलें की हैं। इन पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दोनों के लिए उच्चतम शुल्क दरों तथा दरों की संख्या में काफी कमी की गई है। अधिकतम सीमाशुल्क को कम करके 25 प्रतिशत कर दिया गया है और केंद्रीय मूल्यवर्धित कर (सेनवैट) की शुरूआत करके उत्पाद शुल्क प्रणाली में भारी फेरबदल किया गया है।

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर और नकद आरक्षी अनुपात (सी आर आर) में उत्तरोत्तर कमी किया जाना। विशेष रूप से, पिछले पांच वर्षों में बैंक दर को 11 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया है। वित्तीय नीति संबंधी इन उपायों से साख में वृद्धि तथा अर्थ व्यवस्था में निवेश की मांग को समर्थन प्रदान करने हेतु पर्याप्त तरलता (लिक्विडिटी) उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

- स्टेशनरी क्षेत्र की 13 मदों और औषध तथा भेषज क्षेत्र की 10 मदों के संबंध में, जिन्हें लघु क्षेत्र में विनिर्माण के लिए आरक्षित किया गया है, निवेश सीमा को 1.0 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करना। बजट 2003-04 में की गई घोषणा के पश्चात्, लघु क्षेत्र में विनिर्माण हेतु आरक्षित 75 और मदों को आरक्षण सूची से हटा दिया गया। इसके फलस्वरूप, औद्योगिक दक्षता तथा उत्पादन में वृद्धि होने की आशा है।

- सरकार द्वारा कई कानून अधिनियमित किए गए हैं जिनमें प्रतिस्पर्धा अधिनियम को अधिनियमन करना तथा 'सेबी' अधिनियम में संशोधन शामिल है।

- 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरूआत से ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को, नए उद्योग स्थापित करने की लाइसेंस आवश्यकता के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इस समय केवल 6 उद्योग ही अनिवार्य लाइसेंसीकरण के तहत आते हैं और 3 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आरक्षित हैं।

- केन्द्र सरकार विभिन्न नीतियों तथा प्रोत्साहन पैकेजों के जरिए, पिछड़े क्षेत्रों तथा विशेष श्रेणी वाले राज्यों के औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती रही है। औद्योगिक छितराव को बढ़ावा देने हेतु इस समय कार्यान्वित की जा रही स्कीमों में शामिल हैं - विकास केन्द्र और परिवहन राजसहायता योजना, जो पूर्वोत्तर की औद्योगिक नीति के अलावा हैं। 2002-03 के दौरान, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश राज्यों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक प्रोत्साहनों के तीन पैकेजों की घोषणा की गई।

- औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश (इनपुट) के तौर पर विद्युत के महत्व को देखते हुए, सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 को अधिनियमित किया है, जिसमें विद्युत क्षेत्र के विकास हेतु उदार ढांचे की स्थापना करके विद्युत क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है।

- 2003-04 के बजट में बुनियादी सुविधाओं के विकास तथा विनिर्माण क्षेत्र की दक्षता में वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया है। इस उद्देश्य हेतु, इसमें नवीन निधिपोषण प्रणाली के जरिये बुनियादी सुविधाओं पर प्रमुख जोर दिया गया है, जो मुख्यत: सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों और सागर पत्तनों पर है।

[अनुवाद]

मार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाने वाली वस्तुएं

2683. श्री वी. वेद्रिसेलवन: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाने वाली वस्तुओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कुछ और वस्तुओं को शामिल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) फिलहाल केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित दर दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल और चीनी राज्यों को उपलब्ध करवाती है। कुछ राज्य उचित दर दुकानों के माध्यम से कपड़ा, अभ्यास-पुस्तिकाएं, दालें, नमक, चाय आदि जैसी आम खपत की अतिरिक्त वस्तुएं भी वितरित करते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चमड़ा उत्पादों पर उत्पाद शुल्क

2684. श्री शिवराजसिंह चौहान: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में चमड़ा और चमड़ा उत्पादों पर उत्पाद शुल्क कम कर नई दरों की घोषणा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप चमड़ा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा;

(घ) क्या चमड़ा निर्यात परिषद् ने सरकार से चमड़ा उत्पादों के निर्यात में आयी कमी को रोकने के क्रम में अपनी सिफारिशों पर विचार करने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) चर्म निर्यात परिषद् ने अनिवार्य निविष्टियों एवं पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्कों से छूट तथा रियायत का समय-समय पर अनुरोध किया है। जैसाकि फुटवियर संघटकों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा वनस्पति परिशोधन निस्सारणों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को हटाना, फुटवियर की न्यूनतम खुदरा कीमत पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में छूट के प्रतिशत को बढ़ाना आदि। केन्द्रीय बजट तैयार करते समय इन प्रस्तावों पर विधिवत विचार किया जाता है।

(च) भारत सरकार चर्म निर्यात परिषद् के घनिष्ठ सहयोग से चर्म क्षेत्र के निर्यातों की निगरानी कर रही है और (1) अंतर्राष्ट्रीय मेलों तथा क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी करने के लिए निर्यातकों को, (2) यू एस ए तथा चुनिंदा यूरोपीय देशों जैसे फोकस में भण्डारण एवं शो-रूम सुविधाओं को स्थापित करके अपने बाजार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए संभावित भारतीय कम्पनियों को; (3) वैश्विक बाजारों में निर्यात बढ़ाने के लिए अपनी डिजाइन विकास क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपनी उत्पादन इकाइयों में डिजाइन स्टूडियों स्थापित करने के लिए भारतीय निर्यातकों को; और (4) फोकस बाजार देशों में विपणन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है।

आटा चक्की मालिकों को राज सहायता प्राप्त गेहूं देना

2685. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम आटा मिल मालिकों को राज सहायता प्राप्त दरों पर गेहूं प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) से (ग) रोलर फ्लोर मिल मालिकों को खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन पूर्व-निर्धारित मूल्यों पर गेहूं बेचा जा रहा है। खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन गेहूं के मूल्य स्टाक की अवधि और प्रचलित बाजार मूल्यों के आधार पर तय किए जाते हैं। हाल के वर्षों में, ये मूल्य केन्द्रीय पूल के लिए वसूल किए गए गेहूं की आर्थिक लागत की तुलना में कम रहे हैं। इस अंतर की प्रतिपूर्ति भारतीय खाद्य निगम को राजसहायता के रूप में की जाती है।

[अनुवाद]

शिक्षा ऋण

2686. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शिक्षा ऋण स्वीकृत करने के मानदंड क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जून, 2003 तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से शिक्षा ऋण प्रदान किए गए विद्यार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का लेनदार से 90% प्रतिभूति जमा कर लेने के बाद शिक्षा ऋण स्वीकृत करने का कोई प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) भारत व विदेश में स्थित स्कूलों और कालेजों में अध्ययन-रत छात्रों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा शिक्षा ऋणों की संस्वीकृति के लिये निर्धारित मानदंड निम्नानुसार हैं:

छात्र की पात्रता

- वे भारतीय नागरिक हों।
- उन्हें व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा/चयन प्रक्रिया से प्रवेश मिला हो।
- उन्हें विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थानों में प्रवेश मिला हो।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) 4 लाख रुपए तक के ऋणों के लिये किसी जमानत पर जोर नहीं दिया जाता है। तथापि, इस राशि से अधिक के ऋणों के लिये उचित मूल्य की समर्थक जमानत अथवा माता-पिता/अभिभावकों/तृतीय पक्ष की सह-देयता किश्तों के भुगतान हेतु छात्र की भविष्य में कमाई के समनुदेशन के साथ-साथ प्राप्त की जा सकती है।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

2687. श्री राजो सिंह: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार और झारखंड में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थानों द्वारा परियोजना-वार और वित्तीय संस्थान-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बिहार और झारखण्ड में विदेशी सहायता से कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्रोत संगठन	निम्नलिखित वर्ष के दौरान संवितरण		
			2000-01	2001-02	2002-03
1.	बिहार पठार विकास	आईडीए	58.11	0.00	0.00
2.	झींगा एवं मत्स्य पालन	आईडीए	0.32	0.00	0.00
3.	आर्थिक विकास परियोजना	आईडीए	0.56	0.43	0.00
4.	प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य	आईडीए	0.00	0.00	0.00
5.	आर्थिक विकास परियोजना (वैश्विक पर्यावरण सुविधा)	आईडीए	0.50	0.34	0.00
6.	तीसरी जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना	आईडीए	0.00	20.25	2573

इसके अतिरिक्त, ''ग्रामीण उद्योगों के लिए ऊर्जा सेवाएं अंगारा'' नामक एक परियोजना यूएनडीपी की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान इस परियोजना के अंतर्गत क्रमशः 13.59 लाख रु., 59.93 लाख रु. और 27.92 लाख की राशि संवितरित की गई।

[अनुवाद]

काफी सेक्टर में आन-फार्म इनवेस्टमेंट

2688. श्री के.ई. कृष्णमूर्तिः क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काफी बोर्ड ने केन्द्र सरकार से काफी सेक्टर में आन-फार्म इनवेस्टमेंट को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अनुरोध पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, विशेष रूप से लघु उपजकर्त्ता क्षेत्र में उत्पादित काफी की फार्मगत उत्पादकता तथा गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए काफी बोर्ड ने 10वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए एक योजना स्कीम लघु उपजकर्त्ता क्षेत्र को सहायता स्कीम तैयार की है। 36.20 करोड़ रु. की लागत वाली इस स्कीम में पुनर्रोपण, और जल संवर्धन गुणवत्ता उन्नयन तथा प्रदूषण नियंत्रण उपायों के विकास तथा कार्यान्वयन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन/सब्सिडी उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य हैं-

- उपयुक्त क्षेत्रों में रोबस्टा ब्लाकों में अरेबका के नव रोपण तथा पुनर्रोपण द्वारा अरेबिका के उत्पादन को बढ़ाना;
- जल संवर्धन द्वारा रोबस्टा फार्मों में फार्मगत उत्पादकता को बढ़ाना;
- गुणवत्तायुक्त काफी का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए बागान स्तर पर प्रसंस्करण मानकों में सुधार करना;
- काफी निस्सारण प्रदूषकों को कम करने के लिए काफी फार्मों में प्रदूषण नियंत्रण अवसंरचना (बायो-रिएक्टर माडल) स्थापित करना।

(ग) सरकार ने 10वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए काफी बोर्ड की 36.20 करोड़ रु. के परिव्यय वाली उक्त योजना स्कीम को पहले ही अनुमोदित कर दिया है।

आयकर में आम्बड्समैन

2689. श्री सईदुज्जमाः क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर संबंधी शिकायतों के लिए आम्बड्समैन को नियुक्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन्हें क्या कार्य दिए जा रहे हैं; और

(घ) आम्बड्समैन को पर्याप्त अधिकार देने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) करदाताओं की शिकायतों के प्रभावी रूप से निवारण हेतु आयकर आम्बड्समैन संस्था के सृजन का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

(ख) से (घ) आम्बड्समैन के कार्यों तथा शक्तियों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

मेडिक्लेम नीति

2690. श्री माणिकराव होडल्या गावितः क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी चारों सरकारी क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों ने मेडिक्लेम के अंतर्गत चिकित्सकीय जांच की जिम्मेदारी कुछ चिकित्सकों द्वारा गठित एक निजी कंपनी को दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस जांच प्रक्रिया में चिकित्सा दावा पाने में महीनों लग जाते हैं और जाली मामले चिकित्सकों की मिलीभगत में शीघ्र पारित हो जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) गत छह महीनों के दौरान चिकित्सा दावों के कुल कितने मामले प्राप्त हुए हैं और इनमें से कितने मामले पारित हुए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

समेकित वानिकी विकास परियोजना

2691. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने समेकित वानिकी विकास परियोजना-2 को जापान बैंक फार इंटरनेशनल को-आपरेशन से सहायता प्राप्त करने वाली सूची में शामिल करने के लिए भेज दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) यह परियोजना वर्ष 2003-2004 के लिए सरकारी विकास सहायता ऋण पैकेज हेतु जापान सरकार के विचारार्थ परियोजनाओं की सूची में शामिल कर ली गई है। परियोजनाओं के चयन संबंधी निर्णय जापान सरकार द्वारा लिया जाएगा।

वित्त आयोग द्वारा धनराशि की सिफारिश

2692. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वित्त आयोगों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए महाराष्ट्र को कितनी धनराशि की सिफारिश की गई;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र को अब तक कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) क्या महाराष्ट्र को पूरी राशि जारी नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा शेष राशि को जारी किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (च) दसवें वित्त आयोग द्वारा पहली बार राज्यों के लिए स्थानीय निकाय अनुदानों की संस्तुति की गई थी। वर्ष 1996-2000 अवधि के लिए आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए महाराष्ट्र राज्य को 347.01 करोड़ रुपए की धनराशि संस्तुत की थी। इस अवधि के दौरान, 216.88 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी। राज्य सरकार को शेष धनराशि दिशा-निर्देशों में निर्धारित सोपाधिकताओं को पूरा न कर पाने की वजह से जारी नहीं की जा सकी है। वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अप्रयुक्त अनुदानों की हकदारी इसकी निर्धारित अवधि समाप्त होने के साथ ही रद्द हो जाती है।

अपनी निर्धारित अवधि 2000-05 के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए महाराष्ट्र राज्य को अनुमोदन के रूप में 656.73 करोड़ रुपए की धनराशि की संस्तुति की है। राज्य सरकार को अब तक 329.36 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। शेष धनराशि, इस संबंध में राज्य सरकारों को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी की जाएगी।

भर्ती पर रोक

2693. श्री रघुनाथ झा:
श्री शीशराम सिंह रवि:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यय विभाग ने मितव्ययिता संबंधी उपाय के रूप में तत्काल सभी भर्तियों पर रोक लगाने का आदेश 5 अगस्त, 1999 को जारी किया था तथा मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकारों को व्यय विभाग के परामर्श से समय-सीमा के अंदर रिक्त पदों की समीक्षा को पूरा करना तथा विभाग को इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना था;

(ख) क्या मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकारों ने वांछित समीक्षा पूरी की थी; और

(ग) यदि हां, तो व्यय विभाग के अनुमोदन के अनुरूप कितने रिक्त पदों को नहीं भरा गया और वेतन तथा भत्ते के मद में व्यय होने वाली कितनी राशि की बचत की गई?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां। तथापि दिनांक 24.9.2000 को जारी अनुवर्ती अनुदेशों के तहत मंत्रालयों/विभागों को एक वर्ष से अधिक पड़े हुए रिक्त पदों को समाप्त करने की सलाह दी गई थी। आपवादिक मामलों में ऐसे पदों के पुन: बहाल किए जाने पर गुणावगुण (मेरिट) के आधार पर विचार किया गया है।

(ख) और (ग) ऐसे आंकड़ों का केन्द्रीय तौर पर रख-रखाव नहीं किया जाता है।

पाकिस्तान के साथ चाय संबंधी समझौता

2694. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री ब्रह्मानन्द मंडल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चाय उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले इंडियन टी एसोसिएशन ने भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में चाय व्यापार की सुविधा प्रदान करने के लिए पाकिस्तान टी एसोसिएशन के साथ एक समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पाकिस्तान के साथ इस व्यापार चैनल को खोले जाने से भारतीय चाय उद्योग को किस सीमा तक बढ़ावा मिलेगा;

(घ) क्या भारतीय चाय के लिए कोई आर्डर मिला है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त आर्डर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी, हां। इंडियन टी एसोसिएशन के तत्वाधान में एक भारतीय चाय व्यापार और उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने जून-जुलाई, 2003 में पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान टी एसोसिएशन (पीटीए) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें यह व्यवस्था है कि यदि गुणवत्ता और कीमतें प्रतिस्पर्धी हों तो पीटीए द्वारा भारत से 10 मिलियन किग्रा चाय का आयात किया जाएगा। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिसकी मात्रा इस स्थिति में निर्धारित नहीं की जा सकती है।

(घ) से (च) चाय उद्योग स्रोतों के अनुसार पाकिस्तान से कुछ आर्डर प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान को भारत से चाय के निर्यातक भारतीय चाय के निर्यातों को बढ़ाने के लिए चाय बोर्ड की विभिन्न स्कीमों के तहत सभी लाभों और वित्तीय सहायता के पात्र होंगे।

विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार

2695. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत छह महीनों के दौरान देश में विदेशी मुद्रा के अवैध कारोबार के किन्हीं मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों का पता चला है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त की गई; और

(घ) विदेशी मुद्रा के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

किसानों को ऋण सुविधाएं

2696. श्री रामदास आठवले: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन और दंगों आदि से पीड़ित लोगों को बैंकों से सहायता प्रदान करने के दायरे को बढ़ाने के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1984 में जारी सामान्य दिशानिर्देश का वर्ष 1989 में संशोधन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार उड़ीसा और गुजरात में आज की तारीख में कितने लोगों को सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या गुजरात में आए विध्वंसकारी भूकम्प से प्रभावित लोगों को और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थानों को कोई नए निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित व्यक्तियों को तत्काल सहायता प्रदान करने में बैंकों द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु अगस्त, 1984 में और फिर 1998 में संशोधित स्थायी मार्गनिर्देश जारी किए थे।

(ख) उड़ीसा राज्य के लिए राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक यूको बैंक तथा गुजरात राज्य के लिए राज्य स्तरीय बैंक समिति के संयोजक देना बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उड़ीसा एवं गुजरात राज्यों में दी गई सहायता के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

उड़ीसा में बैंकों द्वारा दी गई सहायता

(करोड़ रु. में)

वर्ष	प्राकृतिक आपदा का प्रकार	दी गई सहायता	
		संख्या	राशि
1999	प्रचंड चक्रवात	754854	838.20
2001 (खरीफ)	बाढ़	139606	157.18
2002 (खरीफ)	सूखा	401492	470.80

गुजरात में बैंकों द्वारा दी गई सहायता

(करोड़ रु. में)

वर्ष	प्राकृतिक आपदा का प्रकार	दी गई सहायता	
		संख्या	राशि
1998	सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात	170796	229.50
1999-2000	दक्षिण गुजरात में बाढ़	1143	05.52
2001	भूकम्प		
	(1) नए ऋण	47638	280.00
	(2) पुनर्निर्धारण/परिवर्तन	66,550	569.00
2002	गुजरात में दंगे	5494	53.84

(ग) जी, हां।

(घ) मौजूदा मार्गनिर्देशों के अलावा, गुजरात राज्य के लिए राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक देना बैंक को दिनांक 12.02.2001 को कार्यान्वयन हेतु विशेष सहायता पैकेज की सलाह दी गई थी। प्रमुख सहायता उपाय निम्नलिखित है:-

- प्रभावित ऋणकर्त्ताओं के ऋण-वर्गीकरण पर 31.03.2003 तक ''जैसा है जहां है'' के आधार पर रोक लगाना।
- छोटे व्यापारियों, छोटे व्यवसायियों, स्व-नियोजित व्यक्तियों और लघु सड़क, ट्रांसपोर्टरों आदि के व्यवसायों की बहाली/पुनर्वास के लिए 1 लाख रु. तक की विशेष सीमाओं की मंजूरी किया जाना;
- घरों/दुकानों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए 2 लाख रु. तक के ऋण दिया जाना;
- लघु उद्योगों, व्यवसायियों, व्यापारियों और उद्योग-पतियों के लिए ब्याज दरों में कुछ रियायतों के साथ अतिरिक्त सीमाएं प्रदान करना/मौजूदा सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना।
- 10 लाख रु. तक के ऋणों पर ब्याज दर मूल उधार दर की दर लगाना तथा 10 लाख रु. से अधिक के ऋणों पर ब्याज दर वित्तदाता बैंक के निर्णय पर छोड़ना।

* राहत पैकेज के तहत लघु व्यापारियों, लघु व्यवसायियों स्व-नियोजित व्यक्तियों और लघु सड़क ट्रांसपोर्टरों को घर/दुकानों की मरम्मत/निर्माण के लिए दिए गये ऋण की प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के एक भाग के रूप में गणना में लेना।

* दावों का निपटान 48 घंटों के भीतर करना और क्षतिपूर्ति एवं हलफनामें के लिए 50,000/- रु. तक की राशि को जारी करना।

* कृषि ऋण के संदर्भ में दो वर्षों की अवधि के लिए मूलधन एवं ब्याज की कोई वसूली नहीं तथा 7 वर्षों तक की अवधि के लिए दो वर्षों के दौरान वसूल नहीं की गई राशि का पुनर्निर्धारण।

* प्रत्येक पात्र हिताधिकारी के लिए 2000/- रु. तक का उपभोग ऋण, यद्यपि गुजरात राज्य ने इस विषय पर हमारे विद्यमान निर्देशों में यथा उल्लिखित जोखिम निधि की स्थापना नहीं की है।

विदेशों में बैंकों की शाखाएं

2697. डा. मन्दा जगन्नाथ:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं के लाभ में अत्यधिक गिरावट आ रही है जैसाकि बैंकों के वर्ष 2001-02 के तुलन-पत्रों में मुख्य रूप से दर्शाया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से बैंक है;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ऐसी विदेश स्थित शाखाओं को बंद करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या इसमें से कुछ बैंकों पर उनकी कार्यप्रणाली में कतिपय कमियों के कारण सिविल आर्थिक दंड लगाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जहां तक उन मेजबान देशों के नियमों और विनियमों का सवाल है जहां ये शाखाएं चल रही हैं इस संबंध में आर.बी.आई. की क्या भूमिका है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां। मार्च, 2001, 2002, 2003 को समाप्त वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के आठ बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं के लाभ के ब्यौरे निम्नलिखित है:

(राशि मिलियन अमरीकी डालर में)

बैंक का नाम	शुद्ध लाभ		
	31.03.01	31.03.02	31.03.03
भारतीय स्टेट बैंक	57.65	0.95	12.23
बैंक आफ इंडिया	37.65	19.35	18.64
बैंक आफ बड़ौदा	32.34	23.40	31.95
इंडियन ओवरसीज बैंक	5.26	-2.70	-2.71
इंडियन बैंक	0.53	0.31	-9.56
यूको बैंक	1.64	-10.00	-5.79
केनरा बैंक	2.95	2.22	0.37
सिंडिकेट बैंक	2.31	0.77	0.55
कुल योग	140.33	34.30	45.68

इन शाखाओं के लाभ में वर्ष 2000-2001 की तुलना में वर्ष 2001-2002 में काफी गिरावट आई है। तथापि, वर्ष 2002-2003 के दौरान शुद्ध लाभ बढ़ा है। यह गिरावट मुख्यत: काफी संख्या में निपटाए गए उन ऋण खातों के कारण आई है, जो अनुपयोज्य आस्ति की श्रेणी में चले गए है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारतीय स्टेट बैंक की न्यूयार्क शाखा पर अमेरिकी विनियामकों द्वारा "महसूस किये गये असुरक्षित एवं अयुक्तियुक्त प्रथाओं" के कारण 7.5 मिलियन अमेरिकी डालर का अर्थदंड लगाया गया था, हालांकि कोई वास्तविक उल्लंघन जानकारी में नहीं आया था। जर्मन बैंकिंग पर्यवेक्षण प्राधिकरण (जीबीएसए) ने भारतीय स्टेट बैंक की फ्रैंकफर्ट शाखा को वर्ष 2000 और 2001 के दौरान एकल रूप में/अपने स्वयं के समूह निवेश सीमाओं के भीतर उसके द्वारा किए गये उल्लंघनों के लिए 21 अगस्त, 2001 को 1.8 मिलियन डीएम का प्रशासनिक अर्थदंड का नोटिस जारी किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों को सलाह दी है कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय करें कि उनकी विदेश स्थित शाखाएं मेजबान देश के विनियामकों की विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और प्रतिकूल टिप्पणियों के लिए कोई गुंजाइश न छोड़े।

सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम के कर्मचारियों का वेतन

2698. श्री सुनील खां: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 4 मार्च, 2003 तक भारत की संचित निधि में विनिवेश के माध्यम से 29,480 करोड़ रुपए जमा किए गए;

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के 60 केन्द्रीय उपक्रमों के सांविधिक बकाए, उनमें कार्यरत कामगारों और कर्मचारियों की लंबित मजदूरी तथा वेतन के मद में अब भी 2,265 करोड़ रुपए का बकाया होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में मंत्रियों के समूह के दिशा-निर्देशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) 31 मार्च, 2003 तक विनिवेश प्राप्तियों के रूप में 29,487 करोड़ रुपए की राशि जुटायी गयी है।

(ख) रुग्ण एवं घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों में बकाया सांविधिक राशियां वेतन एवं मजदूरी, संसाधन संबंधी अड़चनों, कानूनी मुद्दों तथा पुनर्संरचना/पुनर्स्थापना योजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण बकाया हैं।

(ग) मंत्रियों के दल (जी.ओ.एम.) द्वारा की गई अनुशंसाओं से सरकार को उपयुक्त निर्णयों पर पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी।

शहरी हाट

2699. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कारीगरों और बुनकरों को प्रत्यक्ष विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 31 मार्च, 2003 तक राज्य-वार कितने "शहरी हाट" खोले गए;

(ख) इस योजना के अंतर्गत कुल कितने कारीगर और बुनकर लाभान्वित हुए;

(ग) शहरी हाटों में कुल कितने उत्पादों तथा कितने मूल्य का विपणन हुआ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई और कितनी खर्च की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) 31 मार्च, 2003 तक कारीगरों एवं बुनकरों को प्रत्यक्ष विपणन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए स्थापित किए गए शहरी हाटों की संख्या राज्य-वार निम्नलिखितनुसार है:-

क्रमांक	स्थान	राज्य का नाम
1.	करनाल	हरियाणा
2.	तिरूपति	आंध्र प्रदेश
3.	जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर
4.	भुवनेश्वर	उड़ीसा

इन शहरी हाटों से 3300 कारीगर/बुनकर वार्षिक रूप से लाभान्वित होंगे।

(ग) इन शहरी हाटों के मार्फत बिक्री हुए उत्पादों की कुल मात्रा एवं कुल विपणन मूल्य संबंधी आंकड़े नहीं रखे जाते हैं तथापि कारीगर/बुनकर वार्षिक रूप से लगभग 10.50 करोड़ रुपये का सामान लेते हैं और इसमें से लगभग 60 प्रतिशत सामान की बिक्री हो जाती है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस योजना के अधीन मंजूर की गई एवं खर्च की गई कुल धनराशि की जानकारी निम्नलिखित है:-

क्रमांक	वर्ष	स्वीकृत धनराशि	रिलीज की गई धनराशि
1.	2000-01	शून्य	शून्य
2.	2001-02	शून्य	शून्य
3.	2002-03	1,75,90,000/- रुपये	1,75,90,000/- रुपये

दलालों को कमीशन

2700. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य के बारे में जानकारी है कि एक ही तरह के कार्य के लिए स्वनियोजित एजेंटों को मिलने वाले कमीशन की तुलना में बड़ी मात्रा में कमीशन का भुगतान किया जा रहा है और उन्हें बीमा धारकों को सुविधा प्रदान करने वाले एजेंटों के बजाय सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए एजेंटों के रूप में भी जाना जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बीमा क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार्य कर रहे स्वनियोजित एजेंटों के हितों की रक्षा करने तथा समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) बीमा ब्रोकर और एजेंट बाजार में अलग-अलग भूमिकाएं निभाते हैं। जहां एक ओर एजेंट बीमाकर्त्ता का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं ब्रोकर पालिसीधारक का प्रतिनिधित्व करता है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि एजेंटों और ब्रोकरों को प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए अलग-अलग विनियमों के अनुसार शासित किया जाता है और विनियमों के अनुसार उन्हें देय कमीशन उनकी भूमिका के अनुरूप होता है।

शहरी सहकारी बैंकों के निदेशक

2701. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण देने में कटौती करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस दिशा-निर्देश के कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 29 अप्रैल, 2003 के परिपत्र के तहत शहरी सहकारी बैंकों को तत्काल प्रभाव से निदेशकों, उनके संबंधियों और उन फर्मों/प्रतिष्ठानों/कंपनियों, जिनमें उनका हित है, को तत्काल प्रभाव से कोई भी ऋण और अग्रिम (प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत दोनों) देने से मना कर दिया था। कई शहरी सहकारी बैंकों और उनके राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संघों ने ऋण की मंजूरी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने से पूर्व कुछ और समय देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अभ्यावेदन दिया था। प्राप्त अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए शहरी बैंकों को कुछ और समय देने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को यह परामर्श दिया गया था कि 29 अप्रैल, 2003 को जारी किए गए अनुदेश 1 अक्तूबर, 2003 से प्रभावी होंगे।

[हिन्दी]

भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा निवेश

2702. श्री ब्रह्मनन्द मंडल: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्ति आजकल भारत में निवेश करने में संकोच करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का उन्हें कोई प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के विद्यमान उपबंधों के अन्तर्गत, भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में निवेश करने हेतु वही सुविधाएं मिलती हैं, जो अनिवासी भारतीयों को उपलब्ध हैं। वे सार्वजनिक/निजी लिमिटेड कंपनियों, स्वामित्व और भागीदारी फर्मों, कंपनी जमाराशियों में निवेश कर सकते हैं और अचल संपत्ति (सिवाय कृषीय संपत्ति, बागान के) क्रय कर सकते हैं।

[अनुवाद]

स्व-रोजगार योजना के लिए ऋण

2703. श्री अशोक ना. मोहोल
श्री प्रदीप यादव:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत 2002-03 और 2003-04 के दौरान आज तक राज्य-वार कितना ऋण प्रदान किया गया है; और

(घ) इन योजनाओं से राज्य-वार कितने युवक लाभान्वित हुए?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन

2704. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में वर्तमान में राज्य-वार कितने स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन कार्य कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक संगठन को कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ग) स्वैच्छिक संगठनों को धनराशि के आबंटन हेतु अपनाये गये मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बैंकों/बीमा क्षेत्र में कतिपय कार्यों हेतु अनिश्चित कार्यकाल

2705. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में कतिपय कार्यों के लिए अनिश्चित कार्यकाल प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्रस्ताव के क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राज्यों का हिस्सा

2706. **श्री प्रबोध पण्डा:** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001-02 के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की केन्द्रीय सहायता के हिस्से में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की योजनाओं के लिए सकल बजटीय समर्थन वर्ष 2000-01 (बजट अनुमान) में 36,824 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2001-02 (बजट अनुमान) में 40,644 करोड़ रुपए कर दिया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

नोट और सिक्कों की मांग

2707. **श्री थावरचन्द गेहलोत:** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान करेंसी नोटों और सिक्कों की मांग और पूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सिक्योरिटी प्रेस और सरकारी टकसालें देश में करेंसी नोटों और सिक्कों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मांग के अनुसार नोट नहीं छापतीं तथा सिक्के नहीं बनाती हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) करेंसी नोटों और सिक्कों की मांग और पूर्ति को किस प्रकार पूरा किया जा रहा है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा करेंसी नोटों और सिक्कों की मांग तथा मुद्रणालयों/टकसालों द्वारा इनकी आपूर्ति का ब्यौरा निम्नलिखित है:

मिलियन अदद में

वर्ष	करेंसी नोट		सिक्के	
	भा.रि. बैंक द्वारा मांग	आपूर्ति	भा.रि. बैंक द्वारा मांग	आपूर्ति
2000-01	12550	11404	3405	3018
2001-02	10500	9629	3700	3316
2002-03	11415	11371	3860	3246

(ख) से (घ) करेंसी नोटों की आपूर्ति अपेक्षित स्तर पर होती रही है। चारों भारत सरकार टकसालों की आपूर्ति की कुल वार्षिक क्षमता 3700 मिलियन अदद सिक्के है। आधुनिकीकरण/घिसी-पिटी मशीनों को बदलने के जरिए वर्तमान टकसालों की क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं।

कोचिंग सेंटर

2708. **श्री प्रदीप यादव:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित योजनाओं के अंतर्गत कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इन कोचिंग सेंटरों पर गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार और सेंटर-वार कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) भविष्य में ऐसे नए सेंटर खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां।

(ख) कोचिंग और सम्बद्ध योजना राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों/विश्वविद्यालयों/गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। राज्य सरकारों को कुल आवश्यक अनुदान का 50% और संघ शासित प्रदेशों, विश्वविद्यालयों और गैर-सरकारी संगठनों को 100% अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति छात्रों को अखिल भारतीय भर्ती प्रकृति वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने में सहायता पहुंचाने के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कोचिंग की निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कोचिंग के केन्द्र-वार व्यय के ब्यौरे केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखे जाते। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त राशियों का राज्य-वार और केन्द्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विभिन्न बैठकों में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को नई योजना के प्रावधानों के अनुसार नए केन्द्रों के लिए भी अनुदान हेतु प्रस्ताव भेजने का परामर्श दिया गया है। योजना के ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है ताकि राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश/विश्वविद्यालय/गैर-सरकारी संगठन इसका लाभ उठा सकें।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ विश्वविद्यालय/गैर-सरकारी संगठन का नाम	केन्द्र का नाम	निर्मुक्त धनराशि		
			2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान व निकोबार	जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर	शून्य	2.79	शून्य

1	2	3	4	5	6
2.	आंध्र प्रदेश	(1) पीईटीसी, हैदराबाद (2) आरपीईटीसी, पादेरू (3) आरपीईटीसी, भद्राचलम (4) आरपीईटीसी, उल्लूर (5) आरपीईटीसी, एथुरूनगरम	शून्य	शून्य	8.04
3.	असम	असम प्रशासनिक स्टाफ कालेज, गुवाहाटी	शून्य	शून्य	1.69
4.	गुजरात	(1) वडोदरा (2) पावी-जेतपुर (3) बलसाद (4) डांग-अहवा (5) भिलोड़ा (6) दाहोद (7) मांडवी (8) सूरत	शून्य	शून्य	8.64
5.	कर्नाटक	राज्य सरकार द्वारा केन्द्र का नाम नहीं दिया गया	शून्य	2.15	1.76
6.	उड़ीसा	राज्य सरकार द्वारा केन्द्र का नाम नहीं दिया गया	शून्य	2.49	4.82
7.	तमिलनाडु	पीईटीसी, चेन्नई	शून्य	शून्य	1.95
8.	ए.पी. भोज विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश	पीईटीसी, एम.पी. भोज विश्वविद्यालय	शून्य	9.93	शून्य
9.	एच.एन. बहुगुना विश्वविद्यालय, गढ़वाल	पीईटीसी, एचएन. बहुगुना विश्वविद्यालय	शून्य	शून्य	2.67
10.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	पीईटीसी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	शून्य	शून्य	2.90
11.	मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद	पीईटीसी, मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज	शून्य	शून्य	0.62
12.	दिल्ली एजुकेशन सेंटर, (गैर-सरकारी संगठन)	दिल्ली एजुकेशन सेंटर, जिया सराय, नई दिल्ली	शून्य	7.14	7.60
13.	चाणक्य अकादमी (गैर-सरकारी संगठन)	चाणक्य अकादमी, वसंत कुंज, नई दिल्ली	शून्य	शून्य	1.19

टिप्पणी: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों को एकमुश्त अनुदान निर्मुक्त किया जाता है न कि केन्द्र-वार। गैर-सरकारी संगठनों के मामले में केन्द्र-वार अनुदान निर्मुक्त किया जाता है।

घाटे में चल रहे कैफेटेरिया

2709. श्री पी.आर. खुंटे: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में काफी बोर्ड के कितने कैफेटेरिया चलाए जा रहे हैं;

(ख) इनमें से कितने कैफेटेरिया घाटे में चल रहे हैं;

(ग) इस संबंध में काफी बोर्ड द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इनका पुनरुद्धार करने का कोई कार्यक्रम है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) कॉफी बोर्ड देश में कुल 10 भारतीय काफी हाऊस चला रहा है जिनमें से 2 कॉफी हाऊसों को वर्ष 2002-03 के दौरान प्रचालन संबंधी घाटा हुआ है।

(ग) से (ङ) कॉफी हाऊसों के निष्पादन का मूल्यांकन केवल वाणिज्यिक आधार पर नहीं किया जा सकता क्योंकि वे काफी की घरेलू खपत को बढ़ाने तथा अन्य पेयों से मिलने वाली कड़ी प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर भारतीय काफी की छवि का संवर्धन करने में व्यापक भूमिका निभाते हैं। तथापि काफी बोर्ड द्वारा इन काफी हाऊसों के निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जहां कहीं आवश्यकता होता है, प्रचालन घाटे में कमी करने उससे बचने के लिए बेची गई मदों की कीमतों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है।

इसके अतिरिक्त बोर्ड, कॉफी हाऊसों के प्रचालन में विभिन्न मदों की कीमतें कम करने का प्रयास भी कर रहा है ताकि लाभों को बढ़ाया जा सके तथा इन इकाइयों के समग्र निष्पादन में सुधार लाया जा सके।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव

2710. श्री वाई.वी. राव: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 70 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन प्रस्तावों पर कब तक कार्य आरंभ होने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) पुनर्गठित विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की 15वीं बैठक में, सरकार ने लगभग 70.00 करोड़ रुपए की राशि के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के 15 प्रस्ताव अनुमोदित किए हैं। इन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों के विवरण दिनांक 7.7.2003 की प्रैस विज्ञप्ति में उपलब्ध हैं जो आर्थिक कार्य विभाग की वेबसाइट अर्थात http://finmin.nic.in पर भी दर्ज है।

(ग) अनुमोदन धारकों द्वारा सामान्यतया 2 वर्षों की अवधि के भीतर अनुमोदनों के कार्यान्वयन हेतु उपाय करना प्रत्याशित है।

महंगाई भत्ते का विलयन

2711. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैरा 105.11 की सिफारिश के अनुसार 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन में परिवर्तित करने के लिए कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग के गठन हेतु सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्ड क्या हैं;

(घ) पहले से पांचवें वेतन आयोग कब नियुक्त किए गए थे और प्रत्येक वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कितना समय लिया; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अगले वेतन आयोग अर्थात् छठे वेतन आयोग की नियुक्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इस योजना के कब तक गठित हो जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 28.2.2002 को हुई राष्ट्रीय परिषद की स्थायी समिति, जे.सी.एम. की बैठक में कर्मचारी पक्ष के सचिव ने कहा

था कि इस सिफारिश पर अपना दृष्टिकोण रखें। इस मांग को तदन्तर सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।

(ग) कोई नियत मापदण्ड निर्धारित नहीं है।

(घ) वांछित ब्यौरे निम्नवत हैं:-

	गठन की तारीख	लिया गया समय
पहला केन्द्रीय वेतन आयोग	मई, 1946	1 वर्ष
दूसरा केन्द्रीय वेतन आयोग	अगस्त, 1957	2 वर्ष
तीसरा केन्द्रीय वेतन आयोग	अप्रैल, 1970	3 वर्ष
चौथा केन्द्रीय वेतन आयोग	जुलाई, 1983	3 वर्ष 11 महीने
पांचवां केन्द्रीय वेतन आयोग	अप्रैल, 1994	2 वर्ष 10 महीने

(ङ) इस संबंध में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।

म्यूचुअल फंड स्कीम

2712. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न म्यूचुअल फंडों के अंतर्गत कुछ स्कीमें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के दिशानिर्देशों के विपरीत चलती हुई पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि म्यूचुअल फंड कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों से निवेशकों को अपने दायरे में लाएं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विजया बैंक

2713. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार विजया बैंक के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) तत्संबंधी श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विजया बैंक ने भी कुछ अंशकालिक कर्मचारियों की नियुक्ति की है;

(घ) यदि हां, तो ये कर्मचारी कब से नियुक्त किए गए हैं और आज की तिथि के अनुसार उनकी संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार का उनकी सेवाओं को नियमित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) 31 मार्च, 2003 तक की स्थिति के अनुसार विजया बैंक के कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या निम्नानुसार है:

कर्मचारियों की श्रेणी	संख्या
अधिकारी	3592
लिपिकीय संवर्ग	5547
अधीनस्थ कर्मचारी	1945
अंशकालिक सफाईवाले	639
कुल	11723

(ग) और (घ) बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर नियमित आधार पर अंशकालिक कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं। विजया बैंक ने सूचित किया है कि 31.07.2003 तक की स्थिति के अनुसार ऐसे कर्मचारियों की संख्या 630 थी।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

फर्जी उपभोक्ता संरक्षण संगठन

2714. श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में फर्जी उपभोक्ता संरक्षण संगठन उभरे हैं तथा वे उपभोक्ताओं को ठग रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) उपभोक्ता कल्याण से उन्हीं संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो राज्य सरकार/जिलाधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित/संस्तुत होते हैं। इसलिए नकली संगठनों द्वारा उपभोक्ता कल्याण कोष से फण्ड पाने की गुंजाइश बहुत कम है।

ऋण जमा अनुपात

2715. डा. वी. सरोजा: क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य के सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ऋण-जमा अनुपात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गरीब राज्यों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋण जमा अनुपात की स्थिति अत्यंत खराब है जिसके परिणामस्वरूप अति आवश्यक ऋण नहीं मिल पाया है; और

(ग) यदि हां, तो गरीब राज्यों को पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों का राज्य-वार ऋण जमा अनुपात संलग्न विवरण में दिया गया है। अलग-अलग राज्यों के लिए ऋण जमा अनुपात भिन्न-भिन्न हैं।

(ग) एक समान आर्थिक विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से बैंकों से कहा गया है कि अखिल भारतीय आधार पर अपने ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी शाखाओं के संबंध में 60% का ऋणा जमा अनुपात प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त, अग्रणी बैंक योजना के तहत विभिन्न मंचों जैसे एसएलबीसी, बीएलबीसी और डीएलआरसी की बैठकों में ऋण जमा अनुपात में सुधार करने पर नियमित रूप से विचार-विमर्श किया जाता रहा है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों का राज्य-वार ऋण जमा अनुपात

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च, 2001	मार्च, 2002	मार्च, 2003
1	2	3	4
राज्य क्षेत्र			
अंडमान एवं निकोबार	18.6	18.6	21.0
आंध्र प्रदेश	65.4	64.1	65.0
अरुणाचल प्रदेश	12.7	11.7	13.8
असम	33.4	32.1	28.4
बिहार	21.3	21.4	23.4
चंडीगढ़	110.4	134.3	131.4
छत्तीसगढ़	41.8	49.1	41.3
दादरा एवं नगर हवेली	17.1	17.2	17.5
दमन एवं दीव	13.1	9.8	9.0
दिल्ली	83.9	72.8	69.3
गोवा	23.6	24.9	22.9
गुजरात	46.5	43.2	42.7
हरियाणा	43.4	45.9	48.1
हिमाचल प्रदेश	22.7	23.0	24.9
जम्मू एवं कश्मीर	21.4	20.9	21.1
झारखंड	28.9	24.2	26.0
कर्नाटक	60.5	63.7	67.3
केरल	41.7	42.2	43.7
लक्षद्वीप	9.7	8.4	5.1
मध्य प्रदेश	49.2	47.7	48.4
महाराष्ट्र	86.7	92.7	88.8
मणिपुर	38.8	24.5	26.9
मेघालय	16.2	17.8	29.7

1	2	3	4
मिजोरम	23.5	24.4	25.1
नागालैंड	14.5	12.9	13.3
उड़ीसा	40.9	41.7	45.9
पांडिचेरी	32.8	30.1	31.4
पंजाब	42.1	43.3	42.8
राजस्थान	49.8	51.2	54.1
सिक्किम	15.6	16.0	17.3
तमिलनाडु	84.5	77.7	80.4
त्रिपुरा	20.0	19.6	23.1
उत्तर प्रदेश	29.2	28.3	30.8
उत्तरांचल	22.4	22.9	18.1
पश्चिम बंगाल	43.5	46.8	48.2
अखिल भारत	57.0	56.1	56.4

ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम में संशोधन

2716. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्तीय संस्थानों को देय राशि की वसूली हेतु कई कदम उठाने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वसूली में सुधार लाने के लिए सरकार ने ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम के उपबंधों को और प्रभावी बनाने के लिए उसमें संशोधन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस अधिनियम को संशोधित करने के बाद ऋण वसूली में कोई सुधार हुआ है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऋण वसूली में तेजी लाने हेतु राज्य सरकारों के परामर्श से क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क), (ख) और (ङ) सरकार ने अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) की बढ़ती घटनाओं से उत्पन्न स्थिति में सुधार करने के लिए ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) के सुदृढ़ीकरण, कारपोरेट ऋण पुनर्निर्धारण (सीडीआर), तंत्र लागू करने, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (एसआरईएस) के अधिनियमन तथा आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) के गठन के माध्यम से विभिन्न सामर्थ्यकारी उपाय शुरू किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बारगी निपटान योजना (ओटीएस) के अधीन समझौता निपटानों के माध्यम से सभी क्षेत्रों में अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली के लिए विवेकाधिकार रहित एवं अभेदमूलक तंत्र अपनाने के लिए वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों को परिपत्र भी जारी किए हैं।

(ग) और (घ) बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (डीआरटी अधिनियम) का संशोधन वर्ष 2000 में अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान पाई गई कुछ कानूनी विसंगतियों को दूर करने तथा इसके साथ-साथ ऋण वसूली अधिकरणों को सुदृढ़ करने के लिए भी किया गया था। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप, डीआरटी नियमावली में संशोधन तथा 21.1.2003 को इसे अधिसूचित भी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, डीआरटी द्वारा मामलों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) 1 अप्रैल, 2000 के बाद से 15 और डीआरटी का गठन किया गया है जिससे देश में कुल डीआरटी की संख्या 29 हो गई है;

(2) डीआरटी में स्टाफ की संख्या बढ़ाना;

(3) उनकी कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए पीठासीन अधिकारियों को और प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(4) डीआरटी के लिए पर्याप्त अवसंरचना की व्यवस्था करना; और

(5) डीआरटी में कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण।

विभिन्न उपाय किए जाने के परिणामस्वरूप मामलों का निपटान वर्ष 2000-01 को 4637 से बढ़कर 2001-02 में 8931 तथा वर्ष 2002-03 के दौरान 10233 हो गया है। वर्ष 2002-03 के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या नए पंजीकृत मामलों की संख्या से अधिक हो गई। इसी प्रकार, डीआरटी के माध्यम से की गई वसूलियां भी 2000-01 के 1185 करोड़ रु. से बढ़कर 2001-02 के दौरान 2153 करोड़ रुपये तथा 2002-03 के दौरान 3252 करोड़ रुपये हो गई हैं।

मिनरल वाटर संबंधी समिति

2717. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय मानक संस्थान द्वारा हाल ही में संशोधित निबंधन और शर्तों को लागू करने को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए लघु उद्योग क्षेत्रों में मिनरल पेय जल बनाने वाली कंपनियों की समस्याओं की जांच करने के लिए एक समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में समस्या क्या है और इस संबध में समिति ने क्या सिफारिशें की हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा इस प्रकार की कोई समिति गठित नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2718. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम क्या हैं; और

(ख) ब्रिकट भविष्य में राज्य-वार ऐसे कितने बैंक खोले जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर आर बी) के नाम निम्न प्रकार है:-

राज्य का नाम	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम
1	2
आंध्र प्रदेश	1. संगमेश्वर ग्रामीण बैंक
	2. मंजीरा ग्रामीण बैंक
	3. कथ्थया ग्रामीण बैंक
	4. नागार्जुन ग्रामीण बैंक
	5. श्री विशाखा ग्रामीण बैंक
अरुणाचल प्रदेश	6. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
असम	7. लंगपी देहागी रूरल बैंक
बिहार	8. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
हिमाचल प्रदेश	9. संथाल परगना ग्रामीण बैंक
	10. पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
जम्मू एंड कश्मीर	12. इलाकी देहाती बैंक
कर्नाटक	13. कृष्णा ग्रामीण बैंक
छत्तीसगढ़	14. बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
	15. रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
	16. बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
मध्य प्रदेश	17. बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
	18. शिवपुरी-गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
	19. दमोह-पन्ना सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
मेघालय	20. का बैंक नौकिए रि खासी जैन्तीया
मिजोरम	21. मिजोरम रूरल बैंक
नागालैंड	22. नागालैंड रूरल बैंक
उड़ीसा	23. कोरापत पंचवटी ग्राम्य बैंक
	24. कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक
	25. बोलनगिर आंचलिक ग्रामीण बैंक
उत्तर प्रदेश	26. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
	27. बस्ती ग्रामीण बैंक
उत्तरांचल	28. पथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
	29. गंगा-यमुना ग्रामीण बैंक
	30. अलखनंदा ग्रामीण बैंक

(ख) सरकार को भारतीय स्टेट बैंक या किसी अन्य प्रायोजक बैंक से नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

कंपनी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन

2719. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री अधीर चौधरी:
डा. चरणदास महंत:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करने पर जेट एयरवेज (इंडिया) प्रा. लिमिटेड के विरुद्ध अभियोजन कार्यवाही करने का आदेश दिया था;

(ख) यदि हां, तो किए गए उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) जेट एयरवेज के विरुद्ध की गई जांच में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) जेट एयरवेज के विरुद्ध अंतिम कार्यवाही कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) कंपनी कार्य विभाग ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अंतर्गत मैसर्स जेट एयरवेज (इंडिया) प्रा. लि. की लेखा-बहियों की जांच की है। अधिनियम की धारा 205, 224(8), 211 (8 मामले) और 292 के उल्लंघन के लिए कंपनी और इसके चूककर्त्ता अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन के आदेश दिए हैं/अभियोजन आरम्भ किए हैं।

(ग) और (घ) अधिनियम की धारा 621क के अंतर्गत दायर किए गए कंपनी के आवेदनों पर सक्षम प्राधिकरण द्वारा कंपनी और इसके चूककर्त्ता अधिकारियों पर 2,20,000/- रुपए का कुल अभिशमन शुल्क लगाकर पूर्वोक्त अपराधों का अभिशमन किया गया है।

काजू के मूल्य में गिरावट

2720. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-04 की पहली तिमाही में प्राप्त राशि की तुलना में वर्ष 2002-03 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय काजू से औसतन कितनी राशि प्राप्त हुई;

(ख) मूल्य में गिरावट यदि कोई हो, के क्या कारण है;

(ग) काजू की गुणवत्ता स्तरों और पैकेजिंग प्रणाली को सुधारने हेतु चालू योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान काजू प्रसंस्करण इकाईयों के आधुनिकीकरण हेतु दी गई अनुदान सहायता का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) वर्ष 2002-03 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय काजू की औसत वसूली 18562 रुपए प्रति किग्रा थी। वर्ष 2003-04 की पहली तिमाही में यह 187.22 रुपए प्रति किग्रा थी। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की पहली तिमाही के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काजू की कीमत में कोई गिरावट नहीं आई है।

(ग) और (घ) वर्ष 2000-01 के दौरान काजू निर्यात संवर्धन परिषद ने आधुनिकीकरण, आईएसओ 9000 तथा नवीनतम पैकेजिंग प्रणाली को प्राप्त करने के लिए काजू प्रसंस्करण इकाइयों को 89,750,18 रुपए का वितरण किया था। वर्ष 2001-02 के दौरान उक्त कार्यकलापों के लिए वितरित राशि 1,72,907,01/- रुपए थी। दसवीं योजना के दौरान काजू गुणवत्ता के लिए समेकित स्कीम नामक एक स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अभी तक इस स्कीम के लिए कोई राशि जारी नहीं की गई है।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनें

2721. श्री अधीर चौधरी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अगले संसदीय चुनावों में प्रत्येक मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि चुनाव आयोग ने इस संबंध में लगभग तीन लाख मतदान मशीनें खरीदने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी राशि खर्च होने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) और (ख) जी, हां। भारत निर्वाचन आयोग ने लोक सभा के आगामी साधारण निर्वाचनों में सभी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों में इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का उपयोग करने के लिए प्रस्ताव किया है।

(ग) और (घ) जी, हां। चालू वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों के क्रय के लिए 303 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान में से निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय सरकार के उपक्रमों, अर्थात् भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर और इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद, में से प्रत्येक को 1,43,475 इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों के विनिर्माण और प्रदाय के लिए आदेश दिया है।

[अनुवाद]

नाबार्ड ऋण

2722. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा तमिलनाडु सरकार से ऋण हासिल करने संबंधी कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) नाबार्ड द्वारा परियोजना-वार इन परियोजनाओं हेतु कितना ऋण प्रदान किया गया?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर आई डी एफ) के अंतर्गत तमिलनाडु सरकार को संस्वीकृत ऋण का उद्देश्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2000-01, 2001-02 एवं 2002-03 के दौरान आर आई डी एफ के तहत नाबार्ड द्वारा तमिलनाडु सरकार को संस्वीकृत ऋण का उद्देश्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

शामिल परियोजना	आर आई डी एफ-VI		आर आई डी एफ-VII		आर आई डी एफ-VIII	
	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि
लघु सिंचाई	20	37.20	7	6.31	1	13.96
मध्यम सिंचाई	—	—	3	93.72	2	42.74
ग्रामीण पुल	150	88.50	141	57.99	161	67.47
ग्रामीण सड़क	539	127.51	345	141.62	224	118.12
जल-विभाजक प्रबंधन	—	—	—	—	182	5.63
प्राथमिक स्वास्थ्य	—	—	200	10.97	115	12.41
प्रणाली सुधार	—	—	4	34.42	45	63.01
माध्यमिक विद्यालय	—	—	96	14.92	250	65.36
कुल	709	253.21	796	359.95	980	388.70

सीमेंट के मूल्य में वृद्धि

2723. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सीमेंट के मूल्य में वृद्धि के कारण इसकी आपूर्ति पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों की तुलना में गत एक वर्ष के दौरान सीमेंट के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई और इसका निर्माण उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) संलग्न विवरण-पत्र में दर्शाये गये अनुसार प्रमुख उपभोक्ता केन्द्रों में सीमेंट के मूल्य से पता चलता है कि इसमें, विगत दो वर्षों की तुलना में पिछले वर्ष में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त नीचे दी गई सारिणी में दर्शाये गये अनुसार बृहत् संयंत्रों के संबंध में विगत तीन वर्षों में सीमेंट/खंगर की क्षमता, उत्पादन, घरेलू खपत और निर्यात से यह पता चलता है कि सीमेंट का उत्पादन प्रतिवर्ष बढ़ रहा है और सीमेंट की कोई कमी नहीं है।

(मिलियन टन में)

वर्ष	संस्थापित क्षमता	क्षमता उपयोग %	उत्पादन	खपत (घरेलू)	निर्यात	
					सीमेंट	खंगर
2000-01	114.52	82	93.61	90.29	3.15	2.00
2001-02	129.90	79	102.40	99.01	3.38	1.76
2002-03	136.97	81	111.35	107.59	3.47	3.45

इसके अतिरिक्त, लघु सीमेंट संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 4 से 5 मिलियन टन तक सीमेंट का उत्पादन करते हैं जिसका पूर्णतया उपभोग कर लिया जाता है।

विवरण

(रुपये प्रति बैग 50 किलोग्राम)

क्षेत्र/केन्द्र	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4
पूर्वोत्तर क्षेत्र			
दिल्ली	136	133	130
करनाल	143	139	136
चंडीगढ़	143	150	142
जयपुर	127	130	118
रोहतक	135	131	126
भटिन्डा	143	148	139
लुधियाना	146	155	144
जम्मू	181	189	182
शिमला	151	165	156
पूर्वी क्षेत्र			
कलकत्ता	144	131	151
पटना	134	130	136
भुवनेश्वर	141	128	141
गोहाटी	171	174	172
मुजफ्फरपुर	138	134	137
पश्चिमी क्षेत्र			
मुम्बई	158	165	156
अहमदाबाद	140	138	134
नागपुर	131	132	118
पूना	148	138	125
राजकोट	139	138	134
बड़ौदा	139	139	134
सूरत	140	139	134
दक्षिणी क्षेत्र			
मद्रास	162	170	143
त्रिवेन्द्रम	174	180	151
बेंगलूर	153	159	140
हैदराबाद	133	142	119

1	2	3	4
कालीकट	173	181	152
विशाखापट्टनम	145	146	130
गोवा	144	146	136
केन्द्रीय क्षेत्र			
लखनऊ	130	131	129
मेरठ	133	134	131
फैजाबाद	124	124	125
बरेली	133	129	131
भोपाल	125	121	117

रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

2724. श्री मोहन रावले: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्ष 2001-2002 हेतु अपने प्राथमिकता क्षेत्र संबंधी दायित्वों को पूरा करने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने आईआरडीए (ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्त्ताओं के दायित्व) विनियम, 2002 के अंतर्गत वर्ष 2001-02 के संबंध में ग्रामीण क्षेत्र संबंधी दायित्वों को तो पूरा कर दिया है लेकिन यह सामाजिक क्षेत्र संबंधी दायित्वों को पूरा नहीं कर पाई है।

(ग) चूंकि इस कंपनी ने 23 मार्च, 2001 से ही अपना प्रचालन कार्य शुरू किया है, इसलिए आईआरडीए ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2001-02 के दौरान सामाजिक क्षेत्र संबंधी दायित्वों को पूरा करने में हुई कमी उनके द्वारा अगले वर्ष पूरी कर दी जाए।

एनटीसी के शोरूम

2725. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में स्थानवार और राज्यवार राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कितने शोरूम हैं;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान अभी तक प्रत्येक शोरूम को कितना लाभ/हानि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में उन शोरूमों को भी बंद करने का आदेश दिया है जिन्होंने निर्धारित बिक्री लक्ष्य से अभी अधिक की बिक्री की है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे शोरूमों को बंद करने के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में एनटीसी शोरूमों के ब्यौरे उनके लाभ/हानि सहित संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने कर्मचारियों को वीआरएस देकर घाटा देने वाले सभी शोरूमों को बंद करने का निर्णय लिया है।

विवरण

30.6.03 के अनुसार राज्य-वार/अवस्थिति-वार शोरूम की सूची

(लाख रु. में)

			लाभ/हानि 2000-01	लाभ/हानि 2001-02	लाभ/हानि 2002-03	लाभ/हानि 2003-04 अप्रैल-जून
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश						
1.	**हैदराबाद**	ओल्ड सुपर बाजार बिल्डिंग, भेल	1.57	-3.48	-3.90	-1.35
2.	**हैदराबाद**	साप नं. 1-1-212, चिक्करपल्ली	-1.10	-2.23	-4.40	-1.58

1	2	3	4	5	6	7
3.	हैदराबाद	गनफाउन्डरी रोड	0.03	3.04	-4.96	-1.88
4.	अनंतपुर	साप नं. 24, अनंतपुर मुनि शॉपिंग काम्प्लेक्स	-2.16	-2.97	-3.63	-1.23
5.	कुडप्पा	19/1-ए/1, मद्रास रोड	-4.66	-4.98	-5.28	-1.64
6.	इलुरू	12, म्यूनिसिपल काम्पलैक्स, मेन रोड	-2.01	-3.83	-4.48	-1.14
7.	गुंटूर	स्टेशन रोड, गुंटूर-22	-1.27	-4.20	-4.21	-1.34
8.	हनुमोकोंडा	शॉप नं. 6 और 7, श्री वेंकटेश्वरा काम्पलेक्स, एम. रोड	-2.81	-4.17	-5.16	-1.60
9.	विशाखापत्तनम	एस. नं. 30-46-26, मेन रोड, कनचरापल्लम	-0.10	-2.28	-3.26	-0.45
10.	काकीनाडा	गोल्ड मार्केट, सेंटर, मेन रोड	-0.93	-1.79	-3.20	-1.05
11.	करीम नगर	4-1-364, करीम नगर-1	-4.77	-4.51	-5.33	-1.55
12.	कुरूनूल	पार्क रोड, जिला परिषद के पीछे	-1.1	-3.63	-4.74	-1.35
13.	मछलीपत्तनम	शॉप नं. 25/525, फार्ट रोड	-0.29	-2.22	-2.73	-0.82
14.	नेल्लोर	16, जेवीआर म्यूनिसिपल बाई ट्रंक रोड	-1.39	-2.15	-4.42	-1.57
15.	तिरूपति	224, बजार स्ट्रीट	-1.19	-3.07	-4.42	-1.70
16.	विजयवाड़ा	27-23-146/147, गोपाल रेड्डी रोड	-1.76	-2.31	-3.82	-1.22
17.	विशाखापत्तनम	जगदम्बा सेंटर, प्रकाश राउपेट	1.13	-3.03	-3.50	-1.06
18.	हैदराबाद	एवीडी रोड हैदराबाद	2.58	1.65	-1.28	-0.78
असम						
1.	गुवाहाटी	जीएनबी रोड, गुवाहाटी	-4.19	-4.87	-4.32	-1.31
2.	शिलांग	पुलिस बाजार, आईओबी बिल्डिंग	-2.33	-2.76	-2.58	-0.79
3.	डिबरूगढ़	हबीब मार्केट, डिबरूगढ़	-3.01	-2.05	-1.87	-0.61
4.	पांडु	मेन रोड, जिला पांडु, कामरूप	-5.34	-5.51	-2.87	-0.86
बिहार						
1.	पटना	उद्योग भवन, गांधी मैदान, पटना	3.94	4.05	3.87	1.2
2.	पटना सिटी	झाउगंज, पटना सिटी	-4.49	-4.57	-4.32	-1.2
3.	दानापुर	बस-स्टैंड, दानापुर कैंट	-4.36	-4.05	-4.23	-1.23

1	2	3	4	5	6	7
4.	मुजफ्फरपुर	शैलीडांडी मार्केट, मोती झील	-0.06	-0.37	-0.76	-0.24
5.	पूर्णिया	आर.एन. साव चौक, पूर्णिया	-3.97	-4.07	-4.18	-1.23
6.	छपरा	हथवा मार्केट, छपरा	-1.92	-1.98	-2.05	-0.6
7.	दरभंगा	एच. टावर चौक, छपरा	-3.11	-2.87	-2.91	-0.86
8.	सासाराम	जीटी रोड, सासाराम	-2.16	-2.05	-2.23	-0.66
9.	मधुबनी	नारियल बाजार, मधुबनी	-4.07	-4.15	-4.03	-1.30
10.	जहानाबाद	विनय मार्केट, जहानाबाद	-2.64	-2.72	-2.81	-0.81
11.	गया	गया टाउन	-1.20	-1.37	-1.58	-0.50
दिल्ली राज्य						
1.	आर्य समाज रोड	पी.एन.बी. बिल्डिंग, आर्य समाज रोड	0.09	1.15	0.88	0.14
2.	एन.डी.एस.ई.	ई-25, एन.डी.एस.ई., पार्ट-2, नई दिल्ली	2.33	3.06	3.75	0.65
3.	शंकर रोड	128 शंकर रोड, नई दिल्ली	-0.74	-0.41	0.21	0.07
4.	टैगोर गार्डेन	ई-7, शापिंग सेंटर, टैगोर गार्डेन नई दिल्ली	0.54	2.24	0.25	-0.10
5.	ग्रेटर कैलाश	एस-61, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-1, नई दिल्ली	0.41	0.11	-0.28	0.01
6.	तिलक नगर	24, ओल्ड मार्केट, तिलक नगर, दिल्ली	0.58	0.36	-0.01	-0.01
7.	खान मार्केट	64, खान मार्केट, दिल्ली	0.54	1.15	-0.81	0.95
8.	पहाड़ गंज	23-51-52, राजगुरु रोड, चूना मंडी, दिल्ली	-0.97	-0.75	-0.34	0
9.	दिल्ली कैंट	3/2, गोपी नाथ बाजार, दिल्ली कैंट, दिल्ली	-0.58	-0.44	-0.20	-0.15
10.	इस्ट आफ कैलाश	कम्यूनिटी सेंटर, इस्ट आफ कैलास, नई दिल्ली	0.47	1.27	-0.98	0.22
11.	ए.टी.एम.	एटीएम, कम्पाउंड आजादपुर, दिल्ली	-0.48	-0.20	-0.26	-0.03
12.	लक्ष्मी नगर	बी-33/2, विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, दिल्ली	-0.52	0.05	0.01	0.08
13.	मोती नगर	सुपर बाजार बिल्डिंग, मोती नगर, दिल्ली	0.09	0.57	0.55	0.07
गुजरात						
1.	अहमदाबाद	उस्मानपुर, आश्रम रोड	-0.55	-1.44	3.10	0.52
2.	अहमदाबाद	झावेरी, बस स्टाप, रिलिफ रोड	0.25	-0.56	0.30	0.06
3.	बड़ौदा	34/35, पद्मावती देवी शापिंग काम्प्लेक्स	1.19	0.69	2.83	0.35

1	2	3	4	5	6	7
4.	गोधरा	सथरिया बाजार, गोधरा	-0.62	-0.80	0.33	0.03
5.	जूनागढ़	लोदिया मार्केट, मांडवी चौक	-0.43	-0.62	0.74	0.14
6.	जामनगर	वेदी गेड, स्टेशन रोड	-0.44	-0.83	0.84	0.10
7.	राजकोड	सुगर हाऊस, देवर चौक	0.36	-0.11	2.53	0.39
8.	सूरत	चौक बाजार, सूरत	-0.65	-1.22	1.46	0.41
9.	अहमदाबाद	फिनलै शोरूम	0	0	0	1.10
हरियाणा	राज्य					
1.	पानीपत	13, जी.टी. रोड, पानीपत	-0.47	-0.44	-0.37	-0.06
2.	फरीदाबाद	1-ई-22-बी, एनआईटी, फरीदाबाद	0.09	0.23	0.17	-0.09
3.	करनाल	सी-146, जी.टी. रोड, करनाल	-1.31	-1.10	-1.48	-0.38
4.	अंबाला	4164/65-ए, डीसी रोड, अंबाला कैंट	-0.70	-0.19	-0.37	-0.70
हिमाचल	प्रदेश					
1.	शिमला		0	0	0	-0.24
जम्मू	व कश्मीर राज्य					
1.	जम्मू	अमर मार्केट, रघुनाथ बाजार	0.07	1.04	0.24	-0.43
2.	श्रीनगर	पोलो ब्यू, श्रीनगर	0.20	0.61	0.13	0.09
झारखंड						
1.	रांची	वेलफेयर भवन, मेन रोड, रांची	1.55	-1.68	-1.43	-0.44
2.	जमशेदपुर	कमानी सेंटर, विस्तुपुर	-0.56	-0.48	-0.58	-0.16
कर्नाटक						
1.	बेंगलौर	33, पी-यू भवन, एम जी रोड	-3.31	-3.60	-6.85	-3.05
2.	बेंगलौर	125/2, डिसपेंसरी रोड	-4.20	-5.67	-7.12	-2.60
3.	बेंगलौर	40/1, गीता मेंशन, के जी रोड	-4.06	-4.39	-4.63	0
4.	बेंगलौर	इस्टर्न ब्लाक, कोरपोरेशन शापिंग काम्प्लैक्स, जयनगर	-1.62	-1.69	-1.80	-0.63
5.	बेंगलौर	नं. 7, 8वां क्रास मल्लेश्वरम	-0.80	-1.86	-3.37	-1.41
6.	बेंगलौर	1-बी, मेन रोड, 2सरा स्टेज, राजाजी नगर	-1.75	-1.83	-2.05	-0.61
7.	बेंगलौर	498, 54वां क्रास, 12वां मेन, तीसरा ब्लाक, राजाजी नगर	-1.89	-1.97	2.21	-0.74

1	2	3	4	5	6	7
8.	मैसूर	मैसूर मिल परिसर	-3.54	-3.93	-5.31	-1.73
9.	बेलगांव	3108, खड़े बाजार	-1.76	-2.59	-3.54	-0.72
10.	चिकमंगलूर	4892, एम जी रोड	-1.96	-2.32	-3.24	-0.95
11.	दिवांगिरी	चिगेटरी मर्क., भवन, बिजी कंपनी रोड	-2.26	-2.85	-3.2	-0.73
12.	धारवाड़	एल.ई.ए. शापिंग काम्प्लैक्स, बेलगांव	-1.68	-2.15	-2.46	-0.7
13.	हसन	बी एच रोड, बस स्टैंड के सामने	-1.88	-2.23	-2.66	-0.67
14.	मंड्या	1042, जैन स्ट्रीट	-2.29	-2.34	-3.22	-0.98
15.	मंगलोर	के एस राव रोड, गणपति मंदिर	-3.1	-4.25	-5	-1.91
16.	तुमकुर	जय देव हास्टल के सामने, बंगलौर रोड	-1.68	-2.09	-2.97	-0.87
17.	वांदर	नगरपालिका परिसर, डा. अम्बेडकर गोल चक्कर	-2.17	-2.23	-2.41	-0.68
18.	गुलबर्गा	5, सुपर मार्केट	-2.11	-2.66	-3.2	-1.12
19.	रायचुर	15, बैरून किला, रायचुर	-1.74	-2.33	-2.93	-1.07
20.	बंगलौर	एक्स. सेल्स काउंटर	-2.51	-2.85	0	0
21.	मैसूर	मैसूर 2, कूबेमपुनगर	-2.45	-3.14	-3.84	-1.15
केरल						
1.	अलवाये	पारेठ पल्लई भवन, रेलवे स्टेशन रोड	-0.23	-2.48	-3.05	-1.07
2.	क्विलोन	पृथ्वी मिल्स परिसर	-1.95	-3.65	-5.07	-2.24
3.	कन्नोर	नगरपालिका शापिंग काम्प्लैक्स परिसर, केएसआरटीसी बस स्टैंट के पास	-3.01	-3.16	-4.59	-1.39
4.	कालकीत	जयंती बिल्डिंग, पालायम	-3.43	-5.09	-6.19	-1.70
5.	चंगाना चेरी	नगरपालिका भवन, एम सी रोड,	-1.94	-2.93	-2.85	-0.92
6.	एर्नाकुलम	बनर्जी रोड, एर्नाकुलम, कोचीन	-3.42	-4.40	-5.19	0
7.	एर्नाकुलम	एमजी रोड, एर्नाकुलम, कोचीन	-2.69	-2.80	-4.67	0
8.	कसरगौड़	वेन्डीचन भवन, मेन रोड	-1.83	-1.94	-2.50	-0.82
9.	कुन्नमकुलम	वदक्कम चेरी रोड, जिला त्रिचूर	-2.58	-2.44	-2.53	-0.70
10.	पल्लई	नगरपालिका टाउन हाल भवन, पल्लई-686575	-2.03	-2.75	-3.39	-0.97
11.	पालघाट	टी.बी. रोड, पालघाट	-3.12	-3.92	-4.27	-1.40
12.	त्रिचूर	26, सक्थन ताम्बरम नगर, नगरपालिका काम्प्लैक्स	-5.48	-4.57	-6.98	-1.40

1	2	3	4	5	6	7
13.	तैल्लीचेरी	नारंगापुरम रोड, तैल्लीचेरी	-2.75	-0.05	-2.5	-0.91
14.	त्रिवेंद्रम	एलांकथ काम्प्लैक्स नगर, आवर ब्रिज जंक्शन	-5.27	-6.64	-7.22	-2.33
मध्य प्रदेश						
1.	इंदौर	41, जंगमपुरा, मालगंज चौराहा	1.34	0.14	-0.12	-0.09
2.	देवास	अलंकार बाजार	-0.12	0.71	-0.53	-0.17
3.	उज्जैन	फ्रीगंज चौराह, घंटाघर के पास	-0.34	-0.49	-0.83	-0.33
4.	भोपाल	3, बलबिहार, हमीदिया रोड	1.78	1.49	0.95	0.17
5.	बुरहानपुर	बीटी मिल्स, लाल बाग, बुरहानपुर	-0.17	-0.17	-0.18	-0.1
6.	रतलाम	115, धान मंडी बाजार खान, रतलाम-1	-0.15	-0.29	-0.14	-0.21
महाराष्ट्र						
1.	मुंबई	इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं. 1,	1.74	2.48	1.09	0.33
2.	मुंबई	इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं. 2,	0.53	0.51	0.54	0.08
3.	मुंबई	इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं. 6,	0.58	0.87	0.59	0.09
4.	मुंबई	फार्ट क्लाथ शाप	0.55	0.93	0.39	0.03
5.	मुंबई	आरएसआरजी मिल्स, मुंबई	2.24	0.80	0.78	0.30
6.	मुंबई	टाटा मिल्स, दादर	1.70	1.90	0.83	0.55
7.	मुंबई	कोहिनूर, शिवाजी पार्क	4.25	5.73	3.93	0.55
8.	मुंबई	कोहिनूर, ओपेरा हाऊस	1.47	2.88	2.2	0.52
9.	मुंबई	जाम मिल्स, लाल बाग, परेल	0.73	1.17	0.95	0.15
10.	नागपुर	माडल मिल्स, नागपुर	3.11	3.96	5.56	0.89
11.	नागपुर	धरमपथ	0.12	0.27	0.35	0.11
12.	हिंगनघाट	आरबीबीए मिल्स	0.88	1.58	1.18	0.21
13.	अचलपुर	विदर्भ मिल्स, बरार	0.40	-0.02	0.51	0.08
14.	मुंबई	फेरेर रोड	1.70	2.6	0.87	0.14
15.	मुंबई	चिंचपोकली, 382, एमएन जोशी मार्ग, अपोलो मिल्स	7.35	2.48	4.12	0.12
16.	मुंबई	दिग्विजय मिल काम्प्लैक्स, लाल बाग, मुंबई	2.30	1.85	-0.04	-0.53

1	2	3	4	5	6	7
17.	पुणे	577, सदाशिव पथ, लक्ष्मी रोड, पुणे-30	0.56	1.16	-0.16	-0.42
18.	भारत	जी के मार्ग, लोअर परेल, मुंबई	0.16	0.27	-0.03	-0.04
19.	परेल, (ज्यूपीटर मिल)	बालासेठ बुद्धकर मार्ग, परेल, मुंबई	-1.06	-0.4	-0.77	-0.25
20.	परेल (एमटीएम)	सेनापति बपत मार्ग, परेल	0.21	-1.32	-0.59	0.14
21.	परेल (फिनलै)	डा. एस.एस. राव रोड, परेल, मुंबई	-0.25	0.1	0.1	0.04
22.	चौपाटी	मरीना मैन्सन एसपी पटेल रोड, मुंबई	2.58	1.84	0.92	3.4
23.	नान्देड़	नान्देड़ टेक्स, मिल्स, नान्देड़	1.01	0.39	1.45	0.99
24.	चालीसगांव	रिटेल क्लाथ शाप, चालीसगांव	0.13	0.14	-0.18	-0.04
उड़ीसा						
1.	अंगूल	लक्ष्मी बाजार, सैंट्रल लाज	-0.85	0.89	-0.97	-0.31
2.	भुवनेश्वर	साहिद नगर, मार्केट काम्प्लैक्स	-1.02	-1.13	-1.07	-0.33
3.	बालासोर	कचहरी रोड, बालासोर	-1.01	-0.06	-1.08	-0.34
4.	कटक	बीके रोड, वृंदावन टाकिज	-0.95	-1.32	-1.05	-0.33
5.	जयपोर	बोलेपोर	-1.22	-1.38	-1.31	-0.38
6.	बहरामपुर	बिग बाजार, जिला गंजम	-0.48	-0.48	-0.51	-0.16
पंजाब						
1.	अमृतसर	5 व 6, धरमसिंह मार्केट	-0.72	-1.11	-1.50	-0.30
2.	लुधियाना	13, डा. जैल सिंह मार्ग	-1.45	-0.93	3.66	-0.29
3.	पटियाला	15/8, लाहौरी गेट, पटियाला	-1.03	-0.87	-1.79	-0.36
4.	खरर	पीडब्ल्यूएस, गेट शॉप, खरर	-0.38	-0.56	-0.24	0.02
राजस्थान						
1.	अजमेर	अपना बाजार, अजमेर	0.18	0.38	-0.11	-0.15
2.	भीलवाड़ा	58, पैच एरिया, भीलवाड़ा	0.03	0.07	0	-0.35
3.	भरतपुर	गंगा मंदिर, भरतपुर	-0.87	-0.91	-0.69	-0.35
4.	ब्यावर	एडवार्ड मिल गेट, ब्यावर	-0.05	0.07	-0.11	-0.11
5.	जयपुर	83, बापू बाजार, जयपुर	0.41	-0.43	-0.66	-0.3
6.	जोधपुर	46, पंकज भवन, नई सड़क	1.35	1.67	1.31	-0.24
7.	कोटा	179, शापिंग सेंटर, चावनी मार्केट	-0.40	-0.66	-0.76	-0.3

1	2	3	4	5	6	7
8.	सीकर	कोतवाली रोड	-0.16	-0.23	-0.25	-0.26
9.	गंगानगर	गोल मार्केट पब्लिक पार्क	-0.81	-0.93	-0.75	-0.37
10.	उदयपुर	13 दर्शनपुरा, उदयपुर	0.40	-0.11	-0.01	0
तमिलनाडु						
1.	अत्तुर	सीएसआई काम्पलैक्स, रेलवे स्टेशन रोड	-0.84	-1.80	-0.81	-0.92
2.	भवानी	222, मेन रोड, भवानी, इरोड	-1.75	-2.21	0.86	0.83
3.	कोयम्बटूर	269, करपागविलास, क्रास रोड	-1.84	-0.55	-1.35	-1.36
4.	कोयम्बटूर	सोमसुन्दरम मिल्स रोड	-1.76	-1.88	-2.14	-1.98
5.	कोयम्बटूर	श्री रंगविलास मिल्स कैंपस, पेलामेडू	-0.92	-1.29	-0.49	-0.40
6.	कोयम्बटूर	श्री शारदा मिल्स कैंपस, सुंदरपुरम	-2.94	-2.59	-2.12	-2.30
7.	कोयम्बटूर	डी.बी. रोड, आर एस पुरम	-3.43	-2.14	-1.26	-1.33
8.	कोयम्बटूर	495, क्रास कट रोड, श्रवणभवनम	-4.63	-6.75	-2.2	-2.28
9.	कुन्नूर	कुन्नूर-माउंट रोड, कन्नूर, जिला नीलगिरी	-2.61	-2.72	-0.92	-0.02
10.	गोबीचेट्टीपल्लयम	कचहरी रोड, गोबीचेट्टीपल्लयम	-3.84	-2.84	-1.28	-1.01
11.	नमक्कल	33, रेंजर सेननिधि स्ट्रीट	-2.38	-1.84	-1.24	-1.35
12.	उटकमंड	चेयरिंग क्रास	-4.04	-1.85	-1.51	-1.62
13.	सालेम	342, त्रिची मेन रोड	-4.13	-2.48	0.06	0.29
14.	मेट्टापल्लयम	6, कार्नर, मेट्टूपल्लयम, जिला कोयम्बटूर	-3.49	-1.91	-1.07	-1.13
15.	चैन्ने	अड्यार 5, पद्मा नगर, अड्यार, चैन्ने	-5.65	-7.42	-2.23	-2.23
16.	चैन्ने	अल्लडुर-410, सीएमकेएन रोड, अलडुर, चैन्ने	6.25	-2.33	-2.52	-2.74
17.	चैन्ने	पुरासावल्कम 58, पुरासावल्कम हाई रोड	-5.83	-3.09	-2.52	-2.44
18.	चेनगांव	74, मेन रोड, चेनगांव	-4.26	-2.15	-1.70	-1.79
19.	कुड्डलोर	2-बी, भारती स्ट्रीट पुदु पल्लयम	-5.89	-2.07	-0.49	0.41
20.	कलपक्कम	5, मिनी शापिंग काम्प्लैक्स दाई टाउन शीप	-3.44	-1.97	-1.22	-1.27
21.	कांचीपुरम	43-ए, गांधी रोड	-3.99	-3.83	-1.68	-1.85
22.	त्रिपथूर	46, कृष्णागिरी रोड	-2.81	-2.37	-1.08	-1.09
23.	त्रिची	क्लाइवस हाऊस, नन्धी कोहिली रोड	-5.09	-2.15	-1.47	-1.43
24.	कम्बाकोडम	1-2, नगरपालिका भवन, गांधी पार्क के पास	-4.80	-2.79	-0.5	-0.64

1	2	3	4	5	6	7
25.	मदुरई	एनआई-1, पश्चिम चितरई स्ट्रीट	-2.52	-11.48	-0.62	-0.77
26.	नागरकोईल	कामराज भवन, केप रोड	-6.70	-3.71	-1.70	-1.47
27.	पट्टुकोत्तई	146, बिग स्ट्रीट पट्टुकोत्तई	-4.67	-3.30	-2.11	-2.25
28.	परमकुडी	बी/433, परमकुडी स्ट्रीट	-4.83	-2.57	-1.09	-1.15
29.	मइलादुथु	7, महात्मा गांधी रोड	-3.73	-3.94	-4.54	-4.73
30.	शिवगंगा	75, गांधी रोड	-2.49	-1.40	-0.59	-0.44
31.	त्रुरथुरूपुंडी	नं. 1-3, नार्थ स्ट्रीट	-4.88	-3.2	-2.30	-2.39
32.	त्रिरूमंगलम	नं. 7, ओसिल्लमपट्टी	-4.31	-2.89	-2.33	-2.54
33.	त्रिरूनेलवेणी	जेएन, राजा भवन, बाईपास रोड	-4.88	-3.45	-2.09	-2.27
34.	तिनकाशी	18, कन्नी मेरियोमत्र कोइल स्ट्रीट	-4.32	-2.35	0.44	0.65
35.	त्रिरूकोइलूर	45, बाजार स्ट्रीट	-4.23	-2.36	0.98	1.77
36.	नेवेली	1/3, मेन बाजार, 12वां ब्लाक	-5.29	3.34	-1.90	-0.02
37.	चैत्रे	चैत्रे	-0.66	-0.38	-1.30	-0.42
उत्तरांचल राज्य						
1.	देहरादून	8, चकराता रोड	-3.55	-3.79	-3.00	0.81
उत्तर प्रदेश						
1.	कानपुर	एलआईसी भवन, द माल	-3.03	-2.38	-2.78	-0.60
2.	लखनऊ	श्री राम रोज, अमीनाबाद	-2.31	-2.92	-3.37	-0.75
3.	लखनऊ	एलआईसी भवन, हजरत गंज	-5.13	-5.61	5.88	-0.96
4.	इलाहाबाद	5-ए, अलबर्ट रोड, सिविल लाईन	-3.3	-3.13	-3.48	-0.71
5.	इलाहाबाद	एनटीसी एसआर चौक	-0	0	0	-0.36
6.	झांसी	492, सदर बाजार, झांसी	-4.87	-5.51	-5.81	-1.08
7.	बरेली	85-ए, रघुवंशी काम्प्लैक्स, सिविल लाईन	-3.42	-3.73	-4.27	-0.74
8.	राय बरेली	16-17, सुपर मार्केट	-2.96	-3.63	-4.35	-0.57
9.	शक्ति नगर	शॉप नं. 72, एनटीपीसी शॉपिंग काम्प.	-0.36	-1.03	-1.28	-0.19
10.	रूड़की	35/14, सिविल लाईन	-6.27	-6.47	-2.48	-0.67
11.	आगरा	29/9, राजा की मंडी, आगरा	-5.1	-5.27	-3.93	-1.09
12.	गाजियाबाद	17, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद	-9.08	-9.06	-5.65	-1.55

1	2	3	4	5	6	7
13.	मोदी नगर	ऊपर बाजार, शर्मा भवन	-7.64	-7.78	-5.72	-1.30
14.	मोनाथभजन	शाहदतपुरा, मऊ	-5.25	-5.99	-5.93	-1.05
पश्चिम बंगाल						
1.	आसनसोल	1, हट्टन रोड, पोस्ट आफिस आसनसोल	-1.27	-1.75	-1.87	-0.59
2.	बेलिया घाट	पी-259, सीआईटी रोड, कोलकाता	-2.87	-3.35	-3.58	-0.11
3.	बिहाला	बिहाला कार्मशि. काम्प. बिहाला चौरास्ता	-1.20	-1.81	-2.07	-0.65
4.	बंकुरा	मनचंटाला, बंकुरा	-1.25	-1.45	-1.82	-0.56
5.	चंदन नगर	बाग बाजार, लालडगही चंदन नगर, हुगली	-2.33	-1.50	-1.62	-0.50
6.	पार्क स्ट्रीट	पार्क स्ट्रीट, कोलकाता	0.99	0.12	-0.76	-0.23
7.	डायमंड हार्बर	जेट्टी घाट पो.आ. डायमंड हार्बर 24, परगना	-3.07	-2.81	-2.67	-0.84
8.	गोरियाहट	14/10 गोरियाघाट रोड, कोलकाता	-5.12	-4.93	-5.35	-1.67
9.	कृ-नगर	हरेन चौ. बनर्जी रोड, कृ नगर, हुगली	-2.02	-2.63	-2.72	-0.85
10.	कालेज स्ट्रीट	86, कालेज स्ट्रीट, कोलकाता	-0.98	-2.50	-2.87	-0.91
11.	दुर्गापुर	बेनाचिटी मार्केट, कदमटोला, हावड़ा	-1.74	-1.39	-1.45	-0.45
12.	कदमटोला	48, डीएस रोड, कदमटोला, हावड़ा	-2.03	-3.32	-0.57	-1.12
13.	लेक टाऊन	सरकारी बाजार, कोलकाता	-2.02	-0.19	-2.01	-0.62
14.	मिदनापुर	गोल कुना चौक, मिदनापुर	-1.93	-2.57	-2.38	-0.73
15.	नगर बाजार	319, जैसोर रोड, कोलकाता	-3.07	-2.97	-2.98	-0.93
16.	पल्टा	एसएमसीएम गेट, पाल्टा 24, परगना (उ)	-2.63	-1.59	-1.67	-0.52
17.	रासबिहारी	138, रासबिहारी एवेन्यू, कोलकाता	-2.94	-4.15	-4.05	-1.26
18.	सिलीगुड़ी	6/1, विधान रोड, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग	-2.79	-2.16	-2.38	-0.73
19.	श्याम बाजार	3-ए, भूपेन बास एवेन्यू, कोलकाता	-1.66	-1.97	-2.05	-0.64
20.	टोलीगंज	47 देशपरन ससमल रोड, कोलकाता	-2.96	-4.70	-5.12	-1.60
संघ राज्य क्षेत्र						
चंडीगढ़						
1.	चंडीगढ़	सेक्टर-17, जगत सिनेमा	2.26	1.33	0.27	0
2.	चंडीगढ़	14, मध्य वर्ग	1.83	-0.10	-0.76	0.73
दमन						
1.	दमन	10, बिवलोस मार्केट वापी, दमन	9.70	7.31	0.61	0.09
पांडिचेरी						
1.	पांडिचेरी	65-बी, मिशन स्ट्रीट	-6.03	-1.62	-1.46	-1.54

विदेशी निवेश हेतु सेवायें शुरू करना

2726. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी सहित सात आकर्षक सेवाओं को विदेशी निवेश हेतु खोल दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अपने प्रमुख व्यापारिक साझादारों से वैसी ही कार्यवाही करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो व्यापारिक साझीदारों का ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इससे सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को सीमापार भेजने पर उदारीकरण नीति संबंधी भारतीय हित को आगे बढ़ाने, भारतीय कंपनियों को अपनी सेवायें इलेक्ट्रानिक रूप में विदेश में बेचने और विशेष रूप से अमरीका, यूरोपीय संघ और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में अपनी और शाखायें तथा अनुषंगी इकाईयां खोलकर भारत की वाणिज्यिक उपस्थिति को विदेशों में बढ़ाने में किस प्रकार सहायता मिलेगी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जी, नहीं। भारत ने दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के पश्चात् सेवाओं में व्यापार के संबंध में विश्व व्यापार संगठन में कोई वचनबद्धताएं नहीं की हैं। सेवाओं में व्यापार संबंधी सामान्य करार (गैट्स) के अंतर्गत डब्ल्यू.टी.ओ. में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएं केवल वही हैं जिनके लिए वर्ष 1995 में उरूग्वे दौर की वार्ताओं की समाप्ति पर वचनबद्धता की गई थी। इन वचनबद्धताओं में स्वायत्त रूप से उदारीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्तर से कम स्तर पर कम्प्यूटर संबंधी सेवाओं सहित सेवा के कुछ उपक्षेत्रों में विदेशी निवेश शामिल हैं।

(ग) से (ङ) भारत विशेष रूप से पद्धति 1 (सीमापार आपूर्ति) और पद्धति 4 (प्रकृत व्यक्तियों का आवागमन) के जरिए विदेशी बाजारों में हमारे सेवा प्रदाताओं और व्यावसायियों के लिए प्रवेश में वृद्धि करने के उद्देश्य से डब्ल्यू.टी.ओ. में सेवाओं में व्यापार के उदारीकरण के लिए चालू वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। भारत ने अपने सेवा प्रदाताओं और व्यावसायियों के लिए सार्थक प्रवेश प्राप्त करने हेतु हमारे प्रमुख व्यापार भागीदारों के बाजारों से संबंधित सेवा क्षेत्र द्वारा अनुभव किए गए अवरोधों और पूरी क्षेत्रीय वचनबद्धता करने तथा सीमाएं हटाने का उनसे अनुरोध करते हुए कम्प्यूटर संबंधी सेवाओं सहित हित के कुछ सेवा क्षेत्रों में उनके प्रारंभिक अनुरोध भी प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त भारत प्रकृत व्यक्तियों के आवागमन जो हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, के उदारीकरण के लिए अपनाई जाने वाली एक सामान्य नीति तैयार करने के लिए सदस्य देशों के बीच एक आम सहमति बनाने हेतु सक्रिय रूप से विचार-विमर्श कर रहा है। गैट्स के अंतर्गत डब्ल्यू.टी.ओ. के सदस्य देशों द्वारा की गई वचनबद्धताओं से भारत के कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यातों की निरन्तर अधिक वृद्धि दर को सुविधाजनक बनाने वाली समर्थकारी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं जिनमें व्यावसायियों के आवागमन और अमरीका, ईयू और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों सहित विदेशों में शाखाएं/सहायक इकाईयां स्थापित करके भारत की वाणिज्यिक उपस्थिति शुरू करने की आवश्यकता हुई है। अधिदेशित वस्तुओं के अंतर्गत हालांकि कुछ देशों ने अपनी प्रारंभिक पेशकशें प्रस्तुत की हैं परन्तु वह सीमा मालूम करना कठिन है कि जहां तक इस तथ्य की दृष्टि से हमारे अनुरोधों को शामिल किया गया है कि डब्ल्यू.टी.ओ. में चालू प्रक्रिया के रूप में उस आधार पर देशों के बीच वार्ताओं और प्रारंभिक पेशकश प्रस्तुत करने की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रकार भारतीय सेवाओं के निर्यात के संबंध में इन पेशकशों और वार्ताओं के वास्तविक प्रभाव का इस परिस्थिति में पता नहीं लगाया जा सकता।

जनजातीय आयोग संबंधी भूरिया समिति

2727. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री चिंतामन वनगा:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भूरिया समिति की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूरिया समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) इन्हें लागू करने हेतु आज तक क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) संविधान के अनुच्छेद 339(1) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति श्री दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में 18.7.2002 को की गई।

(ख) आयोग के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आयोग के निम्नलिखित निर्देश-निबंधन होंगे, अर्थात्:-

(1) आयोग संविधान के विभिन्न उपबंधों और देश में जनजातीय परिदृश्य को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए कल्पनाशील और दूरदर्शी तथा व्यवहार्य व्यापक जनजाति संबंधी जातीय नीति की रूपरेखा तैयार करेगा।

(2) यह संवैधानिक उपबंधों की, जहां तक वे अनुसूचित जातियों से संबंधित हैं, जनजाति के हितों के संवर्धन के लिए संवैधानिक, विधिक, वित्तीय और प्रशासनिक युक्तियों की दृष्टि से परीक्षा करेगा और संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के समुचित और पर्याप्त कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेगा।

(3) आयोग ऐसी नीतियों, कार्यक्रमों और स्कीमों के कार्यकरण का, जो ढेबर आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपनाई जा रही हैं और/या अन्यथा जिनको कार्यान्वित किया जा रहा है, पुनर्विलोकन करेगा और इस संबंध में ऐसे सूत्रों का सुझाव देगा, जिनकी मांग हो।

(4) यह अब तक अपनाई गई विकास युक्तियों की परीक्षा करेगा और विशिष्टतया यह जनजाति उपयोजना को एकीकृत दृष्टिकोण की संवीक्षा करेगा जिसमें निम्नलिखित पहलू सम्मिलित होंगे-

(क) योजनाबद्ध और गैर-योजनाबद्ध सैक्टर अर्थात् कृषि और सहबद्ध सैक्टर, वन शिक्षा, स्वास्थ्य, नियोजन, वित्तीय और सहकारी संस्थाओं की भूमिका, जनजातियों का विस्थापन,

(ख) विधिक और प्रशासनिक प्रकृति के संरक्षात्मक उपाय जो भू-संक्रमण साहूकारी, उत्पाद-शुल्क, आदि के क्षेत्र में हो,

(ग) वित्तीय और बजट संबंधी प्रबंध और उपांतरणों तथा नवीन प्रक्रियाओं के लिए, जो वह आवश्यक समझे, सुझाव देगा।

(5) यह सामाजिक-राजनैतिक और प्रशासनिक गठन की, विशेष रूप से पंचायतों और पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रतिनिर्देश से, परीक्षा करेगा और स्वायत्तशासन तथा जनजाति के व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक उन्नयन को प्रभावी बनाने के लिए उपायों का सुझाव देगा।

(6) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्रों से प्रशासन और/या अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित कोई अन्य मामला।

चन्दन उत्पादों का निर्यात

2728. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में चन्दन के साबुन, तेल तथा अगरबत्ती का निर्यात किया गया;

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन वस्तुओं की मांग में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या केन्द्र ने चन्दन की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु उपाय किए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) चंदन साबुनों और चंदन अगरबत्तियों के संबंध में निर्यात आंकड़ें उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन मदों के लिए कोई अलग आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण नहीं है। तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान चंदन तेल और अगरबत्तियों के कुल निर्यातों के ब्यौरे इस प्रकार है:-

आई टी सी (एचएस)कोड	उत्पाद का नाम	2000-01		2001-02		2002-03 (अप्रैल-फरवरी)	
		मात्रा (किग्रा)	मूल्य (लाख रुपए)	मात्रा (किग्रा)	मूल्य (लाख रुपए)	मात्रा (किग्रा)	मूल्य (लाख रुपए)
33074100	अगरबत्ती और अन्य सुगन्धित तैयार माल	13264835	16685.44	15536409	20198.14	16695148	19354.50
33012927	संदलकाष्ठ तेल	10308	1291.37	3972	520.07	5791	1049.50

डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता

(ख) और (ग) जैसाकि (क) में स्पष्ट किया गया है कि चंदन साबुनों और चंदन अगरबत्तियों के निर्यात आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण यह कहना संभव नहीं है कि क्या इन उत्पादों की मांग में कोई कमी हुई है। जहां तक चंदन तेल का संबंध है प्राकृतिक अनिवार्य तेलों (चंदन तेल सहित) और परिशुद्ध तथा रैजिन तेल की अधिक कीमतों के कारण उनका स्थान धीरे-धीरे सुगंधित रसायन ले रहे हैं जो अधिक तेज हैं, गुणवत्ता में समान हैं, तुलनात्मक रूप से सस्ते हैं जिनका अधिक मात्राओं में उत्पादन किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) एग्जिम नीति के अंतर्गत चंदन की लकड़ी के तैयार हस्तशिल्प उत्पाद और मशीन द्वारा निर्मित चंदन की लकड़ी के उत्पादों का किसी लाइसेंस की आवश्यकता के बिना मुक्त रूप से निर्यात किया जा सकता है। चंदन की लकड़ी के निर्यात की भी मुक्त रूप से अनुमति है परन्तु यह पर्यावरण और वन मंत्रालय की सलाह से समय-समय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी जी एफ टी) द्वारा जारी की जाने वाली अधिकतम सीमा के अध्यधीन है। विनिर्दिष्ट आकार और किस्मों के चिप्स/प्लेक्स, चंदन पाउडर और चंदन चूरे आदि के रूप में चंदन की लकड़ी के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर पर्यावरण और वन मंत्रालय की सलाह से अधिकतम सीमा भी जारी की जाती है और राज्य के वन विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ-साथ वैध खरीद प्रमाण पत्र धारक निर्यातों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चंदन की लकड़ी के तेल रहित चूरे के निर्यात के लिए आवेदनों पर भी निर्यात लाइसेंस जारी करने के लिए गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

चंदन तेल और चंदन की लकड़ी के उत्पादों के निर्यातकों के लिए भी सभी निर्यातकों पर लागू सामान्य प्रोत्साहन उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त वाणिज्य विभाग के अंतर्गत गठित एक स्वायत्त निर्यात संवर्धन परिषद कैमिक्सिल के जरिए विदेशों में मेलों, प्रदर्शनियों में भाग लेकर और व्यापार प्रतिनिधि मंडल भेजकर विदेशों में प्रतिस्पर्धा के लिए निर्यातकों को विपणन विकास सहायता के माध्यम से वित्तीय सहायता भी दी जा रही है।

चीन को शुल्क में रियायत

2729. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने की नीति के रूप में चीन के कुछ मुद्दों पर नई शुल्क रियायत देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कदम से दोनों देशों के बीच व्यापार को किस सीमा तक बढ़ावा मिलेगा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) बैंकाक करार में चीन को शामिल किए जाने का अनुमोदन अप्रैल, 2000 में बैंकाक करार के अंतर्गत गठित स्थायी समिति के 16वें सत्र के दौरान सभी भागीदार सदस्य राष्ट्रों की सहमति से किया गया था। चीन को शामिल करने की प्रक्रियाओं के एक भाग के रूप में उन मदों को अंतिम रूप दिए जाने के लिए भारत और चीन के बीच वार्ताएं हुई हैं जिन पर रियायतों का आदान-प्रदान किया जा सकता है।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि भारत (6 अंकीय एच एस) पर 188 टैरिफ लाइनों के अनुरूप उन 106 मदों पर रियायतें प्रदान करेगा जिन पर बैंकाक करार के अन्य सदस्य देशों अर्थात् बंग्लादेश, कोरिया गणराज्य और श्रीलंका को पहले से ही टैरिफ रियायतें दी गयी हैं। चीन बदले में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण सुमेलीकृत प्रणाली (आई टी सी एच एस) 2003 के अनुसार 217 टैरिफ लाइनों पर टैरिफ रियायतें प्रदान कर रहा हैं। बैंकाक करार के अंतर्गत दी जाने वाली रियायतें बहुपक्षीय हैं और चीन ने भी बांग्लादेश, कोरिया और श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय करारों को अंतिम रूप दे दिया है। इसके फलस्वरूप भारत रियायतों के बहुपक्षीयकरण पर 722 मदों (8 अंकीय एच एस पर) पर रियायतें प्राप्त कर सकेगा।

(ग) यह अनुमान है कि बैंकाक करार में चीन को शामिल कर लिए जाने से चीन के साथ रियायतों के आदान-प्रदान को कार्यान्वित करने से रुपए के रूप में चीन को किए जाने वाले हमारे कुल निर्यातों का 25-30% और चीन से भारत को होने वाले हमारे आयातों का 2.2% हिस्सा रियायती व्यापार के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। अत: रियायतों के इस आदान-प्रदान से भारत-चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होने की आशा है।

[हिन्दी]

किसान क्रेडिट कार्डस्

2730. श्री रामदास आठवले: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य-वार किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) आज तक कितने किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन कार्डधारकों को क्या लाभ प्रदान किए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) वर्ष 2003-04 के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने संबंधी राज्य-वार लक्ष्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल 3,13,44,289 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं।

(ग) किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को बैंकों से आसानी से अल्पावधि ऋण प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और उन्हें समय पर और समस्या रहित ऋण उपलब्धता का लाभ उठा पाने में समर्थ बनाता है। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों की जोत (लैंड होल्डिंग) के आधार पर जारी किया जाता है ताकि इनका उपयोग बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसी कृषि निवेश वस्तुओं की खरीद के लिए और साथ ही किसानों की उत्पादन आवश्यकताओं के लिए नकदी के आहरण के लिए किया जा सके। इसका लाभ यह है कि यह ऋण संबंधी कागजातों के बार-बार के मूल्यांकन और प्रोसेसिंग से बचाता है, कागजातों का सरलीकरण करता है, बैंकों के लेन-देन की लागत को कम करता है जिससे बैंक की शाखाओं पर से कार्य का बोझ कम हो जाता है। किसानों को दुर्घटनावश मृत्यु या स्थाई विकलांगता के लिए 50,000 रुपए अधिकतम तक का बीमा कवर प्रदान करने के वास्ते किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को बैंक द्वारा व्यक्तिगत बीमा पैकेज भी प्रदान किया जाता है।

विवरण

वर्ष 2003-04 के दौरान बैंकों द्वारा निर्धारित किसान क्रेडिट कार्डों हेतु राज्य-वार लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1000
2.	आंध्र प्रदेश	537400
3.	अरुणाचल प्रदेश	4100
4.	असम	48335
5.	बिहार	961020
6.	चण्डीगढ़	48350
7.	छत्तीसगढ़	117150
8.	दादरा एवं नगर हवेली	—
9.	दमन एवं दीव	—
10.	गोवा	1295
11.	गुजरात	231965
12.	हरियाणा	151597

1	2	3
13.	हिमाचल प्रदेश	24655
14.	जम्मू एवं कश्मीर	126525
15.	झारखंड	52350
16.	कर्नाटक	281700
17.	केरल	318950
18.	मध्य प्रदेश	974110
19.	महाराष्ट्र	331080
20.	मणिपुर	2130
21.	मेघालय	935
22.	मिजोरम	2700
23.	नागालैंड	930
24.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	34546
25.	उड़ीसा	474150
26.	पांडिचेरी	1700
27.	पंजाब	147907
28.	राजस्थान	174450
29.	सिक्किम	700
30.	तमिलनाडु	477750
31.	त्रिपुरा	5010
32.	उत्तर प्रदेश	738750
33.	उत्तरांचल	50850
34.	पश्चिम बंगाल	466580

[अनुवाद]

अडोनी कॉटन मिलें

2731. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने कुर्नूल जिले में अडोनी स्थित नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन स्पिनिंग मिल्स के भवनों और मशीनरी दोनों को मिलाकर पूर्व नीलामी को निरस्त करने और नई निविदाएं आमंत्रित करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध पर क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा यथा प्रस्तावित निजी भागीदारी की मदद से अडोनी मिलों का पुनरुद्धार करने हेतु संभावनाओं का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर निविदाएं निरस्त की गई थीं और निजी भागीदारी के साथ मिल का पुनरुद्धार करने के लिए नए सिरे से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। तथापि इसके लिए उपयुक्त प्रतिक्रियाएं प्राप्त नहीं हुई थीं। तदनुसार, जहां बोलियां आरक्षित मूल्य से अधिक थी, बेशी संयंत्र व मशीनरी को बेच दिया गया है।

पांच प्रतिशत अधिभार लगाकर एकत्र की गई धनराशि

2732. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पांच प्रतिशत अधिभार लगाकर वर्ष 2002-03 में कितनी धनराशि एकत्र की गई;

(ख) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु एकत्र की गई धनराशि का उपयोग इसी प्रयोजनार्थ किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने चालू वर्ष अर्थात् 2003-04 में इसी प्रयोजनार्थ दस प्रतिशत अधिभार लगाकर 2800 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) वित्त वर्ष 2002-03 के लिए

अधिभार के अंतर्गत 4,253 करोड़ रुपये की धनराशि की प्राप्तियों का बजट बनाया गया है। वास्तविक वसूली का अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि केन्द्र सरकार के अन्तिम लेखे अभी तैयार नहीं हुए हैं।

(ख) से (घ) ''अधिभार'' शीर्ष के अंतर्गत एकत्रित धनराशि भारत की संचित निधि का भाग होती है और इसे संसद के अनुमोदन से विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों के अनुरूप खर्च किया जाता है। अनुदान मांगों के माध्यम से रक्षा हेतु आबंटित निधियां 5 प्रतिशत अधिभार के उद्ग्रहण के माध्यम से लगाई गई बजटीय राशि से अधिक है।

(ङ) जी, हां।

(च) वित्त वर्ष 2003-04 हेतु अधिभार शीर्ष के अंतर्गत निगम कर के अंतर्गत 1,700 करोड़ रुपये तथा आयकर के अंतर्गत 1,100 करोड़ रुपये का बजट बनाया गया है। कम्पनियों, फर्मों, सहकारिताओं और स्थानीय प्राधिकरणों के मामले में अधिभार 2.5% की दर से तथा 8,50,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक की आमदनी वाले व्यष्टियों के मामले में 10% की दर से लगाया जाना है।

आईटीसी में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की अंशधारिता

2733. **श्री विनय कुमार सोराके:** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने आईटीसी में अपनी इक्विटी अंशधारिता को बेचने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट को कारोबार का प्रबंध पूर्ण रूप से व्यापारिक दृष्टिकोण के आधार पर करने की स्वतंत्रता दी जाए?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) मूल्य संवेदी प्रकृति की स्टाक विशिष्ट सूचना का अग्रिम प्रकटन नहीं किया जा सकता।

प्रतिबंधित मदों (बाउंड आइटम्स) का आयात

2734. **श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयातित सामान की प्रतिबंधित मदों (बाउंड आइटम्स) का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक वस्तुओं के लिए अधिकतम प्रतिबंदित सीमा के साथ वर्तमान प्रशुल्क दर क्या है;

(ख) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान आयातित प्रतिबंधित वस्तुओं का आन्तरिक बाजार में घरेलू उत्पादों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे सामान के आयात से देशी वस्तुओं पर किस हद तक प्रभाव पड़ा है;

(घ) ऐसी सस्ती आयातित वस्तुओं से स्वदेशी उत्पादकों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सुरक्षोपाय आधार पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने संबंधी उपबंधों को शामिल करने हेतु विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) डब्ल्यू.टी.ओ. के लिए भारत की टैरिफ वचनबद्धता गैट 1994 की अनुसूची XII में उल्लिखित है। वचनबद्ध मदों की अनुसूची संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है और वाणिज्य मंत्रालय के वेबसाइट (http://commerce.nic.in/indshed.htm.) पर भी उपलब्ध है। इस समय लागू टैरिफ केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सी बी ई सी) की वेबसाइट (http://www.cbec.gov.in/cae/customs/cs-abc.html) पर उपलब्ध है।

(ख) से (घ) मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने के आलोक में सरकार ने संवेदनशील मदों के आयात पर निगरानी रखने के लिए एक उचित तंत्र स्थापित किया है और विभिन्न डब्ल्यू.टी.ओ. के अनुकूल उपाय करके घरेलू उत्पाद को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है जिनमें वचनबद्ध टैरिफों के भीतर लागू टैरिफों का अंशांकन, पाटनरोधी और रक्षोपाय कार्यवाही तथा कुछ विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाना शामिल है।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रस्तावित संशोधन डब्ल्यू.टी.ओ. के रक्षोपाय संबंधी करार के अनुसार रक्षोपाय के रूप में आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने के प्रावधानों को शामिल करने से संबंधित है।

औद्योगिक विकास

2735. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में औद्योगिक विकास में गत वर्ष की इसी अवधि में 4.1 प्रतिशत विकास दर की तुलना में इस वित्तीय वर्ष के प्रथम दो माह में 5 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या पांच प्रतिशत की यह वृद्धि दर मुख्यत: उपभोक्ता क्षेत्र में वृद्धि के कारण है;

(ग) यदि हां, तो क्या टिकाऊ सामान क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उन नीतियों को अपनाने हेतु क्या कदम प्रस्तावित हैं, जिनसे अर्थव्यवस्था टिकाऊ और मशीनरी क्षेत्र में वृद्धि होगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी, हां। चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीने में हुई पांच प्रतिशत की वृद्धि मुख्यत: उपभोक्ता तथा पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्रों के कारण हुई है।

(ग) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं ने अप्रैल-मई, 2002-03 के -1.7 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-मई, 2003-04 में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

(घ) सरकार ने निम्नलिखित पहल की हैं, जो अर्थव्यवस्था टिकाऊ वस्तुओं तथा मशीनरी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करेंगी:

- केन्द्रीय बजट 2003-04 में कई उपभोक्ता तथा मशीनरी उत्पादों पर उत्पाद तथा सीमा शुल्क में छूट देने की घोषणा की है जिससे इन वस्तुओं की लागत उत्पादन में कमी आएगी तथा उनकी प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा। यात्री कार, वातानुकुलन, रंगीन टी.वी., सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार के पूंजीगत वस्तुओं, कपड़ा मशीनरी तथा विद्युत से चलने वाली पंपों पर उत्पाद शुल्कों में काफी कमी की घोषणा की गई है। कपड़ा मशीनरी, आप्टिकल फाइबर तथा सूचना प्रौद्योगिकी व दूरसंचार की पूंजीगत वस्तुओं पर भी सीमा शुल्क को घटा दिया गया है।
- निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ई पी सी जी) के अंतर्गत पूंजीगत वस्तुओं पर निम्नलिखित प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है:-
- ई पी सी योजना उत्पादन से पूर्व तथा उत्पादन के पश्चात की सुविधाओं के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति देती है।
- यह योजना मौजूदा संयंत्र तथा मशीनरी के उन्नयन की सुविधा के लिए हिस्से पुर्जों का आयात करने; उच्च मूल्य वाली वस्तुओं में 50 प्रतिशत उत्पाद की अतिरिक्त निर्यात बाध्यता की मौजूदा शर्त समाप्त करने की अनुमति देती है।
- यह योजना 10 वर्ष तक पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने की अनुमति देती है।
- उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु तथा मशीनरी क्षेत्र सरकार द्वारा उद्योग के परिचालन माहौल तथा उनकी तीव्र प्रतिस्पर्धा सुधार के लिए किये गये उपायों से भी लाभान्वित होंगे। इन राज्यों में मुख्य रूप से अवसंरचना सुदृढ़ीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कम ब्याज दर नीति का अनुसरण, अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में शुल्क दरों को यौक्तिक बनाना तथा कमी लाना ताकि उत्पादन लागत में कमी आ सके और निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने जैसे उपाय शामिल हैं।

शहरी सहकारी बैंक

2736. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अल्पकालीन ऋण प्राप्त करने हेतु शहरी सहकारी बैंकों की सहायता करने के लिए कोष स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कोष को किस तारीख से क्रियाशील बनाए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) फिलहाल शहरी सहकारी बैंकों की सहायता के लिए किसी निधि की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

निर्यात कोटा

2737. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा यूरोपीय देशों, अमेरिका और कनाडा को कपड़ा निर्यात करने हेतु कोटा निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2004 के अंत तक कपड़ा निर्यात बंद करने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो कपड़ा निर्यात के बंद होने के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में काम करने वाली हजारों महिलाओं को बेरोजगार होने से बचाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध फैशन प्रौद्योगिकी में महिलाओं को प्रशिक्षण देने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (घ) 31 दिसंबर, 1994 तक कुछ विकसित देशों (उदाहरणार्थ, संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपियन संघ के सदस्य देश, कनाडा) को वस्त्र का निर्यात और व्यापार पर सामान्य करार (गैट) के नियमों से बाहर, बहु-फाईबर व्यवस्था (एम एफ ए) के तत्वावधान में भारत और इन देशों के बीच हुए द्विपक्षीय वस्त्र करारों द्वारा शासित होता था। 01 जनवरी, 1995 से एम एफ ए के तहत द्विपक्षीय करारों में मात्रात्मक प्रतिबंध (आयात कोटा) गैट की उरूग्वे दौर की वार्ताओं के अंतिम नियम में निहित वस्त्र एवं क्लोदिंग करार (ए टी सी) द्वारा शासित किए जा रहे हैं। इस समय भारत को संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय संघ (जिसमें 15 सदस्य देश हैं) और कनाडा में आयात कोटा प्रतिबंध हैं। वस्त्र और क्लोदिंग (निटवियर सहित) का निर्यात जो आयातक देशों द्वारा मात्रात्मक प्रतिबंधों के अध्यधीन हैं। एक्जिम नीति के प्रावधानों के अंतर्गत समय-समय पर सरकार द्वारा बनायी गई निर्यात हकदारी और वितरण नीति (क्रमश: परिधान और वस्त्र के लिए) के माध्यम से विनियमित किया जाता है।

ए टी सी के अनुसार, आयात कोटाओं को 1 जनवरी, 2005 तक चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। कोटाओं को समाप्त करके हमारे उत्पाद के लिए बाजार तक पहुंच, बढ़ने की आशा है और उस हद तक बढ़ने की आशा है कि वस्त्र उद्योग को निर्यात करने के लिए और अधिक अवसर मिलें और इसके फलस्वरूप महिलाओं के लिए रोजगार अवसरों के साथ-साथ अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

(ङ) से (छ) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली और इसकी मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलूर, चेन्नई और गांधीनगर स्थित छ: शाखाएं फैशन प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवरों की प्रतिभाशाली पीढ़ियों को पोषित व तैयार करने के उद्देश्य से महिलाओं सहित फैशन डिजानयरों और फैशन प्रौद्योगिकीविदों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं। विश्व के प्रमुख फैशन संस्थाओं के साथ इसकी बात-चीत और सहयोग के उच्च स्तर से भारत में फैशन उद्योग के लिए स्तर और क्षेत्र बढ़ गया है।

[हिन्दी]

बिहार में गरीबी उपशमन हेतु विश्व बैंक सहायता

2738. श्री राजो सिंह: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में विभिन्न गरीबी उपशमन कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए विश्व बैंक से ऋण लेने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान विश्व बैंक द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृति की गई है; और

(घ) इन धनराशियों से कितनी गरीबी उपशमन कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए/किए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान विश्व बैंक द्वारा विशेष रूप से गरीबी उपशमन कार्यक्रम हेतु बिहार को कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्युत करघा पार्क

2739. श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विद्युत करघा पार्कों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे विद्युत करघा क्षेत्र को कहां तक लाभ होगा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) भारत सरकार ने कार्य का बेहतर वातावरण बनाने और उच्चतर उत्पादकता प्राप्त करने के उद्देश्य से एक सामूहिक कार्यशाला योजना मंजूर की है। अन्य आधारभूत सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से, इस योजना में वस्त्र केन्द्र आधारभूत संरचना विकास योजना (टी सी आई डी एस) के साथ सम्पर्क की परिकल्पना है जिसमें मौजूदा और उभरते हुए वस्त्र केन्द्रों में महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था है। सामूहिक कार्यशाला योजना में निर्माण की इकाई लागत का 25 प्रतिशत तक, जो प्रति वर्ग फीट अधिकतम 80 रुपये होगा, तक कार्यशालाओं के निर्माण के लिए सब्सिडी का प्रावधान है।

(ग) इस योजना में 10वीं योजना के लिए 19.27 करोड़ रुपए का बजटीय परिव्यय है।

फिक्की शिष्टमंडल की जर्मनी यात्रा

2740. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:**
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई 2003 में प्रधानमंत्री जी जर्मनी की यात्रा के दौरान फिक्की और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा प्रायोजित व्यापार शिष्टमंडल ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री के साथ जर्मनी की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो जर्मनी के व्यापार वर्ग के साथ किन मुद्दों पर चर्चा की गई थी;

(ग) क्या ग्रीनलैंड स्कीम और वैट के नवीकरण संबंधी मामलों पर भी चर्चा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो जर्मनी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दोनों पक्षों के व्यावसायिक समुदायों ने भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय वाणिज्यिक और आर्थिक सहयोग से संबंधित विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श किया था। इनमें जर्मन ग्रीन कार्ड स्कीम और जर्मनी में व्यवसाय करने वाली भारतीय कंपनियों को मूल्य वर्धित कर को वापस देने से इन्कार करना शामिल था।

(घ) दोनों पक्षों ने भारत जर्मन संयुक्त आयोग की शीघ्र बैठक आयोजित करने का स्वागत किया है जो भारत-जर्मन सहयोग से संबंधित मुद्दों का उचित रूप से समाधान करेगा।

न्यू बेसल कैपिटल एकार्ड

2741. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री अधीर चौधरी:
डा. चरणदास महंत:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रस्तावित न्यू बेसल कैपिटल एकार्ड के लिए नीतिगत दृष्टिकोण को अंतिम रूप देने के लिए देश में सभी बैंकों को शामिल कर अध्ययन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) न्यू बेसल कैपिटल एकार्ड प्रणाली से अन्य देशों में बैंकिंग छवि में किस हद तक सुधार आएगा?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रस्तावित न्यू बेसल कैपिटल एकार्ड हेतु नीतिगत दृष्टिकोण को अंतिम रूप देने के लिए अध्ययन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से सूचनाएं एकत्रित कर रहा है तथा नीतिगत दृष्टिकोण को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व आंकड़ों का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा।

(ग) न्यू बेसल कैपिटल एकार्ड का मुख्य उद्देश्य विश्व भर की वित्तीय प्रणालियों में सुरक्षा एवं सशक्तता के लिए सामूहिक रूप से सहायता देना है। इससे विश्व भर के उन बैंकों, जिन्होंने न्यू एकार्ड को लागू कर दिया है, के साथ कार्य करने के लिए उनके सुविधा स्तर में सुधार होगा।

चावल/गेहूं के निर्यातकों के समक्ष चुनौतियां

2742. **श्री ए. वेंकटेश नायक:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों ने विश्व व्यापार संगठन के साथ किए गए समझौते के परिणामस्वरूप नई चुनौतियों का सामना करने के लिए चावल और गेहूं के निर्यातकों की क्षमता के बारे में गम्भीर आशंकाएं व्यक्त की हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन की चुनौतियों का सामना करने के लिए चावल और गेहूं के निर्यातकों को पूर्ण रूप से सुसज्जित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) उरूग्वे दौर में किए गए कृषि संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार में अन्य बातों के साथ-साथ कुछेक लागतों जैसे विपणन, उन्नयन, कृषि निर्यातों के लिए आंतरिक और बाह्य भाड़े की प्रतिपूर्ति के लिए विकासशील देशों को सुविधाएं देने की अनुमति है। इस सुविधा का उपयोग भारत द्वारा चावल और गेहूं के निर्यातों को सुकर बनाने के लिए किया गया है और किया जा रहा है।

हीरा प्रसंस्करण क्षेत्र

2743. **डा. वी. सरोजा:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के हीरा प्रसंस्करण क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या अमेरिका ने अपने हीरा जड़ित आभूषणों को बाहर से संसाधित कराने के लिए इस क्षेत्र को संभावित क्षेत्र के रूप में माना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्तावित अमेरिकी कदम से इस क्षेत्र को कितना लाभ होगा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) भारत विश्व में तराशने और पालिश करने का सबसे बड़ा केन्द्र है। तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरों के विश्व के निवल आयातों में भारत का हिस्सा मूल्य के अनुसार लगभग 60% मात्रा के अनुसार 85%, कीमतों के अनुसार 92% है। इस रोजगार में लगभग एक मिलियन व्यक्ति लगे हुए हैं। भारतीय हीरा उद्योग में विकसित प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। हमारे तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरों का सकल निर्यातों का लगभग 35% हिस्सा सीधे अमरीका को निर्यात किया जाता है। विश्व भर में आभूषणों में 12 में से लगभग 11 डायमंड सेट भारत में तराशे और पालिश किए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बैंकों द्वारा सांविधिक बकाया राशि का संग्रहण करना

2744. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कंपनी कानून के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक बकाया राशि का संग्रहण करने के लिए लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एकमात्र नामित सरकारी क्षेत्र के बैंक अर्थात् पंजाब नैशनल बैंक के अतिरिक्त दो अन्य बैंकों के रूप में आई सी आई सी आई बैंक तथा एच डी एफ सी बैंक को यह कार्य करने के लिए शामिल किया है;

(घ) क्या केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड मल्टीपल बैंकिंग दृष्टिकोण अपना रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) मामला सरकार के विचाराधीन है और इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क तथा सेवा कर की संग्रहण के लिए बहु बैंकिंग दृष्टिकोण अपनाया है। यह व्यवस्था अब तक दिल्ली और मुंबई कमीशनरेटों में लागू की गई है।

प्याज का निर्यात

2745. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रोज प्याज तथा अन्य किस्म की प्याजों का कुल कितना निर्यात किया गया;

(ख) क्या यूरोप तथा एशियाई देशों से रोज प्याज की मांग में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा रोज प्याज की मांग में वृद्धि के मद्देनजर इसके निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित प्याज की कुल मात्रा एवं मूल्य निम्नानुसार है:-

वर्ष	मात्रा (लाख टन में)	मूल्य (करोड़ रु. में)
2000-01	3.43	276.21
2001-02	4.42	332.42
2002-03 (अप्रैल 02-फरवरी, 03)	5.07	321.62

स्रोत: डी जी सी आई एंड एस, कोलकाता

कर्नाटक स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि. (के ए पी पी ई सी), जो बंगलौर रोज प्याज के निर्यात के लिए सरबीयन अभिकरण है, की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित बंगलौर रोज प्याज की कुल मात्रा में मूल्य निम्नानुसार है:-

वर्ष	मात्रा (लाख टन में)	मूल्य (करोड़ रु. में)
जुलाई-00-मार्च 01)		
2000-01	0.22	38.61
2001-02	0.26	48.34
2002-03	0.23	39.37

बंगलौर रोज प्याज की यूरोप में कोई मांग न होने के कारण इसे वहां कोई बाजार उपलब्ध नहीं हुआ है। तथापि एशियाई देशों में प्याज की इस किस्म की मांग में वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ) निर्यात को बढ़ाने के लिए, बंगलौर रोज प्याज हेतु एक कृषि निर्यात जोन को अनुमोदित किया गया। इस संबंध में 1 जुलाई, 2002 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

सिक्किम में नई इकाइयों को उत्पाद शुल्क में छूट

2746. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सिक्किम में नई इकाइयों के लिए 10 वर्षीय उत्पाद शुल्क छूट देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उत्तरांचल तथा हिमाचल प्रदेश की भांति राज्य को वास्तविक उत्पाद शुल्क में छूट वाला राज्य घोषित किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सिक्किम में 13 विनिर्दिष्ट औद्योगिक गतिविधियों में लगी तथा 23 दिसम्बर, 2002 तक या उसके पश्चात् उत्पादन शुरू करने वाली सभी नई इकाइयां 10 वर्षीय उत्पादन शुल्क छूट की हकदार होंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाएं क्या हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां। उत्पाद शुल्क से छूट कुछेक शर्तों के अध्यधीन होगी।

(ख) सरकार ने सिक्किम राज्य में 13 विनिर्दिष्ट उद्योगों अथवा कार्यकलापों द्वारा विनिर्मित माल को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की है।

(ग) जी, हां। यह छूट, 23 दिसम्बर, 2002 को अथवा उसके बाद स्थापित नई औद्योगिक इकाइयों और इस तारीख को अथवा उसके बाद वास्तविक विस्तार करने वाली इकाइयों को उपलब्ध होगी।

(घ) यह छूट रिफंड प्रणाली पर कार्य करती है, जैसा कि पूर्वोत्तर छूट के मामले में, जहां कोई विनिर्माता माल की निकासी के समय पहले सामान्य शुल्क अदा करता है और तत्पश्चात् शुल्क के उस हिस्से के रिफंड का दावा करता है जो कि उसके द्वारा नकद में अदा किया गया हो। अन्य सुविधाओं के ब्यौरे नई औद्योगिक नीति के अनुसार होंगे और सिक्किम राज्य के लिए अन्य रियायतें औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप होंगी।

चावल की खरीद

2747. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1 जनवरी, 2003 से अब तक प्रत्येक राज्य से खरीदे गए चावल का वास्तविक भंडार कितना है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य की चावल मिलों तथा किसानों को कितना भुगतान किया गया;

(ग) प्रत्येक राज्य में किसानों तथा चावल मिलों की आज की स्थिति के अनुसार देय बकाया धनराशि कितनी है; और

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा यथाशीघ्र किसानों तथा चावल मिलों की बकाया राशि का भुगतान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) से (घ) 1 जनवरी, 2003 से सांविधिक लेवी प्रणाली के अधीन प्रत्येक राज्य से भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किया गया चावल का वास्तविक स्टाक, चावल मिलों को किया गया भुगतान, मिल-मालिकों की बकाया राशि और इनके कारण संलग्न विवरण में दिए गए हैं। भारतीय खाद्य निगम किसानों से चावल की वसूली नहीं करता है।

विवरण

राज्य का नाम	1 जनवरी, 2003 से भारतीय खाद्य निगम द्वारा अभी तक राज्य सरकार से उठाया गया/ वसूल किया गया वास्तविक स्टाक	उपरोक्त अवधि के दौरान चावल मिलों को किया गया भुगतान	चावल मिलों को आज की तिथि तक देय बकाया राशि	भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल मिलों को शीघ्र इन बकाया राशियों का भुगतान करने के लिए उठाए गए कदम
1	2	3	4	5
पंजाब	5.83 लाख टन	56,133 लाख रुपये	शून्य	उपलब्ध नहीं
हरियाणा	78373 टन	88.60 करोड़ रुपये	शून्य	उपलब्ध नहीं
राजस्थान	12256 टन	1164.95 लाख रुपये	शून्य	उपलब्ध नहीं
हिमाचल प्रदेश	4723 टन	(4623 टन का भुगतान रिलीज कर दिया गया है। 100 टन के लिए 710795 रुपये की राशि मिल मालिक से बिक्री कर प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण रूकी हुई है।	-	मिल मालिकों को शीघ्र बिक्री कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए सलाह दी गई है।
उत्तरांचल	10436 टन	25,59,30,211.35 रुपये	शून्य	उपलब्ध नहीं
महाराष्ट्र	44185 टन	18,11,59,339.70 रुपये	1,49,31,469 रुपये	जुलाई, 2003 के दौरान वसूल किए गए स्टाक और हाल में प्राप्त बिलों का भुगतान प्रक्रियाधीन है।

1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	1876376 टन	18,57,85,46,460.00 रुपये	शून्य	शून्य
पश्चिम बंगाल	108253 टन	89,50,69,767.31 रुपये	3,58,48,586.45 रुपये	हाल ही में प्रस्तुत बिलों की भुगतान करने के लिए जांच की जा रही है।
छत्तीसगढ़	25368 टन	19,56,00,282 रुपये	शून्य	उपलब्ध नहीं
मध्य प्रदेश	78480 टन	71,54,36,383.00 रुपये	शून्य	उपलब्ध नहीं
उड़ीसा	7.01 लाख टन	भारतीय खाद्य निगम को सुपुर्द किए गए लेवी चावल की पूरी कीमत चावल मिलों को पहले ही भुगतान की जा चुकी है।	शून्य	उपलब्ध नहीं

भारतीय स्टेट बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक की सुविधाएं देना

2748. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से डालरों की खरीद लागत को पूरा करने हेतु संसाधन जुटाने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक निधियों की कमी को पूरा करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक की नियमित रिवर्स रिपो सुविधाएं देने पर सहमत हो गया है;

(ग) क्या डालर की बढ़ी हुई दर से भारतीय स्टेट बैंक आर आई बी के कारण इस वित्तीय संकट में फंस गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजना जिससे विदेशी मुद्रा की दरों में उतार-चढ़ाव के कारण भारी हानि होती है समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाने की प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ग) जी, नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा भूमि की बिक्री

2749. श्री ए. साहनैया: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम का विचार 2003-2004 में अपनी किसी भूमि को बेचने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिक्री की कठोर शर्तों ने उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम की भूमि खरीदने के लिए आने आना और कठिन बना दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम अपनी बिक्री पद्धतियों की समीक्षा करेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) एनटीसी के 2195 एकड़ के आकार की कुल बिक्री योग्य भूमि में से अब तक 108 एकड़ भूमि बेच दी गई है और शेष भूमि को वर्ष 2003-04 में बेचने का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। बी.आई.एफ.आर. द्वारा परिसम्पत्तियों को बेचने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस प्रणाली में, प्रचलित बाजार मूल्य पर आधारित आरक्षित कीमत निर्धारित करने और परिसम्पत्ति बिक्री समिति द्वारा आरक्षित कीमत से अधिक बोलियों को अंतिम रूप देने की व्यवस्था है। चूंकि यह एनटीसी के परम हित में है, इसलिए इस बिक्री पद्धति की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भूमि को शीघ्र बेचने की दृष्टि से, भूमि के बड़े क्षेत्र को छोटे भू-खण्डों में विभाजित किया जा रहा है और भूमि के बेहतर विपणन के लिए व्यावसायिक परिसम्पत्ति कंसलटेंट फर्म की सहायता ली जा रही है।

नई बैंक शाखाएं खोलना

2750. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा राज्य-वार कितनी शाखाएं खोली गई हैं;

(ख) क्या इन बैंकों का 2003-04 के दौरान ऐसी और शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) 31.7.2003 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार, बैंकों का निदेशक बोर्ड प्रस्तावित शाखाओं के कारबार की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए नई शाखाएं खोलने की नीति एवं कार्ययोजना के बारे में निर्णय ले सकता है। 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार, प्रस्तावित केन्द्रों में अपेक्षित आधारभूत सुविधाओं को अंतिम रूप प्रदान करने और उपयुक्त पार्श्वरों के चयन आदि सहित विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नई शाखाएं खोलने के लिए 392 प्राधिकार पत्र जारी किए हैं। तदनुसार, इस समय यह बताना संभव नहीं है कि वर्ष 2003-2004 के दौरान प्रत्येक राज्य में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक द्वारा कितनी शाखाएं खोली जाएंगी।

विवरण

31 जुलाई, 2003 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	शाखाओं की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान एंड निकोबार	31
2.	आंध्र प्रदेश	3672
3.	अरुणाचल प्रदेश	49
4.	असम	808
5.	बिहार	2066
6.	चंडीगढ़	157
7.	छत्तीसगढ़	587
8.	दादर एवं नागर हवेली	9
9.	दमन एवं दीव	14
10.	दिल्ली	1273
11.	गोवा	277
12.	गुजरात	3099
13.	हरियाणा	1220
14.	हिमाचल प्रदेश	648
15.	जम्मू एवं कश्मीर	260
16.	झारखंड	1059
17.	कर्नाटक	3093
18.	केरल	1863
19.	लक्षद्वीप	9
20.	मध्य प्रदेश	2318
21.	महाराष्ट्र	4888
22.	मणिपुर	48
23.	मेघालय	128
24.	मिजोरम	26
25.	नागालैंड	61
26.	उड़ीसा	1374
27.	पांडिचेरी	65
28.	पंजाब	2282
29.	राजस्थान	2022
30.	सिक्किम	47
31.	तमिलनाडु	3423

1	2	3
32.	त्रिपुरा	92
33.	मध्य प्रदेश	5146
34.	उत्तरांचल	640
35.	पश्चिमी बंगाल	3431
	कुल	46185

[हिन्दी]

खाद्य तेल की मांग

2751. **श्री राजो सिंह:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत व. के दौरान खाद्य तेल का राज्य-वार कितना कोटा जारी किया गया;

(ख) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान पूरी मांग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पूरी की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पिछले वर्ष के दौरान और इस वर्ष आज की तारीख तक किसी भी राज्य को खाद्य तेल का कोई कोटा रिलीज नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। खाद्य तेलों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन है। इसके अलावा, नेपाल से सीमा शुल्क मुक्त एक लाख टन वनस्पति का आयात किया जा सकता है।

[अनुवाद]

भारतीय प्रबंधन संस्थान द्वारा एकत्र किया गया टी.डी.एस.

2752. **श्री वी. वेत्रिसेलवन:** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद स्रोत पर कर कटौती के प्रावधानों का पालन न करने के लिए आयकर विभाग के शिकंजे में आ गया है;

(ख) यदि हां, तो निष्कर्षों का क्या परिणाम निकला; और

(ग) संस्थान के सभी प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां। भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के मामले में स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) के प्रावधानों के अनुपालन की जांच के लिए एक सर्वेक्षण दिनांक 21.7.2003 को किया गया था।

(ख) स्रोत पर कर कटौती के प्रावधानों में कोई स्पष्ट विसंगति अथवा उल्लंघन अभी तक प्रकाश में नहीं आया है।

(ग) उपर्युक्त पैरा (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, संस्थान के शासी प्राधिकारियों के विरुद्ध किसी कार्रवाई का औचित्य सिद्ध नहीं होता है।

महिलाओं से संबंधित संपत्ति कानून

2753. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
डा. चरणदास महंत:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महिलाओं से संबंधित संपत्ति कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा उन्हें लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या संपत्तियों को शक्तियां प्रदान करने हेतु कानूनों में आवश्यक संशोधन किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) से (ग) महोदय, विभिन्न समुदायों की महिलाओं के संपत्ति अधिकार, उनकी अपनी स्वीय विधियों द्वारा शासित होते हैं, उदाहरणार्थ, हिंदू महिलाओं के अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 द्वारा और क्रिश्चियन महिलाओं के अधिकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 द्वारा शासित होते हैं। जहां तक हिंदू महिलाओं के संपत्ति अधिकारों का संबंध है, सरकार को "हिन्दू महिलाओं के संपत्ति अधिकार-प्रस्तावित सुधारों" पर भारत के विधि आयोग की 174वीं रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। चूंकि यह विषय-वस्तु संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है, अत: उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से विचार आमंत्रित किए गए

थे। अभी तक, 14 राज्य सरकारों और 4 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं। जम्मू-कश्मीर राज्य ने यह सूचित किया है कि उक्त प्रस्ताव उन्हें लागू नहीं है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रत्युत्तर अभी प्राप्त होने हैं। शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रत्युत्तर प्राप्त होने पर ही इस विषय में अंतिम विनिश्चय किया जाएगा।

कर्नाटक में चाय उत्पादक

2754. **श्री ए. वेंकटेश नायक:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में छोटे चाय उत्पादकों की अनुमानित संख्या कितनी है और कानूनी वैध रूप से उनके कब्जे में कुल कितनी भूमि है;

(ख) देश के कुल चाय उत्पादन में कर्नाटक का कितना हिस्सा है;

(ग) क्या छोटे चाय उत्पादकों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कर्नाटक में चाय उत्पादकों को प्रति हैक्टेयर कितना प्रोत्साहन दिया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) 10.12 हैक्टेयर तक जोत क्षेत्र रखने वाले उत्पादकों को लघु चाय उत्पादक माना जाता है। चाय बोर्ड के पास पंजीकृत कर्नाटक के लघु चाय उत्पादकों की संख्या 16 है और उनके स्वामित्व में आने वाला कुल क्षेत्र लगभग 83 हेक्टेयर है।

(ख) देश के कुल चाय उत्पादन में कर्नाटक का हिस्सा लगभग 0.64% है।

(ग) और (घ) चाय बोर्ड की 10वीं योजना स्कीमों में लघु उत्पादक क्षेत्र के विकास पर विशेष जोर दिया गया है ताकि उत्पादकता और उनके द्वारा उत्पादित चाय की गुणवत्ता का संवर्धन किया जा सके। लघु चाय उत्पादकों को सब्सिडी तथा ''स्वसहायता समूह'' के गठन के जरिये भी सहायता प्रदान की जाती है जिससे कि यह समूह नियमित समयान्तरालों पर सामूहिक रूप से पत्तियां तोड़ने का कार्य करा सके। निविष्टियों की खरीद कर सके और चाय फैक्टरियों को आपूर्ति कर सके।

(ङ) दिनांक 1.4.2002 से कर्नाटक के चाय उत्पादकों सहित चाय उत्पादकों का चाय बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता की मात्रा निम्नानुसार है:-

क्रमांक	कार्य	सहायता का स्वरूप	दर
	परंपरागत क्षेत्रों (मैदानी क्षेत्र) में पुनरोंपण/पुनर्स्थापन रोपण	सब्सिडी	52,000 रुपए प्रति हैक्टेयर
2.	परंपरागत क्षेत्रों (पहाड़ी) में पुनरोंपण/पुनर्स्थापन रोपण	-वही-	62,000 रुपए प्रति हैक्टेयर
3.	सरकारी क्षेत्र में चाय पौधशाला की स्थापना	सहायता अनुदान	2.00 रुपए प्रति पौधा
4.	क्रॉत पत्ती फैक्टरी/सहकारी क्षेत्र में मौजूदा चाय फैक्टरी का उन्नयन	सब्सिडी	मशीनरी की कुल लागत का 25% जो अधिकतम 25.00 लाख रुपए होगी।
5.	सहकारी/सरकारी क्षेत्र में चाय फैक्टरी की स्थापना	ऋण	सुलभ ऋण के रूप में संयंत्र एवं मशीनरी की लागत का 50%

10वीं योजना के दौरान चाय बोर्ड की ओर से सहायता केवल मौजूदा क्षेत्र के विकास तक ही सीमित रहेगी और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा उत्तरांचल राज्य को छोड़कर नये रोपण को प्रोत्साहित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

चुनाव सुधार

2755. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत निर्वाचन आयोग, दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति तथा भारतीय विधि आयोग की विभिन्न सिफारिशों के बावजूद सरकार देश में चुनाव सुधार लाने और लागू करने में विफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राजनीतिक दलों के साथ कितनी बार बातचीत की गई;

(घ) क्या उन बातचीतों में कोई आम सहमति हुई है और यदि हां, तो मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा चुनाव सुधारों को तेजी से लागू करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस): (क) जी, नहीं। पिछले तीन वर्ष के दौरान अनेक निर्वाचन संबंधी सुधार पहले ही किए जा चुके हैं, जिनका सार संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्ष के दौरान सरकार ने निर्वाचन सुधारों संबंधी विभिन्न मदों पर आम सहमति बनाने के लिए नामशः 15.5.2000, 13.9.2001, 8.7.2002, 2.8.2002, 7.3.2003 और 13.3.3004 को सर्वदलीय बैठकें बुलाई हैं। कार्यसूची की मदों और उन मदों के, जिन पर आमसहमति थी, ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिए गए है।

(ङ) सरकार निर्वाचन सुधारों की प्रक्रिया में लगातार लगी हुई है जैसाकि इस विषय पर हाल ही में बनाई गए अधिनियमितियों और ऐसे विधानों से स्पष्ट होता है, जो संसद में लंबित हैं। इन विधानों के अंतर्गत संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 [महिला आरक्षण संबंधी विधेयक], निर्वाचन और अन्य संबद्ध विधियां (संशोधन) विधेयक, 2003 [राजनीतिक दलों के वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने के लिए-संसद् द्वारा पारित], लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2003 [राज्य सभा के निर्वाचनों को लड़ने के लिए किसी विशिष्ट राज्य का निवासी होने की अपेक्षा को समाप्त करने और निर्वाचनों में विद्यमान गुप्त मतदान पद्धति के स्थान पर खुली मतदान पद्धति आरंभ करने के लिए है- राज्य सभा द्वारा पारित और लोक सभा द्वारा विचारार्थ और पारित किए जाने के लिए लंबित] और संविधान (सतानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 [मंत्री परिषद् के आकार को सीमित करने, दसवीं अनुसूची (दल परिवर्तन विरोधी विधि) का संशोधन करने और किसी दल परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को लाभ वाले राजनीतिक पद धारण करने से रोकने के लिए-लोक सभा में विचारार्थ और पारित किए जाने के लिए लंबित] गृह मंत्रालय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के समक्ष लंबित] हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के बीच निर्वाचन सुधारों संबंधी प्रस्तावों की श्रृंखला के संबंध में उनकी टीका/टिप्पणियों/विचार आमंत्रित करने के लिए एक पत्र परिचालित किया है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई अधिनियमितियों की सूची:-

(1) संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001-राज्यों की लोक सभा में और उनकी विधान परिषदों में आबंटित किए गए स्थानों की संख्या में वृद्धि को वर्ष 2026 तक प्रतिबंधित करते हुए निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन को करने के लिए।

(2) परिसीमन अधिनियम, 2002-परिसीमन आयोग का गठन करने के लिए संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 के अनुसरण में पारिणामिक अधिनियमिति।

(3) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2002-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 को सुदृढ़ करने, निरर्हता अवधि के प्रारंभ होने से संबंधित धारा 8 की उपधारा (1) को, उसकी उपधारा (2) और (3) के समान बनाने और सती (निवारण) अधिनियम, 1987, भ्रष्टाचार (निवारण) अधिनियम, 1988 और आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन अपराधों को उक्त धारा की परिधि के भीतर लाने के लिए भी।

(4) लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002-बिहार राज्य में स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों से विधान परिषद के निर्वाचनों का संचालन करने के लिए।

(5) लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2002-अभ्यर्थियों से विनिर्दिष्ट अपराधों और आपराधिक मामलों में दोषसिद्धियों के बारे में सूचना देने की अपेक्षा करने के लिए।

(6) निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2003-सशस्त्र बलों और अन्य बलों के सदस्यों को, जिनको सेना अधिनियम, 1950 के उपबंध, उपांतरणों सहित या उनके बिना लागू किए गए हैं, लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में

परोक्षी की पद्धति के माध्यम से मत देने के लिए अतिरिक्त विकल्प का उपबंध करने के लिए।

(7) संविधान (सतासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003-वर्ष 2001 की जनगणना आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए।

विवरण II

पिछले तीन वर्ष के दौरान सरकार द्वारा निर्वाचन सुधारों के संबंध में बुलाई गई बैठकों के ब्यौरे-

I. तारीख 13.5.2000 को हुई राजनीतिक दलों की बैठक

कार्यसूची की मदें

1. वर्ष 2026 ईस्वी तक या उसके पश्चात् कराए जाने वाली जनगणना के आंकड़े उपलब्ध हो जाने तक, नए सिरे से परिसीमन करने पर लगी रोक को और विस्तारित करने के लिए संविधान का संशोधन;
2. किसी राज्य के भीतर अंतर्विष्ट निर्वाचन क्षेत्रों का, विधान मंडल में इस समय आबंटित स्थानों की संख्या में परिवर्तन किए बिना परिसीमन करने, जिससे कि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या/निर्वाचकों की असामान्य वृद्धि के कारण हुए असंतुलनों को दूर किया जा सके;
3. आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का चक्रानुक्रम अनुज्ञात करना; और
4. परिसीमन के कार्य को सभी संबंधित मुद्दों के साथ निर्वाचन आयोग को स्थायी आधार पर सौंपना।

आम सहमति

इस प्रस्ताव पर आम सहमति हुई थी कि जहां तक लोक सभा में स्थानों की संख्या और राज्यों के बीच उनके वितरण और राज्य विधान सभाओं में स्थानों की संख्या का संबंध है, निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन कराने संबंधी तत्समय विद्यमान सांविधानिक रोक को वर्ष 2026 तक विस्तारित किया जाए।

II. 13.9.2001 को हुई बैठक

कार्यसूची की मदें

1. निर्वाचन संबंधी राजनीति में भ्रष्ट और आपराधिक तत्वों को प्रवेश करने से रोकने के लिए निरर्हता के उपबंधों को कठोर बनाना;
2. अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के लिए नामांकन फाइल करते समय आस्तियों, आदि की घोषणा करना;
3. एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ने को निर्बंधित करना;
4. सशस्त्र बलों, आदि के सदस्यों के लिए परोक्षी की पद्धति द्वारा मतदान करने की अतिरिक्त सुविधा का उपबंध करना-निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 1999-गृह मंत्रालय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें;
5. राजनीतिक दलों के वित्त प्रबंधों और निर्वाचनों के सरकारी वित्त पोषण का विनियमन।

आम सहमति

बैठक में यह विनिश्चय किया गया था कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) को, उस धारा की उपधारा (2) और उपधारा (3) के समान बनाया जाए। धारा 8 की उपधारा (1) के तत्समय विद्यमान रूप में यह उपबंधित था कि उपधारा (1) में उल्लिखित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया व्यक्ति, उसकी दोषसिद्धि की अवधि को ध्यान में रखते हुए छह वर्ष के लिए निरर्हित होगा। इसके परिणामस्वरूप ऐसी असामान्य स्थितियां पैदा हुई हैं, जिसके द्वारा 10 वर्ष के लिए सिद्धदोष ठहराया गया कोई बलात्कारी केवल छह वर्ष के लिए निरर्हित किया गया था और वह जेल में रहते हुए भी निर्वाचन लड़ने में समर्थ था। तथापि, इस धारा की उपधारा (2) और उपधारा (3) में दोषसिद्धि की अवधि के अतिरिक्त छह वर्ष के लिए निरर्हता का उपबंध है।

III. तारीख 8.7.2002 और 2.8.2002 को हुई राजनीतिक दलों की बैठकें

सरकार ने राजनीति के अपराधीकरण के विषय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा 2.5.2002 को भारत निर्वाचन आयोग को किए गए निर्देशों में अभिव्यक्त की गई कुछ चिंताओं पर विचार करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के साथ ही निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से उपाबद्ध नामांकन पत्रों में अपेक्षित संशोधनों पर आम सहमति बनाने की दृष्टि से तारीख 8 जुलाई, 2002 को सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई थी। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने एकमत होकर यह विचार व्यक्त किया था कि राजनीति के अपराधीकरण को रोकने की आवश्यकता है और यह सुझाव दिया गया था कि सरकार राजनीतिक दलों के विचारार्थ एक प्रारूप विधेयक परिचालित कर सकती है। तदनुसार, राजनीतिक दलों के बीच एक प्रारूप विधेयक

परिचालित किया गया था, जो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ उन अभ्यर्थियों को, जिनके विरुद्ध जघन्य अपराधों के दो ऐसे मामले फाइल किए गए हों, जिनमें आरोप विरचित कर दिए गए हों, निरर्हित करने के लिए था। लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2002 नामक एक विधेयक को, जिसे बाद में 24.8.2002 को लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 2002 के रूप में प्रख्यापित किया गया था और जिसके स्थान पर लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 लाया गया था, अंतिम रूप दिए जाने के विचार से तारीख 2 अगस्त, 2002 को राजनीतिक दलों की एक अन्य बैठक आयोजित की गई थी।

IV. तारीख 7.2.2003 को हुई राजनीतिक दलों की बैठक

संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 के, जो यह उपबंध करने के लिए है कि लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में एक-तिहाई से अन्यून स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, उपबंधों के संबंध में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 7.3.03 को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। उक्त विधेयक, विधेयक के उपबंधों पर आम सहमति न बन पाने के कारण लोक सभा में विचार किए जाने और पारित किए जाने के लिए लंबित है। उक्त बैठक इस संबंध में आवश्यक आम सहमति बनाने में असफल रही थी।

V. तारीख 13.3.2003 को हुई राजनीतिक दलों की बैठक

परिसीमन अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन गठित परिसीमन आयोग के कार्यों पर विचार-विमर्श करने के लिए तारीख 13.3.2003 को एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी। इसमें परिसीमन आयोग से यह अनुरोध करने का विनिश्चय किया गया था कि वह सहयुक्त सदस्यों से विचार-विमर्श करने संबंधी अपने दिशानिर्देशों का पुनरीक्षण करें। यह भी विनिश्चय किया गया था कि 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के लिए उपबंध किया जाए।

चीन में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं

2756. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन से समझौते के उपरांत भारतीय स्टेट बैंक ने चीन में शाखा की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु सरकार से संपर्क किया है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही भारतीय स्टेट बैंक से प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो चीन सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) चीन में भारतीय स्टेट बैंक की कितनी शाखायें खोले जाने की संभावना है; और

(ङ) ऐसी शाखाएं कब तक खोली जाएंगी?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ङ) भारतीय स्टेट बैंक (एस बी आई) 12 से 18 महीने में अपने शंघाई स्थिति प्रतिनिधि कार्यालय का ग्रेड बढ़ाकर उसे एक शाखा बनाने के लिये चीनी बैंककारी विनियामक आयोग के समक्ष दस्तावेज पेश करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। चीन सरकार से सकारात्मक उत्तर की प्रतीक्षा है।

ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन

2757. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.डी.टी. ने एसोसिएटेड कम्पनियों के बीच होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के माध्यम से प्राप्त आय के संबंध में नए ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दिशा-निर्देशों को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) द्वारा बनाया गया था;

(घ) यदि हां, तो ओ.ई.सी.डी. प्रतिदर्श भारतीय परिस्थितियों में व्यावहारिक है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों के न्यूनतम मूल्य को निर्धारित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली, अत्यधिक उपयुक्त प्रणाली का चयन करने के लिए विचार किए जाने वाले कारकों, करदाता द्वारा रखे जाने वाले दस्तावेजों और विभाग को प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित सूचना के लिए अपनाई जाने वाली प्रणालियों के लिए

दिशा निर्देशों का उल्लेख करते हुए दिनांक 21.8.01 की का.आ.सं. 808(अ) के तहत विस्तृत नियम अधिसूचित किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं। ये दिशा-निर्देश सरकार द्वारा विकसित किए गए थे। ओ.ई.सी.डी. के दिशा-निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनाए जाने के पश्चात् आवश्यक सीमा तक लागू किए गए हैं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सिंगापुर मुद्दे पर साझा प्लेटफार्म

2758. श्री वाई.वी. राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सिंगापुर मुद्दे पर साझा प्लेटफार्म तैयार करने हेतु एक अनौपचारिक समूह तैयार करने के लिए कई अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उन मामलों का ब्यौरा क्या है और उस मामले में भारत का क्या दृष्टिकोण है; और

(ग) भारत सहित इन देशों के लिए उन मुद्दों पर संयुक्त प्रयास किस सीमा तक मददगार होगे?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) दोहा मंत्रिस्तरीय घोषणा में यह कहा गया था कि चार सिंगापुर मुद्दों अर्थात् (1) व्यापार और निवेश के बीच संबंध, (2) व्यापार और प्रतिस्पर्धा नीति के बीच पारस्परिक क्रियाकलाप, (3) सरकारी खरीद में पारदर्शिता और (4) व्यापार को सुविधाजनक बनाना, में से प्रत्येक मुद्दे पर वार्ताओं की रूपरेखाओं के संबंध में मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में स्पष्ट सहमति के लिए जाने वाले निर्णय के आधार पर सम्मेलन के पांचवें सत्र के पश्चात् की जाएगी। दोहा मंत्रिस्तरीय घोषणा के अनुसरण में सिंगापुर के सभी चार मुद्दों पर डब्ल्यू.टी.ओ. में एक स्पष्टीकरण प्रक्रिया चल रही है।

भारत ने साधारण रूपरेखाओं के आधार पर वार्ताएं शुरू करने के बारे में अपनी चिन्ताएं व्यक्त की हैं जिनसे किसी प्रस्तावित करार के अंतर्गत वार्ताओं के स्वरूप और दायित्वों की दिशा के बारे में कोई अनुमान नहीं मिलता। भारत सहित कुछ विकासशील देशों ने इस स्तर पर यह तर्क किया है कि किसी संभव बहुपक्षीय कार्य ढांचे अथवा इसके घटकों के ढांचे के बारे में प्रस्तावकों के बीच भी विचार की विविधता है और स्पष्टता की कमी है। अत: वे सिंगापुर के सभी चारों मुद्दों पर स्पष्टीकरण की प्रक्रिया जारी रखना चाहते हैं। इस स्थिति को 12 विकासशील देशों के एक समूह जिसमें बंग्लादेश, क्यूबा मिस्त्र, भारत इण्डोनेशिया, केन्या, मलेशिया, नाईजीरिया, पाकिस्तान, वेनेजुएला, जाम्बिया और जिम्बाब्वे शामिल हैं, ने डब्ल्यू.टी.ओ. की सामान्य परिषद् के समक्ष अपने संयुक्त पत्र में दोहराया है।

कैनकुन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की तैयारी के संबंध में आयोजित हाल की कुछ बैठकों में विकासशील देशों द्वारा इसी प्रकार की स्थिति अपनाई है। इनमें 28 मई, 2003 को नैरोबी में हुई पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के व्यापार मंत्रियों की बैठक, 31 मई से 2 जून, 2003 तक आयोजित ढाका में द्वितीय एल डी सी व्यापार मंत्रियों की द्वितीय बैठक 19-20 जून, 2003 तक मारीशस में हुई अफ्रीकी यूनियन के व्यापार मंत्रियों की बैठक और 31 जुलाई, 1 अगस्त 2003 तक ब्रुसेल्स में आयोजित ए सी पी व्यापार मंत्रियों की छठी बैठक शामिल है।

इसके अतिरिक्त 26 विकासशील देशों के एक समूह जिसमें अर्जेन्टीना, बोलिविया, बोत्सवाना, ब्राजील, चिली, चीन, कोलम्बिया, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, एक्वाडोर, ई आई साल्वाडोर, गेबन, ग्वाटेमाला, हांडूरास, मलेशिया, मैक्सिको, मोरक्को, निकारागुआ, पाकिस्तान, पैराग्वे, पेरू, थाईलैंड, उरूग्वे, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे शामिल है, ने 6 जून, 2003 को व्यापार वार्ता समिति को एक दस्तावेज (टीएन/सी/डब्ल्यू/13) प्रस्तुत किया था। जिसमें सिंगापुर मुद्दे पर उन्होंने इस स्थिति को दोहराया था कि गहन विचार विमर्श के बावजूद भी स्पष्टीकरण के लिए बहुत से अभिज्ञात विषयों पर अब भी अनेक मतभेद मौजूद हैं और आगे विश्लेषण करने की आवश्यकता है तथा स्पष्ट सहमति द्वारा कैनकुन में निर्णीत की जाने वाली किन्हीं रूपरेखाओं के संबंध में वार्ताओं के ढांचे और विषय वस्तु के संबंध में निश्चितता प्रदान की जानी आवश्यक है।

सिंगापुर मुद्दों के संबंध में 13 विकासशील देशों अर्थात् बंग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, क्यूबा, मिस्त्र, भारत, इण्डोनेशिया, जैमेका, केन्या, मलेशिया, नाईजीरिया, फिलीपीन्स और जाम्बिया का एक अनौपचारिक समूह भी बनाया गया है, जो सिंगापुर मुद्दों से संबंधित वार्ताओं के मुद्दों पर समान स्थिति में रहने का प्रयास करेगा।

बहुराष्ट्रीय लेखा फर्में

2759. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विश्व व्यापार संगठन द्वारा बहुराष्ट्रीय लेखा फर्मों के प्रवेश पर जोर देने वाले नियमों के कारण भारतीय लेखा फर्मों के सामने आ रही समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर विश्व व्यापार संगठन से विचार-विमर्श किया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी कार्रवाई के क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) लेखा क्षेत्र को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोलने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का पूर्ण ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और जितनी भी सूचना उपलब्ध होगी, सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वाह्न 11.18 बजे

सरकारी विधेयक—*पारित*

(एक) संविधान (चौरानवेवां संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 338 का संशोधन और नए अनुच्छेद 338क का अन्त:स्थापन)

[हिन्दी]

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं-

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय, यह एक सिम्पल अमेंडमैंट है। आर्टिकल 338 जो कि एस.सी., एस.टी. कमीशन के लिए था, अब एस.सी. कमीशन अलग होगा और एस.टी. कमीशन अलग होगा। इसके लिए संविधान में संशोधन आवश्यक है। आपने इसे स्टैंडिंग कमेटी में भी रैफर किया था। इस पर सब सर्वसम्मत हैं। इसलिए इस बिल को जल्दी पास किया जाये। मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को बिना बहस के ही पास किया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री के.ए. सांगतम (नागालैंड): अध्यक्ष महोदय, मैं इस देश के जनजातीय लोगों की ओर से आज आपको प्रश्नकाल का निलम्बन करने हेतु धन्यवाद देता हूं। आज देश की जनजातीय जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): मैं आरंभ में ही यह प्रस्ताव करता हूं कि यदि सरकार सहमत है तो हम इन संविधान (संशोधन) विधेयकों को बिना किसी चर्चा के पारित होने देने और इन दोनों विधेयकों का मार्ग प्रशस्त करने हेतु सहमत हैं। केवल मंत्री जी ही अपनी टिप्पणी कर सकते हैं लेकिन यह केवल तभी सम्भव है जबकि अन्य दल भी इससे सहमत हों।

अध्यक्ष महोदय: इस पर बहुत छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। एक छोटी सी चर्चा करने में कुछ भी गलत नहीं है। हम यह सब अपराह्न 12.30 तक समाप्त कर लेंगे, जैसा कि मैंने कहा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रत्येक मुख्य दल के एक संसद सदस्य को बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकता हूं कि केन्द्रीय मंत्री, जो कि मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं और लोक सभा के सदस्य भी हैं, शायद दूसरे सदन में व्यस्त हैं लेकिन मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यदि संभव हो तो वे इसे देखें। हमें वाद-विवाद करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: यह अच्छा सद्भावना प्रदर्शन है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह इस पक्ष या उस पक्ष की ओर से बिना किसी व्यवधान, हस्तक्षेप या शोर-शराबे के बिना आसानी से पारित हो सकता है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): हम इसे बिना किसी बहस के पारित कर सकते हैं, महोदय, *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय, सरकार को इसमें आपत्ति नहीं है लेकिन क्योंकि आपने साढ़े बारह बजे का समय तय किया था, इसलिए जो सदस्य बैठे थे, वे भी चले गए हैं और हमारे मंत्री प्रश्नकाल के लिए राज्य सभा में हैं। यहां उनकी उपस्थिति भी आवश्यक है क्योंकि संविधान संशोधन को पारित करने के लिए टोटल का पचास फीसदी चाहिए, बैठे हुए सदस्यों का दो-तिहाई तो चाहिए, यह सर्वसम्मति से हो जाएगा, लेकिन टोटल का भी पचास फीसदी चाहिए। चूंकि आपने साढ़े बारह बजे का समय तय किया है, इसलिए साढ़े बारह बजे तक दोनों बिलों पर 45-45 मिनट चर्चा हो जाए और साढ़े बारह बजे वोटिंग हो जाए। *...(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष महोदय, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। हमें बताया गया था कि क्वैश्चन आवर को सस्पेंड करके सीधे कौन्सटीट्यूशन अमैंडमैंट बिल को पास किया जाएगा और साढ़े बारह बजे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वाला प्रस्ताव ले लिया जाएगा। यदि आप साढ़े बारह बजे तक इसकी डिस्कशन चलाएंगे और साढ़े बारह बजे वोटिंग रखेंगे तो यह समाप्त होते-होते ढाई बज जाएंगे। फिर उसका कोई यूज नहीं रहेगा। हमारी नियम 193 की डिस्कशन पहले ग्यारह बजे तय हुई थी, कहा गया था कि ऐडजर्नमेंट मोशन वगैरह नहीं होगा और वह बारह बजे शुरू हो जाएगा। लेकिन कल की परिस्थिति के मुताबिक वह साढ़े बारह बजे हो गया। आप साढ़े बारह बजे तक अपनी वोटिंग समाप्त करवा लीजिए। यह प्ली लेना कि हमारे मैम्बर चाय पीने गए हैं, पान खाने गए हैं, यह तर्क चलने वाला नहीं है। अगर इसे करना है तो कीजिए नहीं तो एक्सटैंड कर दीजिए। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, हमारे मैम्बर चाय पीने गए हैं, पान खाने गए हैं, यह किसी ने नहीं कहा। लोक सभा के मंत्री राज्य सभा में प्रश्नकाल के लिए बैठे हैं। वे अपनी सम्दाय कर्त्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। कोई चाय पीने, पान खाने नहीं गया और न ही किसी ने यह बात कही है। आप साढ़े बारह बजे वोटिंग करवाइए। ...*(व्यवधान)* साढ़े बारह बजे की वोटिंग रात के ढाई बजे तक क्यों जाएगी। केवल दस मिनट की वोटिंग है, अगर साढ़े बारह बजे वोटिंग रखेंगे तो वह 12.40 पर खत्म हो जाएगी। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि दोनों विधेयकों पर 45-45 मिनट की चर्चा करवा लीजिए। अगर दोनों विधेयकों पर 45-45 मिनट की चर्चा होती है तो डेढ़ घंटे का समय लगेगा। अभी 11.23 बज रहे हैं। साढ़े बारह बजे वोटिंग कैसे होगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप बैठिए। आप हर विषय पर फिक्र मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): सुषमा जी को गुस्सा क्यों आता है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: क्योंकि सुषमा जी आपकी तरह ज्ञानी नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, यह संविधान संशोधन विधेयक है। आप इस पर 45-45 मिनट की चर्चा करवाकर पास करेंगे, हम इससे सहमत नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सांगतम जी, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के.ए. सांगतम: इस देश की स्वतंत्रता के पश्चात् दबे हुए लोगों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ऊपर उठाने हेतु बहुत से परिवर्तन और सुधार करने पर बहुत जोर दिया गया है। पूर्व में, विभिन्न सरकारों—पंडित जवाहर लाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी तक ने दूर-दराज के और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बहुत से परिवर्तन करने का प्रयास किया है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया सदन में शांति बनाए रखें।

श्री के.ए. सांगतम: वर्ष 1990 में संविधान (पैंसठवां) संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया। इस आयोग की स्थापना पूर्ववर्ती अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के स्थान पर 12 मार्च, 1992 को की गई थी जिसका गठन 1987 के संकल्प के अंतर्गत किया गया था।

संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत संविधान और अन्य कानूनों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की निगरानी करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। तथापि, समय बीतने के साथ-साथ, चूंकि यह आयोग इस देश के इन दोनों अल्पसंख्यक समुदायों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था अत: अनुसूचित जनजातियों पर भी पर्याप्त ध्यान देने की बात सुनिश्चित करने हेतु इसके द्विभाजन का निर्णय लिया गया था। महोदय, सभा इस पर बहुत स्पष्ट नहीं दिखती, बहुत व्यवधान हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया सदन में शांति बनाए रखें।

श्री के.ए. सांगतम: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन इस देश की जनजातीय जनसंख्या के लिए एक स्वागतयोग्य कदम है क्योंकि आज तक भी अनुसूचित जनजाति के लोगों से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है।

मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के संबंध में कुछ प्रस्ताव रखना चाहूंगा। प्रस्तावित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यगण ऐसे प्रख्यात जनजातीय लोग होने चाहिए जिन्हें देश के जनजातीय लोगों और उनके रहन-सहन के तौर-तरीकों के बारे में विस्तृत ज्ञान और जानकारी हो। भारत एक बहुभाषी, बहुनस्लीय, बहुजातीय और बहुधर्मी देश है। भारत में जनजातियों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.08 प्रतिशत है। इनमें से इनकी 50 प्रतिशत जनसंख्या हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात में रहती है। देश के विभिन्न भागों में इस जनसंख्या का शेष भाग छोटे-छोटे हिस्सों में रहता है।

पूर्वोत्तर के नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में जनजातीय जनसंख्या 80 प्रतिशत से अधिक है। जनजातीय समुदायों का अधिकांश भाग मैदानों से लेकर वनों, पहाड़ियों और अन्य दुर्गम क्षेत्रों में विभिन्न पारिस्थितिकीय और भौगोलिक पर्यावस्थितियों में रहता है। जनजातीय समूह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के मामलों में विभिन्न स्तरों पर हैं। जहां कुछ समुदायों ने इस परिदृश्य के एक ओर जीवन की मुख्य धारा को अपना लिया है वहीं दूसरी ओर 75 प्रतिशत प्राचीन जनजातीय समूह ऐसे हैं जिन्हें (क) प्रौद्योगिकी के कृषि-पूर्व स्तर पर, (ख) घटती हुई जनसंख्या, (ग) अत्यधिक निम्न साक्षरता और (घ) मात्र गुजारे लायक जीविका के आर्थिक स्तर आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इन जनजातियों की धार्मिक व सामाजिक परिपाटी उनके पारंपरिक रीति-रिवाजों, जनजातीय रीति-रिवाजों के अनुसार उनके कानूनों, जनजातीय भूमि के स्वामित्व और हस्तांतरण आदि के बारे में उनके नागरिक और अपराध न्याय प्रशासन से संबंधित मामलों पर अधिक जोर दिए जाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय: अब आपको समाप्त करना पड़ेगा। हमारे पास बहुत कम समय बचा है।

श्री के.ए. सांगतम: महोदय, मैं शीघ्र ही समाप्त कर दूंगा।

महोदय, मैं पुन: कहूंगा कि अधिकांश जनजातीय जनसंख्या में साक्षरता दर बहुत कम है और उन्हें ऊपर उठाए जाने की आवश्यकता है। प्रस्तावित अनुसूचित जनजातीय आयोग को इन कमियों को दूर करने और देश के बहुत से भागों में रह रही जनजातीय जनसंख्या को ऊपर उठाने के लिए अधिक बल देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री धावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): अध्यक्ष महोदय, सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है। वास्तव में इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता थी। हम सब जानते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के रहन-सहन की स्थिति अलग प्रकार की है और उनकी समस्याएं भी अलग-अलग हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दो अलग-अलग मंत्रालय भी बनाए। अनेक वर्षों से इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग अलग-अलग आयोगों के रूप में काम करे। अभी जो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के चेयरमेन का कार्यकाल है, वह तीन साल का है। इस तरह से तीन साल के लिए अनुसूचित जाति का व्यक्ति चेयरमैन बनता था, फिर तीन साल के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति चेयरमैन बनात था। देश के क्षेत्रफल, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए और इसकी विशालता के कारण दोनों समुदायों के लोगों के हितों का संरक्षण और उनके अधिकार और कर्त्तव्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा था। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 338 में सरकार यह संशोधन लाई है। इसके माध्यम से देश में भविष्य में अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग अलग-अलग आयोगों के रूप में काम करेगा तथा दोनों समुदायों के हितों के संरक्षण का काम करने में सफलता ये आयोग सफलता प्राप्त कर सकेंगे।

मैं सरकार से इन आयोगों को और अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए अपील करना चाहता हूं। वर्तमान में जो उनका स्वरूप है, वह सलाहकार समिति जैसा हो गया है। मैं चाहता हूं कि इनको और अधिकार सम्पन्न बनाया जाए। इसके साथ ही मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बाजूबन रियान (त्रिपुरा पूर्व): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं परंतु मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि हम इसके लिए एक नया आयोग क्यों बना रहे हैं। इससे पहले हमारे पास राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से एक संयुक्त आयोग था। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे एक अनुसूचित जाति आयोग क्यों नहीं बना रहे हैं। मैं इससे सहमत हूं कि इस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का विघटन होना चाहिए लेकिन हम एक अनुसूचित जनजाति आयोग क्यों बना रहे हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग को यथापूर्व बनाए रखकर हम अनु. जाति आयोग बना सकते हैं। हमें एक और आयोग का गठन करने के लिए नई अवसंरचना की आवश्यकता होगी।

. इन दो समुदायों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में से देश में अनुसूचित जनजातियां अधिक दयनीय हैं और अनुसूचित

[श्री बाजुबन रियान]

जातियां गरीब हैं। वर्ष 1993 की जनगणना और योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक जनजातीय लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। जबकि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का राष्ट्रीय प्रतिशत 39 है। इस प्रकार यह बात तो स्पष्ट है कि देश में गरीब वर्गों और आदिवासियों को विकसित करने हेतु इस प्रकार के आयोग आवश्यक हैं।

अब, हम यहां संविधान में क्या संशोधन कर रहे हैं? हम अनुसूचित जनजातियों को वहां से हटा रहे हैं जबकि वे वहां बने रहना चाहते हैं। मैं यह प्रस्ताव कर सकता हूं कि हम अनुसूचित जातियों को वहां से हटा दें और अनुसूचित जनजातियों को बने रहने दें।

पहली बार इस प्रकार के आयोग का गठन नेहरू युग में श्री यू.एन. ढेबार की अध्यक्षता में 1961 में किया गया था। इसकी स्थापना व्यापक निदेश-पदों के साथ की गई थी। लेकिन मुझे संदेह है कि क्या केन्द्र में सत्तारूढ़ सरकारों ने श्री यू.एन. ढेबार और उनके पश्चात् के आयोगों की सिफारिशों को कार्यान्वित किया है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री बाजुबन रियान: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर ही रहा हूं।

इस प्रकार बहुत से आयोग गठित हुए परंतु जनजातियों की नियति और उनकी आर्थिक स्थिति अभी तक नहीं बदली है। वे अब भी देश के निर्धनतम लोगों में से हैं और उन पर हर प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। ये सब अभी भी हो रहे हैं।

रोजगार के बारे में हमने देखा है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र और केन्द्र व राज्यों में सरकारी क्षेत्र में आरक्षण है। लेकिन उनके स्थानीय और केन्द्रीय स्तर पर प्रतिशत के अनुसार सरकार में कहीं भी-चाहे केन्द्र में हो या राज्य में-कोई भर्ती नहीं हुई है। हर जगह शेष रिक्तियां हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): मैं सदन का अधिक समय न लेते हुए केवल दो ही मिनट लूंगा। मैं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग का गठन करने हेतु लाए गए इस संविधान (चौरानवेवां संशोधन) विधेयक का स्वागत करता हूं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में तीन मुद्दे लाना चाहूंगा।

पहली बात अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में है, यह निर्णय लिया गया है कि इसमें एक चेयरमैन, एक वाइस-चेयरमैन और तीन सदस्य होंगे। इस मामले में इन्होंने एक चेयरमैन और दो सदस्य बनाए जाने का निर्णय लिया है। यदि अनुसूचित जनजाति आयोग के भी पांच सदस्य हो जाते हैं तो इससे कितना व्यय आएगा? दूर-दराज के क्षेत्रों सहित देश के प्रत्येक भाग में आदिवासी क्षेत्र हैं। स्वाभाविक रूप से अधिक सदस्य उन क्षेत्रों में जाएंगे और कम से कम वे आदिवासी लोगों से बातें करेंगे। सरकार अनुसूचित जनजाति आयोग में पांच सदस्यों के स्थान पर तीन सदस्य रखकर कितना धन बचा पाएगी? मैं माननीय मंत्री जी से इसका उत्तर चाहूंगा।

श्री दलित इजिलमलाई (तिरूचिरापल्ली): मंत्री जी को इसका उत्तर देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति: मैं चाहता हूं कि वे इसमें सुधार करें क्योंकि इसकी लागत अधिक नहीं होगी। यह मेरा पहला मुद्दा है।

दूसरे, मैं यह बात उनकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि इस आयोग को अधिक शक्तियां दी जाएं। यह बताया गया है कि उनके पास एक विचारण न्यायालय होगा जो कि आम्बड्समैन या ऐसे ही बोर्ड के स्तर पर निपटारे जैसा होगा जो कि करना ही पड़ेगा। अत: मैं यह महसूस करता हूं कि आयोग को अधिक शक्तियां देनी पड़ेंगी।

तीसरे, मैं यह कहना चाहूंगा कि राज्यों में आदिवासियों के कल्याण हेतु दी जाने वाली राशि जो अन्य कोषों में मिला दिया जाता है। इस कार्य हेतु कोई अलग खाता नहीं है। इसलिए जब इस राशि की आवश्यकता पड़ती है तो यह उपलब्ध नहीं हो पाती। अत: सभी राज्यों में इसे बाध्यकारी बना दिया जाना चाहिए कि केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु दी जाने वाली राशि को एक अलग खाते में रखा जाए। यदि वह राशि खर्च नहीं की जा रही है तो उसे उस खाते में अलग रखा जाना चाहिए और उस खाते को नहीं छुआ जाना चाहिए।

यदि मैंने जो तीन बातें अभी आपके सामने रखी हैं वे उन पर ध्यान देते हैं तो मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह संशोधन बहुत समय से लंबित था। मैं यह महसूस करता हूं कि इसे शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जाना चाहिए जिससे कि आदिवासी लोग जो कि देश के बहुत दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे हैं जो अशिक्षित हैं और अभी भी गरीबी में अपना जीवन-यापन कर रहे हैं, कम से कम वे मुख्यधारा में तो शामिल हो जाएंगे। महोदय, मुझे यह अवसर देने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग बना था और मूलत: आयोग के बनाने का मकसद यह था कि दलितों की भलाई हो और अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों का कल्याण हो। उसके बाद 65वां संविधान संशोधन हुआ और आज हम अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग में से अनुसूचित जाति को अलग और जनजाति को अलग कर रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों की भौगोलिक परिस्थितियां अनुसूचित जाति से अलग हैं, उनमें फर्क है। सन् 1951 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल आबादी का 1.5 प्रतिशत है। हम इन दोनों आयोगों को अलग तो कर रहे हैं लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि इन आयोगों की शक्तियां क्या हैं, इनके क्या अधिकार हैं? इन आयोगों के पास संवैधानिक अधिकार नहीं हैं, कानूनी अधिकार नहीं हैं जिससे दोषी लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सके। इसलिए इनकी कोई सार्थकता नहीं है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अतारांकित प्रश्न संख्या 2770 के द्वारा श्री उरखाओ ग्वाग ब्रह्मा जी ने राज्य सभा में दिनांक 21.7.2002 को एक प्रश्न पूछा कि क्या यह सच है कि बजट में जनजाति कार्यों के लिए आवंटित राशि में से राज्य सरकारों ने कितनी मात्रा में धनराशि का अन्यत्र कार्यों के लिए उपयोग किया है। जनजाति के लिए धनराशि का जो आवंटन होता है उसका सही उपयोग होता है या नहीं। इसका जवाब दिया गया है कि भारत के लेखा एवं नियंत्रक लेखा परीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 1998 की रिपोर्ट के मुताबिक, जनजातीय योजनाओं की विशेष केन्द्रीय सहायता योजनाओं के संबंध में 85.58 करोड़ रुपये की धनराशि अन्य योजनाओं में राज्य सरकारों ने खर्च कर दी।

महोदय, सबसे बड़ा सवाल यह है कि दलित जाति के कल्याण के लिए, अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए राज्य सरकारों को भारत सरकार जो दौलत भेजती है, वह दूसरे मदों में खर्च कर दी जाती है। जब तक हम निगरानी तंत्र विकसित नहीं करेंगे और यह सुनिश्चित नहीं करेंगे कि जिन वर्गों के विकास के लिए जो पैसा आवंटित किया जा रहा है, वह उन पर खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब तक मैं नहीं समझता हूं कि इसका कोई फायदा हो सकता है। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार से जो दौलत राज्य सरकारों को जाती है, राज्य सरकार उसकी उपयोगिता का प्रमाण-पत्र (बी) भारत सरकार को नहीं देती है। असली सवाल यह है कि आज तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की अनुशंसाओं पर सदन में चर्चा नहीं होती और न ही उन पर कार्यवाही की जाती है। इसी से संबंधित एक उदाहरण मैं सदन में देना चाहता हूं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान में एक डाक्टर हैं, जिनका नाम डा. पी.एन. डोगरा, जो प्रोफैसर पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं, उनको प्रोफैसर नहीं बनाया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने जो सिफारिश की है, उसकी सिफारिशों को नजरअन्दाज किया गया है और कार्यवाही नहीं की गई है। मैं आपकी अनुमति से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने जो आदेश दिया है, उसकी दो पंक्तियां पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है-

[अनुवाद]

''इस मामले की जांच के पश्चात् आयोग ने यह पाया है कि डा. पी.एन. डोगरा के साथ भारी अन्याय हुआ है। यह तथ्य प्रो. राजशेखरन द्वारा 12 अप्रैल, 2000 को अ.भा.आ.सं. के निदेशक को लिखे गए पत्र में भी इंगित किया गया है। अ.भा.आ.सं. के निदेशक का यह कार्य उनके अ.जा./अ.ज.जा. के प्रति पूर्वाग्रह को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इसलिए आयोग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से यह सिफारिश करता है कि वह इस सारे मामले को देखे और डा. ए.के. हेमाल की यूरोलाजी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति को रद्द करे तथा अ.भा.आ.सं. के प्राधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के साथ-साथ तत्काल डा. पी.एन. डोगरा के साथ न्याय करे।''

[हिन्दी]

महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के आदेश देने के बाद कोई कार्यवाही नहीं की गई। मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अन्याय होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग से अनुसूचित जनजाति आयोग अलग करने जा रहे हैं, लेकिन आयोग के पास जब तक शक्तियां नहीं होंगी, उनकी सिफारिशों को लागू नहीं किया जाएगा, तब तक इन आयोगों का कोई मतलब नहीं है। लगता यह है कि इन आयोगों के नाम पर जिन राजनीतिक लोगों को कहीं नियुक्त नहीं कर पाते हैं, उनको ऐसे आयोगों में एडजस्ट करने का तरीका बन गया है। इसलिए इन आयोगों की कोई उपयोगिता नहीं है। अगर ये आयोग कमजोर वर्गों का कल्याण नहीं कर सकते हैं, तो इन आयोगों का कोई अर्थ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अंत में, मैं संविधान (चौरानवेवां संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं, लेकिन साथ ही अपेक्षा करता हूं कि इन आयोगों को कारगर बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए संवैधानिक अधिकार देंगे, कानूनी अधिकार देंगे। अन्यथा, इन आयोगों को एक रखें या अलग रखें, इनकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अनंत गुढे (अमरावती): अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान (चौरानवेवां संशोधन) विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं। आज की परिस्थितियों में यह विधेयक बहुत जरूरी है। सारे देश भर में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं। मेरे विदर्भ क्षेत्र में कई अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं। ये जनजाति के लोग अपने विकास के लिए, व्यवसाय के लिए काम-धन्धे के लिए अपने क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों पर जाते हैं।

महोदय, महाराष्ट्र राज्य में इनसे संबंधित स्क्रूटनी कमेटी है। इस कमेटी का काम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की जांच करना है। इन जातियों की फैमिली हिस्ट्री को देखकर उन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति का सर्टिफिकेट देना उसका कार्य है। हलवा-हलवी आदि ऐसी कई जातियां वहां पर विद्यमान हैं, लेकिन उन पर ध्यान न देते हुए मीटिंग सस्पैंड कर दी जाती है जिससे अनुसूचित जाति या जनजाति से अलग करने का काम हो रहा है। उसकी रिपोर्ट से महाराष्ट्र में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। आप अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अलग अलग आयोग बनाने जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जिन अनुसूचित जनजाति के लोगों ने अलग जाति में शादी की है, जैसे हल्वा-हल्वी जाति है, उन्हें रिजर्वेशन और दूसरी सुविधाओं का पूरा फायदा मिलना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रख कर आप इस पर विचार करें। मैं जनसंख्या की तरफ से सरकार से यही विनती करना चाहता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, 1990 में संविधान का 65वां संशोधन करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ था। सरकार को ऐसा लगा कि दोनों को अलग-अलग कर देने से दोनों का ज्यादा भला होगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार ने उस आयोग की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की है? अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण संबंधी समिति के जब श्री कड़िया मुंडा अध्यक्ष थे और कमेटी ने जो सिफारिशें की उन पर सरकार ने कौन सी कार्रवाई की? सरकार केवल दिखाने के लिए कह रही है कि वह ऐसा करके उनका बड़ा भारी भला करने वाली है। अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के एक साथ रहने से वे एकजुट थे। अब दोनों को वायफरकेट करने की कोशिश हो रही है। डिवाइड ऐंड रूल की पालिसी को हम कैसे मान सकते हैं? हम कैसे इस बात को मानें कि जो वर्ग ज्यादा पीछे है, आप उनके साथ बात करके उन्हें ज्यादा तरजीह देना चाहते हैं? हिन्दुस्तान की आबादी में जब तक दलित, आदिवासी और शोषित वर्ग के लोग पिछड़े रहेंगे और उनको जब तक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी नहीं दी जाएगी, सम्मान नहीं दिया जाएगा तब तक देश दुनिया के मूल्कों में सबसे पीछे रहेगा। आज भी हिन्दुस्तान में अनुसूचित जाति और जनजाति के करोड़ों लोग दबे हुए हैं और उनका हर तरफ से शोषण होता है। उनके साथ जात-पात का भेदभाव और छुआछूत का भेदभाव होता है। रिजर्वेशन की पालिसी है और इसे पूरा करने के लिए कानून भी है लेकिन उसका पालन नहीं किया जाता है। यह तय हुआ था कि इनका साढ़े सात परसैंट से कम रिजर्वेशन नहीं रहेगा लेकिन रिजर्वेशन में उनका 6 परसैंट ही कोटा चल रहा है। आयोग की रिपोर्ट की कोई मर्यादा नहीं है और उसे कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है।

आज भी देश के कई हिस्सों में अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लोगों पर अत्याचार होते हैं। आज इस विषय पर सदन में बहस भी है। उन पर जुल्म होना जारी है। उनके विकास के लिए प्रयास होने चाहिए। हजारों वर्षों से जिन वर्गों का शोषण हुआ, उसे दूर करने के लिए अब तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार यह संविधान संशोधन विधेयक पौस मील में लायी है। सरकार का कहना है कि दोनों के साथ रहने से फायदा नहीं हो सका। अब अनुसूचित जाति का अलग आयोग और अनुसूचित जनजाति का अलग आयोग होगा। इसके होने से इन्हें लगता है कि उन्हें फायदा होगा। यह संविधान संशोधन करने पर बहुत उतारू हैं इसलिए इसे अफरा-तफरी में पास करना चाहते हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने क्या रिपोर्ट दी, उसकी क्या कठिनाइयां हैं, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के किन विभागों में इन वर्ग के लोगों के साथ उचित व्यवहार नहीं हो रहा है, इस विषय पर बहुत बहस होती है। संविधान में लिखा है कि इन वर्गों के लोगों को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय का मतलब सामाजिक कारणों से जो वर्ग पीछे रह गया है, जिनके साथ छुआछूत का भेदभाव होता है, उन्हें बराबरी का दर्जा दिया जाए। इसी भेदभाव के चलते हमारा देश पीछे जा रहा है। जब तक ऐसे करोड़ों लोग राष्ट्र की मुख्य धारा में नहीं आएंगे तब तक हिन्दुस्तान मजबूत नहीं हो सकता और महात्मा गांधी जी, लोहिया जी, जयप्रकाश जी का सपना साकार नहीं हो सकता। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पासवान जी, अब आप बोलिए। आपकी बात ही रिकार्ड में जाएगी।

...*(व्यवधान)**

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): हमें सरकार बताए कि उसने ऐसा प्रावधान क्यों किया है? आगे का मामला आयेगा जब उनकी संख्या कम जायेगी, ऐसा क्यों किया गया है? उन दोनों की संख्या बराबर करनी चाहिये। अंत में, मैं यही कहूंगा कि हमें सरकार पर भरोसा नहीं है क्योंकि सरकार जो सोचती है कि दो कमीशन बन जाने से लोगों का भला होगा, वह नहीं होगा। लेकिन

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हम देख रहे हैं कि हजारों सालों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का शोषण हो रहा है। उन लोगों को न मंत्री का हिस्सा मिल रहा है, न अफसर का हिस्सा मिल रहा है। श्री कांड़या मुण्डा को ऐसा विभाग दे दिया गया जिसकी कोई मर्यादा नहीं है। इसलिये मैं यह सवाल उठाना चाहता हूं कि सरकार इन लोगों के साथ सामाजिक न्याय करे।

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसलिये आपसे कहा था कि आप अच्छे आदमी हैं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जैसा रघुवंश बाबू ने कहा, इस मामले को गम्भीरता से लिया जाना चाहिये। जब वैलफेयर मिनिस्ट्री बनी थी, उस समय जजबात में लोग कह रहे थे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अलग मंत्रालय बनाया जायेगा, उससे इन लोगों का कल्याण हो जायेगा। इसलिये हम लोग इस राय के थे कि एस.सी.एस.टी. का मुद्दा प्रधान मंत्री के अंतर्गत रहना चाहिये जिससे मौनिटरिंग ठीक ढंग से हो सके लेकिन वह नहीं हो पाया। हां, जनजातीय मंत्रालय अलग रूप से जरूर बना दिया गया। जिस प्रकार इस मंत्रालय के पास पावर्स नहीं हैं, उसी प्रकार अनुसूचित जाति कमीशन के पास भी कोई पावर्स नहीं हैं। वर्ष 1990 में जब हम कल्याण मंत्री बने, उस समय इस कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया जिसके पास काफी पावर्स थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक्ट अलग है, फैक्ट अलग है और टैक्ट अलग है क्योंकि एक थानेदार के पास इस कमीशन की बनिस्बत ज्यादा पावर्स हैं।

अध्यक्ष जी, आप देखें कि वर्ष 1998-99 की रिपोर्ट में बताया गया है कि एक-एक केस कमीशन के पास जाता है और कमीशन मानता है कि जुल्म करने वाले या अत्याचार करने वाले को जो दोषी है, उसे सजा मिलनी चाहिये लेकिन थानेदार जिस हिसाब से एफ.आई.आर. दर्ज करता है, उसके मुताबिक उसे सजा नहीं हो पाती है। इसलिये वह एस.टी. के लिये कमीशन बनाने का काम हो रहा है। इस संशोधन विधेयक का कोई विरोध नहीं करेगा और यदि करेगा तो उसे गलत अर्थ में लिया जायेगा। हमारा सुझाव है कि कमीशन को अलग करने के बजाय कमीशन की सिफारिशों का मौनिटरिंगतंत्र जमकर और कड़ाई से कार्यान्वियन होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, एक और बात कहना चाहूंगा कि जो एक्सचेंज का फार्मूला है कि जब एस.सी. की पोस्ट नहीं भरती है तो उसे एस.टी. के लिये छोड़ दिया जाता है। यदि एस.टी. में भी पोस्ट नहीं भरती है तो उस पोस्ट को जनरल कर दिया जाता है। यह एक नया तंत्र शुरू हो गया है। यदि एस.टी. का उम्मीदवार नहीं मिला तो एस.सी. के उम्मीदवार के लिये छोड़ दिया गया और यदि एस.सी. का भी नहीं मिला तो उसे ओ.बी.सी. में दे दिया जाता है और यदि वह भी नहीं मिला तो उसे जनरल कर दिया जाता है—इसे खत्म कर दिया जाना चाहिये। कहीं ऐसा न हो कि एस.सी.एस.टी. के कमीशन दोनों अलग हो जायें तो एस.सी. की पोस्ट न भरे और वह एस.टी. को जाने के बजाय जनरल में चली जाये।

अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुये गम्भीरतापूर्वक जवाब दें।

अध्यक्ष महोदय: डा. अरुण कुमार जी, सिर्फ दो मिनट में अपनी बात रखिये क्योंकि 12.30 बजे वोटिंग करनी है।

डा. अरुण कुमार (जहानाबाद): अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा, समय का अभाव है, इसलिये मैं एक-दो सुझाव आपके सामने रखना चाहूंगा।

अध्यक्ष जी, देर से ही सही लेकिन सरकार द्वारा एस.टी. के लिये अलग से एक कमीशन बनाने के लिये संविधान संशोधन विधेयक लाने का सरकार का उद्देश्य है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। निश्चित तौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रहन-सहन और कस्टम्स में काफी अंतर है। हमारे सामने जो संविधान संशोधन विधेयक आया है, उसके बारे में रघुवंश बाबू ने कहा कि यह एक साजिश है। हम समझते हैं कि उनके मन में बराबर नकारात्मक वृत्ति का जन्म होता रहता है, इसलिए ऐसी सोच उनके मन में बनी है। जहां तक अनुसूचित जातियों का सवाल है, जिस तरीके से बिहार में दलितों का शोषण हो रहा है और जिस तरीके से दलित छात्रवृत्ति की लूट हो रही है, इनकी मंशा और वृत्ति का सब लोगों को पता है। हम केन्द्र सरकार को इस बात के लिए ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: जहानाबाद में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण कुमार: वह सब आपके समय में होता था, जिसे हमने रोका है। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उसकी वजह से श्री रामविलास पासवान इधर चले आये। ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण कुमार: यह हालत है कि इनकी पार्टी से एक भी दलित जीत कर नहीं आया है। यह इनके दलित प्रेम का संकेत है। ...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के इस कदम का बहुत अच्छा और दूरगामी परिणाम होगा। जो वन सम्पदा और वनों में रहने वाले लोग हैं, उनके संरक्षण के लिए एक कमीशन

[श्री अरुण कुमार]

बनेगा। ऐसी भी कई जनजातियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं, उन जनजातियों के लिए संरक्षण और संपोषण का इसमें प्रावधान किया गया है।

श्री जुएल उराम: अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह बहुत ही सिम्पल अमैन्डमैन्ट है ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, हमें एक मिनट बोलने का समय दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी टाइम नहीं है, मुझे दो अमैन्डमैन्ट पूरे करने हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): अध्यक्ष महोदय, वरली-कोलीवाड़ा में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बहुत से लोग हैं, लेकिन वहां से एक भी उम्मीदवार नगरपालिका में नहीं आया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं ऐसा समझता हूं कि आप इस विषय के माध्यम से विधेयक का समर्थन कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप अपना उत्तर जारी रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यदि आपके कुछ सुझाव हैं, तो वे दे दीजिए।

श्री जुएल उराम: कुछ माननीय सदस्यों ने संदेह व्यक्त किया है कि ...*(व्यवधान)* एस.सी. कमीशन में पांच मैम्बर्स रहेंगे, लेकिन एस.टी. कमीशन में तीन मैम्बर्स क्यों हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी आपके पास दो-तीन मिनट का समय है।

श्री जुएल उराम: मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजा और स्टैंडिंग कमेटी ने उसमें पांच मैम्बर्स करने की सिफारिश की है जिसे सरकार ने मान लिया है और अभी हम अमैन्डमैन्ट भी प्रस्तुत करेंगे। यह पांच मैम्बर्स का कमीशन होगा। एस.सी., एस.टी. का विषय अलग है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री दलित इजिलमलाई (तिरूचिरापल्ली): महोदय, कृपया हमारे दल के नेता को बोलने का अवसर दें। ...*(व्यवधान)*

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): महोदय, मैं इस पर बोलना चाहती हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। आप माननीय मंत्री जी से केवल एक या दो प्रश्न पूछकर अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

डा. वी. सरोजा: महोदय, मैं केवल एक या दो प्रश्न ही पूछूंगी ...*(व्यवधान)* मंत्री महोदय, कृपया स्वीकार करें ...*(व्यवधान)* माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप केवल प्रश्न पूछ सकती हैं। मैं आपको केवल एक या दो प्रश्न पूछकर अपनी बात समाप्त करने की ही अनुमति दे सकता हूं। हमारे पास समय नहीं है। अगले बीस मिनट में हमें अगले संविधान (संशोधन) विधेयक पर भी चर्चा समाप्त करनी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): अध्यक्ष महोदय, हमें बोलने की इजाजत दें।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको प्रश्न पूछने का समय दूंगा, आप केवल प्रश्न पूछिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसलिए मैं आपको प्रश्न पूछने की इजाजत दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री हरीभाऊ शंकर महाले: यह सब क्या है। यह क्या हो रहा है?

अध्यक्ष महोदय: महाले जी, मैं आपको प्रश्न पूछने की इजाजत दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री हरीभाऊ शंकर महाले: ऐसा नहीं है, यह सब क्या हो रहा है। आप ट्राइबल को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। यह क्या है, यह आपके हाथ में है।

अध्यक्ष महोदय: फिर अगले अमैन्डमैन्ट पर चर्चा नहीं होगी।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले: ट्राइबल्स का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम लोग ट्राइबल हैं, इसलिए चुनकर आते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको भी बोलने की इजाजत दे रहा हूं, अभी बैठिए। महाले जी, कितनी बार मैंने आपको मौका दिया है।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले: आपको मालूम नहीं है कि ट्राइबल्स के सामने क्या दिक्कतें हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने कहा कि मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। क्या आप हिन्दी समझते हैं, मैंने कहा कि मैं आपको मौका दे रहा हूं। महाले जी, मी आपल्याला परवानगी देणार आहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक, एक के बाद एक शीघ्रता से अपने प्रश्न पूछें।

अब, डा. वी. सरोजा।

मध्याह्न 12.00 बजे

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का यह अवसर देने हेतु आपका बहुत धन्यवाद। मैं अपने दल की ओर से इस विधेयक का समर्थन करती हूं। मैं माननीय मंत्री जी से केवल दो स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहूंगी।

क्या अनुसूचित जनजाति आयोग सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सरकार द्वारा हाल ही में गिनाई गई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने जा रहा है। मैं इस संबंध में 'द इंडिया टाइम्स' में प्रकाशित एक साक्षात्कार को उद्धृत करना चाहूंगी:

''अनुसूचित जनजातियों की सूची में 270 नए समुदायों को सम्मिलित किया गया है (निश्चित रूप से यह एक उपलब्धि है)

अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग को 52 वर्ष के अन्तराल के पश्चात् नियुक्त किया गया है (हम इसे नहीं नकारते। अब हम इस संबंध में एक विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं)

सभी कल्याणकारी योजनाओं में या तो परिवर्तन किया गया है या वे परिवर्तन की प्रक्रिया में हैं। (निश्चित रूप से हमने इसमें परिवर्तन किए हैं परन्तु केवल कागजों पर। ये परिवर्तन निचले स्तर पर नहीं पहुंचे हैं)

वर्ष 1999-2000 के दौरान 692 करोड़ रुपये का बजट आबंटन किया गया था लेकिन अब यह 1877 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो कि बजटीय आबंटन में 57 प्रतिशत वृद्धि है।

900 परियोजनाओं में 614 गैर-सरकारी संगठनों को वित्तपोषित किया जाएगा। मैं उन गैर-सरकारी संगठनों के बारे में जानना चाहूंगी जो इन सब योजनाओं को निष्पादित करेंगे।

मेरा दूसरा प्रश्न आयोग के बारे में है। सरकार ने एक आयोग का गठन किया है। एक सूची भी दी जा चुकी है। एक अध्यादेश भी पारित कर दिया गया है। मैंने उसका आलोचनात्मक ढंग से अध्ययन किया है। क्या सरकार ने कभी इसमें पर्यावरण और वन मंत्रालय की सहायता लेने के बारे में सोचा है क्योंकि यह मंत्रालय जनजातीय लोगों से गहराई से जुड़ा हुआ है। वे इन योजनाओं में परिवर्तन करने और इन्हें कार्यान्वित करने में हमारी सहायता करने की स्थिति में हैं। मैं यह चाहती हूं कि मंत्री जी इन दो प्रश्नों का स्पष्ट रूप से उत्तर दें। इस आयोग को स्वत: ही अधिकांश अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सम्मिलित करना पड़ेगा। जनजाति कल्याण मंत्रालय के अधिकारी किसी भी अन्य विभाग से अधिक जानते हैं। सरकार को इन सभी मामलों में राजस्व विभाग और कृषि मंत्रालय की भी सहायता लेनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले: अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और भारत सरकार को तथा मंत्री महोदय को भी विशेष धन्यवाद देता हूं, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि अभी तक जो शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज आयोग बना है, उनको ज्यादा अधिकार नहीं दिये गये हैं। मेरी विनती है कि आप दो कमीशन तो बना रहे हैं लेकिन उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने चाहिए और उसमें जो दिक्कतें उनको आती हैं, उनको दूर करना चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं कि लोग घूस देकर गलत रूप से आदिमजाति के प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेते हैं और नौकरियों में आ जाते हैं। इस घूसखोरी को रोकना जरूरी है और इसके लिए कमीशन को ज्यादा अधिकार देने चाहिए। मैं फिर से आपके माध्यम से भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं।

श्री माणिकराव होडल्या गावित (नन्दुरबार): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि संविधान 94वें संशोधन विधेयक पर बोलने का मुझे मौका दिया। मैं इसका समर्थन करने के लिए

[श्री माणिकराव होडल्या गावित]

खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी और सरकार को मैं इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से आयोग बनाया है, लेकिन उसमें अध्यक्ष का एक ही पद रखा है जबकि अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष—दो पद रखे हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग में भी उपाध्यक्ष पद रखना चाहिए और इसमें सदस्य संख्या भी बढ़ानी चाहिए। अभी 1991 की जनगणना के अनुसार ट्राइबल्स की पापुलेशन 67 मिलियन हो गई है जो देश की 8.1 प्रतिशत है। भारत सरकार को इसका ध्यान रखते हुए उसको बढ़ाना चाहिए, यह मेरी विनती है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मेरी विनती है कि ट्राइबल के नाम पर जो गैर-ट्राइबल लोग इसमें घुसना चाहते हैं, उन पर रोक लगना चाहिए। ऐसी नहीं होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री दलित इजिलमलाई: महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधान है। यह आदिवासी लोगों से संबंधित है। अनुसूचित जनजाति के लोगों की भांति ही अनुसूचित जाति के लोग भी आदिवासी हैं। विभाजन हो रहा है जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो भागों में विभाजित किया जाना है। अब अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए अलग आयोग होगा।

हमारे माननीय मित्र श्री मूर्ति जी ने एक प्रश्न पूछा था और मैं भी वहां प्रश्न पूछना चाहता हूं। वह जानना चाहते थे कि यदि अनुसूचित जनजाति आयोग बनेगा तो क्या उसका महत्व और स्थिति भी उसी प्रकार होगी और क्या अनुसूचित जाति आयोग की भांति ही उसके भी अध्यक्ष और सदस्य होंगे। माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। अत: उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास जी आप बोलिए। सिर्फ आपका ही रिकार्ड पर जाएगा।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान (चौरानवेवां संशोधन) विधेयक, 2002 (अनुच्छेद 338 का संशोधन और नए अनुच्छेद 338क का अंत:स्थापन) करने वाले विधेयक का समर्थन करता हूं। पहले दलित और आदिवासियों का एक ही आयोग था। इसे अलग करने की आवश्यकता नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को अलग करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन दलित और आदिवासियों को अलग करने से उन्हें क्या फायदा होगा, यह मेरी समझ में नहीं आता। यदि आप फिर भी अलग आयोग का गठन करना चाहते हैं, तो मेरा निवेदन है कि उसे अधिकार देने की आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नवल किशोर राय जी, केवल प्रश्न पूछिए।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान (चौरानवेवां संशोधन) विधेयक, 2002 (अनुच्छेद 338 का संशोधन और नए अनुच्छेद 338क का अंत:स्थापन) करने वाले विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। मैंने अभी डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और श्री अरुण कुमार के भाषण सुने। मेरी आपके माध्यम से सिर्फ यही विनती है कि जो अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए अलग-अलग आयोग बनाए जाते हैं, उन्हें सांवैधानिक अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें संरक्षण प्राप्त नहीं होता है, उसके क्या कारण हैं। इस बारे में अभी डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने भाषण में विस्तार से जिक्र किया। यहां उप प्रधानमंत्री जी भी बैठे हुए हैं, मैं उनका ध्यान खींचना चाहता हूं कि बिहार में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मेरे चुनाव क्षेत्र जिला सीमामढ़ी में नानपुरा नामक थाने के अंतर्गत नयातुर गांव में दलितों को 250 बीघा जमीन आबंटित की गई थी, लेकिन उस जमीन पर बिहार के एक मंत्री ने अपना घर बना रखा है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग ने यह आदेश दिया कि उनका मकान हटा दिया जाए और जमीन का कब्जा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को दिया जाए, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सिर्फ माननीय मंत्री जी का रिकोर्ड पर जाएगा। आप बैठिए।

श्री जुएल उराम: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि दोनों आयोगों में सदस्यों की संख्या बराबर रहेगी, किसी में कम, किसी में ज्यादा, ऐसा नहीं होगा। जहां तक कमीशन को अलग करने की बात है, मैं बताता हूं कि इसके बहुत से कारण हैं। कमीशन के पास इतने केसेस आते हैं कि दोनों के केसे के डिटेल में जाना सम्भव नहीं हो पाता है। दोनों की समस्याएं अलग-अलग हैं। इसलिए कमीशन को अलग-अलग किया जा रहा है। मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

अपराह्न 12.09 बजे

(दो) संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 332 का संशोधन)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 11 पर चर्चा करेगी।

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी): अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 (अनुच्छेद 332 का संशोधन) विधेयक के संबंध में निवेदन करूंगा कि 9 मई, 2003 को सदन में प्रस्तुत किया गया था। यह विधेयक सदन की स्टैंडिंग कमेटी में भी परिचालित किया गया था। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर चर्चा की और आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर सदन उचित समझे, तो इसे बिना चर्चा के पारित कर सकता है।

[अनुवाद]

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। हमारे समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए इस विधेयक में प्रावधान किये गये हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्लीज बैठिये। आप यह अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। यह बात आपको शोभा नहीं देती है। मैंने आपको बोलने का मौका दिया, और आपने भाषण भी दिया और फिर आप यही बात कहेंगे तो मैं इसका अर्थ नहीं समझता हूं।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला: मैं सरकार से अपील करूंगा कि विधान मंडलों और संसद में *...(व्यवधान)* अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त और उचित प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि आपके प्रश्नों का उत्तर लिखित में दें।

[हिन्दी]

मंत्री जी को मैं आदेश देता हूं कि आपको उत्तर लिखित रूप में भेजा जायेगा। प्लीज बैठिये। इतना आपके बारे में करने के बाद भी आप हाउस को डिस्टर्ब करते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है।

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, अनुसूचित जनजातियों के लिए भी अलग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक है। परन्तु इस प्रकार के आयोगों के गठन के साथ यह भी आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है कि इस प्रकार के आयोगों को उचित और पर्याप्त शक्तियां दी जाएं, अन्यथा, उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता है। विशेष शिकायतों के मामले में ऐसे आयोगों के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होनी चाहिए। अल्पसंख्यक आयोग भी व्यापक और पर्याप्त शक्तियों के लिए कह रहे हैं और उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करने के बारे में गंभीरता से प्रयास होना चाहिए और उन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जानी चाहिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप यह क्या कर रहे हैं, मैं इसे समझता नहीं हूं। आप क्या हर बार यही करेंगे? आप बैठिये। अभी चर्चा शुरू है, आपको चर्चा में सहयोग देना चाहिए। पूरे सदन ने इनको एक समय पर करने का निर्णय किया था।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, जहां तक असम विधान सभा की बात है वर्तमान विधेयक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण और प्रतिनिधित्व को बनाये रखा गया है। जैसा कि मैंने कहा है कि ऐसे प्रावधान कमजोर वर्गों के लिए हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। परन्तु इस अवसर पर मैं सरकार का ध्यान सम्पूर्ण राष्ट्र की विधायिकाओं और इस संसद में सभी अल्पसंख्यकों को आरक्षण और उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किये जाने की बढ़ती आवश्यकताओं की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदय, स्थिति गंभीर है। प्रतिनिधित्व कम हो गया है और इसमें गिरावट आ गयी। यदि सभी सभाओं में सभी वर्गों को उचित और पर्याप्त ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो उसके लिए यह आवश्यक है कि अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर विचार किया जाए और सरकार द्वारा उचित विचार किया जाए। हमारी सभाएं इस प्रकार की हों कि हमरी जनता का प्रत्येक वर्ग यहां तक ठीक प्रकार से पहुंचने की स्थिति में हो और यहां किसी और की बजाय राष्ट्र की सबसे बड़ी निर्वाचित संस्था राज्य विधान सभा के समक्ष अपने मामले रख सकें। मैं आशा करता हूं कि यह मामला सरकार से गंभीर, पर्याप्त और विचाराधीन स्वीकृति प्राप्त करेगा।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): अध्यक्ष महोदय, हम इस विशेष संशोधन विधेयक का समर्थन करते हैं। परन्तु मैं इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान अखबारों के उन विभिन्न लेखों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनमें कहा गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कांग्रेस शासित विभिन्न सरकारों को हटाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अपराध जगत की सहायता से कार्य-योजना बनायी गयी है। यहां नहीं बल्कि 6 अगस्त को शिलांग में भाजपा निकाय में नागालैंड के मंत्री श्री होकियो सेमा जी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार को गिराने में भाजपा ने मदद की थी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी भागों में ऐसी प्रवृत्ति फैली हुई है। यह सूचना 'द इंडिया टाइम्स' में छपी है।

महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि हम इसमें विश्वास करते हैं या नहीं परन्तु मुझे अपेक्षा थी कि भाजपा प्रवक्ता इसका खण्डन करेंगे परन्तु भाजपा की ओर से इसका कोई विरोधी वक्तव्य नहीं आया। इसके आलावा एक असामान्य समाचार यह है कि अरुणाचल प्रदेश के त्रामलिंग और तीरज, दो जिले एन एस सी एन की गतिविधियों से काफी प्रभावित हैं।

अब असम प्रेस में यह खबर है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री और गृह मंत्री में यह सहमति है कि इन दोनों प्रदेशों को केन्द्र शासित प्रदेश घोषित किया जायेगा और अन्ततः यह लैंगनाज राज्य और नागालिम राज्य के तौर पर एन एस सी एन को दे दिये जायेंगे। यदि यह सच है तो यह भी खतरनाक है। इसलिए, मैं विनम्र अनुरोध करूंगा। हमारे स्वर्गीय दिवंगत नेता पं. जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी सम्पूर्ण पूर्वोत्तर को मुख्य धारा में ले आये थे और वे इसे मुख्य धारा में रखने में समर्थ रहे। यदि ऐसी कोई कार्य योजना बनायी जाती है तो पूर्वोत्तर की जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। यदि यह समाचार सही है तो पूर्वोत्तर की जनता के लिए यह अत्यंत खतरनाक होगा।

आज के समाचार-पत्र में समाचार छपा है कि इन सभी आतंकवादी संगठनों ने एक स्वर में कहा है कि वे स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाएंगे। पिछले दस वर्षों में असम में ऐसी स्थिति नहीं थी। अब उनमें आगे बढ़कर यह कहने का साहस कहां से आ गया? इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में हिन्दी फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगाई जाएगी। यहां एक नई प्रवृत्ति सामने आ रही है।

अतः मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि उत्तर देते समय कृपया यह बताएं कि आपको इसके बारे में क्या पता है और इस पर आपका क्या मत है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर मैं एक बात रखना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में वरली कोली वाड़ा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस बिल पर तो चर्चा हो चुकी है। आप बैठिये।

श्री मोहन रावले: रिजर्वेशन के बारे में मैं इसमें थोड़ा जोड़ना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसमें किसी ने इंटरवीन नहीं किया है। रावले जी, ऐसे कैसे हो सकता है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): आज इस सुअवसर पर, 9 अगस्त से एक दिन पहले हम गोपीनाथ बरदोलोई को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु 99वां संशोधन विधेयक पारित कर रहे हैं जिनके अथक प्रयासों ने ब्रिटिश सरकार के असम तथा कुछ अन्य भागों को भारत से अलग रखने के षडयंत्र को नाकाम कर दिया था। अतः, आज संविधान के इस महत्वपूर्ण संशोधन को पारित करते समय मैंने इनका उल्लेख करने के बारे में सोचा तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू के अथक प्रयासों का भी उल्लेख करने के बारे में सोचा जो पूर्वोत्तर राज्यों की सभी जातियों के लोगों को मुख्य धारा में लाए।

इसके बावजूद समाज का विभाजन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय मुख्यधारा में विश्वास रखने वाली प्रत्येक राजनैतिक दल ने पूर्वोत्तर राज्यों में शांति कायम करने के लिए अधिक योगदान नहीं दिया। श्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान जब श्री लालडैंगा मुख्यधारा में आए तो मिजोरम में हुए विकास का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी के अथक प्रयासों के कारण पूर्वोत्तर राज्यों विशेषरूप से अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में विकास हुआ।

मैं, असम में शांति बहाल करने हेतु हाल ही में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् (बी.टी.सी.) समझौता करने के लिए असम सरकार तथा केन्द्र सरकार का आभारी हूं। ऐसा कहते समय मैं कतिपय विकास की सराहना करता हूं और गृह मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री से अपील करता हूं। एन.एस.सी.एन. समूहों विशेष रूप से आई.एम. समूह से लंबित शांति समझौता करने के नाम पर एक नई प्रवृत्ति विकसित हुई है। युद्ध विराम के बावजूद उन राज्यों में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को आतंकित करने, सरकारों, संवैधानिक तंत्र तथा सामाजिक ताकतों को अस्थिर करने के प्रयास किए जाते रहे हैं। राजनीति में यह तरीका ठीक नहीं है। यदि हम केन्द्र सरकार के आदेश पर ऐसे विचारों का समर्थन करते रहे तो मुझे डर है कि पूरा पूर्वोत्तर अस्थिर हो जाएगा और इसका विभाजन शुरू हो जाएगा। गोपीनाथ बरदोलोई और पंडित जवाहर लाल नेहरू का इन्हें मुख्य धारा में लाने का सपना पूर्णतः बिखर जाएगा और

इसके लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, यह जो निन्यानवेवां संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें सरकार ने दावा किया है कि हाल में भारत सरकार, असम सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इन तीनों के संशोधन के बाद बोडो टैरीटोरियल काउंसिल का गठन हुआ। इसमें कहा गया है कि बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् क्षेत्र जिला में सम्मिलित निर्वाचन-क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों और गैर-अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व, जो उस प्रकार अधिसूचित किया गया था और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् क्षेत्र जिला के गठन से पूर्व विद्यमान था, बनाए रखा जाएगा।

इससे पहले, जो अनुसूचित जनजाति और गैर-अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र आंधमुचित किया गया था, वह उसे यथावत बनाए रखा जाएगा, यह संशोधन आया है। फिर डीलिमिटेशन कमीशन बना है। डीलिमिटेशन कमीशन हर जगह जनगणना के आधार पर बनता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की संख्या कहां, कितनी अधिक बढ़ गई या घट गई। उसके आधार पर रिजर्वेशन तय होती है। क्या इस संविधान संशोधन विधेयक से डीलिमिटेशन कमीशन के जुरिसडिक्शन में कटाव नहीं होगा?

बिहार में एक भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का रिजर्व क्षेत्र नहीं था लेकिन डीलिमिटेशन कमीशन के आधार पर तय पाया गया कि आबादी के आधार पर दो असैम्बलीज को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र रिजर्व किया जाएगा क्योंकि उनकी वहां इतनी संख्या है। मुझे आशंका है कि अफरा-तफरी में, लिखा-पढ़ी के आधार पर, बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर से सीधे समझौता हुआ और सरकार बिना सुविचारित निर्णय के यहां आ गई है। यह संविधान संशोधन का मामला है। क्या संविधान संशोधन में यह विचार किया गया है कि 99वें संशोधन से डीलिमिटेशन कमीशन में, जिसका अधिकार है कि जनसंख्या के आधार पर वह अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को रिजर्व करेगा- क्या सरकार उस पर विचार करेगी, मैं इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। सामान्यत:, मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

मैं संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 का स्वागत करता हूं। मैं, पिछले एक दशक से चली आ रही बोडोलैंड समस्या के समाधान हेतु समझौता करने के लिए उप प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं। हम अभी तक इसका हल नहीं ढूंढ पाए थे। इसे सरल बनाने हेतु एक पृथक बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् का गठन किया जाएगा। इस परिषद् के गठन से आर्थिक विकास तेजी से होगा। इसके साथ ही अधिकांश समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बोडोलैंड विकास के लिए यह आर्थिक समाधान ही मुख्य समाधान है।

मैं माननीय उप प्रधानमंत्री द्वारा ऐसी पहल करने के लिए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं जो इस समस्या के समाधान के लिए सही समय पर उठाया गया एक सही कदम है।

इसके साथ ही वे अनुरोध भी कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि संविधान की आठवीं अनुसूची में बोडो भाषण को शामिल किया जाए। मेरे विचार से इस मुद्दे पर यथासमय ध्यान दिया जाएगा।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा): महोदय, मैं इस विधेयक पर कुछ कहना चाहता हूं। हम भी इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष जी, मैं इस बिल के सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं उप-प्रधानमंत्री जी की नालेज में एक बात लाना चाहता हूं। आप जानते हैं कि पहले असम राज्य था और उसका बंटवारा करते-करते नार्थ ईस्ट में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, ये सब अलग-अलग राज्य बन गए। उसमें थोड़ी डैवलपमैंट हुई होगी, इस बात से हम इंकार नहीं करते, लेकिन जो संविधान संशोधन हो रहा है, इससे समस्या का निदान होने वाला नहीं है। हमने अपने जमाने में वेल्फेयर मिनिस्टर की हैसियत से बहुत प्रयास किया था। बोडोलैंड की मुख्य प्राबल्म उनकी जमीन का हड़पना और उनके प्रति ज्यादती है। इसलिए वहां के नौजवान आन्दोलित होकर अलग राज्य बोडोलैंड की मांग कर रहे हैं। मच्छर वहीं पैदा होता है जहां गंदा नाला होता है। जब तक गंदे नाले की सफाई नहीं करेंगे, तब तक मच्छर पैदा होने बंद नहीं होंगे। उनके ऊपर ऐट्रासिटीज, जुल्म, अत्याचार गंदा नाला है। उस समय हमने वहां की राज्य सरकार से बातचीत की तो उसने कहा था कि पासवान जी, हम जानते हैं कि ट्राईबल लोगों की जमीन ले ली गई है लेकिन हमारे पास कोई अधिकार नहीं था कि उनकी ली गई जमीन हम वापिस करवा दें। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जो कर रहे हैं, वह कीजिए लेकिन जब तक ट्राईबल लोगों के ऊपर

[श्री रामविलास पासवान]

होने वाले शोषण, जुल्म और अत्याचार को समाप्त नहीं करेंगे, अभी सात राज्य बने हैं, बाद में आठ बन जाएंगे, और भी अधिक राज्य बनेंगे, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। यही मेरा आपसे आग्रह है।

उप-प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी (श्री लालकृष्ण आडवाणी): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर प्रायः एक स्वर से सबने इसका समर्थन किया है। थोड़ी-बहुत चिन्ताएं जो प्रकट की है, वह भी मेरी समझ में आती हैं। अभी राम विलास पासवान जी कह रहे थे कि हम यह नहीं मानते कि इसी प्रकार से संविधान का संशोधन करके हर समस्या का हल हो जाएगा, यह किसी के मन में गलतफहमी नहीं है। लेकिन यह भी सही है कि इस पर जितनी कंसेंसस बनी है, वह इससे पहले बननी काफी मुश्किल दिखती थी। मैं इस अवसर पर आसाम की प्रदेश सरकार को और बोडो समाज के प्रतिनिधियों को विशेषकर बोडो लिबरेशन टाइगर्स की संस्था को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके साथ भारत सरकार ने मिलकर यह समझौता किया, जो 10 फरवरी को स्वीकार हुआ। 21 राउन्ड चले, काफी देर तक इस पर चर्चा चलती रही और प्रदेश की सरकार चाहे उसका स्वरूप बदला गया, चुनाव से पहले एक थी, बाद में दूसरी आई लेकिन दोनों ने मिलकर जिस प्रकार से समस्या का हल करने की कोशिश की, वह इस बात का परिचायक थी कि चाहे पूरी तरह से हम पूरे बोडो समाज की समस्याओं का निराकरण न भी कर सकें लेकिन फिर भी पहले जो प्रयत्न हुआ था, उसमें कुछ कमियां रह गई थीं, वह इस संविधान संशोधन से काफी मात्रा में सुलझ जाएंगी। यह मानकर यह कंसेंसस हमने किया।

इस अवसर पर प्रियरंजन जी ने गोपीनाथ बोरदोलोई जी के बारे में जो भावनाएं व्यक्त की, मैं उनके साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैं समझता हूं कि जब आसाम अभी तक इन राज्यों में विभाजित नहीं हुआ था तब उसके लिए जो कुछ किया, उसके कारण उनका नाम हमेशा वहां स्मरणीय रहेगा, लोग कभी उनको भूल नहीं पाएंगे। मैं एक बात और कहूंगा क्योंकि आरोप अरुणाचल के संदर्भ में लगाये गये। यह सब लोग जाते हैं कि वहां पर एक सरकार थी। उस सरकार का स्वरूप कुछ और था। जो आज मुख्य मंत्री बने हैं, वह मुख्य मंत्री थे। फिर उस सरकार का स्वरूप बदल गया। किस प्रकार से बदला, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। फिर बदलकर पूर्व स्वरूप बन गया। उसमें केन्द्रीय सरकार पर या हमारी पार्टी पर कोई दोष दे, यह उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि उस मामले में एक प्रस्ताव हमारे सामने है। कम से कम स्टैंडिंग कमेटी के पास है, कैबिनेट ने उसको स्वीकार किया है कि यह स्थिति अच्छी नहीं है कि छोटा सी विधान सभा हो और छोटा सा विधान मंडल हो। उसमें कुल 60 मैम्बर हों। रूलिंग पार्टी की संख्या 35-36 है और उसमें से एक स्पीकर बन जाता है, एक डिप्टी स्पीकर बन जाता है। बाकी सब मंत्री बन जाते हैं, यह स्थिति अच्छी नहीं है। इस बात पर मैं समझता हूं कि सब लोग सहमत हैं और मुझसे जितने लोग उत्तर पूर्वी राज्यों से मिलते रहे हैं, वे भी कहते हैं कि इसका कुछ हल होना चाहिए और हमारी सरकार ने, पहले की संसद ने जब दो यूनियन टैरीटरीज को चाहे राज्य का दर्जा नहीं दिया लेकिन विधान सभा दी, जैसे दिल्ली को दी और पांडिचेरी को दी तो उन्होंने मंत्रीमंडल की संख्या पर जो सीमा बांधी, मैं मानता हूं कि सीमा बांधने से इन दोनों प्रदेशों में राजनैतिक स्थायित्व आया जिसका लाभ हमें छोटे राज्यों में और मिल सकता है। पिछले दिनों मंत्रीमंडल ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया है जिसमें मंत्रिमंडल के आकार की सीमा रहेगी।

दूसरा यह भी निर्णय किया गया है कि जो एंटी डिफेक्शन ला हमने पहले बनाया था, उसमें अगर एक व्यक्ति डिफेक्ट करता है तो वह अपराधी है और वह डिसक्वालिफाई हो जाता है। अगर डिफेक्शन होल सेल में होता है, इतनी संख्या में होता है कि कुल मिला कर एक तिहाई माना जाता है, तो वह अपराधी नहीं माना जाएगा। पिछले दिनों इस पर विचार करके मंत्रिमंडल ने तय किया कि डिफेक्शन चाहे रिटेल में हो या होल सेल में हो, अपराध माना जाएगा। यह कानून में प्रावधान करने का विचार है और संसद की स्थाई समिति के पास यह विचाराधीन है। उससे पारित होकर जब यह आएगा, तब हम उसे कानून का रूप दे सकेंगे। मैं समझता हूं उत्तर-पूर्व राज्य और बाकी देश में भी इससे एक राजनीतिक स्थायित्व की व्यवस्था होगी और उसका लाभ मिलेगा। ये बातें ऐसी हैं, जिनका असर होगा।

नार्थ-ईस्ट के बारे में जो बातें कही गई हैं, वे हमारे ध्यान में हैं। इस सरकार ने सत्ता में आते ही नार्थ-ईस्ट के विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया। उसका उद्देश्य भी यही था कि नई दिल्ली से जो इन राज्यों की दूरी है, वह इन राज्यों में कोई इमोशनल दूरी का कारण न बने। विगत दिनों में किस प्रकार से इन राज्यों के विकास का काम करने की कोशिश हम करते रहे हैं, यह सबको मालूम है। मैं समझता हूं हमें इस संबंध में कुछ आश्वासन भी मिले हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, युद्ध विराम के नाम पर एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के लोग उस सभ्य जनता को आतंकित कर सकते हैं जो उन्हें नहीं मानती है। आप उनकी रक्षा किस तरह करते हैं? आप हमारे पार्टी के कार्यकर्त्ताओं और नेताओं की रक्षा किस तरह करते हैं? *...(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवाणी: श्री प्रियरंजन दासमुंशी, मैं ऐसे संगठनों के नाम नहीं लेना चाहता। यहां सभी प्रकार के संगठन हैं। यह सच है कि इस समय एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के साथ हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन यह भी सच है कि युद्ध विराम तब कहा जाएगा जब युद्ध विराम एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) तथा एन.एस.सी.एन. (के.) दोनों की ओर से हो। यह समय नहीं है जब हम इस तरह के आरोप लगाएं। मैंने विगत में उनकी बात सुनी है। आज मैं कह सकता हूं कि जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है, केन्द्र सरकार बहुत स्पष्ट है कि हिंसा अथवा जबरन वसूली अथवा इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

यहां पर किसी ने चिंता व्यक्त की कि शायद अरुणाचल प्रदेश के एक हिस्से को यूनियन टैरिटरी बनाने का प्रस्ताव है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। हमने सब राज्यों को आश्वासन दिया है कि इन राज्यों की जो इंटीग्रिटी है, उसको किसी प्रकार से परिवर्तित यह सरकार नहीं करना चाहती, जब तक वे स्वयं इच्छुक न हों। कई प्रकार के दबाव होने के बावजूद हमने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि इतना हिस्सा निकाल कर नागालैंड में जोड़ दिया जाए या वह कर दिया जो। लेकिन हम उससे सहमत नहीं हुए। हमने कहा कि जब तक इन राज्यों से स्वयं कोई प्रस्ताव नहीं आता, उनकी सहमति प्राप्त नहीं होती, हम उसमें कोई इंटरफियर नहीं करेंगे और इस प्रकार की जोर-जबर्दस्ती कहीं नहीं होगी।

आज के इस अवसर पर मैं आशा करता हूं कि जो रास्ता असम ने दिखाया है, जो लेजिटिमेट ग्रिवांसेज हैं, जिसके जरिए अहिंसा का रास्ता दिखाया गया है, जो बोडो लिब्रेशन टाइगर ने आगे आकर कहा कि हम हथियार त्याग देते हैं और बातचीत करेंगे, बातचीत करके उनके द्वारा, केन्द्र और राज्य सरकार के द्वारा जो 24 राउंड बातचीत हुई, उससे यह सम्भव हो पाया है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: असम सरकार के अधिकारियों, असम के विधायकों, मेघालय अथवा पूर्वोत्तर कांग्रेस के विधायकों पर धन शक्ति समर्थित बाहुबल का खतरा है। माननीय मंत्री को इस पहलू की जांच करनी चाहिए।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: जब कभी इस तरह के आरोप लगते हैं तो केन्द्र सरकार सदैव अपने वैध क्षेत्राधिकार के भीतर रहती है। वह जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, उसे करेगी। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है, केन्द्र सरकार ने कभी भी अरुणाचल प्रदेश, किसी अन्य स्थान में अथवा किसी राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश नहीं की है ...*(व्यवधान)* इस समय पूरी सभा को एकमत होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें।

श्री के.ए. सांगतम: मैं माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे मतदान प्रक्रिया आरंभ करनी होगी। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री के.ए. सांगतम: चूंकि श्री आडवाणी सीधे मेरे राज्य के बारे में बोल रहे हैं, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

मेरा स्पष्टीकरण एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) और एन.सी.सी.एन. (के.) के साथ-साथ युद्ध विराम के बारे में है। बात यह है कि आपने एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के साथ वार्ता शुरू कर दी है। क्या आप एन.एस.सी.एन. (के.) तथा संघ सरकार के साथ भी वार्ता शुरू करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवाणी: यह एक अलग मामला है। हम केवल यह चाहते हैं कि एन.एस.सी.एन.(आई.एम.) तथा एन.एल.सी.एन.(के.) दोनों इसमें भाग लें ताकि नागालैंड में शांति सुनिश्चित हो सके और सभी प्रकार के अपराध समाप्त हो जाएं।

पूर्वाह्न 12.36 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

सभा की बैठक रद्द करना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की 7 अगस्त, 2003 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 11 अगस्त, 2003 के लिए नियत सभा की बैठक रद्द की जाती है। इसके अलावा आज की कार्य सूची की मद संख्या-12 में सूचीबद्ध महत्वपूर्ण चर्चा को देखते हुए हमें आज मध्याह्न भोजनावकाश छोड़ना पड़ेगा।

अपराह्न 12.37 बजे

(एक) संविधान (चौरानवेवां संशोधन) विधेयक—*जारी*

(अनुच्छेद 338 का संशोधन और नए अनुच्छेद 338क का अन्तःस्थापन)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं मतदान प्रक्रिया शुरू करूंगा। संविधान (चौरानवेवां संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार करने के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है अत: इस पर विभाजन द्वारा मतदान होगा।

अपराह्न 12.38 बजे

दीर्घायें खाली कर दी जाएं।

अपराह्न 12.40 बजे

अब दीर्घायें खाली हो गयी हैं।

प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या 1] [अपराह्न 12.44 बजे

अजय कुमार, श्री एस.
अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा
*अनंत कुमार, श्री
अय्यर, श्री मणि शंकर
अर्गल, श्री अशोक
अलवी, श्री राशिद
आचार्य, श्री बसुदेव
आजाद, श्री कीर्ति झा
आठवले, श्री रामदास
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
आदित्यनाथ, योगी
आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता
आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट
इन्दौरा, डा. सुशील कुमार
उराम, श्री जुएल
ए. नरेन्द्र, श्री
एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.
एम. मास्टर मथान, श्री
कटारा, श्री बाबूभाई के.
कटारिया, श्री रतन लाल
कथीरिया, डा. वल्लभभाई
कन्नप्पन, श्री एम.
कमलनाथ, श्री
कलिअप्पन, श्री के.के.
कश्यप, श्री बली राम
कस्वां, श्री राम सिंह
कुमार, श्री अरूण
*कुमार, श्री वी. धनंजय
कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह
कुसमरिया, डा. रामकृष्ण
कृष्णन, डा. सी.
कौर, श्रीमती प्रेनीत
कौशल, श्री रघुवीर सिंह
खंडेलवाल, श्री विजय कुमार
खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र
खन्ना, श्री विनोद
खां, श्री अबुल हसनत
खां, श्री मनसूर अली
खां, श्री सुनील
खांदोकर, श्री अकबर अली
खान, श्री हसन
खुराना, श्री मदन लाल
खूटे, श्री पी.आर.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

खैरे, श्री चन्द्रकांत
गंगवार, श्री सन्तोष कुमार
गढ़वी, श्री पी.एस.
गमांग, श्रीमती हेमा
गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल
गांधी, श्रीमती मेनका
गांधी, श्रीमती सोनिया
गाड्डे, श्री राम मोहन
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
गावीत, श्री रामदास रूपला
गिलुवा, श्री लक्ष्मण
गुढे, श्री अनंत
गुप्त, प्रो. चमन लाल
गेहलोत, श्री थावरचन्द
गोगोई, श्री दीप
गोयल, श्री विजय
गोविन्दन, श्री टी.
गोहेन, श्री राजेन
*गौड़ा, श्री जी. पुट्टास्वामी
गौतम, श्रीमती शीला
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चक्रवर्ती, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री स्वदेश
चक्रवर्ती, श्रीमती विजया
*चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत
चन्देल, श्री अशोक कुमार सिंह
चन्देल, श्री सुरेश
चिन्नासामी, श्री एम.
चोखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई
चेन्नितला, श्री रमेश
चौटाला, श्री अजय सिंह
चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम
चौधरी, श्री अधीर
चौधरी, श्री निखिल कुमार
चौधरी, श्री पदमसेन
चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री राम रघुनाथ
चौधरी, श्री विकास
चौधरी, श्री हरिभाई
चौधरी, श्रीमती रीना
चौधरी, श्रीमती संतोष
चौबे, श्री लाल मुनी
चौहान, श्री नंदकुमार सिंह
चौहान, श्री बालकृष्ण
चौहान, श्री शिवराजसिंह
जगन्नाथ, डा. मन्दा
जगमोहन, श्री
जटिया, डा. सत्यनारायण
जय प्रकाश, श्री
जयशीलन, डा. ए.डी.के.
जाधव, श्री सुरेश रामराव
जायसवाल, डा. मदन प्रसाद
जायसवाल, श्री जवाहर लाल
जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश
जावमा, श्री वनलाल
जाहेदी, श्री महबूब
जीगाजीनागी, श्री रमेश सी.
जोशी, डा. मुरली मनोहर
झा, श्री रघुनाथ
ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.
ठाकुर, डा. सी.पी.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई
ठाकुर, श्री पुंजाजी सदाजी
डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स
ड्डी, श्री रामेश्वर
तिरुनावुकरसर, श्री सु.
तिवारी, श्री लाल बिहारी
तुड़, श्री तरलोचन सिंह
तोपदार, श्री तरित बरण
तोमर, डा. रमेश चंद
त्रिपाठी, श्री प्रकाशमणि
त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर
त्रिपाठी, श्री रामनरेश
*थामस, श्री पी.सी.
दत्तात्रेय, श्री बंडारू
दलित इजिलमलाई, श्री
दास, श्री खगेन
दास, श्री नेपाल चन्द्र
दासमुंशी, श्री प्रियरंजन
दाहाल, श्री भीम
दिलेर, श्री किशन लाल
दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी
दीपक कुमार, श्री
देलकर, श्री मोहन एस.
देव, श्री बिक्रम केशरी
देव, श्री संतोष मोहन
नाईक, श्री राम
नाईक, श्री श्रीपाद येसो
नायक, श्री अनन्त
नायक, श्री अली मोहम्मद
नायक, श्री ए. वेंकटेश
निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद
नीतीश कुमार, श्री
पटवा, श्री सुन्दर लाल
पटेल, डा. अशोक
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री दह्याभाई वल्लभभाई
पटेल, श्री दिनशा
पटेल, श्री दीपक
पटेल, श्री धर्म राज सिंह
पटेल, श्री मानसिंह
पण्डा, श्री प्रबोध
पद्मानाभम्, श्री मुद्दागाड़ा
परस्ते, श्री दलपत सिंह
पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.
पांजा, डा. रंजीत कुमार
पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार
पाटिल, श्री आर.एस.
पाटिल (यल्लाल), श्री बसनगौडा रामनगौड
पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.
पाटील, श्री उत्तमराव
पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड
पाटील, श्री दानवे रावसाहेब
पाटील, श्री भास्करराव
पाटील, श्री शिवराज वि.
पाठक, श्री हरिन
पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण
पायलट, श्रीमती रमा
पाल, डा. महेन्द्र सिंह
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, डा. संजय
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री रामचन्द्र
पासी, श्री राजनारायण

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पासी, श्री सुरेश
पुगलिया, श्री नरेश
पोटाई, श्री सोहन
पोन्नुस्वामी, श्री ई.
प्रधान, डा. देवेन्द्र
प्रधान, श्री अशोक
प्रभु, श्री सुरेश
प्रमाणिक, प्रो. आर.आर.
प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास
प्रेमाजम, प्रो. ए.के.
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
बंगरप्पा, श्री एस.
बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप
''बचदा'', श्री बची सिंह रावत
बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह
बनातवाला, श्री जी.एम.
*बब्बर, श्री राज
बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह
बराड़ श्री. जे. एस.
बसवनागौड, श्री कोलूर
बालू, श्री टी.आर.
बिन्द, श्री रामरती
बेगम नूर बानो
बेहरा, श्री पद्मनाव
बैंदा, श्री रामचन्द्र
बैठा, श्री महेन्द्र
बैनर्जी, श्रीमती जयश्री
बैस, श्री रमेश
बोचा, श्री सत्यनारायण
बोस, श्रीमती कृष्णा
ब्रह्मनैया, श्री ए.
भगत, प्रो. दुखा
भगोरा, श्री ताराचन्द
भडाना, श्री अवतार सिंह
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भौरा, श्री भान सिंह
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
मंडल, श्री सनत कुमार
मकवाना, श्री सवशीभाई
मलयसामी, श्री के.
मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी.
मल्होत्रा डा. विजय कुमार
महंत, डा. चरणदास
महतो, श्रीमती आभा
महाजन, श्री वाई.जी.
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महाले, श्री हरीभाऊ शंकर
माझी, श्री रामजी
मान, श्री जोरा सिंह
मान, सरदार सिमरनजीत सिंह
माने, श्री शिवाजी
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मिस्त्री, श्री मधुसूदन
मीणा, श्री भेरूलाल
मीणा, श्रीमती जस कौर
मुखर्जी, श्री सत्यव्रत
मुण्डा, श्री कड़िया
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुनि लाल, श्री
मुनियप्पा, श्री के.एच.
मुर्मू, श्री रूपचन्द
मुर्मू, श्री सालखन

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मूर्ति, श्री ए.के.
मूर्ति, डा. एम.वी.वी.एस.
मेघवाल, श्री कैलाश
मोल्लाह, श्री हन्नान
मोहले, श्री पुन्नू लाल
*मोहिते, श्री सुबोध
यादव, डा. जसवंतसिंह
यादव, डा. (श्रीमती) सुधा
*यादव, श्री दिनेश चन्द्र
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री देवेन्द्र सिंह
यादव, श्री प्रदीप
यादव, श्री मुलायम सिंह
यादव, श्री शरद
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
रमैया, डा. बी.बी.
रवि, श्री शीशराम सिंह
राजवंशी, श्री माधव
राजा, श्री ए.
राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह
राजेन्द्रन, श्री पी.
राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री
राणा, श्री काशीराम
राणा, श्री राजू
राधाकृष्णन, श्री पोन
राधाकृष्णन, श्री वरकला
राम सजीवन, श्री
राम, श्री ब्रजमोहन
रामशकल, श्री
राय, श्री नवल किशोर
राय, श्री विष्णु पद
राय, श्री सुबोध
राय प्रधान, श्री अमर
राव, डा. डी.वी.जी. शंकर
राव, श्री सीएच. विद्यासागर
राव, श्रीमती प्रभा
रावत, प्रो. रासासिंह
रावले, श्री मोहन
राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण
रियान, श्री बाजू बन
रूडी, श्री राजीव प्रताप
रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र
रेड्डी, श्री एन. जनार्दन
रेड्डी, श्री एस. जयपाल
रेड्डी, श्री जी. गंगा
रेनु कुमारी, श्रीमती
लाहिड़ी, श्री समीक
वनगा, श्री चिंतामन
वर्मा, प्रो. रीता
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्री रवि प्रकाश
वर्मा, श्री राजेश
वाडियार, श्री एस.डी.एन.आर.
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र
वीरेन्द्र कुमार, श्री
वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा
वेंकटस्वामी, डा. एन.
वेंकटेस्वरलु, श्री बी.
वेणुगोपाल, श्री डी.
शर्मा, कैप्टन सतीश
शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम
शाक्य, श्री रघुराज सिंह
शान्ता कुमार, श्री
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

शिवकुमार, श्री वी.एस.
शुक्ल, श्री श्यामाचरण
श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी.
षणमुगम, श्री एन.टी.
संखवार, श्री प्यारे लाल
सईद, श्री पी.एम.
सईदुज्जमा, श्री
सनदी, प्रो. आई.जी.
सर, श्री निखिलानन्द
सरडगी, श्री इकबाल अहमद
सरोज, श्री तुफानी
सरोज, श्रीमती सुशीला
सरोजा, डा. वी.
सांगतम, श्री के.ए.
सांगवान, श्री किशन सिंह
साथी, श्री हरपाल सिंह
साय, श्री विष्णुदेव
साहू, श्री अनादि
साहू, श्री ताराचंद
सिंह, कुंवर अखिलेश
सिंह, कुंवर सर्वराज
सिंह, चौधरी तेजवीर
सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद
सिंह, डा. रामलखन
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री चन्द्र प्रताप
सिंह, श्री चन्द्र भूषण
सिंह, श्री चन्द्र विजय
सिंह, श्री चरनजीत
सिंह, श्री छत्रपाल
*सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद
सिंह, श्री प्रभुनाथ

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री बलबीर
सिंह, श्री बहादुर
*सिंह, श्री बृज भूषण शरण
सिंह, श्री महेश्वर
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री रामजीवन
सिंह, श्री रामपाल
सिंह, श्री रामानन्द
सिंह, श्री लक्ष्मण
सिंह, श्रीमती कान्ति
सिंह, श्रीमती राजकुमारी रत्ना
सिंह, श्रीमती श्यामा
सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी
सिकदर, श्री तपन
सिन्हा, श्री यशवन्त
सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम.
सुब्बा, श्री एम.के.
*सुमन, श्री रामजीलाल
सेठ, श्री लक्ष्मण
सेठी, श्री अर्जुन चरण
सेन, श्रीमती मिनाती
सेनगुप्ता, डा. नीतिश
सोमैया, श्री किरीट
सोराके, श्री विनय कुमार
सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह
स्वाई, श्री खारबेल
स्वामी, श्री ईश्वर दयाल
स्वामी, श्री चिन्मयानन्द
हंसदा, श्री थामस
हक, मोहम्मद अनवारूल
हमीद, श्री अब्दुल
हसन, श्री मोइनुल

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, चौ. तालिब

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

अध्यक्ष महोदय: शुद्धि के अध्यधीन*, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 353

विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*पक्ष में : 353+11 (सर्वश्री अनन्त कुमार, राज बब्बर, सोमनाथ चटर्जी, जी. पुट्टास्वामी गौडा, वी. धनंजय कुमार, सुबोध मोहिते, बृज भूषण शरण सिंह, तिलकधारी प्रसाद सिंह, रामजीलाल सुमन, पी.सी. थामस और दिनेश चन्द्र यादव ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया)

364-1 (श्री बृज भूषण शरण सिंह ने भी श्री मनोज सिंह की सीट संख्या 140 से गलत मतदान किया) = 363

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

श्री बैसीमुथियारी ने संशोधन की सूचना दी है, परन्तु श्री बैसीमुथियारी उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या 2] [अपराह्न 12.47 बजे

अजय कुमार, श्री एस.

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अय्यर, श्री मणि शंकर

अर्गल, श्री अशोक

अलवी, श्री राशिद

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति झा

आठवले, श्री रामदास

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदित्यनाथ, योगी

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट

इन्दौरा, डा. सुशील कुमार

उराम, श्री जुएल

ए. नरेन्द्र, श्री

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.

एम. मास्टर मथान, श्री

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

कन्नप्पन, श्री एम.

कमलनाथ, श्री

कलिअप्पन, श्री के.के.

कश्यप, श्री बली राम

कस्वां, श्री राम सिंह

कुमार, श्री अरुण

कुप्पु, श्री वी. धनंजय

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृष्णन, डा. सी.

कौर, श्रीमती प्रेनीत

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री अबुल हसनत

खां, श्री मनसूर अली

खां, श्री सुनील

खांदोकर, श्री अकबर अली

खान, श्री हसन

खुराना, श्री मदन लाल
खूँटे, श्री पी.आर.
खैरे, श्री चन्द्रकांत
गंगवार, श्री सन्तोष कुमार
गढ़वी, श्री पी.एस.
गमांग, श्रीमती हेमा
गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल
गांधी, श्रीमती मेनका
गांधी, श्रीमती सोनिया
गाड्डे, श्री राम मोहन
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
गावीत, श्री रामदास रूपला
गिलुवा, श्री लक्ष्मण
गुंढे, श्री अनंत
गुप्त, प्रो. चमन लाल
गेहलोत, श्री थावरचन्द
गोगोई, श्री दीप
गोयल, श्री विजय
गोविन्दन, श्री टी.
गोहेन, श्री राजेन
*गौड़ा, श्री जी. पुट्टास्वामी
गौतम, श्रीमती शीला
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चक्रवर्ती, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री स्वदेश
चक्रवर्ती, श्रीमती विजया
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत
चन्देल, श्री अशोक कुमार सिंह
चन्देल, श्री सुरेश
चिन्नासामी, श्री एम.
चौखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चेन्नितला, श्री रमेश
*चौटाला, श्री अजय सिंह
चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम
चौधरी, श्री निखिल कुमार
चौधरी, श्री पदमसेन
*चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री राम रघुनाथ
चौधरी, श्री विकास
चौधरी, श्री हरिभाई
चौधरी, श्रीमती रीना
चौधरी, श्रीमती संतोष
चौबे, श्री लाल मुनी
चौहान, श्री नंदकुमार सिंह
चौहान, श्री बालकृष्ण
चौहान, श्री शिवराजसिंह
जगन्नाथ, डा. मन्दा
जगमोहन, श्री
जटिया, डा. सत्यनारायण
जय प्रकाश, श्री
जयशीलन, डा. ए.डी.के.
जायसवाल, डा. मदन प्रसाद
जायसवाल, श्री जवाहर लाल
जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश
जावमा, श्री वनलाल
जाहेदी, श्री महबूब
जोगाजीनागी, श्री रमेश सी.
जोशी, डा. मुरली मनोहर
झा, श्री रघुनाथ
ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.
ठाकुर, डा. सी.पी.
ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई
ठाकुर, श्री पुंजाजी सदाजी

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स
डूडी, श्री रामेश्वर
तिरुनावुकरसर, श्री सु.
तिवारी, श्री लाल बिहारी
तुड़, श्री तरलोचन सिंह
तोपदार, श्री तरित बरण
तोमर, डा. रमेश चंद
त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि
त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर
त्रिपाठी, श्री रामनरेश
*थामस, श्री पी.सी.
दत्तात्रेय, श्री बंडारू
दलित इंजिलमलाई, श्री
दास, श्री खगेन
दास, श्री नेपाल चन्द्र
दासमुंशी, श्री प्रियरंजन
दाहाल, श्री भीम
दिलेर, श्री किशन लाल
दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी
दीपक कुमार, श्री
देलकर, श्री मोहन एस.
देव, श्री बिक्रम केशरी
देव, श्री संतोष मोहन
नाईक, श्री राम
नाइक, श्री श्रीपाद येसो
नायक, श्री अनन्त
नायक, श्री अली मोहम्मद
नायक, श्री ए. वेंकटेश
निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद
नीतीश कुमार, श्री
पटवा, श्री सुन्दर लाल
पटेल, डा. अशोक

पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री दह्याभाई वल्लभभाई
पटेल, श्री दिनशा
पटेल, श्री दीपक
पटेल, श्री धर्म राज सिंह
*पटेल, श्री मानसिंह
पण्डा, श्री प्रबोध
पद्मानाभम्, श्री मुद्रागाड़ा
परस्ते, श्री दलपत सिंह
पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.
पांजा, डा. रंजीत कुमार
पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार
पाटिल, श्री आर.एस.
पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड
पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.
पाटील, श्री उत्तमराव
पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड
पाटील, श्री दानवे रावसाहेब
पाटील, श्री भास्करराव
पाटील, श्री शिवराज वि.
पाठक, श्री हरिन
पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण
पायलट, श्रीमती रमा
पाल, डा. महेन्द्र सिंह
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, डा. संजय
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री रामचन्द्र
पासी, श्री राजनारायण
पासी, श्री सुरेश
पुगलिया, श्री नरेश
पोटाई, श्री सोहन

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पोन्नुस्वामी, श्री ई.
प्रधान, डा. देवेन्द्र
प्रधान, श्री अशोक
प्रभु, श्री सुरेश
प्रमाणिक, प्रो. आर.आर.
प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास
प्रेमाजम, प्रो. ए.के.
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
बंगरप्पा, श्री एस.
बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप
"बचदा", श्री बची सिंह रावत
बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह
बनातवाला, श्री जी.एम.
बब्बर, श्री राज
बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह
बराड़ श्री. जे.एस.
बसवनागौड, श्री कोलूर
बालृ, श्री टी.आर.
बिन्द, श्री रामरती
बेगम नूर बानो
बेहरा, श्री पद्मनाव
बैंदा, श्री रामचन्द्र
बैठा, श्री महेन्द्र
बैनर्जी, श्रीमती जयश्री
बैस, श्री रमेश
बोंचा, श्री सत्यनारायण
बोस, श्रीमती कृष्णा
बौरी, श्रीमती संध्या
ब्रह्मनैया, श्री ए.
भगत, प्रो. दुखा
भगोरा, श्री ताराचन्द
भडाना, श्री अवतार सिंह
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भौरा, श्री भान सिंह
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
मंडल, श्री सनत कुमार
मकवाना, श्री सवशीभाई
मलयसामी, श्री के.
मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी.
*मल्होत्रा डा. विजय कुमार
महंत, डा. चरणदास
महतो, श्रीमती आभा
महाजन, श्री वाई.जी.
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महाले, श्री हरीभाऊ शंकर
माझी, श्री रामजी
मान, श्री जोरा सिंह
मान, सरदार सिमरनजीत सिंह
माने, श्री शिवाजी
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मिस्त्री, श्री मधुसूदन
मीणा, श्री भेरूलाल
मीणा, श्रीमती जस कौर
मुखर्जी, श्री सत्यव्रत
मुण्डा, श्री कड़िया
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुनि लाल, श्री
मुनियप्पा, श्री के.एच.
मुर्मू, श्री रूपचन्द
मुर्मू, श्री सालखन
मूर्ति, श्रा ए.के.
मूर्ति, डा. एम.वी.वी.एस.
मेघवाल, श्री कैलाश

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मोल्लाह, श्री हन्नान
मोहले, श्री पुन्नू लाल
*मोहिते, श्री सुबोध
*यादव, डा. जसवंतसिंह
यादव, डा. (श्रीमती) सुधा
यादव, श्री दिनेश चन्द्र
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री देवेन्द्र सिंह
यादव, श्री प्रदीप
यादव, श्री मुलायम सिंह
यादव, श्री शरद
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
रमैया, डा. बी.बी.
रवि, श्री शोशराम सिंह
राजवंशी, श्री माधव
राजा, श्री ए.
राजखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह
राजेन्द्रन, श्री पी.
राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री
राणा, श्री काशीराम
राणा, श्री राजू
राधाकृष्णन, श्री पोन
राधाकृष्णन, श्री वरकला
राम सजीवन, श्री
राम, श्री ब्रजमोहन
रामशकल, श्री
राय, श्री नवल किशोर
राय, श्री विष्णु पद
राय, श्री सुबोध
राय प्रधान, श्री अमर
राव, डा. डी.वी.जी. शंकर
राव, श्री सीएच. विद्यासागर
राव, श्रीमती प्रभा
रावत, प्रो. रासासिंह
रावले, श्री मोहन
राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण
रियान, श्री बाजू बन
रूडी, श्री राजीव प्रताप
रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र
रेड्डी, श्री एन. जनार्दन
रेड्डी, श्री एस. जयपाल
रेड्डी, श्री जी. गंगा
रेनु कुमारी, श्रीमती
लाहिड़ी, श्री समीक
वनगा, श्री चिंतामन
वर्मा, प्रो. रीता
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्री रवि प्रकाश
वर्मा, श्री राजेश
वाडियार, श्री एस.डी.एन.आर.
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र
वीरेन्द्र कुमार, श्री
वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा
वेंकटस्वामी, डा. एन.
वेंकटेस्वरलु, श्री बी.
वेणुगोपाल, श्री डी.
शर्मा, कैप्टन सतीश
शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम
शाक्य, श्री रघुराज सिंह
शान्ता कुमार, श्री
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद
शिवकुमार, श्री वी.एस.
शुक्ल, श्री श्यामाचरण
श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

षणमुगम, श्री एन.टी.
संखवार, श्री प्यारे लाल
सईद, श्री पी.एम.
सईदुज्जमा, श्री
सनदी, प्रो. आई.जी.
सर, श्री निखिलानन्द
सरडगी, श्री इकबाल अहमद
सरोज, श्री तूफानी
सरोज, श्रीमती सुशीला
सरोजा, डा. वी.
सांगतम, श्री के.ए.
सांगवान, श्री किशन सिंह
साथी, श्री हरपाल सिंह
साय, श्री विष्णुदेव
साहू, श्री अनादि
साहू, श्री ताराचंद
सिंह, कुंवर अखिलेश
सिंह, कुंवर सर्वराज
सिंह, चौधरी तेजवीर
सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद
सिंह, डा. रामलखन
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री चन्द्र प्रताप
सिंह, श्री चन्द्र भूषण
सिंह, श्री चन्द्र विजय
सिंह, श्री चरनजीत
सिंह, श्री छत्रपाल
*सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद
सिंह, श्री प्रभुनाथ
सिंह, श्री बलबीर
सिंह, श्री बहादुर
सिंह, श्री बृज भूषण शरण

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री महेश्वर
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री रामजीवन
सिंह, श्री रामपाल
सिंह, श्री रामानन्द
सिंह, श्री लक्ष्मण
सिंह, श्रीमती कान्ति
सिंह, श्रीमती राजकुमारी रत्ना
सिंह, श्रीमती श्यामा
सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी
सिकदर, श्री तपन
सिन्हा, श्री यशवन्त
सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम.
सुब्बा, श्री एम.के.
*सुमन, श्री रामजीलाल
सेठ, श्री लक्ष्मण
सेठी, श्री अर्जुन चरण
सेन, श्रीमती मिनाती
सेनगुप्ता, डा. नीतिश
सोमैया, श्री किरीट
सोराके, श्री विनय कुमार
सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह
स्वाइं, श्री खारबेल
स्वामी, श्री ईश्वर दयाल
स्वामी, श्री चिन्मयानन्द
हंसदा, श्री थामस
हक, मोहम्मद अनवारूल
हमीद, श्री अब्दुल
हसन, श्री मोइनुल
हान्दिक, श्री विजय
हुसैन, चौ. तालिब
हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

अध्यक्ष महोदय: शुद्धि के अध्यधीन* मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 353

विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

*पक्ष में : 352-10 (सर्वश्री अजय सिंह चौटाला, जी. पुट्टास्वामी गौड़ा, राम टहल चौधरी, डा. विजय कुमार मल्होत्रा, सर्वश्री सुबोध मोहिते, मानसिंह पटेल, तिलकधारी प्रसाद सिंह, रामजीलाल सुमन, पी.सी. थामस और डा. जसवंत सिंह यादव ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया) - 362

खंड 3

नए अनुच्छेद 338क का अंत:स्थापन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 11 से पंक्ति 15 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:-

"(2) संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा, अवधारित करें।

(3) राष्ट्रपति, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगा।" (3)

(श्री जुएल उराम)

अध्यक्ष महोदय: खंड 3 में तीन और संशोधन हैं। चूंकि श्री बैसोमुथियारी सदन में उपस्थित नहीं हैं, उनके संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जा रहे।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 3, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या 3] [अपराह्न 12.51 बजे

अजय कुमार, श्री एस.
अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा
अनंत कुमार, श्री
अय्यर, श्री मणि शंकर
अर्गल, श्री अशोक
अलवी, श्री राशिद
आचार्य, श्री बसुदेव
आजाद, श्री कीर्ति झा
आठवले, श्री रामदास
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
आदित्यनाथ, योगी
आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता
आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट
इन्दौरा, डा. सुशील कुमार
उराम, श्री जुएल
एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.
एम. मास्टर मथान, श्री
कटारा, श्री बाबूभाई के.
कटारिया, श्री रतन लाल
कथीरिया, डा. वल्लभभाई
कन्नप्पन, श्री एम.
कमलनाथ, श्री
कलिअप्पन, श्री के.के.
कश्यप, श्री बली राम
कस्वां, श्री राम सिंह
कुमार, श्री अरुण
कुमार, श्री वी. धनंजय
कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह
कुसमरिया, डा. रामकृष्ण
कृष्णन, डा. सी.

कौर, श्रीमती प्रेनीत

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री अबुल हसनत

खां, श्री मनसूर अली

खां, श्री सुनील

खांदोकर, श्री अकबर अली

खान, श्री हमन

खुराना, श्री मदन लाल

खूंटे, श्री पी.आर.

खैरे, श्री चन्द्रकांत

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गढ़वी, श्री पी.एस.

गमांग, श्रीमती हेमा

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका

गांधी, श्रीमती सोनिया

गाड्डे, श्री राम मोहन

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या

गावीत, श्री रामदास रूपला

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गुढे, श्री अनंत

गुप्त, प्रो. चमन लाल

गेहलोत, श्री धावरचन्द

गोगोई, श्री दीप

गोयल, श्री विजय

गोविन्दन, श्री टी.

गोहेन, श्री राजेन

गौड़ा, श्री जी. पुट्टास्वामी

गौतम, श्रीमती शीला

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्री अजय

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चन्देल, श्री अशोक कुमार सिंह

चन्देल, श्री सुरेश

चिन्नासामी, श्री एम.

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चेन्नितला, श्री रमेश

चौटाला, श्री अजय सिंह

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री पदमसेन

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्री विकास

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्रीमती रीना

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री बालकृष्ण

चौहान, श्री शिवराजसिंह

जगन्नाथ, डा. मन्दा

जगमोहन, श्री

जटिया, डा. सत्यनारायण

जय प्रकाश, श्री

जयशीलन, डा. ए.डी.के.

जाधव, श्री सुरेश रामराव

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद
जायसवाल, श्री जवाहर लाल
जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश
जावमा, श्री वनलाल
जाहंदी, श्री महबूब
जोगाजोनागी, श्री रमेश सी.
जोशी, डा. मुरली मनोहर
झा, श्री रघुनाथ
ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.
ठाकुर, डा. सी.पी.
ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई
ठाकुर, श्री पुंजाजी सदाजी
डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स
ढूडी, श्री रामेश्वर
तिरुनावुकरसर, श्री सु.
तिवारी, श्री लाल बिहारी
तुड़, श्री तरलोचन सिंह
तोपदार, श्री तरित बरण
तोमर, डा. रमेश चंद
त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि
त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर
त्रिपाठी, श्री रामनरेश
*थामस, श्री पी.सी.
दत्तात्रेय, श्री बंडारू
दलित इजिलमलाई, श्री
दास, श्री खगेन
दास, श्री नेपाल चन्द्र
दासमुंशी, श्री प्रियरंजन
दाहाल, श्री भीम
दिलेर, श्री किशन लाल
दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी
दीपक कुमार, श्री
देलकर, श्री मोहन एस.
देव, श्री बिक्रम केशरी
देव, श्री संतोष मोहन
नाईक, श्री राम
नाईक, श्री श्रीपाद येसो
नायक, श्री अनन्त
नायक, श्री अली मोहम्मद
नायक, श्री ए. वेंकटेश
निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद
नीतीश कुमार, श्री
पटवा, श्री सुन्दर लाल
पटेल, डा. अशोक
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री दिनशा
पटेल, श्री दीपक
पटेल, श्री धर्म राज सिंह
पटेल, श्री मानसिंह
पण्डा, श्री प्रबोध
पद्मानाभम्, श्री मुद्रागाड़ा
परस्ते, श्री दलपत सिंह
पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.
पांजा, डा. रंजीत कुमार
पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार
पाटिल, श्री आर.एस.
पाटिल (यल्लाल), श्री बसनगौडा रामनगौड
पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.
पाटील, श्री उत्तमराव
पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड
पाटील, श्री दानवे रावसाहेब
पाटील, श्री भास्करराव
पाटील, श्री शिवराज वि.
पाठक, श्री हरिन

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण
पायलट, श्रीमती रमा
पाल, डा. महेन्द्र सिंह
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, डा. संजय
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री रामचन्द्र
पासी, श्री राजनारायण
पासी, श्री सुरेश
पुगलिया, श्री नरेश
पोटाई, श्री सोहन
पोन्नुस्वामी, श्री ई.
प्रधान, डा. देवेन्द्र
प्रधान, श्री अशोक
प्रभु, श्री सुरेश
प्रमाणिक, प्रो. आर.आर.
प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास
प्रेमाजम, प्रो. ए.के.
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
बंगरप्पा, श्री एस.
बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप
"बचदा", श्री बची सिंह रावत
बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह
बनातवाला, श्री जी.एम.
बब्बर, श्री राज
बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह
बराड़ श्री. जे.एस.
बसवनागौड़, श्री कोल्लूर
बालू, श्री टी.आर.
बिन्द, श्री रामरती
बेगम नूर बानो
बेहरा, श्री पद्मनाभ
बैंदा, श्री रामचन्द्र
बैठा, श्री महेन्द्र
बैनर्जी, श्रीमती जयश्री
बैस, श्री रमेश
बोचा, श्री सत्यनारायण
बोस, श्रीमती कृष्णा
ब्रह्मनैया, श्री ए.
भगत, प्रो. दुखा
भगोरा, श्री ताराचन्द
भडाना, श्री अवतार सिंह
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भौरा, श्री भान सिंह
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
मंडल, श्री सनत कुमार
मकवाना, श्री सवशीभाई
मलयसामी, श्री के.
मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी.
मल्होत्रा डा. विजय कुमार
महंत, डा. चरणदास
महतो, श्रीमती आभा
महाजन, श्री वाई.जी.
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महाले, श्री हरीभाऊ शंकर
माझी, श्री रामजी
मान, श्री जोरा सिंह
माने, श्री शिवाजी
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मिस्त्री, श्री मधुसूदन
मीणा, श्री भेरूलाल
मीणा, श्रीमती जस कौर

मुखर्जी, श्री सत्यव्रत
मुण्डा, श्री कड़िया
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुनि लाल, श्री
मुनियप्पा, श्री के.एच.
मुर्मू, श्री रूपचन्द
मुर्मू, श्री सालखन
मूर्ति, श्री ए.के.
मूर्ति, डा. एम.वी.वी.एस.
मेघवाल, श्री कैलाश
मोल्लाह, श्री हन्नान
मोहले, श्री पुन्नू लाल
*मोहिते, श्री सुबोध
यादव, डा. जसवंतसिंह
यादव, डा. (श्रीमती) सुधा
यादव, श्री दिनेश चन्द्र
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री देवेन्द्र सिंह
यादव, श्री प्रदीप
यादव, श्री मुलायम सिंह
यादव, श्री शरद
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
रमैया, डा. बी.बी.
रवि, श्री शोशराम सिंह
राजवंशी, श्री माधव
राजा, श्री ए.
राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह
राजेन्द्रन, श्री पी.
राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री
राणा, श्री काशीराम
राणा, श्री राजू
राधाकृष्णन, श्री पोन
राधाकृष्णन, श्री वरकला
राम सजीवन, श्री
राम, श्री ब्रजमोहन
रामशकल, श्री
राय, श्री नवल किशोर
राय, श्री विष्णु पद
राय, श्री सुबोध
राय प्रधान, श्री अमर
राव, डा. डी.वी.जी. शंकर
राव, श्री सीएच. विद्यासागर
राव, श्रीमती प्रभा
रावत, प्रो. रासासिंह
रावले, श्री मोहन
राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण
रियान, श्री बाजू बन
रूडी, श्री राजीव प्रताप
रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र
रेड्डी, श्री एन. जनार्दन
रेड्डी, श्री एस. जयपाल
रेड्डी, श्री जी. गंगा
रेनु कुमारी, श्रीमती
लाहिड़ी, श्री समीक
वनगा, श्री चिंतामन
वर्मा, प्रो. रीता
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्री रवि प्रकाश
वर्मा, श्री राजेश
वाडियार, श्री एस.डी.एन.आर.
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र
वीरेन्द्र कुमार, श्री
वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा
वेंकटस्वामी, डा. एन.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

वेंकटेस्वरलु, श्री बी.
वेणुगोपाल, श्री डी.
शर्मा, कैप्टन सतीश
शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम
शाक्य, श्री रघुराज सिंह
शान्ता कुमार, श्री
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद
शिवकुमार, श्री वी.एस.
शुक्ल, श्री श्यामाचरण
श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी.
षणमुगम, श्री एन.टी.
संखवार, श्री प्यारे लाल
सईद, श्री पी.एम.
सईदुज्जमा, श्री
सनदी, प्रो. आई.जी.
सर, श्री निखिलानन्द
सरडगी, श्री इकबाल अहमद
सरोज, श्री तूफानी
सरोज, श्रीमती सुशीला
सरोजा, डा. वी.
सांगतम, श्री के.ए.
सांगवान, श्री किशन सिंह
साथी, श्री हरपाल सिंह
साय, श्री विष्णुदेव
साहू, श्री अनादि
साहू, श्री ताराचंद
सिंह, कुंवर अखिलेश
सिंह, कुंवर सर्वराज
सिंह, चौधरी तेजवीर
सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद
सिंह, डा. रामलखन
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री चन्द्र प्रताप
सिंह, श्री चन्द्र भूषण
सिंह, श्री चन्द्र विजय
सिंह, श्री चरनजीत
सिंह, श्री छत्रपाल
सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद
सिंह, श्री प्रभुनाथ
सिंह, श्री बलबीर
सिंह, श्री बहादुर
सिंह, श्री बृज भूषण शरण
सिंह, श्री महेश्वर
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री रामजीवन
सिंह, श्री रामपाल
सिंह, श्री रामानन्द
सिंह, श्री लक्ष्मण
सिंह, श्रीमती कान्ति
सिंह, श्रीमती राजकुमारी रत्ना
सिंह, श्रीमती श्यामा
सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी
सिकदर, श्री तपन
सिन्हा, श्री यशवन्त
सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम.
सुब्बा, श्री एम.के.
सुमन, श्री रामजीलाल
सेठ, श्री लक्ष्मण
सेठी, श्री अर्जुन चरण
सेन, श्रीमती मिनाती
सेनगुप्ता, डा. नीतिश
सोमैया, श्री किरीट
सोराके, श्री विनय कुमार
सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हंसदा, श्री थामस

हक, मोहम्मद अनवारूल

हमीद, श्री अब्दुल

हसन, श्री मोइनुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, चौ. तालिब

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

अध्यक्ष महोदय: शुद्धि के अध्यधीन*, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 358

विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

*पक्ष में : 358+2 (सर्वश्री सुबोध मोहिते और पी.सी. थामस ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया) = 360

खंड 1

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

अध्यक्ष महोदय: खंड 1 में एक संशोधन है। अब मंत्री जी, संशोधन संख्या-2 प्रस्तुत करेंगे।

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:-

"1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 है।" (2)

(श्री जुएल उराम)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या 4] [अपराह्न 12.52 बजे

अजय कुमार, श्री एस.

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अय्यर, श्री मणि शंकर

अर्गल, श्री अशोक

अलवी, श्री राशिद

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति झा

आठवले, श्री रामदास

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदित्यनाथ, योगी

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट

*इन्दौरा, डा. सुशील कुमार

उराम, श्री जुएल

ए. नरेन्द्र, श्री

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.

एम. मास्टर मथान, श्री

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

कन्नप्पन, श्री एम.

कमलनाथ, श्री

कलिअप्पन, श्री के.के.

कश्यप, श्री बली राम

कस्वां, श्री राम सिंह

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कुमार, श्री अरुण
कुमार, श्री वी. धनंजय
कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह
कुसमरिया, डा. रामकृष्ण
कृष्णन, डा. सी.
कौर, श्रीमती प्रेनीत
कौशल, श्री रघुवीर सिंह
खंडेलवाल, श्री विजय कुमार
खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र
खन्ना, श्री विनोद
खां, श्री अबुल हसनत
खां, श्री मनसूर अली
खां, श्री सुनील
खांदोकर, श्री अकबर अली
खान, श्री हसन
खुराना, श्री मदन लाल
खूंटे, श्री पी.आर.
खैरे, श्री चन्द्रकांत
गंगवार, श्री सन्तोष कुमार
गमांग, श्रीमती हेमा
गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल
गांधी, श्रीमती मेनका
गांधी, श्रीमती सोनिया
गाड्डे, श्री राम मोहन
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
गावीत, श्री रामदास रूपला
गिलुवा, श्री लक्ष्मण
गुढे, श्री अनंत
गुप्त, प्रो. चमन लाल
गेहलोत, श्री थावरचन्द
गोगोई, श्री दीप
गोयल, श्री विजय
गोविन्दन, श्री टी.
गोहेन, श्री राजेन
गौड़ा, श्री जी. पुट्टास्वामी
गौतम, श्रीमती शीला
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चक्रवर्ती, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री स्वदेश
चक्रवर्ती, श्रीमती विजया
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत
चन्देल, श्री अशोक कुमार सिंह
चन्देल, श्री सुरेश
चिन्नासामी, श्री एम.
चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई
चेन्नितला, श्री रमेश
चौटाला, श्री अजय सिंह
चौधरी, श्री अधीर
चौधरी, श्री निखिल कुमार
चौधरी, श्री पदमसेन
चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री राम रघुनाथ
चौधरी, श्री विकास
चौधरी, श्री हरिभाई
चौधरी, श्रीमती रीना
चौधरी, श्रीमती संतोष
चौबे, श्री लाल मुनी
चौहान, श्री नंदकुमार सिंह
चौहान, श्री बालकृष्ण
चौहान, श्री शिवराजसिंह
जगन्नाथ, डा. मन्दा
जगमोहन, श्री

जटिया, डा. सत्यनारायण
जय प्रकाश, श्री
जयशीलन, डा. ए.डी.के.
जायसवाल, डा. मदन प्रसाद
जायसवाल, श्री जवाहर लाल
जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश
जावमा, श्री वनलाल
जाहेदी, श्री महबूब
जीगाजीनागी, श्री रमेश सी.
जोशी, डा. मुरली मनोहर
झा, श्री रघुनाथ
ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.
ठाकुर, डा. सी.पी.
ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई
ठाकुर, श्री पुंजाजी सदाजी
डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स
ढूडी, श्री रामेश्वर
तिरुनावुक्करसर, श्री सु.
तिवारी, श्री लाल बिहारी
तुड़, श्री तरलोचन सिंह
तोपदार, श्री तरित बरण
तोमर, डा. रमेश चंद
त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि
त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर
त्रिपाठी, श्री रामनरेश
*थामस, श्री पी.सी.
दत्तात्रेय, श्री बंडारू
दलित इजिलमलाई, श्री
दास, श्री खगेन
दास, श्री नेपाल चन्द्र
दासमुंशी, श्री प्रियरंजन
दाहाल, श्री भीम
दिलेर, श्री किशन लाल
दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी
दीपक कुमार, श्री
देलकर, श्री मोहन एस.
देव, श्री बिक्रम केशरी
देव, श्री संतोष मोहन
नाईक, श्री राम
नाईक, श्री श्रीपाद येसो
नायक, श्री अनन्त
नायक, श्री अली मोहम्मद
नायक, श्री ए. वेंकटेश
निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद
नीतीश कुमार, श्री
पटवा, श्री सुन्दर लाल
पटेल, डा. अशोक
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री दह्याभाई वल्लभभाई
पटेल, श्री दिनशा
पटेल, श्री दीपक
पटेल, श्री धर्म राज सिंह
पटेल, श्री मानसिंह
पण्डा, श्री प्रबोध
पद्मानाभम्, श्री मुद्रागाड़ा
परस्ते, श्री दलपत सिंह
पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.
पांजा, डा. रंजीत कुमार
पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार
पाटिल, श्री आर.एस.
पाटिल (यल्लाल), श्री बसनगौडा रामनगौड
पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.
पाटील, श्री उत्तमराव
पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब
पाटील, श्री भास्करराव
पाटील, श्री शिवराज वि.
पाठक, श्री हरिन
पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण
पायलट, श्रीमती रमा
पाल, डा. महेन्द्र सिंह
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, डा. संजय
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री रामचन्द्र
पासी, श्री राजनारायण
पासी, श्री सुरेश
पुगलिया, श्री नरेश
पोटाई, श्री सोहन
पोन्नुस्वामी, श्री ई.
प्रधान, डा. देवेन्द्र
प्रधान, श्री अशोक
प्रभु, श्री सुरेश
प्रमाणिक, प्रो. आर.आर.
प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास
प्रेमाजम, प्रो. ए.के.
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
बंगरप्पा, श्री एस.
बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप
''बचदा'', श्री बची सिंह रावत
बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह
बनातवाला, श्री जी.एम.
बब्बर, श्री राज
बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह
*बराड़ श्री. जे.एस.
बसवनागौड, श्री कोलूर

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बिन्द, श्री रामरती
बेगम नूर बानो
*बेहरा, श्री पद्मनाव
बैंदा, श्री रामचन्द्र
बैठा, श्री महेन्द्र
बैनर्जी, श्रीमती जयश्री
बैस, श्री रमेश
बोचा, श्री सत्यनारायण
बोस, श्रीमती कृष्णा
ब्रह्मनैया, श्री ए.
भगत, प्रो. दुखा
भगोरा, श्री ताराचन्द
भडाना, श्री अवतार सिंह
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भौरा, श्री भान सिंह
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
मंडल, श्री सनत कुमार
मकवाना, श्री सवशीभाई
मलयसामी, श्री के.
मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी.
मल्होत्रा डा. विजय कुमार
महंत, डा. चरणदास
महतो, श्रीमती आभा
महाजन, श्री वाई.जी.
महाले, श्री हरीभाऊ शंकर
मांझी, श्री रामजी
मान, श्री जोरा सिंह
मान, सरदार सिमरनजीत सिंह
माने, श्री शिवाजी
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्याम बिहारी

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मिस्त्री, श्री मधुसूदन
मीणा, श्री भेरूलाल
मीणा, श्रीमती जस कौर
मुखर्जी, श्री सत्यव्रत
मुण्डा, श्री कड़िया
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुनि लाल, श्री
मुनियप्पा, श्री के.एच.
मुर्मू, श्री रूपचन्द
मुर्मू, श्री सालखन
मूर्ति, श्री ए.के.
मूर्ति, डा. एम.वी.वी.एस.
मेघवाल, श्री कैलाश
मोल्लाह, श्री हन्नान
मोहले, श्री पुन्नू लाल
*मोहिते, श्री सुबोध
यादव, डा. जसवंतसिंह
यादव, डा. (श्रीमती) सुधा
यादव, श्री दिनेश चन्द्र
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री देवेन्द्र सिंह
यादव, श्री प्रदीप
यादव, श्री मुलायम सिंह
यादव, श्री शरद
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
रमैया, डा. बी.बी.
रवि, श्री शांशराम सिंह
राजवंशी, श्री माधव
राजा, श्री ए.
राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह
राजेन्द्रन, श्री पी.
राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री
राणा, श्री काशीराम
राणा, श्री राजू
राधाकृष्णन, श्री पोन
राधाकृष्णन, श्री वरकला
राम सजीवन, श्री
राम, श्री ब्रजमोहन
रामशकल, श्री
राय, श्री नवल किशोर
राय, श्री विष्णु पद
राय, श्री सुबोध
राय प्रधान, श्री अमर
राव, डा. डी.वी.जी. शंकर
राव, श्री सीएच. विद्यासागर
राव, श्रीमती प्रभा
रावत, प्रो. रासासिंह
रावले, श्री मोहन
राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण
रियान, श्री बाजू बन
रूडी, श्री राजीव प्रताप
रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र
रेड्डी, श्री एन. जनार्दन
रेड्डी, श्री एस. जयपाल
रेड्डी, श्री जी. गंगा
रेनु कुमारी, श्रीमती
लाहिड़ी, श्री समीक
वनगा, श्री चिंतामन
वर्मा, प्रो. रीता
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्री रवि प्रकाश
वर्मा, श्री राजेश
वाडियार, श्री एस.डी.एन.आर.
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

वीरेन्द्र कुमार, श्री
वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा
वेंकटस्वामी, डा. एन.
वेंकटेस्वरलु, श्री बी.
वेणुगोपाल, श्री डी.
शर्मा, कैप्टन सतीश
शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम
शाक्य, श्री रघुराज सिंह
शान्ता कुमार, श्री
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद
शिवकुमार, श्री वी.एस.
शुक्ल, श्री श्यामाचरण
श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी.
षणमुगम, श्री एन.टी.
संखवार, श्री प्यारे लाल
सईद, श्री पी.एम.
सईदुज्जमा, श्री
सनदी, प्रो. आई.जी.
सर, श्री निखिलानन्द
सरडगी, श्री इकबाल अहमद
सरोज, श्री तूफानी
सरोज, श्रीमती सुशीला
सरोजा, डा. वी.
सांगतम, श्री के.ए.
सांगवान, श्री किशन सिंह
साथी, श्री हरपाल सिंह
साय, श्री विष्णुदेव
साहू, श्री अनादि
साहू, श्री ताराचंद
सिंह, कुंवर अखिलेश
सिंह, कुंवर सर्वराज
सिंह, चौधरी तेजवीर
सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद
सिंह, डा. रामलखन
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री चन्द्र प्रताप
सिंह, श्री चन्द्र भूषण
सिंह, श्री चन्द्र विजय
सिंह, श्री चरनजीत
सिंह, श्री छत्रपाल
सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद
सिंह, श्री प्रभुनाथ
सिंह, श्री बलबीर
सिंह, श्री बहादुर
सिंह, श्री बृज भूषण शरण
सिंह, श्री महेश्वर
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री रामजीवन
सिंह, श्री रामपाल
सिंह, श्री रामानन्द
सिंह, श्री लक्ष्मण
सिंह, श्रीमती कान्ति
सिंह, श्रीमती राजकुमारी रत्ना
सिंह, श्रीमती श्यामा
सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी
सिकदर, श्री तपन
सिन्हा, श्री यशवन्त
सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम.
सुब्बा, श्री एम.के.
सुमन, श्री रामजीलाल
सेठ, श्री लक्ष्मण
सेठी, श्री अर्जुन चरण
सेन, श्रीमती मिनाती
सेनगुप्ता, डा. नीतिश

सोमैया, श्री किरीट

सोराके, श्री विनय कुमार

सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हंसदा, श्री थामस

हक, मोहम्मद अनवारूल

हमीद, श्री अब्दुल

हसन, श्री मोइनुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, चौ. तालिब

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

अध्यक्ष महोदय: शुद्धि के अध्यधीन*, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 353

विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

अध्यक्ष महोदय: अधिनियमन सूत्र में एक संशोधन है। अब मंत्री महोदय संशोधन संख्या-1, प्रस्तुत करेंगे।

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,-

''तिरपनवें'' के *स्थान* पर ''चौवनवें'' *प्रतिस्थापित* किया जाए।

(1)

(श्री जुएल उराम)

*पक्ष में : 353+5 (सर्वश्री पद्मनाव बेहरा, जे.एस. बराड़, डा. सुशील कुमार इन्दौरा, सर्वश्री सुबोध मोहिते और पी.सी. थामस ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया) = 358

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय: अब, मंत्री महोदय, प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

श्री जुएल उराम: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या 5] [अपराह्न 12.55 बजे

अजय कुमार, श्री एस.

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अय्यर, श्री मणि शंकर

अर्गल, श्री अशोक

अलवी, श्री राशिद

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति झा

आठवले, श्री रामदास

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदित्यनाथ, योगी

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट

इन्दौरा, डा. सुशील कुमार

उराम, श्री जुएल

ए. नरेन्द्र, श्री
एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.
एम. मास्टर मथान, श्री
कटारा, श्री बाबूभाई के.
कटारिया, श्री रतन लाल
कथीरिया, डा. वल्लभभाई
कन्नप्पन, श्री एम.
कमलनाथ, श्री
कलिअप्पन, श्री के.के.
कश्यप, श्री बली राम
कस्वां, श्री राम सिंह
कुमार, श्री अरुण
कुमार, श्री वी. धनंजय
कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह
कुसमरिया, डा. रामकृष्ण
कृष्णन, डा. सी.
कौर, श्रीमती प्रेनीत
कौशल, श्री रघुवीर सिंह
खंडेलवाल, श्री विजय कुमार
खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र
खन्ना, श्री विनोद
खां, श्री अबुल हसनत
खां, श्री मनसूर अली
खां, श्री सुनील
खांटोकर, श्री अकबर अली
खान, श्री हसन
खुराना, श्री मदन लाल
खूंटे, श्री पी.आर.
खैरे, श्री चन्द्रकांत
गंगवार, श्री सन्तोष कुमार
गढ़वी, श्री पी.एस.
गमांग, श्रीमती हेमा
गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल
गांधी, श्रीमती मेनका
गांधी, श्रीमती सोनिया
गाड्डे, श्री राम मोहन
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
गावीत, श्री रामदास रूपला
गिलुवा, श्री लक्ष्मण
गुढे, श्री अनंत
गुप्त, प्रो. चमन लाल
गेहलोत, श्री थावरचन्द
गोगोई, श्री दीप
गोयल, श्री विजय
गोविन्दन, श्री टी.
गोहेन, श्री राजेन
गौड़ा, श्री जी. पुट्टास्वामी
गौतम, श्रीमती शीला
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चक्रवर्ती, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री स्वदेश
चक्रवर्ती, श्रीमती विजया
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत
चन्देल, श्री अशोक कुमार सिंह
चन्देल, श्री सुरेश
चिन्नासामी, श्री एम.
चोखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई
चेन्नितला, श्री रमेश
चौटाला, श्री अजय सिंह
चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम
चौधरी, श्री अधीर
चौधरी, श्री निखिल कुमार
चौधरी, श्री पदमसेन

चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री राम रघुनाथ
चौधरी, श्री विकास
चौधरी, श्री हरिभाई
चौधरी, श्रीमती रीना
चौधरी, श्रीमती संतोष
चौबे, श्री लाल मुनी
चौहान, श्री नंदकुमार सिंह
चौहान, श्री बालकृष्ण
चौहान, श्री शिवराजसिंह
जगन्नाथ, डा. मन्दा
जगमोहन, श्री
जटिया, डा. सत्यनारायण
जय प्रकाश, श्री
जयशीलन, डा. ए.डी.के.
जाधव, श्री सुरेश रामराव
जायसवाल, डा. मदन प्रसाद
जायसवाल, श्री जवाहर लाल
जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश
जावमा, श्री वनलाल
जाहेदी, श्री महबूब
जीगाजीनागी, श्री रमेश सी.
जोशी, डा. मुरली मनोहर
झा, श्री रघुनाथ
ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.
ठाकुर, डा. सी.पी.
ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई
ठाकुर, श्री पुंजाजी सदाजी
डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स
ढूडी, श्री रामेश्वर
तिरुनावुकरसर, श्री सु.
तिवारी, श्री लाल बिहारी
तुड़, श्री तरलोचन सिंह
तोपदार, श्री तरित बरण
तोमर, डा. रमेश चंद
त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि
त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर
त्रिपाठी, श्री रामनरेश
*थामस, श्री पी.सी.
दत्तात्रेय, श्री बंडारू
दलित इजिलमलाई, श्री
दास, श्री खगेन
दास, श्री नेपाल चन्द्र
दासमुंशी, श्री प्रियरंजन
दाहाल, श्री भीम
दिलेर, श्री किशन लाल
दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी
दीपक कुमार, श्री
देलकर, श्री मोहन एस.
देव, श्री बिक्रम केशरी
देव, श्री संतोष मोहन
नाईक, श्री राम
नाईक, श्री श्रीपाद येसो
नायक, श्री अनन्त
नायक, श्री अली मोहम्मद
नायक, श्री ए. वेंकटेश
निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद
नीतीश कुमार, श्री
पटवा, श्री सुन्दर लाल
पटेल, डा. अशोक
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री दह्याभाई वल्लभभाई
पटेल, श्री दिन्शा
पटेल, श्री दीपक

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पटेल, श्री धर्म राज सिंह
पटेल, श्री मानसिंह
पण्डा, श्री प्रबोध
पद्मानाभम्, श्री मुद्रागाड़ा
परस्ते, श्री दलपत सिंह
पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.
पांजा, डा. रंजीत कुमार
पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार
पाटिल, श्री आर.एस.
पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड
पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.
पाटील, श्री उत्तमराव
पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड
पाटील, श्री दानवे रावसाहेब
पाटील, श्री भास्करराव
पाटील, श्री शिवराज वि.
पाठक, श्री हरिन
पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण
पायलट, श्रीमती रमा
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, डा. संजय
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री रामचन्द्र
पासी, श्री राजनारायण
पासी, श्री सुरेश
पुगलिया, श्री नरेश
पोटाई, श्री सोहन
पोन्नुस्वामी, श्री ई.
प्रधान, डा. देवेन्द्र
प्रधान, श्री अशोक
प्रभु, श्री सुरेश
प्रमाणिक, प्रो. आर.आर.
प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास
प्रेमाजम, प्रो. ए.के.
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
बंगरप्पा, श्री एस.
बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप
"बचदा", श्री बची सिंह रावत
बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह
बनातवाला, श्री जी.एम.
बब्बर, श्री राज
बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह
बराड़ श्री. जे.एस.
बसवनागौड, श्री कोलूर
बालू, श्री टी.आर.
बिन्द, श्री रामरती
बेगम नूर बानो
बेहरा, श्री पद्मनाव
बैंदा, श्री रामचन्द्र
बैठा, श्री महेन्द्र
बैनर्जी, श्रीमती जयश्री
बैस, श्री रमेश
बोचा, श्री सत्यनारायण
बोस, श्रीमती कृष्णा
बौरी, श्रीमती संध्या
ब्रह्मनैया, श्री ए.
भगत, प्रो. दुखा
भगोरा, श्री ताराचन्द
भडाना, श्री अवतार सिंह
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भौरा, श्री भान सिंह
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
मंडल, श्री सनत कुमार

मकवाना, श्री सवशीभाई
मलयसामी, श्री के.
मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी.
मल्होत्रा डा. विजय कुमार
महंत, डा. चरणदास
महतो, श्रीमती आभा
महाजन, श्री वाई.जी.
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महाले, श्री हरीभाऊ शंकर
मांझी, श्री रामजी
मान, श्री जोरा सिंह
मान, सरदार सिमरनजीत सिंह
माने, श्री शिवाजी
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मिस्त्री, श्री मधुसूदन
मीणा, श्री भेरूलाल
मीणा, श्रीमती जस कौर
मुखर्जी, श्री सत्यव्रत
मुण्डा, श्री कड़िया
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुनि लाल, श्री
मुनियप्पा, श्री के.एच.
मुर्मू, श्री रूपचन्द
मुर्मू, श्री सालखन
मूर्ति, श्री ए.के.
मूर्ति, डा. एम.वी.वी.एस.
मेघवाल, श्री कैलाश
मोल्लाह, श्री हन्नान
मोहले, श्री पुन्नू लाल
*मोहिते, श्री सुबोध
यादव, डा. जसवंतसिंह

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

यादव, डा. (श्रीमती) सुधा
यादव, श्री दिनेश चन्द्र
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री देवेन्द्र सिंह
यादव, श्री प्रदीप
यादव, श्री मुलायम सिंह
यादव, श्री शरद
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
रमैया, डा. बी.बी.
रवि, श्री शीशराम सिंह
राजवंशी, श्री माधव
राजा, श्री ए.
राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह
राजेन्द्रन, श्री पी.
राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री
राणा, श्री काशीराम
राणा, श्री राजू
राधाकृष्णन, श्री पोन
राधाकृष्णन, श्री वरकला
राम सजीवन, श्री
राम, श्री ब्रजमोहन
रामशकल, श्री
राय, श्री नवल किशोर
राय, श्री विष्णु पद
राय, श्री सुबोध
राय प्रधान, श्री अमर
राव, डा. डी.वी.जी. शंकर
राव, श्री सीएच. विद्यासागर
राव, श्रीमती प्रभा
रावत, प्रो. रासासिंह
रावले, श्री मोहन
राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण

रियान, श्री बाजू बन
रूडी, श्री राजीव प्रताप
रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र
रेड्डी, श्री एन. जनार्दन
रेड्डी, श्री एस. जयपाल
रेड्डी, श्री जी. गंगा
रेनु कुमारी, श्रीमती
लाहिड़ी, श्री समीक
वनगा, श्री चिंतामन
वर्मा, प्रो. रीता
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्री रवि प्रकाश
वर्मा, श्री राजेश
वाडियार, श्री एस.डी.एन.आर.
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र
वीरेन्द्र कुमार, श्री
वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा
वेंकटस्वामी, डा. एन.
वेंकटेस्वरलु, श्री बी.
वेणुगोपाल, श्री डी.
शर्मा, कैप्टन सतीश
शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम
शाक्य, श्री रघुराज सिंह
शान्ता कुमार, श्री
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद
शिवकुमार, श्री वी.एस.
शुक्ल, श्री श्यामाचरण
श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी.
षणमुगम, श्री एन.टी.
संखवार, श्री प्यारे लाल
सईद, श्री पी.एम.
सईदुज्जमा, श्री
सनदी, प्रो. आई.जी.
सर, श्री निखिलानन्द
सरडगी, श्री इकबाल अहमद
सरोज, श्री तूफानी
सरोज, श्रीमती सुशीला
सरोजा, डा. वी.
सांगतम, श्री के.ए.
सांगवान, श्री किशन सिंह
साथी, श्री हरपाल सिंह
साय, श्री विष्णुदेव
साहू, श्री अनादि
साहू, श्री ताराचंद
सिंह, कुंवर अखिलेश
सिंह, कुंवर सर्वराज
सिंह, चौधरी तेजवीर
सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद
सिंह, डा. रामलखन
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री चन्द्र प्रताप
सिंह, श्री चन्द्र भूषण
सिंह, श्री चन्द्र विजय
सिंह, श्री चरनजीत
सिंह, श्री छत्रपाल
सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद
सिंह, श्री प्रभुनाथ
सिंह, श्री बलबीर
सिंह, श्री बहादुर
सिंह, श्री बृज भूषण शरण
सिंह, श्री महेश्वर
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री रामजीवन
सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द
सिंह, श्री लक्ष्मण
सिंह, श्रीमती कान्ति
सिंह, श्रीमती राजकुमारी रत्ना
सिंह, श्रीमती श्यामा
सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी
सिकदर, श्री तपन
सिन्हा, श्री यशवन्त
सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम.
सुब्बा, श्री एम.के.
सुमन, श्री रामजीलाल
सेठ, श्री लक्ष्मण
सेठी, श्री अर्जुन चरण
सेन, श्रीमती मिनाती
सेनगुप्ता, डा. नीतिश
सोमैया, श्री किरीट
सोराके, श्री विनय कुमार
सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह
स्वाइं, श्री खारबेल
स्वामी, श्री ईश्वर दयाल
स्वामी, श्री चिन्मयानन्द
हंसदा, श्री थामस
हक, मोहम्मद अनवारूल
हमीद, श्री अब्दुल
हसन, श्री मोइनुल
हान्दिक, श्री विजय
हुसैन, चौ. तालिब
हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

अध्यक्ष महोदय: शुद्धि के अध्यधीन* मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 361

विपक्ष में : शून्य

*पक्ष में : 361+2 (सर्वश्री सुबोध मोहिते और पी.सी. थामस ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया) = 363

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

विधेयक, संशोधित रूप में, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.56 बजे

(दो) संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) विधेयक—*जारी*

(अनुच्छेद 332 का संशोधन)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) विधेयक पर मतदान किये जाने से पहले कृपया दीर्घायें खोल दी जाएं। अंदर वाला कोई भी सांसद बाहर नहीं जाएगा, बाहर वाला अंदर आएगा।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): जी, बाहर वाला अंदर आएगा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह महिला आरक्षण विधेयक लाए और उसे इसी प्रकार पारित कराए ...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि वह इसी प्रकार महिला आरक्षण विधेयक भी पारित कराए ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): आप महिला आरक्षण विधेयक लाएं और पारित कराए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है अत: इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा।

अपराह्न 12.57 बजे

दीर्घायें खाली कर दी जाएं।

अपराह्न 1.00 बजे

अध्यक्ष महोदय: अब, दीर्घायें खाली हो गयी हैं।

प्रश्न यह है:

''कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या-6] [अपराह्न 1.03 बजे

अजय कुमार, श्री एस.
अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा
अनंत कुमार, श्री
अय्यर, श्री मणि शंकर
अर्गल, श्री अशोक
अलवी, श्री राशिद
अहमद, श्री दाऊद
आचार्य, श्री बसुदेव
आजाद, श्री कीर्ति झा
आठवले, श्री रामदास
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
आदित्यनाथ, योगी
आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता
आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट
इन्दौरा, डा. सुशील कुमार
उराम, श्री जुएल
ए. नरेन्द्र, श्री
एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.
एम. मास्टर मथान, श्री
कटारा, श्री बाबूभाई के.
कटारिया, श्री रतन लाल
कथीरिया, डा. वल्लभभाई
कन्नप्पन, श्री एम.
कमलनाथ, श्री
कलिअप्पन, श्री के.के.
कश्यप, श्री बली राम
कस्वां, श्री राम सिंह
कुमार, श्री अरुण
कुमार, श्री वी. धनंजय
कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह
कुसमरिया, डा. रामकृष्ण
कृष्णन, डा. सी.
कौर, श्रीमती प्रेनीत
कौशल, श्री रघुवीर सिंह
खंडेलवाल, श्री विजय कुमार
खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र
खन्ना, श्री विनोद
खां, श्री अबुल हसनत
खां, श्री मनसूर अली
खां, श्री सुनील
खांदोकर, श्री अकबर अली
खान, श्री हसन
खुराना, श्री मदन लाल
खूटे, श्री पी.आर.
खैरे, श्री चन्द्रकांत
गंगवार, श्री सन्तोष कुमार
गढ़वी, श्री पी.एस.
गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल
गांधी, श्रीमती मेनका
गांधी, श्रीमती सोनिया
गाड्डे, श्री राम मोहन
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
गावीत, श्री रामदास रूपला
गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गुढे, श्री अनंत
गुप्त, प्रो. चमन लाल
गेहलोत, श्री थावरचन्द
गोगोई, श्री दीप
गोयल, श्री विजय
गोविन्दन, श्री टी.
गोहेन, श्री राजेन
गौड़ा, श्री जी. पुट्टास्वामी
गौतम, श्रीमती शीला
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चक्रवर्ती, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री स्वदेश
चक्रवर्ती, श्रीमती विजया
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत
चन्देल, श्री अशोक कुमार सिंह
चन्देल, श्री सुरेश
चिन्नासामी, श्री एम.
चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई
चेन्नितला, श्री रमेश
चौटाला, श्री अजय सिंह
चौधरी, श्री अधीर
चौधरी, श्री निखिल कुमार
चौधरी, श्री पदमसेन
चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री राम रघुनाथ
चौधरी, श्री हरिभाई
चौधरी, श्रीमती रीना
चौधरी, श्रीमती संतोष
चौबे, श्री लाल मुनी
चौहान, श्री नंदकुमार सिंह
चौहान, श्री बालकृष्ण
चौहान, श्री शिवराजसिंह
जगन्नाथ, डा. मन्दा
जगमोहन, श्री
जटिया, डा. सत्यनारायण
जय प्रकाश, श्री
जयशीलन, डा. ए.डी.के.
जाधव, श्री सुरेश रामराव
जायसवाल, डा. मदन प्रसाद
जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश
जावमा, श्री वनलाल
जाहेदी, श्री महबूब
जीगाजीनागी, श्री रमेश सी.
जोशी, डा. मुरली मनोहर
झा, श्री रघुनाथ
ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.
ठाकुर, डा. सी.पी.
ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई
ठाकुर, श्री पुंजाजी सदाजी
डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स
ढूडी, श्री रामेश्वर
तिरुनावुकरसर, श्री सु.
तिवारी, श्री लाल बिहारी
तुड़, श्री तरलोचन सिंह
तोपदार, श्री तरित बरण
तोमर, डा. रमेश चंद
त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि
त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर
त्रिपाठी, श्री रामनरेश
*थामस, श्री पी.सी.
दत्तात्रेय, श्री बंडारू
दलित इजिलमलाई, श्री

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

दास, श्री खगेन

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दाहाल, श्री भीम

दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी

देलकर, श्री मोहन एस.

देव, श्री बिक्रम केशरी

देव, श्री संतोष मोहन

नाईक, श्री राम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

नायक, श्री ए. वेंकटेश

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

नीतीश कुमार, श्री

पटवा, श्री सुन्दर लाल

पटेल, डा. अशोक

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री दिनशा

पटेल, श्री दीपक

पटेल, श्री धर्म राज सिंह

पटेल, श्री मानसिंह

पण्डा, श्री प्रबोध

पद्मानाभम्, श्री मुद्रागाड़ा

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.

पांजा, डा. रंजीत कुमार

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

पाटिल, श्री आर.एस.

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.

पाटील, श्री उत्तमराव

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

पाटील, श्री भास्करराव

पाटील, श्री शिवराज वि.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पायलट, श्रीमती रमा

पाल, डा. महेन्द्र सिंह

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, डा. संजय

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री रामचन्द्र

पासवान, श्री सुकदेव

पासी, श्री राजनारायण

पासी, श्री सुरेश

पुगलिया, श्री नरेश

पोटाई, श्री सोहन

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रभु, श्री सुरेश

प्रमाणिक, प्रो. आर.आर.

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

प्रेमाजम, प्रो. ए.के.

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

बंगरप्पा, श्री एस.

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप

"बचदा", श्री बची सिंह रावत

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

बनातवाला, श्री जी.एम.

बब्बर, श्री राज

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह
बराड़ श्री. जे.एस.
बर्मन, श्री रनेन
बसवनागौड, श्री कोलूर
बिन्द, श्री रामरती
बेगम नूर बानो
बेहरा, श्री पद्मनाव
बैंदा, श्री रामचन्द्र
बैठा, श्री महेन्द्र
बैनर्जी, श्रीमती जयश्री
बैस, श्री रमेश
*बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर
बोचा, श्री सत्यनारायण
बोस, श्रीमती कृष्णा
बौरी, श्रीमती संध्या
ब्रह्मनैया, श्री ए.
भगत, प्रो. दुखा
भगोरा, श्री ताराचन्द
भडाना, श्री अवतार सिंह
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भौरा, श्री भान सिंह
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
मंडल, श्री सनत कुमार
मकवाना, श्री सवशीभाई
मलयसामी, श्री के.
मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी.
मल्होत्रा डा. विजय कुमार
महंत, डा. चरणदास
महतो, श्री बीर सिंह
महतो, श्रीमती आभा
महाजन, श्री वाई.जी.

महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महाले, श्री हरीभाऊ शंकर
मांझी, श्री रामजी
मान, श्री जोरा सिंह
मान, सरदार सिमरनजीत सिंह
माने, श्री शिवाजी
माने, श्रीमती निवेदिता
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मिस्त्री, श्री मधुसूदन
मीणा, श्री भेरूलाल
मीणा, श्रीमती जस कौर
मुखर्जी, श्री सत्यव्रत
मुण्डा, श्री कड़िया
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुनि लाल, श्री
मुनियप्पा, श्री के.एच.
मुर्मू, श्री रूपचन्द
मुर्मू, श्री सालखन
मूर्ति, श्री ए.के.
मूर्ति, डा. एम.वी.वी.एस.
मेघवाल, श्री कैलाश
मोल्लाह, श्री हन्नान
मोहले, श्री पुन्नू लाल
*मोहिते, श्री सुबोध
मोहोल, श्री अशोक ना.
यादव, डा. जसवंतसिंह
यादव, डा. (श्रीमती) सुधा
यादव, श्री दिनेश चन्द्र
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री देवेन्द्र सिंह
यादव, श्री प्रदीप

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

यादव, श्री मुलायम सिंह
यादव, श्री शरद
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
रवि, श्री शीशराम सिंह
राजवंशी, श्री माधव
राजा, श्री ए.
राजखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह
राजेन्द्रन, श्री पी.
राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री
राणा, श्री काशीराम
राणा, श्री राजू
राधाकृष्णन, श्री पोन
राधाकृष्णन, श्री वरकला
राम सजीवन, श्री
राम, श्री ब्रजमोहन
रामशकल, श्री
राय, श्री नवल किशोर
*राय, श्री विष्णु पद
राय, श्री सुबोध
राव, डा. डी.वी.जी. शंकर
राव, श्री सीएच. विद्यासागर
राव, श्रीमती प्रभा
रावत, प्रो. रासासिंह
रावले, श्री मोहन
राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण
रियान, श्री बाजू बन
रूडी, श्री राजीव प्रताप
रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र
रेड्डी, श्री एन. जनार्दन
रेड्डी, श्री एस. जयपाल
रेड्डी, श्री जी. गंगा
रेनु कुमारी, श्रीमती
लाहिड़ी, श्री समीक
वनगा, श्री चिंतामन
वर्मा, प्रो. रीता
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्री रवि प्रकाश
वर्मा, श्री राजेश
वाडियार, श्री एस.डी.एन.आर.
विजया कुमारी, श्रीमती डी.एम.
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र
वीरेन्द्र कुमार, श्री
वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा
वेंकटस्वामी, डा. एन.
वेंकटेस्वरलु, श्री बी.
वेणुगोपाल, श्री डी.
शर्मा, कैप्टन सतीश
शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम
शाक्य, श्री रघुराज सिंह
शान्ता कुमार, श्री
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद
शिवकुमार, श्री वी.एस.
शुक्ल, श्री श्यामाचरण
श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी.
षणमुगम, श्री एन.टी.
संखवार, श्री प्यारे लाल
सईद, श्री पी.एम.
सईदुज्जमा, श्री
सनदी, प्रो. आई.जी.
सर, श्री निखिलानन्द
सरडगी, श्री इकबाल अहमद
सरोज, श्री तूफानी
सरोज, श्रीमती सुशीला
सरोजा, डा. वी.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सांगतम, श्री के.ए.
सांगवान, श्री किशन सिंह
साथी, श्री हरपाल सिंह
साय, श्री विष्णुदेव
साहू, श्री अनादि
साहू, श्री ताराचंद
सिंह, कुंवर अखिलेश
सिंह, कुंवर सर्वराज
सिंह, चौधरी तेजवीर
सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद
सिंह, डा. रमण
सिंह, डा. रामलखन
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री चन्द्र प्रताप
सिंह, श्री चन्द्र भूषण
सिंह, श्री चरनजीत
सिंह, श्री छत्रपाल
सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद
सिंह, श्री प्रभुनाथ
सिंह, श्री बलबीर
सिंह, श्री बहादुर
सिंह, श्री बृज भूषण शरण
सिंह, श्री महेश्वर
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री रामजीवन
सिंह, श्री रामपाल
सिंह, श्री रामानन्द
सिंह, श्री लक्ष्मण
सिंह, श्रीमती कान्ति
सिंह, श्रीमती राजकुमारी रत्ना
सिंह, श्रीमती श्यामा
सिंह, सरदार बूटा
सिंह देव, श्री के.पी.
सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी
सिकदर, श्री तपन
सिन्हा, श्री यशवन्त
सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम.
सुब्बा, श्री एम.के.
सुमन, श्री रामजीलाल
सेठ, श्री लक्ष्मण
सेठी, श्री अर्जुन चरण
सेन, श्रीमती मिनाती
सेनगुप्ता, डा. नीतिश
सोमैया, श्री किरीट
सोराके, श्री विनय कुमार
सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह
स्वाइं, श्री खारबेल
स्वामी, श्री ईश्वर दयाल
स्वामी, श्री चिन्मयानन्द
हंसदा, श्री थामस
हक, मोहम्मद अनवारूल
हमीद, श्री अब्दुल
हसन, श्री मोइनुल
हान्दिक, श्री विजय
हुसैन, चौ. तालिब
*हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

अध्यक्ष महोदय: शुद्धि के अध्यधीन** मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 360

विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

**पक्ष में : 360+5 (सर्वश्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी, सैयद शाहनवाज हुसैन, सुबोध मोहिते, विष्णु पद राय और पी.सी. थामस ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया) - 365

अध्यक्ष महोदय: अब, सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

खंड-2

अनुच्छेद 332 का संशोधन

अध्यक्ष महोदय: इस खंड में दो संशोधन हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी, क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): जी हां, महोदय, मैं प्रस्तुत करता हूं:

पृष्ठ 1,-

पंक्ति 7 से 11 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए-

''परन्तु असम राज्य की विधान सभा के निर्वाचनों के लिए, बोडोलैंड स्वशासी प्रदेश में सम्मिलित निर्वाचन-क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों और गैर-अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व, जो उस प्रकार अधिसूचित किया गया था, इस प्रकार होगा कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आबंटित स्थानों की संख्या 13 से कम नहीं होगी।'' (1)

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री बैसीमुथियारी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या-1 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 7-8 एवं 10,-

''बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद क्षेत्र जिला'' के *स्थान* पर

''बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (3)

(श्री चिन्मयानन्द स्वामी)

अध्यक्ष महोदय: दोर्घायें पहले ही खाली कर दी गयी हैं। अब मैं खंड 2, संशोधित रूप में, सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

''कि खंड 2, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने''

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या-7] [अपराह्न 1.06 बजे

अजय कुमार, श्री एस.
अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा
अनंत कुमार, श्री
अय्यर, श्री मणि शंकर
अर्गल, श्री अशोक
अलवी, श्री राशिद
अहमद, श्री दाऊद
आचार्य, श्री बसुदेव
आजाद, श्री कीर्ति झा
आठवले, श्री रामदास
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
आदित्यनाथ, योगी
आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता
आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट
इन्दौरा, डा. सुशील कुमार
उराम, श्री जुएल
ए. नरेन्द्र, श्री
एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.
एम. मास्टर मथान, श्री
कटारा, श्री बाबूभाई के.
कटारिया, श्री रतन लाल
कथीरिया, डा. वल्लभभाई
कन्नप्पन, श्री एम.
कमलनाथ, श्री

कलिअप्पन, श्री के.के.
कश्यप, श्री बली राम
कस्वां, श्री राम सिंह
कुमार, श्री अरुण
कुमार, श्री वी. धनंजय
कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह
कुसमरिया, डा. रामकृष्ण
कृष्णन, डा. सी.
कौर, श्रीमती प्रेनीत
कौशल, श्री रघुवीर सिंह
खंडेलवाल, श्री विजय कुमार
खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र
खन्ना, श्री विनोद
खां, श्री अबुल हसनत
खां, श्री मनसूर अली
खां, श्री सुनील
खांदोकर, श्री अकबर अली
खान, श्री हसन
खुराना, श्री मदन लाल
खूंटे, श्री पी.आर.
खैरे, श्री चन्द्रकांत
गंगवार, श्री सन्तोष कुमार
गढ़वी, श्री पी.एस.
गमांग, श्रीमती हेमा
गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल
गांधी, श्रीमती मेनका
गांधी, श्रीमती सोनिया
गाड्डे, श्री राम मोहन
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
गावीत, श्री रामदास रूपला
गिलुवा, श्री लक्ष्मण
गुढे, श्री अनंत
गुप्त, प्रो. चमन लाल
गेहलोत, श्री थावरचन्द
गोगोई, श्री दीप
गोयल, श्री विजय
गोविन्दन, श्री टी.
गोहेन, श्री राजेन
गौड़ा, श्री जी. पुट्टास्वामी
गौतम, श्रीमती शीला
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चक्रवर्ती, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री स्वदेश
चक्रवर्ती, श्रीमती विजया
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत
चन्देल, श्री अशोक कुमार सिंह
चन्देल, श्री सुरेश
चिन्नासामी, श्री एम.
चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई
चेन्नितला, श्री रमेश
चौटाला, श्री अजय सिंह
चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम
चौधरी, श्री अधीर
चौधरी, श्री निखिल कुमार
चौधरी, श्री पदमसेन
चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री राम रघुनाथ
चौधरी, श्री विकास
चौधरी, श्री हरिभाई
चौधरी, श्रीमती रीना
चौधरी, श्रीमती संतोष
चौबे, श्री लाल मुनी
चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री बालकृष्ण
चौहान, श्री शिवराजसिंह
जगन्नाथ, डा. मन्दा
जगमोहन, श्री
जटिया, डा. सत्यनारायण
जय प्रकाश, श्री
जयशीलन, डा. ए.डी.के.
जाधव, श्री सुरेश रामराव
जायसवाल, डा. मदन प्रसाद
जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश
जावमा, श्री वनलाल
जाहेदी, श्री महबूब
जीगाजीनागी, श्री रमेश सी.
जोशी, डा. मुरली मनोहर
झा, श्री रघुनाथ
ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.
ठाकुर, डा. सी.पी.
ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई
ठाकुर, श्री पुंजाजी सदाजी
डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स
ढूडी, श्री रामेश्वर
तिरुनावुकरसर, श्री सु.
तिवारी, श्री लाल बिहारी
तुड्, श्री तरलोचन सिंह
तोपदार, श्री तरित बरण
तोमर, डा. रमेश चंद
त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि
त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर
त्रिपाठी, श्री रामनरेश
*थामस, श्री पी.सी.
दत्तात्रेय, श्री बंडारू
दलित इजिलमलाई, श्री
दास, श्री खगेन
दास, श्री नेपाल चन्द्र
दासमुंशी, श्री प्रियरंजन
दाहाल, श्री भीम
दिलेर, श्री किशन लाल
दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी
देलकर, श्री मोहन एस.
देव, श्री बिक्रम केशरी
देव, श्री संतोष मोहन
नाईक, श्री राम
नाईक, श्री श्रीपाद येसो
नायक, श्री अनन्त
नायक, श्री अली मोहम्मद
नायक, श्री ए. वेंकटेश
निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद
नीतीश कुमार, श्री
पटवा, श्री सुन्दर लाल
पटेल, डा. अशोक
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री दिनशा
पटेल, श्री दीपक
पटेल, श्री धर्म राज सिंह
पटेल, श्री मानसिंह
पण्डा, श्री प्रबोध
पद्मानाभम्, श्री मुद्रागाड़ा
परस्ते, श्री दलपत सिंह
पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.
पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार
पाटिल, श्री आर.एस.
पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड
पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.
पाटील, श्री उत्तमराव

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड
पाटील, श्री दानवे रावसाहेब
पाटील, श्री भास्करराव
पाटील, श्री शिवराज वि.
पाठक, श्री हरिन
पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण
पायलट, श्रीमती रमा
पाल, डा. महेन्द्र सिंह
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, डा. संजय
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री रामचन्द्र
पासवान, श्री सुकदेव
पासी, श्री राजनारायण
पासी, श्री सुरेश
पुगलिया, श्री नरेश
पोटाई, श्री सोहन
पोन्नुस्वामी, श्री ई.
प्रधान, डा. देवेन्द्र
प्रधान, श्री अशोक
प्रभु, श्री सुरेश
प्रमाणिक, प्रो. आर.आर.
प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास
प्रेमाजम, प्रो. ए.के.
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
बंगरप्पा, श्री एस.
बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप
"बचटा", श्री बची सिंह रावत
बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह
बनातवाला, श्री जी.एम.
बब्बर, श्री राज
बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह
बराड़ श्री. जे.एस.
बर्मन, श्री रनेन
बसवनागौड, श्री कोलूर
*बालू, श्री टी.आर.
बिन्द, श्री रामरती
बेगम नूर बानो
बेहरा, श्री पद्मनाव
बैंदा, श्री रामचन्द्र
बैठा, श्री महेन्द्र
बैनर्जी, श्रीमती जयश्री
बैस, श्री रमेश
बोचा, श्री सत्यनारायण
बोस, श्रीमती कृष्णा
बौरी, श्रीमती संध्या
ब्रह्मनैया, श्री ए.
भगत, प्रो. दुखा
भगोरा, श्री ताराचन्द
भडाना, श्री अवतार सिंह
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भौरा, श्री भान सिंह
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
मंडल, श्री सनत कुमार
मकवाना, श्री सवशीभाई
मलयसामी, श्री के.
मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी.
मल्होत्रा डा. विजय कुमार
महंत, डा. चरणदास
महतो, श्रीमती आभा
महाजन, श्री वाई.जी.
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महाले, श्री हरीभाऊ शंकर
मांझी, श्री रामजी

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मान, श्री जोरा सिंह
मान, सरदार सिमरनजीत सिंह
माने, श्री शिवाजी
माने, श्रीमती निवेदिता
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मिस्त्री, श्री मधुसूदन
मीणा, श्री भैरूलाल
मीणा, श्रीमती जस कौर
मुखर्जी, श्री सत्यव्रत
मुण्डा, श्री कड़िया
मुतेमवार, श्री विलास
मुनि लाल, श्री
मुनियप्पा, श्री के.एच.
मुर्मू, श्री रूपचन्द
मुर्मू, श्री सालखन
मूर्ति, श्री ए.के.
मूर्ति, डा. एम.वी.वी.एस.
मोल्लाह, श्री हन्नान
मोहले, श्री पुन्नू लाल
*मोहिते, श्री सुबोध
मोहोल, श्री अशोक ना.
यादव, डा. जसवंतसिंह
यादव, डा. (श्रीमती) सुधा
यादव, श्री दिनेश चन्द्र
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री देवेन्द्र सिंह
यादव, श्री प्रदीप
यादव, श्री मुलायम सिंह
यादव, श्री शरद
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
रवि, श्री शीशराम सिंह
राजवंशी, श्री माधव
राजा, श्री ए.
राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह
राजेन्द्रन, श्री पी.
राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री
राणा, श्री काशीराम
राणा, श्री राजू
राधाकृष्णन, श्री पोन
राधाकृष्णन, श्री वरकला
राम सजीवन, श्री
राम, श्री ब्रजमोहन
रामशकल, श्री
राय, श्री नवल किशोर
राय, श्री विष्णु पद
राय, श्री सुबोध
राव, डा. डी.वी.जी. शंकर
राव, श्री सीएच. विद्यासागर
राव, श्रीमती प्रभा
रावत, प्रो. रासासिंह
रावले, श्री मोहन
राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण
रियान, श्री बाजू बन
रूडी, श्री राजीव प्रताप
रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र
रेड्डी, श्री एन. जनार्दन
रेड्डी, श्री एस. जयपाल
रेड्डी, श्री जी. गंगा
रेनु कुमारी, श्रीमती
लाहिड़ी, श्री समीक
वनगा, श्री चिंतामन
वर्मा, प्रो. रीता
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

वर्मा, श्री रवि प्रकाश

वर्मा, श्री राजेश

वाडियार, श्री एस.डी.एन.आर.

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा

वेंकटस्वामी, डा. एन.

वेंकटेस्वरलु, श्री बी.

वेणुगोपाल, श्री डी.

शर्मा, कैप्टन सतीश

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम

शाक्य, श्री रघुराज सिंह

शान्ता कुमार, श्री

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद

शिवकुमार, श्री वी.एस.

शुक्ल, श्री श्यामाचरण

श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी.

षणमुगम, श्री एन.टी.

संखवार, श्री प्यारे लाल

सईद, श्री पी.एम.

सईदुज्जमा, श्री

सनदी, प्रो. आई.जी.

सर, श्री निखिलानन्द

सरदगी, श्री इकबाल अहमद

सरोज, श्री तूफानी

सरोज, श्रीमती सुशीला

सरोजा, डा. वी.

सांगतम, श्री के.ए.

सांगवान, श्री किशन सिंह

साथी, श्री हरपाल सिंह

साय, श्री विष्णुदेव

साहू, श्री अनादि

साहू, श्री ताराचंद

सिंह, कुंवर अखिलेश

सिंह, कुंवर सर्वराज

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद

सिंह, डा. रमण

सिंह, डा. रामलखन

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री चन्द्र भूषण

सिंह, श्री चरनजीत

सिंह, श्री छत्रपाल

सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद

सिंह, श्री प्रभुनाथ

सिंह, श्री बलबीर

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री बृज भूषण शरण

सिंह, श्री महेश्वर

सिंह, श्री राम प्रसाद

*सिंह, श्री रामजीवन

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्री लक्ष्मण

सिंह, श्रीमती कान्ति

सिंह, श्रीमती राजकुमारी रत्ना

सिंह, श्रीमती श्यामा

सिंह, सरदार बूटा

सिंह देव, श्री के.पी.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिकदर, श्री तपन

सिन्हा, श्री यशवन्त

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम.

सुब्बा, श्री एम.के.

सुमन, श्री रामजीलाल

सेठ, श्री लक्ष्मण

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सेन, श्रीमती मिनाती

सेनगुप्ता, डा. नीतिश

सोमैया, श्री किरीट

सोराके, श्री विनय कुमार

सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह

स्वाई, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हंसदा, श्री थामस

हक, मोहम्मद अनवारूल

हमीद, श्री अब्दुल

हसन, श्री मोइनुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, चौ. तालिब

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

अध्यक्ष महोदय: शुद्धि के अध्यधीन* मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 359

विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

*पक्ष में : 359+4 (सर्वश्री टी.आर. बालू, सुबोध मोहिते, रामजीवन सिंह और पी.सी. थामस ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया) = 363

खंड-1

संक्षिप्त नाम

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,-

"(निन्यानवेवां संशोधन)" के *स्थान* पर

"(नब्बेवां संशोधन)" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (2)

(श्री चिन्मयानन्द स्वामी)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या-8] [अपराह्न 1.09 बजे

अजय कुमार, श्री एस.

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अय्यर, श्री मणि शंकर

अर्गल, श्री अशोक

अलवी, श्री राशिद

अहमद, श्री दाऊद

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति झा

आठवले, श्री रामदास

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदित्यनाथ, योगी

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट

इन्दौरा, डा. सुशील कुमार

उराम, श्री जुएल

ए. नरेन्द्र, श्री

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.

एम. माम्टर मथान, श्री

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

कन्नप्पन, श्री एम.

कमलनाथ, श्री

कलिअप्पन, श्री के.के.

कश्यप, श्री बली राम

कस्वां, श्री राम सिंह

कुमार, श्री अरुण

कुमार, श्री वी. धनंजय

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृष्णन, डा. सी.

कौर, श्रीमती प्रनीत

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री अबुल हसनत

खां, श्री मनसूर अली

खां, श्री सुनील

खांदोकर, श्री अकबर अली

खान, श्री हसन

खुराना, श्री मदन लाल

खूंटे, श्री पी.आर.

खैरे, श्री चन्द्रकांत

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गढ़वी, श्री पी.एस.

गमांग, श्रीमती हेमा

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका

गांधी, श्रीमती सोनिया

गाड्डे, श्री राम मोहन

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या

गावीत, श्री रामदास रूपला

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गुढे, श्री अनंत

गुप्त, प्रो. चमन लाल

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोगोई, श्री दीप

गोयल, श्री विजय

गोविन्दन, श्री टी.

गोहेन, श्री राजेन

गौड़ा, श्री जी. पुट्टास्वामी

गौतम, श्रीमती शीला

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्री अजय

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत
चन्देल, श्री अशोक कुमार सिंह
चन्देल, श्री सुरेश
चिन्नासामी, श्री एम.
चौखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई
चेन्नितला, श्री रमेश
चौटाला, श्री अजय सिंह
चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम
चौधरी, श्री अधीर
चौधरी, श्री निखिल कुमार
चौधरी, श्री पदमसेन
चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री राम रघुनाथ
चौधरी, श्री विकास
चौधरी, श्री हरिभाई
चौधरी, श्रीमती रीना
चौधरी, श्रीमती संतोष
चौबे, श्री लाल मुनी
चौहान, श्री नंदकुमार सिंह
चौहान, श्री बालकृष्ण
चौहान, श्री शिवराजसिंह
जगन्नाथ, डा. मन्दा
जगमोहन, श्री
जटिया, डा. सत्यनारायण
जय प्रकाश, श्री
जयशीलन, डा. ए.डी.के.
जायसवाल, डा. मदन प्रसाद
जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश
जावमा, श्री वनलाल
जाहेदी, श्री महबूब
जीगाजीनागी, श्री रमेश सी.
जोशी, डा. मुरली मनोहर
झा, श्री रघुनाथ
ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.
ठाकुर, डा. सी.पी.
ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई
ठाकुर, श्री पुंजाजी सदाजी
डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स
ढूडी, श्री रामेश्वर
तिरुनावुकरसर, श्री सु.
तिवारी, श्री लाल बिहारी
तुड़, श्री तरलोचन सिंह
तोपदार, श्री तरित बरण
तोमर, डा. रमेश चंद
त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि
त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर
त्रिपाठी, श्री रामनरेश
*थामस, श्री पी.सी.
दत्तात्रेय, श्री बंडारू
दलित इजिलमलाई, श्री
दास, श्री खगेन
दास, श्री नेपाल चन्द्र
दासमुंशी, श्री प्रियरंजन
दाहाल, श्री भीम
दिलेर, श्री किशन लाल
दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी
देलकर, श्री मोहन एस.
देव, श्री बिक्रम केशरी
देव, श्री संतोष मोहन
नाईक, श्री राम

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

नायक, श्री ए. वेंकटेश

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

नीतीश कुमार, श्री

पटवा, श्री सुन्दर लाल

पटेल, डा. अशोक

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री दिनशा

पटेल, श्री दीपक

पटेल, श्री धर्म राज सिंह

पटेल, श्री मानसिंह

पण्डा, श्री प्रबोध

पद्मनाभम्, श्री मुद्रागाड़ा

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.

पांजा, डा. रंजीत कुमार

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

पाटिल, श्री आर.एस.

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.

पाटील, श्री उत्तमराव

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

पाटील, श्री भास्करराव

पाटील, श्री शिवराज वि.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पायलट, श्रीमती रमा

पाल, डा. महेन्द्र सिंह

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, डा. संजय

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री रामचन्द्र

पासवान, श्री सुकदेव

पासी, श्री राजनारायण

पासी, श्री सुरेश

पुगलिया, श्री नरेश

पोटाई, श्री सोहन

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रभु, श्री सुरेश

प्रमाणिक, प्रो. आर.आर.

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

प्रेमाजम, प्रो. ए.के.

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

बंगरप्पा, श्री एस.

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप

''बचदा'', श्री बची सिंह रावत

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

बनातवाला, श्री जी.एम.

बब्बर, श्री राज

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह

बराड़ श्री. जे.एस.

बर्मन, श्री रवेन

बसवनागौड, श्री कोलूर

बालू, श्री टी.आर.

बिन्द, श्री रामरती

बेगम नूर बानो

बेहरा, श्री पद्मनाभ

बैंदा, श्री रामचन्द्र

बैठा, श्री महेन्द्र
बैनर्जी, श्रीमती जयश्री
बैस, श्री रमेश
बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर
बोचा, श्री सत्यनारायण
बोस, श्रीमती कृष्णा
बौरी, श्रीमती संध्या
ब्रह्मनैया, श्री ए.
भगत, प्रो. दुखा
भगोरा, श्री ताराचन्द
भडाना, श्री अवतार सिंह
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भौरा, श्री भान सिंह
मंजय लाल, श्री
*मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
मंडल, श्री सनत कुमार
मकवाना, श्री सवशीभाई
मलयसामी, श्री के.
मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी.
मल्होत्रा डा. विजय कुमार
महंत, डा. चरणदास
महतो, श्रीमती आभा
महाजन, श्री वाई.जी.
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महाले, श्री हरीभाऊ शंकर
मांझी, श्री रामजी
मान, श्री जोरा सिंह
मान, सरदार सिमरनजीत सिंह
माने, श्री शिवाजी
माने, श्रीमती निवेदिता
मिश्र, श्री राम नगीना

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मिस्त्री, श्री मधुसूदन
मीणा, श्री भेरूलाल
मीणा, श्रीमती जस कौर
मुखर्जी, श्री सत्यव्रत
मुण्डा, श्री कड़िया
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुनि लाल, श्री
मुनियप्पा, श्री के.एच.
मुर्मू, श्री रूपचन्द
मुर्मू, श्री सालखन
मूर्ति, श्री ए.के.
मूर्ति, डा. एम.वी.वी.एस.
मेघवाल, श्री कैलाश
मोल्लाह, श्री हन्नान
मोहले, श्री पुन्नू लाल
*मोहिते, श्री सुबोध
मोहोल, श्री अशोक ना.
यादव, डा. जसवंतसिंह
यादव, डा. (श्रीमती) सुधा
यादव, श्री दिनेश चन्द्र
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री देवेन्द्र सिंह
यादव, श्री प्रदीप
यादव, श्री मुलायम सिंह
यादव, श्री शरद
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
रवि, श्री शीशराम सिंह
राजवंशी, श्री माधव
राजा, श्री ए.
राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राजेन्द्रन, श्री पी.
राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री
राणा, श्री काशीराम
राणा, श्री राजू
राधाकृष्णन, श्री पोन
राधाकृष्णन, श्री वरकला
राम सजीवन, श्री
राम, श्री ब्रजमोहन
रामशकल, श्री
राय, श्री नवल किशोर
राय, श्री विष्णु पद
राय, श्री सुबोध
राव, डा. डी.वी.जी. शंकर
राव, श्री सीएच. विद्यासागर
राव, श्रीमती प्रभा
रावत, प्रो. रासासिंह
राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण
रियान, श्री बाजू बन
रूडी, श्री राजीव प्रताप
रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र
रेड्डी, श्री एन. जनार्दन
रेड्डी, श्री एस. जयपाल
रेड्डी, श्री जी. गंगा
रेनु कुमारी, श्रीमती
लाहिड़ी, श्री समीक
वनगा, श्री चिंतामन
वर्मा, प्रो. रीता
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्री रवि प्रकाश
वर्मा, श्री राजेश
वाडियार, श्री एस.डी.एन.आर.
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र
वीरेन्द्र कुमार, श्री
वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा
वेंकटस्वामी, डा. एन.
वेंकटेस्वरलु, श्री बी.
वेणुगोपाल, श्री डी.
शर्मा, कैप्टन सतीश
शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम
शाक्य, श्री रघुराज सिंह
शान्ता कुमार, श्री
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद
शिवकुमार, श्री वी.एस.
शुक्ल, श्री श्यामाचरण
श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी.
षणमुगम, श्री एन.टी.
संखवार, श्री प्यारे लाल
सईद, श्री पी.एम.
सईदुज्जमा, श्री
सनदी, प्रो. आई.जी.
सर, श्री निखिलानन्द
सरडगी, श्री इकबाल अहमद
सरोज, श्री तूफानी
सरोज, श्रीमती सुशीला
सरोजा, डा. वी.
सांगतम, श्री के.ए.
सांगवान, श्री किशन सिंह
साथी, श्री हरपाल सिंह
साय, श्री विष्णुदेव
साहू, श्री अनादि
साहू, श्री ताराचंद
सिंह, कुंवर अखिलेश

सिंह, कुंवर सर्वराज

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद

सिंह, डा. रमण

सिंह, डा. रामलखन

सिंह, श्री खेलसाय

*सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री चन्द्र भूषण

सिंह, श्री चरनजीत

सिंह, श्री छत्रपाल

सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद

सिंह, श्री प्रभुनाथ

सिंह, श्री बलबीर

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री बृज भूषण शरण

सिंह, श्री महेश्वर

सिंह, श्री राम प्रसाद

सिंह, श्री रामजीवन

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्री लक्ष्मण

सिंह, श्रीमती कान्ति

सिंह, श्रीमती राजकुमारी रत्ना

सिंह, श्रीमती श्यामा

सिंह, सरदार बूटा

सिंह देव, श्री के.पी.

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिकदर, श्री तपन

सिन्हा, श्री यशवन्त

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम.

सुब्बा, श्री एम.के.

सुमन, श्री रामजीलाल

सेठ, श्री लक्ष्मण

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सेन, श्रीमती मिनाती

सेनगुप्ता, डा. नीतिश

सोमैया, श्री किरीट

सोराके, श्री विनय कुमार

सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हंसदा, श्री थामस

हक, मोहम्मद अनवारूल

हमीद, श्री अब्दुल

हसन, श्री मोइनुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, चौ. तालिब

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

अध्यक्ष महोदय: शुद्धि के अध्यधीन* मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 361

विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

विधेयक संशोधित रूप में, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पक्ष में : 361+4 (सर्वश्री ब्रह्मानन्द मंडल, सुबोध मोहिते, पी.सी. थामस और चन्द्र प्रताप सिंह ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया) = 365

अपराह्न 1.10 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): महोदय, मैं श्री जसवंत सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अंतर्गत पंजाब एग्रो न्यूजप्रिंट लिमिटेड और पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (समामेलन) आदेश, 2003 जो 27 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 737(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम और प्ररूप (तीसरा संशोधन) नियम, 2003 जो 24 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 580(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7898/2003]

अध्यक्ष महोदय: श्री अरुण जेटली-अनुपस्थित। श्री अरुण जेटली की ओर से और पत्रों को सभा पटल पर कौन रखने जा रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे उनकी ओर से किसी अन्य मंत्री को उनके पत्र रखने हेतु प्राधिकृत करने वाला कोई पत्र नहीं मिला है। अत:, मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री विद्यासागर राव।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदय, मैं उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11ख की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ.सं. 7(3) 99-आईपी जिसमें ऐसा आदेश दिया हुआ है जिसका आशय 10 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना संख्या का.आ. 857(अ) में प्रकाशित मुख्य आदेश में संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7901/2003]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (अनुज्ञप्ति अपेक्षा, स्टाक सीमा और संचलन निर्बंधन) को हटाना (संशोधन) आदेश, 2003 जो 16 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 490(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अंतर्गत बाट और माप मानक (पैक की गयी वस्तुएं) संशोधन नियम, 2003 जो 18 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 495(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनका एक शुद्धि-पत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण) जो 14 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 546(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7902/2003]

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 556(अ) जो 18 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों पर यूरोपीय संघ में उद्भूत या वहां से निर्यातित एक्सरे बैगेज इंस्पेक्शन मल्टी एनर्जी सिस्टम पर अनंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 581(अ) जो 24 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित स्ट्रांशियम कार्बोनेट पर से प्रतिपाटन शुल्क हटाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 582(अ) जो 24 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर चीन जनवादी गणराज्य और सिंगापुर में उद्भूत या वहां से निर्यातित डी (-) पैरा हाइड्रोक्सि फिनाइल ग्लाइसिन मिथाइल पोटेशियम डेन साल्ट पर अंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 612(अ) जो 29 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 23/2002-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 613(अ) जो 29 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002 के.उ.शु. में संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 552(अ) जो 17 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 611(अ) जो 29 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) आय कर अधिनियम, 1969 की धारा 296 के अंतर्गत आय कर (दसवां संशोधन) नियम, 2003 जो 25 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 855(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 550(अ) जो 17 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें यथाउल्लिखित 27 जून, 2003 से ऋण वसूली अधिकरण नागपुर के स्थान में परिवर्तन को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) लोक भविष्य-निधि अधिनियम, 1968 की धारा 12 के अंतर्गत लोक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2003 जो 25 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 585(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) डाकघर बचत बैंक सामान्य (संशोधन) नियम, 2003 जो 25 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 586(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डाकघर बचत खाता (संशोधन) नियम, 2003 जो 25 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 587(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) डाकघर आवर्ती जमा (दूसरा संशोधन) नियम, 2003 जो 25 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 588(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) डाकघर सावधिक जमा (दूसरा संशोधन) नियम, 2003 जो 25 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 589(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(8) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवां निर्गम) (दूसरा संशोधन) नियम, 2003 जो 25 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवां निर्गम) (तीसरा संशोधन) नियम, 2003 जो 25 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 591(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) किसान विकास पत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 2003 जो 25 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 592(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7903/2003]

अपराह्न 1.11 बजे

लोक लेखा समिति

इक्यावनवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह (जालौर): महोदय, मैं ''स्थायी खाता संख्या (पैन) का आबंटन'' के बारे में लोक लेखा समिति (तेरहवीं लोक सभा) का इक्यावनवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 1.12 बजे

सभा का कार्य

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करती हूं कि बुधवार 13 अगस्त, 2003 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा:

1. राज्य सभा द्वारा किए गए रूप में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2003 पर आगे विचार और पारित करना।
2. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार और पारित करना।
3. वर्ष 2003-2004 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) पर चर्चा और मतदान।
4. वर्ष 2003-2004 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) से संबंधित विनियोग विधेयक की पुर:स्थापना, विचार और पारित करना।
5. रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) निरसन विधेयक, 2001 पर विचार और पारित करना।

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सभा के अगले सप्ताह के कार्य के संदर्भ में की गई घोषणा के संबंध में यह चाहता हूं कि निम्नलिखित दो विषयों को कार्य सूची में चर्चा के लिए सम्मिलित किया जाएं:-

1. खाद्य वस्तुओं का उत्पादन और विपणन करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की गहन निगरानी हेतु नीति।
2. खरीद मूल्य और ऋण सुविधा के मामले में किसानों के सम्मुख आ रही समस्याएं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की संसदीय कार्य सूची के आगे निम्नलिखित विषय और जोड़े जायें:

1. अमरनाथ जी की यात्रा में जाने वाले सभी यात्रियों की चिकित्सा जांच एवं पंजीकरण प्रान्तों की राजधानियों में ही की जाये, जिससे कि धन एवं समय की बर्बादी न हो।
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों की भांति अन्य वर्ग के छात्रों को भी भारतीय प्रशासनिक सेवा में बैठने की अनुमति उनकी आयु के समान हो और इनको मिलने वाली सभी सुविधाएं अन्य को भी दी जाये।

[अनुवाद]

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया): महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाएं:-

1. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ प्रतियोगिता करने में लघु उद्योगों के सामने आ रही समस्याएं।

2. देश में कैंसर, हृदय और गुर्दे के रोगियों की बढ़ती संख्या और उनके उपचारार्थ अपर्याप्त सुविधाएं।

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादव (सहरसा): अध्यक्ष महोदय, लोक सभा की आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाये:

1. नेपाल से निकलने वाली नदियों की बाढ़ से प्रत्येक साल बिहार के सहरसा, सुपौल, खगड़िया एवं मधेपुरा जिलों में हो रही तबाही के स्थायी निदान के लिए नेपाल के बराह क्षेत्र में हाई डैम निर्माण पर विचार हो।

2. सहरसा (बिहार) प्रमंडलीय मुख्यालय है। यह बड़ा शहर भी है। सहरसा में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण हो।

[अनुवाद]

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम): महोदय, 11 अगस्त, 2003 से आरम्भ हो रहे अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय चर्चा हेतु सम्मिलित किए जाएं:

1. श्रीलंका की जल सीमा में मछली पकड़ते समय भारतीय मछुआरों के समक्ष आ रही विभिन्न कठिनाइयों पर चर्चा और विचार-विमर्श किया जाए और श्रीलंका को गलती से सौंपे गए काछाथीवू के पुनरूद्धार और उसे वापस लेने हेतु पहल की जाए।

2. रेलवे के अंतर्गत बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के मामले में तमिलनाडु में पैदा हुए क्षेत्रीय असंतुलन पर चर्चा कर उसे दूर किया जाए।

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय जोड़े जाएं:-

1. बेरोजगारी की गंभीर समस्या।

2. इराक में सैन्य टुकड़ियां भेजना।

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें:-

1. सम्पूर्ण देश में गौ-वंश संरक्षण के लिए तथा भारतीय जनमानस की गौ-वंश के प्रति श्रद्धा एवं आस्था को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण देश में गौ वध बंदी (गौ हत्या निषेध) केन्द्रीय कानून बनाये जाने की आवश्यकता।

2. सांभर झील जो देश में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो लम्बे समय से नमक उत्पादन का मुख्य स्रोत रही है। 1950 में राजस्थान की स्थापना के बाद इसे केन्द्रीय सरकार को 10 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया गया था। वर्तमान में मैसर्स सांभर साल्ट लिमिटेड जो मैसर्स हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड का सहायक उपक्रम है, संतोषजनक कार्य नहीं कर रहा है। हर वर्ष नमक का उत्पाद गिर रहा है। परिणामस्वरूप राजस्थान राज्य को राजस्व की हानि हुई है तथा राजस्थान के लोग नमक आधारित उद्योगों के विकास एवं सक्रिय रोजगार के अवसरों से भी वंचित रहे हैं। अत: सांभर झील को केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को शीघ्र सौंपे जाने की आवश्यकता।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय जोड़ा जाये:

1. केन्द्र सरकार के द्वारा एनटिना (एनटिना के माध्यम) प्रत्येक गांव में लगाए गये हैं। सभी अधिकतर 90 प्रतिशत बंद पड़े हैं जिनके भविष्य में चालू होने की संभावना नहीं है। इसे देखते हुए डब्ल्यू.एल.एल. की व्यवस्था प्रारंभ की निश्चित सीमा 2005 निर्धारित कर ग्रामीणों को सुविधा मुहैया करायी जाए।

2. केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में प्रिन्टेड पोस्ट कार्ड के दर में वृद्धि के कारण शोक-पत्र भी भेजते हैं तो दो रुपये प्रति कार्ड खर्च आता है। यह आम लोगों के लिए संभव नहीं है तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कठिन है। अत: दो रुपये के स्थान पर 25 पैसे या 50 पैसा कीमत निर्धारित की जाये।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं यह चाहता हूं कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित दो विषय सम्मिलित किए जाएं:

1. श्रमिकों के हड़ताल करने के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय पश्चगामी है। महोदय, इस निर्णय के द्वारा भारत का उच्चतम न्यायालय हमारे देश के कर्मचारियों और श्रमिकों के अधिकार को समाप्त करना चाहता है। महोदय, यह निर्णय 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रतिकूल है। यह निर्णय

[श्री बसुदेव आचार्य]

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन (आई.एल.ओ.) की उस संधि के अनुरूप भी नहीं है जिसमें हमारा देश भी एक पक्ष है। महोदय, इस निर्णय से हमारे देश के हजारों-हजार श्रमिकों, जिन्हें संगठित होने और हड़ताल पर जाने का अधिकार है, के इस अधिकार को उनसे छीन लिया जाएगा।

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): महोदय, यह 'शून्य काल' है या सदस्यों द्वारा निवेदन किया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय: यह श्री बसुदेव आचार्य का विशेष निवेदन है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इस मुद्दे पर उचित चर्चा करायी जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, यह निवेदन है और इसे सभा में हमेशा पढ़ा जाता है। आप इसे पढ़ सकते है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मुझे मेरे पत्र नहीं मिले है।

अध्यक्ष महोदय: आपको यह अपने पास रखने है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, दूसरी मद इस प्रकार है:

"देश में बेरोजगारी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सरकार ने प्रत्येक वर्ष में एक करोड़ नौकरियां देने का वायदा पूरा नहीं किया है। औद्योगिक इकाइयां काफी संख्या में बंद कर दी गयी है जिसके फलस्वरूप हजारों कामगार तथा कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): महोदय, मैं अगले सप्ताह के एजेण्डा में महिला आरक्षण विधेयक को सूचीबद्ध करने की मांग करती हूं। यह विगत तीन वर्षों से लम्बित है। महोदय, मैं इस विधेयक को अगले सप्ताह पुर:स्थापित करने और चर्चा के लिए आपका निर्देशन चाहती हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया, अब मुझे यह स्पष्ट करने दें कि आज 'शून्य काल' नहीं है। इस मुद्दे पर हमने पहले निर्णय कर लिया था। इसलिए, कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: महोदय, महिला आरक्षण विधेयक को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय: पार्टी का नेता होने के नाते श्री सोमनाथ चटर्जी को ही बोलने की अनुमति दी जाती है। मैं नहीं जानता कि वे किन विषयों पर बोलना चाहते है, परन्तु उन्हें बोलने की अनुमति दी गयी है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: महोदय, महिला आरक्षण विधेयक को शामिल किये जाने का क्या हुआ? उसे शामिल नहीं किया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: अध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय के सरकारी क्षेत्र के संबंध में हड़तालों को प्रतिबंधित करने के निर्णय से इस राष्ट्र की सम्पूर्ण लोकतांत्रिक जनता काफी व्यथित हुई है।

महोदय, स्वतंत्रता के 56 वर्षों के बाद यदि हम यह पाते हैं कि हमारे सरकारी कर्मचारी बंधुआ मजदूर बन गये है तो हम इस स्थिति को किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं कर सकते है। जिस देश में कानून का शासन हो, मौलिक अधिकार हो और नीति निर्देशक सिद्धांत हो—जिनके तहत कामगार वर्ग के अधिकारों को मान्यता प्राप्त हो—उन्हें न सिर्फ अपनी मेहनत का फल भोगने का अधिकार है बल्कि उन्हें सरकारी कर्मचारी और भारत के नागरिक होने के नाते न्यूनतम मानव अधिकारों को भोगने का भी हक है—उनका यह अधिकार इस निर्णय से छीना जा रहा है कि इससे इस राष्ट्र के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। राष्ट्र का जीवन पर तो कई मुद्दों से बुरा प्रभाव पड़ रहा है। न्यायालयों में बहुत मामले लम्बित पड़े है। क्या इससे न्यायालयों की अंतरात्मा व्यथित नहीं होती? बहुत से लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। हजारों मामले श्रमिक न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में लम्बित पड़े है और पेंशन मामले कई वर्षों से लम्बित पड़े है। लोगों को गलत बर्खास्तगी के मामले से भी तुरंत राहत नहीं मिल पाती है। इन सभी मामलों पर विचार नहीं किया जा रहा है।

कोई भी इस बात पर विचार नहीं कर रहा है कि तमिलनाडु में ये दो लाख से ज्यादा लोग हड़ताल पर क्यों गये? इस पर किस तरह नियंत्रण किया जा रहा है? इस पर नियंत्रण सामान्य कानून, औद्योगिक विवाद अधिनियम, सरकारी कर्मचारियों के नियमों के क्रियान्वयन द्वारा नियंत्रण करने की बजाय एस्मा जैसे कठोर काले कानून लागू करके किया जा रहा है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: फिर यह एक महिला का निर्णय है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह इस राष्ट्र के नागरिकों के मौलिक तथा सामान्य कानूनी अधिकारों को नजरअंदाज करने के सिवाय कुछ नहीं है। हम इस अधिकार की अदला-बदली नहीं कर सकते हैं। इस राष्ट्र में ऐसा कभी नहीं हो सकता है ...*(व्यवधान)*

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): यह विनिर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी: आज हमने संयुक्त रूप से दो संविधान संशोधन विधेयक पारित किये है। सरकार इसे इस देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाए। हम इस अधिकार की अदला-बदली नहीं कर सकते। मैंने श्री आडवाणी जो जो कि यहां मेरी बात सुनने के लिए उपस्थित हैं से अनुरोध किया है कि सरकार को अपना रूख स्पष्ट करना चाहिए। वे आज घोषणा करें की सरकार 'हड़ताल के अधिकार' को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लायेगी।

मैं हर बात पर हड़ताल करने की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना है कि हड़ताल एक अत्यंत महत्वपूर्ण हथियार है और जब सभी रास्ते बंद हो जाएं तो अंतिम उपाय के रूप में ही इसका उपयोग करना चाहिए। अन्य क्या विकल्प खुले हैं यह किसी ने भी नहीं बताया है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अत्यंत सम्मानपूर्वक यह पूछना चाहता हूं कि वह सरकार से पूछे कि इस बारे में उसकी क्या प्रतिक्रिया है और सरकारी कर्मचारी के पास क्या विकल्प खुला है। यह प्रावधान है कि यदि सेवा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो सेवा नियमों के तहत उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सेवा नियमों के उल्लंघन के संबंध में कर्मचारियों को न्यायाधिकरण में जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि लोगों को किस न्यायाधिकरण में जाना चाहिए। कौन सा न्यायाधिकरण उन्हें न्याय देगा? इन मुद्दों पर विचार नहीं किया गया। मैं नहीं जानता की भारत सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। उन्हें उच्चतम न्यायालय में हस्तक्षेप करना चाहिए। मुझे याद नहीं मैंने उसे देखा है कि नहीं। उन्हें ऐसा करना चाहिए था। यह एक ऐसा मुद्दा है जो कि इस देश की जनता के मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहा है।

मुझे इस बात का अत्यधिक दु:ख है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की तबीयत ठीक नहीं है। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। इसलिए मैं उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी से, जो यहां उपस्थित हैं, यह अनुरोध करता हूं कि वह हमें यह बतायें कि इस बारे में सरकार का दृष्टिकोण क्या है। हमारी मांग यह है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के इस जन-विरोधी निर्णय को रद्द करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: काफी लंबे समय बाद आज हम दलितों पर अत्याचार विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इस विषय पर काफी लंबे समय बाद चर्चा हो रही है। पूर्व में हुई बैठक में मैंने यह आश्वासन दिया था कि आज 'दलितों पर अत्याचार' विषय पर चर्चा के लिए अधिकतम समय दिया जायेगा। अब इस विषय को अपवाद रूप में लेते हुए मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को जो शुरू से ही इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराये जाने के पक्ष में थे, चर्चा आरम्भ करने की अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, हमारा नोटिस है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): महोदय दूसरे दलों को भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किये जाने का मौका दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात समझ सकता हूं, लेकिन साथ ही जिस क्रम में कार्य को करने का निर्णय लिया गया मैं उसी क्रम में सभा का कार्य करने के लिए बाध्य हूं। पिछले सत्र में दलितों पर अत्याचार से संबंधित मुद्दे पर समुचित चर्चा नहीं हो सकी थी। इसलिए कार्यमंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमें इस सत्र में पर्याप्त समय देना चाहिए।

यह निर्णय लिया गया कि आज दो संविधान (संशोधन) विधेयकों के पारित होने के तुरन्त बाद, इस मुद्दे पर चर्चा करायी जाये।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): सर, दलितों पर चर्चा 12 बजे थी।

अध्यक्ष महोदय: मुझे मालूम है।

श्री राम विलास पासवान: अब डेढ़ बज रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय आपने सोमनाथ जी को अनुमति दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय पर दूसरे दल भी अपना मत व्यक्त करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे कोई परेशानी नहीं है। तथापि मैं आपको बताना चाहूंगा कि दलितों पर अत्याचार से संबंधित मुद्दे पर चर्चा में विलम्ब होगा। मैं यह बात सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य: हम इस मुद्दे पर अपराह्न 2.00 बजे चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं खड़ा हूं। जरा मेरी बात सुनिये।

[अनुवाद]

मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कार्यमंत्रणा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया था। यदि किसी अन्य विषय पर चर्चा की जानी है तो यह सभा को तय करना होगा कि दलितों पर अत्याचार से संबंधित मुद्दे पर चर्चा अभी नहीं अपितु अपराह्न 2.00 बजे की जानी चाहिए मुझे कोई परेशानी नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने यह तो नहीं कहा कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। मुझे पता है कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन आप इसे किसी अन्य तरह से उठा सकते थे। इस मुद्दे को 'शून्य काल' में नहीं उठाया जाना चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, दलितों पर अत्याचार का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इस पर संपूर्ण सभा को चर्चा करनी चाहिए न कि केवल सत्तापक्ष द्वारा और वह भी आधे-अधूरे मन से।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है। सर्वोच्च न्यायालय के इस मजदूर विरोधी फैसले पर सरकार को ऐतराज करना चाहिए। ...*(व्यवधान)* सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का काम यदि किया जाएगा तो वह बहुत चिंता का विषय है। लोक तंत्र के लिए खतरे का संकेत है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अखिलेश जी, आप अनआथोराइज्ड स्पीकर हैं। आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री शिवराज पाटील बोलने के लिए अधिकृत सदस्य हैं। मेरा अनुरोध है कि आप इस विषय पर अपनी बात संक्षेप में कहें। अन्यथा श्री राम विलास पासवान द्वारा उठाये जाने वाले मुद्दे पर विलंब होगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अखिलेश सिंह जी जो बोल रहे हैं, वह कुछ रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान: मैं फिर कहना चाहूंगा कि मैं किसी के ऊपर यह चार्ज नहीं लगाता हूं लेकिन मैं उस दिन भी कहा था कि आप जब इस चर्चा को शुक्रवार को रखेंगे तो यही हालत होगी। चर्चा शुरू होते-होते दो-ढाई बज जाएंगे। उसके बाद सब मैम्बर्स के टिकट कटे हुए हैं और वे चले जाएंगे और इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। उस दिन आपने रूलिंग दी थी कि क्वैश्चन आवर के तुरंत बाद, मतलब 12 बजे चर्चा शुरू होगी लेकिन बारह बजे से अब दो बज गये हैं। मैं फिर भी कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इसके तुरंत बाद दलित विषय पर आना चाहता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: मैं फिर कहना चाहता हूं कि मैं मजदूर के बीच में नहीं आना चाहता हूं क्योंकि कल पेपर में ऐसा न जाए कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो मजदूर विरोधी जजमेंट दिया, मजदूर का गला काटा गया है, उस विषय को रोक कर शैड्यूल्ड कास्ट के ऊपर चर्चा पर लोग चले गये। हम दोनों के बीच में झगड़ा नहीं लगाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस पर डिसकशन

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

गंभीरता से हो और फ्रूटफुल हो। यदि आज संभव नहीं है और जैसा कि मैं देख रहा हूं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ...*(व्यवधान)* 13 तारीख को हाउस खुल रहा है, मंडे को इस पर डिसकशन करवाइए लेकिन जो भी डिसकशन हो, फ्रूटफुल होना चाहिए और पूरी गंभीरता से डिसकशन होना चाहिए। मेरा यही कहना है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं शिवराज पाटिल जी को सुनना चाहता हूं। इसके तुरंत बाद दलित विषय पर डिसकशन शुरू करना चाहता हूं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। मैं कार्यमंत्रणा समिति द्वारा लिये गये निर्णय से बाध्य हूं। इस पर सभा ही कोई निर्णय ले सकती है।

श्री बसुदेव आचार्य: आप, हमें अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर मुझे सरकार का दृष्टिकोण भी जानने दीजिये।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष जी, फाइनेंशियल बिजनैस, सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स फार ग्रान्ट्स लगा हुआ है। सारे विपक्ष के साथियों ने चाहा था कि 11 अगस्त की छुट्टी हो, इसलिए 13 अगस्त को फाइनेंशियल बिजनैस, सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स फार ग्रान्ट्स लगा हुआ है। अभी मैंने पढ़कर बताया, इसमें कहां गुंजाइश है, इसलिए आज ही दलित विषय पर चर्चा होगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस पर चर्चा आज ही होगी।

[हिन्दी]

इस विषय पर आप फिर कभी चर्चा ले सकते हैं। मैंने शिवराज पाटिल जी को इजाजत दी है। वही इस विषय पर बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस विषय पर निर्णय कर रहा हूं। समय की कमी है। इसलिए इस पर वाद-विवाद आज ही आरम्भ होगा।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): महोदय, मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूंगा। संक्षेप में, इसके लिए मैं वह बात पढ़कर कहूंगा जो बात मैं इस सभा में कहना चाहता हूं।

संविधान में अथवा किसी अन्य कानून के तहत, हो सकता है हड़ताल का अधिकार न दिया गया हो। तथापि, समाज के हालात ऐसे हैं कि इसे इस तरह का माना गया है कि जैसे हड़ताल का अधिकार प्राप्त हो। हमने कई बार यह बात कही है कि कई अधिकार प्रकृतिजन्य होते हैं और इस तरह वे प्राकृतिक अधिकार हैं।

एक ओर जहां हड़ताल के अधिकार का उपयोग इस तरह नहीं होना चाहिए कि वह समाज के लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करे, वही इससे उन श्रमिकों को वंचित नहीं किया जाना चाहिए जिनके साथ समानता का व्यवहार नहीं होता और जो हड़ताल पर गये बिना अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकते।

उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है। लेकिन इस निर्णय पर पुनर्विचार हो सकता है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने कई दूसरे मामलों में भी ऐसा किया है। निश्चय ही संसद इस मुद्दे पर विचार कर सकती है और उसे विचार करना चाहिए क्योंकि वह देश की सर्वोच्च संस्था है और वह इस बारे में उचित निर्णय ले सकती है। निश्चित तौर पर श्रमिकों और समाज के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाये जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री पप्पू यादव।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियंरजन दासमुंशी: महोदय, कल हमने जिस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया था उसके बारे में क्या हुआ? ...*(व्यवधान)* आजकल आये दिन सत्तापक्ष के सदस्य इलैक्ट्रानिक मीडिया में लोक लेखा समिति के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह कोई मुद्दा नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियंरजन दासमुंशी: महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इस बारे में पहले सूचना दिये बगैर कैसे इस मुद्दे को उठा सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पप्पू यादव, अब आप अपनी बात कह सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, क्या दलितों का मामला नहीं लिया जाएगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पप्पू यादव जी आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पप्पू यादव जी, मैं जानता हूं कि आप पर हमला हुआ है। आपने इसके बारे में नोटिस दिया है इसलिए आप अपना मुद्दा रखिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता *...(व्यवधान)* सत्तापक्ष के सदस्य उल्टी-सीधी बातें कर रहे हैं *...(व्यवधान)* हम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इसे किसी प्रावधान के तहत उठा सकते हैं। अब श्री पप्पू यादव की बात सुनने के बाद हम दलितों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हां, श्री पप्पू यादव, अब आप कृपया अपनी बात कहें।

...(व्यवधान)

अपराह्न 1.32 बजे

(इस समय, श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गये)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया आप अपने स्थान पर वापस जायें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं दलितों के विषय पर चर्चा शुरू कराने जा रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: दासमुंशी जी, आज इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती। इस पर बाद में चर्चा होगी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, दलितों पर अत्याचार के बारे में नियम 193 के अधीन एक महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है, और इस वाद-विवाद में हर कोई भाग लेना चाहेगा। इसलिए, कृपया हमें सहयोग करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर वापस जायें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: राम विलास पासवान जी आप खड़े रहिए और चर्चा शुरू करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी-अपनी जगहों पर जाएं। आपके नेताओं ने जो काम मंजूर किया है, वही सदन में हो सकता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: राम विलास जी आप बोल सकते हैं। दलितों के विषय पर चर्चा शुरू करें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.33 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.02 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.02 बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल (हमीरपुर, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, आज दलितों पर अत्याचार के बारे में बहस होनी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग बहस होने देना नहीं चाहते हैं। ये दलित विरोधी हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय, हम श्री पप्पू यादव द्वारा व्यक्त किये गए विचारों से सहमत है।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। सदन में माननीय गृह मंत्री महोदय भी मौजूद हैं। बिहार की स्थिति उनसे छिपी नहीं है। परसों कानपुर के पहले जिस ''डी'' कूपे में मैं बैठा था, उसकी पहली खिड़की, मेरे गेट की खिड़की और तीसरी खिड़की, तीनों खिड़कियों को तोड़ते हुए एक ऐसा गोला जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, अगर वहां लोग बैठे होते तो सब के सब मारे जाते, कोई नहीं बचता, इतनी हैवी आवाज हुई, लगा कि ट्रेन उलट जाएगी। मेरे साथ दो-दो एक्स एमपीज बैठे थे, अनिल यादव एक और एक्स-एमपी बैठे थे। इससे पहले भी अध्यक्ष महोदय, मेरी मां के ऊपर गोली चली थी और मेरी सगी भाभी मारी गयी थीं। फिर मेरी मां पर अटैक हुआ था और मेरा पर्सनल बाडी-गार्ड मारा गया था। दर्जनों बार मेरे परिवार और मेरे ऊपर कातिलाना हमला बिहार में हुआ है। यह सिलसिला मंडल कमीशन के समय से चलता आ रहा है। माननीय राम विलास पासवान जी पर बम चला, अनवारूल हक जी पर और जार्ज साहब पर भी मुजफ्फरपुर में हथियार से वार हुआ था। बिहार की आज जो स्थिति है उसमें मैं किसी पार्टी पर आरोप लगाना नहीं चाहता हूं। लेकिन जिस सिस्टम के खिलाफ हमारी लड़ाई है और बड़े ताकतवर लोग जो बिहार को बर्बाद करना चाहता है, उनके खिलाफ लड़ाई है उसमें मैं और मेरा परिवार, वहां का विपक्ष जो सिस्टम के खिलाफ वहां लड़ते रहे हैं, वे आज वहां सुरक्षित नहीं है। मैंने तीन दिन पहले भी अध्यक्ष महोदय आपसे कहा था कि इसमें सुरक्षा के लिए मुझे भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बारे में पटना हाई-कोर्ट ने दो बार सरकार को आदेश दिये कि मुझे और मेरे परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। वहां पूरे के पूरे परिवार को ब्लैक कैट कमांडों से लेकर 10-10 कार्बाइन और स्टेनगन युक्त सुरक्षा कर्मी उन लोगों को मिले हुए हैं जो बिहार को उन्नत देखना नहीं चाहते हैं। सारे के सारे ऐसे लोग जो बिहार को उन्नत नहीं देखना चाहते हैं, उनको सुरक्षा मिली हुई है। जो लोग विपक्ष में हैं, आम लोगों की बात कहते हैं, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। मैं सिर्फ एक संसद सदस्य होने के नाते आपसे संरक्षण चाहता हूं। आज बिहार की स्थिति को देखते हुए, आप मुझे संरक्षण दें। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। *...(व्यवधान)* महोदय, कल पटना में स्थिति यह थी कि तीन-तीन जगह पुलिस को गोली मारकर साधारण आदमियों को उठाकर ले गए। आज सुबह 8 बजे राजवंशी नगर से एक 11 वर्ष की लड़की को उठाकर ले गए और उसके पिता के पैर में गोली मार दी। वहां की स्थिति के बारे में मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। हमें आपसे संरक्षण चाहिए। मैं मर भी जाऊं, लेकिन बिहार से संरक्षण नहीं लूंगा, क्योंकि उसके संरक्षण में मुझे कहीं-न-कहीं खोट नजर आता है। मैं बिहार सरकार से संरक्षण नहीं लूंगा। महोदय, आप मुझे संरक्षण देने के लिए सुनिश्चित करें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैं इस विषय पर चर्चा शुरू नहीं करूंगा। मैं श्री राम विलास पासवान जी का नाम पुकार रहा हूं, वे जो उनका प्रस्ताव है, उस पर चर्चा शुरू करे।

[अनुवाद]

माननीय गृह मंत्री जी और उप प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हैं। वह इस मामले को गंभीरता से लेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः वह इस मामले को गम्भीरता से लेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः श्री राम विलास पासवान जी, जो आपका प्रस्ताव है, उस पर चर्चा शुरू कीजिए। आप दलितों पर अत्याचार से संबंधित विषय पर चर्चा शुरू करें। मैंने मंत्री जी को इस विषय पर ध्यान देने के लिए सूचना दी है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.07 बजे

(इस समय श्री मधुसूदन मिस्त्री और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गये)

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बिना सूचना के मैं किसी अन्य मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री राम विलास पासवान जी, मैंने आपका नाम पुकारा है। आपके द्वारा प्रस्तुत विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि उस विषय पर सदन में चर्चा हो।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर वापस जायें। अब हमें दलितों पर अत्याचार के मुद्दे पर चर्चा शुरू करने दीजिये। आप सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। यह विषय काफी समय से चर्चा के लिए लंबित है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप इस बारे में सूचना दे सकते हैं। आप , की सूचना मेरे पास आनी चाहिए। सभा की कार्यवाही चलाने की एक प्रक्रिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उद्घोष को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये। दूरदर्शन कैमरों को भी बंद कर दिया जाये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब सभा बुधवार, 13 अगस्त, 2003 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.08 बजे

(तत्पश्चात्, लोक सभा बुधवार, 13 अगस्त, 2003/22 श्रावण, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी.एल.एस.–48.36.15/2003 (एन०)
280

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।